महानगर नई दिल्ली मंगलवार 2 जून, 2026, रु. 6.00 (22 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com epaper.jansatta.com

तमिलनाडु : भाजपा छोड़ेंगे अन्नामलाई

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 1 जून।

तमिलनाडु भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और दक्षिण में पार्टी के सबसे प्रमुख चेहरों में से एक के अन्नामलाई मंगलवार को भाजपा से अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं और औपचारिक रूप से दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को अपने फैसले से अवगत करा सकते हैं।

भाजपा के विश्वसनीय सूत्रों ने सोमवार को बताया कि उन्होंने अपना मन बना लिया है और दिल्ली का यह दौरा महज एक राजनीतिक बैठक नहीं बल्कि उस पार्टी के प्रति आभार व्यक्त करने का भी एक तरीका है जिसके साथ उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन के पिछले छह साल बिताए हैं। उधर, अन्नामलाई ने पार्टी से नाराजगी और नया राजनीतिक संगठन बनाने की संभावनाओं को लेकर लगाई जा रही अटकलों पर **बाकी पेज 8 पर**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते का पहला चरण लगभग तय

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 1 जून।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को कहा कि भारत और अमेरिका ने प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) के पहले चरण के अधिकांश प्रावधानों को अंतिम रूप दे दिया है और अब बातचीत कुछ छोटे मुद्दों तक ही केंद्रित है। गोयल ने कहा कि लगभग सभी चीजें तय हो चुकी हैं। जैसा कि अमेरिकी राजदूत ने भी कहा है कि 99 फीसद मुद्दों पर सहमति बन चुकी है।

गोयल ने संवाददाताओं से कहा कि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल इस समझौते के पहले चरण को अंतिम रूप देने के लिए भारत में है। दोनों पक्षों के बीच दो से चार जून तक यह बातचीत होगी। इस वार्ता में बाजार पहुंच, गैर-शुल्क बाधाएं, सीमा शुल्क, निवेश प्रोत्साहन और आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ी रणनीतिक साझेदारी पर गहन चर्चा हो रही है।

अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल भारत में, चार जून तक होगी बातचीत। इस वार्ता में बाजार पहुंच, गैर-शुल्क बाधाएं, सीमा शुल्क, निवेश प्रोत्साहन और आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ी रणनीतिक साझेदारी पर गहन चर्चा हो रही है।

दोनों देशों ने तीन फरवरी को इस व्यापार समझौते के पहले चरण के लिए रूपरेखा तय होने की घोषणा की थी।

इस उच्च स्तरीय वार्ता में दोनों देशों की टीमें तकनीकी विवरणों को सुलझाने और कानूनी मसौदे को अंतिम रूप देने पर ध्यान केंद्रित करेंगी। दोनों देशों ने तीन फरवरी को इस व्यापार समझौते के पहले चरण के लिए रूपरेखा तय होने की घोषणा की थी।

गोयल ने कहा कि अब केवल छोटे-छोटे बिंदुओं पर चर्चा चल रही है। उन्होंने कहा कि समझौते को अंतिम रूप देते समय इस पर भी विचार किया जा रहा है कि अमेरिका में हुए कानूनी बदलावों को इसमें किस तरह से जगह दी जाएगी। उन्होंने **बाकी पेज 8 पर**

व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर 42 रुपए महंगा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 1 जून।

होटल और रेस्तरां में इस्तेमाल होने वाली व्यावसायिक द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) 19 किलोग्राम के सिलेंडर की कीमत राजधानी दिल्ली में सोमवार को 42 रुपए बढ़ा दी गई। अब दिल्ली में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत 3,071.50 रुपए से बढ़कर 3,113.50 रुपए हो गई है।

यह वृद्धि एक मई को की गई 993 रुपए की भारी बढ़ोतरी के बाद हुई है, जिससे व्यावसायिक एलपीजी कीमतें रिकार्ड स्तर पर पहुंच गई हैं। वहीं कोलकाता में व्यावसायिक एलपीजी की कीमतों में 53.50 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। यहां अब ये सिलेंडर 3,255.50 रुपए में मिलेगा। पहले ये 3,202 रुपए में मिल रहा था। वहीं, पांच किलोग्राम 'फ्री-ट्रेड' एलपीजी सिलेंडर की कीमत भी 11 रुपए बढ़ाकर 821.50 रुपए कर दी गई है। इसे कोई भी बिना आवास पता प्रमाण के ले सकता है। पांच किलोग्राम वाले छोटे सिलेंडर को नियमित कनेक्शन के साथ लेने पर इसका दाम 339 रुपए पर स्थिर है।

पांच किलोग्राम 'फ्री-ट्रेड' सिलेंडर की कीमत भी 11 रुपए बढ़ाकर 821.50 रुपए की गई।

घरेलू गैस के दाम जस के तस। अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए एटीएफ हुआ 27 फीसद सस्ता।

घरों में इस्तेमाल होने वाली रसोई गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया। 14.2 किलोग्राम के **बाकी पेज 8 पर**

'भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ म्यांमा की धरती का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा'

नई दिल्ली, 1 जून (ब्यूरो)।

प्रधानमंत्री मोदी से मिले म्यांमा के राष्ट्रपति आंग ह्लाइंग।

म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग ह्लाइंग ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आश्वासन दिया कि भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ उनके देश की धरती का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा।

दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा और ऊर्जा क्षेत्रों में द्विपक्षीय **बाकी पेज 8 पर**

नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग ह्लाइंग के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।

सीबीएसई : पुनर्मूल्यांकन पोर्टल दिन भर नहीं चला, विद्यार्थी रहे हलकान

नई दिल्ली, 1 जून (ब्यूरो)।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की ओर से पुनर्मूल्यांकन और सत्यापन प्रक्रिया शुरू करने की घोषित तिथि के बाद भी सोमवार को दिन भर पोर्टल नहीं खुला। सीबीएसई के आधिकारिक पोर्टल पर लगातार 'रखरखाव के अधीन' संदेश प्रदर्शित होता रहा। इससे हजारों विद्यार्थी हलकान रहे।

सीबीएसई सूत्रों ने कहा कि पुनर्मूल्यांकन पोर्टल जल्द चालू होने की उम्मीद है।

-पूरी खबर पेज 8 पर

तृणमूल ने पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर दो विधायकों को निकाला

नई दिल्ली, 1 जून (ब्यूरो)।

तृणमूल कांग्रेस ने कथित पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर अपने दो विधायकों संदीपन साहा और ऋतव्रत बनर्जी को सोमवार को निष्कासित कर दिया।

निष्कासन आदेश से कुछ ही मिनट पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य सचिवालय में संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा था कि राज्य विधानसभा में 'फर्जी हस्ताक्षर' मामले के संबंध में शिकायतें इन दोनों विधायकों ने दर्ज कराई थीं। *-पूरी खबर पेज 12 पर*

पंजाब अनुसूचित जाति आयोग ने रवनीत बिट्टू को चार जून को तलब किया

चंडीगढ़, 1 जून (ब्यूरो)।

पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को कथित जातिसूचक टिप्पणी के मामले में चार जून को पेश होने के लिए सोमवार को समन जारी किया।

आयोग के अध्यक्ष जसवीर सिंह गढ़ी ने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से उनके संज्ञान में आया कि बिट्टू ने हाल में धूरी में दौरे के दौरान कथित रूप से जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया था। *-पूरी खबर पेज 10 पर*

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

This is to certify that "Dinesh Singh" alias "Dinesh Singh Bisht" is one and the same person. 0040858168-1

My Correct name is KALPANA KUMARI, W/o-Ashish Saini insteadof KALPANA SAINI, which is Wrongly-written in-my Daughter, AANVI SAINI School-Record,R/o-RZ-20,Subhash-Park,Ext-2,Uttam Nagar,New-Delhi-59, both names belong to same-person i.e.myself- KALPANA KUMARI 0040858205-4

It is for general information that I Akhil Kumar Jain son of Kamal Chand Jain resident of A-14,Green Park Main, New Delhi-110016, declare that name of mine has been wrongly written as Akhil Jain in My son's i.e. Naitik Jain Passport. The actual name of mine is Akhil Kumar Jain, respectively which may be amended accordingly. 0040858157-1

I,YOGESH KUMAR,S/O-MURARI LAL SHARMA R/O C-20,SECOND FLOOR,ANAND NIKETAN NEW DELHI-110021,CHANGED MY NAME TO YOGESH SHARMA FOR ALL PURPOSES. 0040858201-8

I,Vikas Arora,S/o Sharwan Kumar Arora,R/o-1/6185-A,3rd Floor,Gali No.2,East Rohtash-Nagar,Shahdara,Delhi-110032,have changed my son's name from Moksh Arora to Tanay Arora. 0040858205-5

I,URMILA DEVI,MOTHER OF, VIJESH KUMAR,R/O VPO-KHORRA DISTT-JHAJJAR HARYANA-124142,HAVE CHANGED MY NAME,FROM URMILA DEVI TO URMILA VIDE AFFIDAVIT,DATED 01/06/2026, BEFORE NCT-DELHI. 0040858200-10

I,Sweta W/o Minku Kumar R/o RZ-15,Toop Floor,Gali No.19, Vashisht-Park, Delhi -110046, have changed my name to Sweta Singh for all Purposes. 0040858205-2

I,Sonia,D/o Gurbachan Singh Sodhi,W/o-Jatinder Pal Singh,R/o-A-200 3rd Floor, Lajpat Nagar-I,New Delhi-110024,hereby declare that my name Sonia Sodhi appearing in Passport and Sonia appearing in Aadhaar-Card & PAN-Card belong to one and the same-person. Henceforth, I shall be known as "Sonia" for all,official purposes. 0040858200-9

I,Shweta sharma,w/0 PEEYUSH Vij,r/0 B404,saya zeenath,apt Ghaziabad,up, have change her MINOR DAUGHTER NAME ALISHA VIJAN TO PEHAL Vijan,for all 0040858200-5

I, Sanjay Gupta, S/o Ganga Prasad Gupta, R/o A-87, Near Gurudwara, Pandav Nagar, East Delhi-110092, have changed my name to Sanjay Kumar Gupta, for all purposes. 0040858201-3

I,SANCHI PANDEY,W/O VIVEK RAWAL R/O-FLAT.802,TOWER-3, PANCHSHEEL PEBBLES, SECTOR-3,VAISHALI, Ghaziabad UTTAR PRADESH-201010 changed my name to SANCHI RAWAL. 0040858200-1

I,Rachna W/o-Atmaram Meena, R/o-A-161,Street no.15,Pratap Nagar,Mayur Vihar Phase-1,New Delhi-110091,Change My Name to RACHNA SAXENA New Name Permanently. 0040858204-1

I,RAVINDER KUMAR S/O BUDHRAM R/O HNO.151 HAIDERPUR VILLAGE DELHI-110088.HAVE CHANGED MY NAME TO RAVINDER YADAV FOR ALL FUTURE PURPOSES. 0040858201-5

I,Patel Sohini Vitthal W/o Abhishek Goel R/o Flat-1807, Tower Modena Mahagun Mirabella,Sector-79,Noida, G.B.Nagar,have changed my name to Sohini Patel. 0040858205-7

I,Saarvi D/O Mukesh Luthra R/O-QU 96-B Vishaka Enclave, Delhi-110034,have Changed my name to Saarvi Luthra for all future purposes. 0040858204-5

I,PUSHPA RANI/PUSHPA GUPTA,W/O RAJIV GUPTA, R/O B-6 UPPER GROUND MAHATMA GANDHI-ROAD ADARSH-NAGAR, DELHI-110033.HAVE CHANGED MY NAME TO PUSHPA RANI GUPTA. 0040858201-4

I,POOJA LAMBA, C/O, ANKUSH MALHOTRA, R/O-FLAT.NO-104,1ST FLOOR,T/4 PLOT.NO-GH-14A 1ST-floor SECTOR-1 WEST,GREATER NOIDA,GAUTAM BUDH-NAGAR,UTTAR PRADESH-201306,have changed my name to pooja. 0040858200-2

I,Netrapal Singh Panghal, S/O-Mahavir Singh Panghal,R/O-804,Nangla Tashi,Kanker-Khera,Meerut,Uttar Pradesh-250001,have changed my minor son name,from Adiraj Singh to Adhiraj Singh. 0040858200-8

I, Kavita Maurya alias Kavita Kushwaha W/o Shiv Prasad Kushwaha and D/o Ram Dhani Maurya R/o Flat No.1202, Tower-A1, Saviour Greenisle, Crossing Republik, Ghaziabad , UP-201016 have changed my name from Kavita Maurya to Kavita Kushwaha for all future purposes. 0040858105-1

I,NARESH KUMAR,S/O-NARSHING DASS GUPTA,R/O-E-99, KAMLA NAGAR,MALKA GANJ, DELHI-110007,HAVE CHANGED MY NAME TO NARESH KUMAR GUPTA. 0040858200-4

I,Mohd.Mazid,S/o Sirazuddin, R/o-B-145,Gali No.13,Kanti-Nagar Extn.Krishna Nagar, Delhi-110051,have changed the name of my-minor son Hamdan(DOB-24-01-2019) to Muhammad Hamdan,for all purposes. 0040858200-7

I,Mirza Mohd,Aabideen,S/O-Mirza Ali Akhtar,R/O-4256, Dargh near-Railway colony-Naya bazar Chandni,chowk North Delhi 110006,have changed my name to Mohammad Aabdeen,for all purposes 0040858201-7

I,Kunal Verma S/o Ashok Kumar Verma R/o F-17, Sector-41, Noida(U.P) have changed my son's name from Ruhaan Verma to Roohaan Verma for all purposes. 0040858111-1

I,Kunal Verma S/o Ashok Kumar Verma R/o F-17, Sector-41, Noida(U.P) have changed my daughter's name from Samaira Verma to Samairaa Verma for all purposes. 0040858111-2

I,Kiranjeet Kaur,W/O.Devinder Singh Anand,R/O.JG1/62, Vikaspuri,New Delhi-110018 have changed my name to Kiranjeet Kaur Anand for all Purposes 0040858200-6

I,Jasleen Kohli w/o Satvinder Singh Kohli R/o B-2/1,Second Floor,Front Side,Janak Puri, Delhi-110058,have changed my name to Jasleen Kaur Kohli. 0040858201-1

I,JAMAN SINGH S/O SITAB SINGH,R/O-417 PRATAP-VIHAR, KHODA-COLONY, KHODA,P.O: KHODA GAON, DISTRICT: GHAZIABAD,UTTAR PRADESH-201309,have changed my name to JAMAN SINGH RAWAT, for all,future purposes. 0040858205-9

I,BABLOO,S/O-RAMBIR SINGH, R/O-79A,RAJAN-VIHAR,HASTSAL VILLAGE,DELHI-110059 HAVE CHANGED MY NAME TO BABLOO SINGH. 0040858205-3

I,Aayush Kumar Mishra,S/o-Jyotish Kumar Mishra, R/o-Block-S1, Nanakpura, Shakarpur Khas, S-695,School Block,Shakarpur, Delhi-110092, have changed my name to Ayush Kumar Mishra, for all,future purposes. 0040858205-6

I,AQSA SAHUD AHAMAD, W/O-SAHUD AHAMAD,R/O-MOHALLA TIHAI,MAWANA KALAN, MAWANA,Meerut UTTAR, PRADESH-250401 changed my name to AQSA. 0040858200-3

I,ANUSHA,D/O-DEEPAK GUPTA, residing at,F-60,3RD FLOOR, PREET VIHAR, SHAKARPUR, DELHI-110092.have changed my name to ANUSHA GUPTA for all future purposes. 0040858201-2

I,Aakriti D/O Nitin Kumar R/O F 520,Gali No 2 Near Kali Mata Mandir Lado Sarai New Delhi 110030 changed my name to Aakriti Gupta 0130065349-1

I,ANL KUMAR GUPTA S/O Ratan Lal Gupta R/O HOUSE NO-22 B, 1ST FLOOR,BLOCK NO-5,NEAR HDFC BANK,ROOP NAGAR,PO:-MALKA GANJ,DIST:-NORTH DELHI,DELHI-110007,have changed my name to ANIL KUMAR GUPTA for all future purposes. 0040858204-2

I,AANCHAL YADAV W/O JATIN R/O A-1518 NEAR DELHI CHAAT BHANDAR JAHANGIR-PURI DELHI-110033.HAVE CHANGED MY NAME TO AANCHAL SONI. 0040858201-6

I, Udya Pratap Singh S/o Ranvir Singh R/o 21, Jagnapur, Murthar Alipur, Agra, Uttar Pradesh- 283201, have changed my minor daughter's name from Namee Jadaun aged 05 years to Anika Jadoun forever 0071039437-1

I, UMA BHARTI W/o N.R. Ramachandran, R/o C-84, DDA Flats, Kalkaji, New Delhi-110019, have changed my name and shall hereafter be known as UMABHARATHI RAMACHANDRAN. 0040858115-1

I, Subrat Parida Son of Sahadev Parida, Residing at Unit No B-2 First Floor C-48-B, Old No C-48, Krishna Park Khanpur, Devli, PO Dr. Ambedkar Nagar, Dist: South Delhi-110080, have changed my name to Abhishek Parida 0071039481-1

I, Sanjeev Kumar Tiwari, s/o shri Nand Lal Tiwari, resident of Tower-O, Flat-401, Pan Oasis, Plot No. GH-01, Sector-70, Noida, UP-201301, have changed my name from Sanjeev Kumar Tiwari to Sanjeev Tiwari. Henceforth I would be known by the name of Sanjeev Tiwari for all future purposes. 0040858109-1

I, SHYNI SHAJI, Dependent (Mother) of SHIJIN SHAJI, Resident of KILIYAMPARAMBIL HOUSE, CHERAKKAPARAMBA PO ANGHADIPURAM, MALAPPURAM, KERALAM–679321 have changed my name SHYNI SHAJI to BABY SHINY vide Affidavit dated 27/05/2026 before District Court Faridabad. 0071039417-1

I, Raghav Anand, R/o Hno.10, Roadno.18, East Punjabi Bagh, New Delhi-110026, have changed my daughter's name from khushvka Anand to Khushvika Anand. 0040858140-2

I Nagma Parveen D/o Mohd Shakir R/o Village Rampura, Shahabad, Uttar Pradesh-244922, have changed my name to Shagun 0071039441-1

I, Pramod,S/o-Ram Swaroop, R/o-Block.No.-8,175,176 Dakshinpuri-Extn, Ambedkar-Nagar,Pushpa Bhawan,South-Delhi,Delhi-110062,have changed my name to Pramod Kumar 0040858205-10

I, PRASHANT MAAN C/o Narender Mann, C-3356, Road No-156, Gurudwara Road, Green Field Colony, Sector-41, Faridabad-121010 have changed my name to PRASHANT MANN. 0071039477-1

I, Mamta w/o Surinder Kumar r/o E-38, Second Floor, Bali Nagar, New Delhi-110015, have changed my name to Mamta Budhiraja. 0040858140-1

I, MUKESH , W/O AJIT SINGH, R/o 186 OMAXE GALLERIA SECTOR 14 BAHADURGARH JHAJJAR Haryana - 124507 have changed my name MUKESH DEVI for all future purposes. 0071039450-1

I, Krishan Kumar Rajput Son of Kaptan Singh, Residing at Villa No. B-20, Kamakhya Villa, Shahberi, Ghaziabad, Shah Beri, Chhipyana, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh-201009, have changed my name to Krishna Rajput. 0071039486-1

I, Kavita Singh, D/o Jageshwar Nath Singh, W/o Punit Dutt Tyagi, R/o 433, Sector-28, Arun Vihar, Noida, have changed my name after marriage to Kavita Tyagi, for all purposes. 0040858104-1

I, K.D. Oberoi S/o Shriram Oberoi R/o F-64, Wave Green, Opposite-Wave Mall Ramganga Vihar-2, Moradabad(U.P) have changed my name to Kulbhushan Oberoi for all purposes. 0040858177-1

I, Irveen Kaur w/o Narinder Bir Singh r/o ExB-14-15, BE-Block, Hari Nagar, Delhi-110064 have changed my name to IRVEEN KAUR SETHI. 0040858110-1

I, ISHITA ANIL GUPTA, D/O ANIL KUMAR GUPTA R/O-HOUSE NO-22-B,1ST-FLOOR, BLOCK NO-5,NEAR HDFC BANK, ROOP NAGAR,PO:-MALKA GANJ,DIST:-NORTH DELHI,DELHI-110007,have changed my name to ISHITA GUPTA for all future purposes. 0040858204-3

I, Gurpreet Wife of Ajit Pal, Residing at 353/2, Gali No-1, Than Singh Nagar, Anand Parbat,Karol Bagh, Karol Bagh, Central Delhi-110005, have changed my name to Gurpreet Sharma. 0071039483-1

I, Dipannita Dey W/o Bikash Chaurasia R/o C-2/2490 Ground Floor Avenue-8 Vasant Kunj Delhi-110070 Have Changed My Name To Dipannita Dey Chaurasia. 0040858205-8

I, BINDU , C/O KEWAL KUMAR , R/O HOUSE NO A 252 GALI NO 3 RAMA GARDEN KARAWAL NAGAR NORTH EAST DELHI - 110094 , have changed my name BINDU KUMARI for all future purposes. 0071039446-1

I, Ajit Pal Son of Ram Kumar Sharma, Residing at 353/2, Gali No-1, Than Singh Nagar, Anand Parbat, Karol Bagh, Karol Bagh, Central Delhi-110005, have changed my name to Ajit Pal Sharma. 0071039488-1

I SUNITA MOTI W/O ANIL KUMAR MOTI R/O FLAT NO-1401/1501,TOWER-5, UNI-WORLD GARDEN-1,SEC-47, GURGAON, HARYANA-122018, CHANGE MY NAME TO SUNITA VUTHOO. 0040858205-1

I PRIYANKA CHADHA W/O NAHUSH AGARWAL R/O - 154 RAM VIHAR DELHI-110092 HAVE CHANGED MY NAME TO PRIYANKA NAHUSH AGARWAL FOR ALL PURPOSE 0040857911-2

I Leo Guharay. D/O, Partha Sarathi Guharay. R/o Partha Sarathi Guharay. Dangapara. Guha Niwas. P.o. Pandapara Kalibari. Dist. Jalpaiguri. Pin.735132. have changed my name to Parnashreya Guharay. 0040858102-1

I Kalu S/o Kishan Pal R/o Pavia, Incholi, Dist: Meerut, Uttar Pradesh- 250001, have changed my name to Anil Kumar 0071039440-1

I,Rachna Sachdev,D/O-P L Sachdeva R/O 3115,U G Floor,Mahindra Park,Rani Bagh,Shakur Basti,Delhi-110034,have changed my name to Rachna. 0040858204-4

I, No.-14879052M, Sep/MT, Bhavare Suraj Annasahab, presently R/o Vill.-Umalwad, PO-Jaysingpur, Teh.-Shirol, Distt.-Kolhapur, Maharashtra-416101 have changed my daughter's name from SURVI to SURVI SURAJ BHAVARE vide affidavit No.IN-UP92499385034689Y dated 30-05-2026 0060141953-1

I, HAV, Badgujar Mahendra Ananda R/o House No.-16, Saptshrungi Nagar, Village & Post–Devpur, Distt-Dhule, Maharashtra-424005, have changed my son's name from JIGAR to BADGUJAR JIGAR MAHENDRA vide affidavit No. 73AB-201041 dated 13-04-2026 0060141953-2

I MOHAMMAD MUSLEMIN QURESHI S/ O MOHAMMAD MUKIM AHMAD QURESHI BORN ON15/04/1972 RESIDING AT 163/252 LETHER MARKETMOULVIGANJ LUCKNOW UP 226018 HAVE CHANGE MY NAME TO MOHAMMAD MUSLEMIN QURAISHI VIDE AFFIDAVIT DATED 30/05/2026 AT LUCKNOW 0050290658-1

व्यक्तिगत

मैं मनोज कुमार चिंदलिया, पुत्र हनुमानलाल चिंदलिया, निवासी 257 द्वितीय तल एजीसीआर एन्क्लेव, वीटीसी, आनंद विहार, दिल्ली 110092, अपने 16 वर्षीय नाबालिग पुत्र मन्नन चिंदलिया का नाम बदलकर मनन जैन रख देता हूँ।

व्यक्तिगत

मैंने अपना नाम Mohammad Younus S/o Mohammad Umar से बदलकर Mohd Younus S/o Mohd Umar सभी उद्देश्यों हेतु कर लिया है। Mohd Younus S/o Mohd Umar, निवासी 229/294, चिड़िया बाजार, हुसैन कॉम्प्लेक्स, नक्खास, लखनऊ-226003

व्यक्तिगत

मैंने अपना नाम इमरान से बदलकर इमरान अंसारी सभी उद्देश्यों हेतु कर लिया है। इमरान अंसारी पुत्र शम्सुद्दीन निवासी नई बस्ती, बेनीगंज, देहात, हरदोई -241304

व्यक्तिगत

मैं बनाश्री मंडल पत्नी अशेष मंडल, सरबंगापुर, सरबंगापुर मुरशिदाबाद, पश्चिम बंगाल 742174 में रहती हूं, मैंने नोटरी पब्लिक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लखनऊ (यूपी) के समक्ष दिनांक 13/05/26 के शपथ पत्र के माध्यम से अपना नाम बनाश्री को बदलकर बनाश्री मंडल कर लिया है।

व्यक्तिगत

मैंने अपना नाम Mohd Irfan S/o Mohd Yusuf से बदलकर Mohammad Irfan S/o Mohammad Yusuf सभी उद्देश्यों हेतु कर लिया है। Mohammad Irfan S/o Mohammad Yusuf, निवासी 106, न्यू राम नगर, खंजर वाला तकिया, चौक, लखनऊ-226003

खोया+पाया

I Vijay Kumar Talwar, S/o Late Om Prakash Talwar R/o 256/7, Gali No.7, Padam Nagar, Kishan Ganj, Malka Ganj, Delhi-110007 have lost my Original Lease Deed original copy and others document of Shop No.190, Old Rohtak Road, Kishan Ganj Market, Delhi-110007. Finders may contact at above address. 0040858101-2

I Sanjay Kumar S/o Shankar Lal R/o F-11, Patli Gali, Shastri Nagar, Delhi-110052, have lost my original GPA, Will, Receipt, Agreement to Sell Family Settlement, Sale deed etc. in favour of Shankar Lal of above said property. Finders may contact at the above address. 0040858101-1

LOST & FOUND

DDA फ्लैट K-210, सरिता विहार, नई दिल्ली के दस्तावेज सरिता विहार, नई दिल्ली में खो गए हैं/कहीं रखकर भूल गया हूँ, आवंटन पत्र, मांग पत्र, कब्जा पत्र, कब्जा पर्ची, पानी और बिजली के लिए NOC ePS सरिता विहार में दिनांक 30 मई 2026 को eFIR (LR No. 337587/2026) दर्ज करवा दी गई है। कृपया राजिंदर पाल सिंह (7696962293) को सूचित करें। 20514408

अदालती सूचना

COURT NOTICE
(U/o 5 Rule 20 CPC)
IN THE COURT OF Sh. Khush Karan Jot Singh Gill Civil Judge (Junior Division), Hansi

Tara Devi
Vs. Arpit aliwa Arpit Agarwal
CS/852/2025

Tara Devi aged about 68 years W/o Sher Singh son of Shri Amar Singh R/o Village Dhani Balhara Tehsil Siwani Distt. Bhiwani now at Hisar

VS

1) Arpit @ Arpit Aggarwal son of Shri Shiv kumar adopted son of Shri Sher Singh son of Ganga Sahya R/o Flat no. 48, The Kasal Apartment no. 1 Kolash Nagar, Pondicherry.

CNR No. HRHSA0-000-1039-2025
Next Date:-15-07-2026

PUBLICATION ISSUED TO:
1) Arpit @ Arpit Aggarwal son of Shri Shiv kumar adopted son of Shri Sher singh son of Ganga Sahya R/o Flat no.48, The Kasal Apartment no.1 Kolash Nagar, Pondicherry.

In above titled case, the defendant(s)respondent(s) could not be served. It is ordered that **defendant(s)/respondent(s)** should appear in person or through counsel on 15-07-2026 at 10:00 am.

For details logon to https://highcourtchd.gov.in/?mod=district_notice&district=Hisar

Civil Judge (Junior Division) Hansi

IN THE HIGH COURT OF DELHI AT NEW DELHI
(CIVIL APPELLATE JURISDICTION)
Notice Under Order V Rule 20 Code of Civil Procedure

RFA No. 436/2024 And CM No. 40006/2024 & 40007/2024
Appeal against the Order dated 14.03.2024 Passed by Sh. Aman Pratap Singh, ADJ-01, South West District, Dwarka Courts, New Delhi
In Civil Suit No. CS DJ ADJ No. 449/2023

KISHAN KUMAR@PAPPU ......APPELLANT(S)
VERSUS
VIJAY KUMAR .....RESPONDENT(S)

Notice to: Respondent(s):
SHRI VIJAY KUMAR
S/O LATE RANGI LAL
R/O RZ-06, DURGA PARK GALI NO.10, NEW DELHI-110045
MOB.7428021362

Whereas the above-noted appellant has presented an appeal under Section 96 CPC along with the above-mentioned application which was listed before the Court on 25.09.2024 and the Court ordered issuance of notice to you. And whereas it has been proved to the satisfaction of the Court that you cannot be served in the ordinary manner, Notice is hereby issued that, if you wish to defend the above-mentioned application, you may cause an appearance to be entered on your behalf either personally or through an advocate duly appointed by you for the purpose before the **Court of Worthy Registrar (Appellate) on 21.08.2026 (actual) at 11:00 a.m.**

If no appearance is made on your behalf, by yourself, your pleader or someone by law authorized to act for you in the above mentioned appeal and pending application on the aforementioned date, no further notice of the subsequent date of hearing of the said application will be given and the same will be heard and determined ex-parte in your absence.

Given under my hand and the seal of this Court on this 25th day of May, 2026.

Seal

Sd/-
Assistant Registrar (Appl.) (Civil)
for REGISTRAR GENERAL

DOCUMENTATION

अपोस्ट्ल, गजट, जन्म/व्यापार/वाहन/विवाह प्रमाणपत्र, ट्रांसफर, डुप्लीकेट, पासपोर्ट, बेदखली, लाइसेंस, वीजा, वोटरकार्ड, CBSE, FSSAI, ITR, PAN, PCC. **98105-38183**

सार्वजनिक सूचना

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भूखण्ड सं0-2, जो खसरा सं0-384 का भाग, क्षेत्रफल 1200 वर्गफिट स्थित ग्राम कल्ली पश्चिम, परगना बिजनौर, तहसील सरोजनी नगर, जिला लखनऊ, जिसके स्वामीगण वर्तमान खतौनी के अनुसार बालक राम पुत्र मन्नी लाल उर्फ मुन्नी लाल व राजन उर्फ राजन रावत पुत्र संतराम उर्फ संतराम रावत है। जो उक्त सम्पत्ति को श्रीमती अर्चना पत्नी स्व० दिनेश कुमार को विक्रय कर रहे है। उक्त सम्पत्ति को क्रय करने के लिए श्रीमती अर्चना, मेरे मुवक्किल आधार हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड से लोन ले कर बंधक करने जा रहे है। उक्त खसरा सं0-384 में बालक राम व राजन उर्फ राजन रावत के साथ अन्य सहखातेदार भी है। बालक राम व राजन उर्फ राजन रावत अपने हिस्से में से उक्त भूखण्ड को विक्रय कर रहे है। यदि उक्त के सम्बन्ध में किसी भी सहखातेदार व अन्य किसी भी व्यक्ति व संस्था को आपत्ति या हित है तो लिखित साक्ष्य व दस्तावेजो के साथ इस सूचना के प्रकाशन से 7 दिन के अन्दर अधोहस्ताक्षरी से सम्पर्क करें। अन्यथा कि दशा में इस सूचना के प्रकाशन के 7 दिन पूरे हो जाने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी व मेरा मुवक्किल आधार हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड किसी भी तथ्य व आपत्ति के लिए जिम्मेदार नही होगें।

हस्ता./-
आदर्श दीक्षित
एडवोकेट
लीगल डोमेन (लॉ फर्म)
ऑफिस-डी-2133, इंदिरा नगर, लखनऊ।

सूचना

अजीत कुमार यादव पुत्र श्री रघुनाथ यादव निवासी भवन निर्मित प्लाट खसरा संख्या 190 स्थित ग्राम अनौरा परगना व तहसील जिला लखनऊ ने ग्राम अनौरा के खसरा संख्या 190 पर भूखंड क्रय किया था जिसकी मूल चैन डीड कहीं खो गई है जो कि बही संख्या 1, जिल्द संख्या 16033 पेज 161 से 222 क्रमांक 18377 दिनांक 5 11.2014 उपनिबंधक द्वितीय लखनऊ में पंजीकृत है का उपयोग किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा किया जाता है तो वह अवैध होगा मो0 नं0 7007406885

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है रीटा राघव वाइफ का राजेश राघव निवास एक बात 1/2310 रामनगर नियर मंडोली रोड शाहदरा दिल्ली 32 खसरा नंबर 147 है 50 गज का अपना मकान है जिसकी पेपर 28 अगस्त 2018 को आग लगने की वजह से जल गए हैं रजिस्ट्रेशन नंबर 5518 बुक नंबर 1 वॉल्यूम नंबर 3919 पेज नंबर 13 से 18 दिनांक 16/8/2005 को बैनामा हुई है।

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किल श्री जसवीर सिंह पुत्र श्री नच्छी सिंह और उनकी पत्नी श्रीमती राजेश कुमारी, दोनों निवासीगण मकान न. 635, मनिहार चौक, विराग दिल्ली, नई दिल्ली-110017 का बेटा तरुण कुमार एवं उसकी पत्नी ज्योति फोगाट मेरे मुवक्किलगणों की कोई बात नहीं मानते, उनके साथ गाली-गलौच व दुर्व्यवहार करने के कारण, मेरे मुवक्किलों ने अपने बेटे तरुण कुमार एवं उसकी पत्नी ज्योति फोगाट को अपनी समस्त चल व अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया है और अपने सभी प्रकार के संबन्ध विच्छेद कर लिये हैं। भविष्य में यदि कोई भी व्यक्ति हमारे पुत्र एवं पुत्रवधू से कोई व्यक्तिगत / व्यापारिक या किसी भी प्रकार का कोई लेन-देन करता है तो मेरे मुवक्किलगण किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होंगे। **सोहम प्रकाश वर्मा** (अधिवक्ता) चैंबर न. 66, साकेत कोर्ट, नई दिल्ली

PUBLIC NOTICE

IT IS HEREBY INFORMED I, REKHA W/O KANWAR SHARMA R/O WZ-700/C, SRI NAGAR SHAKUR BASTI DELHI-110034, HAS LOST/MISPLACED THE ORIGINAL GIFT DEED IN RESPECT OF PROPERTY NO.WZ-700/C, AREA MEASURING 51.5 SQUARE YARDS, VILLAGE SHAKUR PUR, ABADI KNOWN AS SRI NAGAR, SHAKUR BASTI, DELHI-110034, VIDE SALE DEED REGD. AS DOC. NO.501, BOOK NO.I, VOL. NO.6693 PAGES 177-182 DT.18-01-2017, REGD. IN THE OFFICE OF S.R. VI-A, DELHI EXECUTED BETWEEN KALAWATI & REKHA AND IS NOT TRACEABLE & I HAVE LODGED A FIR/NCR VIDE LR NO.3013861/2025 DATED 15.07.2025 WITH POLICE STATION, CRIME BRANCH, DELHI, IF ANY BODY FIND THE SAID DOCUMENTS, INFORM US AT THE ABOVE SAID PROPERTY ADDRESS OR MOB. NO.9716474523.

सार्वजनिक सूचना

श्रीमती पारुल चौहान ने हमारी अभिलाषा आई.सी.आई.सी.आई. एच.एफ.सी., शाखा मॉडल टाउन दिल्ली में संपत्ति संख्या 2462 पर निर्मित Upper Ground Floor, पंजाबी बस्ती, सब्जी मंडी, दिल्ली, क्षेत्रफल 118.92 वर्ग मीटर, को रहन रख ऋण प्राप्त लेने का आवेदन किया है। श्री राजेंद्र कुमार व श्रीमती स्वर्ण लता पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 26.07.2024 के अनुसार उक्त संपत्ति के मालिक हैं, जो अब पंजीकृत विक्रय विलेख श्रीमती पारुल चौहान के पक्ष में निष्पादित करेंगे। इस बाबत किसी भी व्यक्ति, संस्था इत्यादि को आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशित होने के सात दिवस में मय सबूत सम्पर्क करें, अन्यथा कोई उज्र अथवा आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।

कार्तिक कुमार गोला, एडवोकेट,
वास्ते **लीगल एसोसिएट**, ए-3/ए-1, दिलशाद गार्डन, दिल्ली-95, मोब: 7011604304

PUBLIC NOTICE

Public at large hereby informed that **Residential Flat/Unit No.1202A, 13th Floor, Tower-CS6, Capetown, measuring 1150 Sq. Feet, Plot No. GH-01/A, Sector-74, Noida, Distt. Gautam Budh Nagar U P** (hereafter refer to be scheduled property) is owned by Sh. Pradeep Kumar S/o Sh. Asha Ram Yadav & Smt. Anjali Devi W/o Sh. Pradeep Kumar.

Original Allotment Letter dated 01.10.2011 issued by Supertech Limited in favour of Sh. Pradeep Kumar S/o Sh. Asha Ram Yadav & Smt. Anjali Devi W/o Sh. Pradeep Kumar, in respect of the captioned property is informed as lost and lost report filed with P.S. Crime Branch Delhi vide LR No.340091/2026 dated 31.05.2026.

It is hereby notified that any person or entity, firm/ company, Bank, financial institution having claim any charge, interest or lien or claim on the basis of documents mentioned above or otherwise and/or objection thereof, he/she/they may lodge/notify the same to the undersigned with documentary proof within 15 days from the day of publication, failing which the title shall be deemed to be clear and marketable without any defect.

Sd/-
NIRMAL KUMAR
Advocate
Enrl. No. UP02691/03
Mobile No. 8587898197

स्वामित्व हस्तांतरण संबंधी सूचना

संपत्ति संख्या सी-2/10, द्वितीय तल, डीएलएफ वैली, पंचकूला के संबंध में यह सूचित किया जाता है कि उक्त संपत्ति के अभिलेखानुसार सह-स्वामी कर्नल पी. सी. आहूजा (सेवानिवृत्त), पुत्र श्री जे. एन. आहूजा का दिनांक 04/05/2026 को निधन हो गया है। अब श्रीमती राज कुमारी आहूजा, निवासी सी-2/10, द्वितीय तल, डीएलएफ वैली, पंचकूला, पति-पत्नी संबंध तथा सह-स्वामिनी होने के आधार पर उक्त संपत्ति को अपने नाम स्थानांतररत करवाने हेतु आवेदन करना चाहती हैं। यदि किसी व्यक्ति को उक्त संपत्ति के हस्तांतरण के संबंध में कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति लिखित रूप में डीएलएफ वैली, पंचकूला कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता/सकती है। अन्यथा, उक्त संपत्ति का हस्तांतरण नियमानुसार कर दिया जाएगा तथा उसके बाद प्राप्त होने वाले किसी भी दावे अथवा आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।

करण प्रकाश
अधिवक्ता एन-31, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110016

दिल्ली

गोली लगने से घायल नाबालिग ने दम तोड़ा

नई दिल्ली, 1 जून (संवाददाता)।

दक्षिण पूर्वी दिल्ली की अमर कालोनी के एक रेस्तरां में जिस 17 वर्षीय लड़के को गोली मारी गई थी, उसकी सोमवार को अस्पताल में मौत हो गई।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि 26 मई को हुई घटना के बाद साई कुमार वेंटिलेटर सपोर्ट पर था और आज पूर्वाह्न करीब पौने 12 बजे उसकी मौत हो गई। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच का जिम्मा संभाल चुकी दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा प्राथमिकी में अब हत्या से संबंधित धारा भी जोड़ सकती है। अधिकारियों ने बताया था कि आरोपी 16 वर्षीय लड़के को 28 मई की सुबह ओखला से पुलिस ने पकड़ लिया था और उसके पास से एक स्वचालित पिस्तौल बरामद की गई थी। एक नए घटनाक्रम में, पुलिस ने इस मामले के संबंध में जय कुमार नामक एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि हालिया गिरफ्तारी के साथ, अब तक दो लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और एक नाबालिग को हिरासत में लिया गया है।

Contact for Advt. Booking: M/s Friends Publicity Service (M): 9212665841, 9212008155

चालीस से अधिक चिकित्सकों व अधिकारियों का स्थानांतरण

नई दिल्ली, 1 जून (संवाददाता)।

दिल्ली सरकार ने केंद्रीय खरीद एजंसी के 40 से अधिक मेडिकल, पैरामेडिकल और प्रशासनिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों का स्थानांतरण कर दिया है। एक आधिकारिक बयान में सोमवार को यह जानकारी दी गई।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि राजधानी की स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक मजबूत, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत कार्यरत केंद्रीय खरीद एजंसी (सीपीए) के इन कर्मियों का तबादला किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सीपीए में एचओओ डा विनोद कुमार रंगा समेत 10 डाक्टरों का स्थानांतरण किया गया है और पैरामेडिकल सेवाओं को मजबूत करने के लिए 20 कर्मचारियों का तबादला कर दिया गया है। इसमें फार्मासिस्ट, कनिष्ठ मेडिकल लैब टेक्नीशियन आदि शामिल हैं। प्रशासनिक कार्यों में दक्षता बढ़ाने के लिए खंड अधिकारी, वरिष्ठ सहायक और कनिष्ठ सहायक स्तर के 10 कर्मचारियों का भी स्थानांतरण किया गया है।

उपहार त्रासदी पूर्व आइपीएस के खिलाफ अर्जी वापस लेने की अनुमति

नई दिल्ली, 1 जून (संवाददाता)।

दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को सीबीआइ को 1997 के उपहार अग्निकांड के सिलसिले में पूर्व आइपीएस अधिकारी आमोद कंठ के खिलाफ एक मामले में 'क्लोजर रिपोर्ट' को स्वीकार करने के अनुरोध वाली अर्जी वापस लेने की अनुमति दे दी।

अप्रैल में, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट टी प्रियदर्शनी द्वारा सीबीआइ को एक जून तक वस्तु स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहे जाने के बाद, कंठ के खिलाफ मामले को बंद करने की एजंसी की कोशिश न्यायिक जांच के दायरे में आ गई। सोमवार को अपने आदेश में, अदालत ने कहा, 'वस्तु स्थिति रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि उपहार त्रासदी के पीड़ितों के संघ द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की गई है, जिसमें भारत सरकार के साथ-साथ सीबीआइ को अभियोजन की मंजूरी से संबंधित प्रासंगिक रिकार्ड पेश करने और मंजूरी के मुद्दे पर पुनर्विचार करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।

'चांदनी चौक की सुध लो सरकार' अभियान शुरू

नई दिल्ली, 1 जून (संवाददाता)।

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने 'चांदनी चौक की सुध लो सरकार' नामक अभियान की शुरुआत की है।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी सोशल मीडिया अध्यक्ष राहुल शर्मा ने इस अभियान की शुरुआत करते हुए पुरानी दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों की बदहाल स्थिति को उजागर करते हुए सरकार से तत्काल प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। शर्मा ने कहा कि चांदनी चौक देश की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और व्यापारिक धरोहर है, लेकिन आज यहां के हालात बेहद चिंताजनक हैं। चांदनी चौक, जामा मस्जिद, बल्लीमारान, मटिया महल, दरियागंज, चावड़ी बाजार और आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को रोजाना भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बारिश के दिनों में जलभराव और सीवर ओवरफ्लो की समस्या गंभीर रूप धारण कर लेती है, जबकि जाम और अतिक्रमण के कारण आम लोगों के साथ-साथ व्यापारियों को भी नुकसान उठाना पड़ता है। इस अभियान के माध्यम से क्षेत्र की वास्तविक तस्वीर जनता और सरकार के सामने लाई जा रही है। अभियान के तहत स्थानीय नागरिकों की समस्याओं, तस्वीरों और वीडियो को साझा कर प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया जाएगा।

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

खबर कोना

नकदी और आभूषण चुराने का अरोपी गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 1 जून।

हौज काजी इलाके में एक घर से पौने चार लाख रुपए की नकदी और गहने चुराने के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को बताया कि आरोपी अरशद अली के पास से चोरी के 1.80 लाख रुपए नकद और अन्य माल बरामद कर लिया गया है। मध्य दिल्ली के पुलिस उपायुक्त रोहित राजबीर सिंह ने बताया कि अली पहले भी चोरी के पांच मामलों में शामिल रहा है। उनके अनुसार, 30 मई को हौज काजी थाने में चोरी की एक शिकायत दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि 29 मई की शाम वह अपनी पत्नी के साथ कहीं गए थे और जब लौटे, तो दरवाजे का ताला टूटा हुआ मिला, जहां से 3,75,000 रुपए नकद और सोना, चांदी व 'आर्टिफिशियल' आभूषण गायब थे।

हत्या के मामले में नौ साल से फरार आरोपी गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 1 जून।

दिल्ली पुलिस ने 50 लाख रुपए की बीमा पालिसी और संपत्ति के लिए एक महिला की हत्या के मामले में नौ साल से फरार आरोपी को बिहार के लखीसराय से गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि इस मामले में एक अन्य आरोपी की 2018 में मृत्यु हो गई थी। पुलिस के अनुसार, चंदन कुमार को 29 मई को लखीसराय से गिरफ्तार किया गया है। अपराध शाखा के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि बुराड़ी थाने में दर्ज हत्या के मामले में चंदन कुमार को 2018 में भगोड़ा घोषित किया गया था। पुलिस ने बताया कि चंदन, अपने भाई कुंदन कुमार और अपने रिश्तेदार कमल कुमार के साथ अगस्त 2017 में 43 वर्षीय अनीता देवी की हत्या में कथित तौर पर शामिल था।

पाक्सो मामले में अदालत की कार्रवाई

आठ दिन के भीतर सुनवाई पूरी, दोषी को सुनाई उम्रकैद की सजा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 1 जून।

दिल्ली की एक अदालत ने नाबालिग के यौन उत्पीड़न के मामले में आठ दिनों में सुनवाई पूरी कर ली और 38 वर्षीय दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी।

पुलिस के मुताबिक, इस साल 17 अप्रैल को जब प्राथमिकी दर्ज की गई थी तब लड़की 32 सप्ताह की गर्भवती थी। उसने आरोप लगाया कि उसके पड़ोसी ने जुलाई 2025 में कई बार उसका यौन उत्पीड़न किया था। पुलिस ने बताया कि यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पाक्सो) अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज होने के बाद के बाद 34 दिनों के भीतर अदालत में आरोप-पत्र दाखिल कर दिया गया, अदालत ने आठ दिनों में सुनवाई पूरी की, 29 मई को आरोपी को दोषी ठहराया और 30 मई को दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई तथा 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। पुलिस ने यह भी बताया कि पीड़ित के लिए 16.5 लाख रुपए का मुआवजा भी स्वीकृत किया गया है। पीड़िता ने बताया कि आरोपी का घर उसके घर के ठीक सामने था और वह परिवार का परिचित था। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, पीड़िता का आरोप था कि पहले उसके भाई-बहनों को पास की दुकान पर भेजा गया, जिसके बाद उसपर यौन-हमला किया गया तथा उसे घटना के बारे में किसी को बताने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी गई। मामला तब सामने आया जब पीड़िता गर्भवती पाई गई और उसने अपनी मां को यौन उत्पीड़न के बारे में बताया।

पुलिस ने बताया कि दोषी पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।

पीड़ित के लिए 16.5 लाख रुपए का मुआवजा भी स्वीकृत किया गया है।

नाबालिग ने 17 अप्रैल को अपने माता-पिता के साथ पुलिस से शिकायत की। पीड़िता के बयान के आधार पर उसी दिन बाहरी दिल्ली के निहाल विहार थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक, अदालत ने स्पष्ट किया है कि आजीवन कारावास के तहत दोषी को उसके शेष जीवनकाल तक जेल में रहना होगा।

'फसलों के नुकसान पर मिलेगा 75 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर मुआवजा'

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 1 जून।

दिल्ली सरकार ने फसलों के नुकसान होने पर किसानों को दी जाने वाली अनुग्रह सहायता राशि में बढ़ोतरी का निर्णय लिया है। सोमवार को आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में दिल्ली सरकार ने इस बाबत मंजूरी दे दी है। अगस्त-सितंबर 2025 के दौरान भारी वर्षा व खेतों में जलभराव से प्रभावित किसानों को अब 75 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवजा सरकार देगी। सरकार के इस निर्णय से दिल्ली के करीब दस हजार किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली में कुल 10,977.44 एकड़ यानि लगभग 4,442.41 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र प्रभावित हुआ था। वर्ष 2015 में तत्कालीन सरकार द्वारा वर्षा से फसल क्षति की स्थिति में किसानों को 20 हजार रुपए प्रति एकड़ की दर से मुआवजा देने का प्रावधान था। यह राशि लगभग 49,421 रुपए प्रति हेक्टेयर है। लेकिन हमारी सरकार ने दस वर्षों से अधिक समय की अवधि में कृषि लागत में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सहायता की दर बढ़ाकर 75 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर कर दिया है। इससे पहले की तुलना में किसानों को अधिक सहायता प्राप्त होगी। यह सहायता भूमि के अभिलेखित स्वामियों को दी जाएगी।

कंपनियों के स्वामित्व वाली भूमि, ग्राम सभा में निहित भूमि तथा पक्की चारदीवारी वाले भूखंड स्वरूप के फार्महाउस इस सहायता के दायरे में शामिल नहीं होंगे।

मुख्यमंत्री के अनुसार राजस्व विभाग द्वारा कराए गए विस्तृत आंकलन में पाया गया कि अगस्त-सितंबर 2025 की भारी वर्षा और खेतों में जलभराव से प्रभावित क्षेत्रों में फसलों को व्यापक नुकसान पहुंचा और फसल क्षति का आंकलन 100 फीसद किया गया। उन्होंने कहा कि यह सहायता किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने के साथ-साथ उन्हें अगली फसल की तैयारी में सक्षम बनाएगी और कृषि गतिविधियों की निरंतरता सुनिश्चित करेगी।

आक्रोश नई दिल्ली में नीट पेपर लीक प्रकरण और सीयूईटी परीक्षा स्थगन के मामले में प्रदर्शन करते आइसा और केवाईएस के सदस्य।

समिति ने चिकित्सकों के संगठन को अपनी बात रखने की अनुमति नहीं दी

नई दिल्ली, 1 जून (संवाददाता)।

नीट-यूजी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए शिक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति की बैठक में आमंत्रित यूनाइटेड डाक्टर्स फ्रंट (यूडीएफ) के प्रतिनिधियों को अंतिम समय में शामिल होने और अपनी बात रखने की अनुमति नहीं दी गई। संगठन ने इसका विरोध जताया है।

नीट-यूजी पेपर लीक मामला।

यूडीएफ को समिति की बैठक के लिए एक सप्ताह पहले औपचारिक निमंत्रण भेजा गया था और एजंडा में भी उसका उल्लेख था। हालांकि संसद पहुंचने पर प्रतिनिधिमंडल को बताया गया कि वे बैठक की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। संगठन के अनुसार, समिति के कुछ सांसदों के विरोध के कारण उन्हें शामिल नहीं किया गया। इस दौरान समिति के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह ने यूडीएफ प्रतिनिधियों से मुलाकात कर चिकित्सा छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित न कर पाने पर खेद जताया। उन्होंने संगठन के सुझाव-पत्र को रिकार्ड में लेने का आश्वासन भी दिया। यूडीएफ अध्यक्ष डाक्टर लक्ष्य मित्तल ने कहा कि राष्ट्रीय महत्त्व की परीक्षा से जुड़े मामलों में हितधारकों को अपनी बात रखने का अवसर मिलना चाहिए। यूडीएफ ने अपने ज्ञापन में एनटीए को भंग कर नई परीक्षा एजंसी बनाने तथा नीट-यूजी 2024 और 2026 से जुड़े मुद्दों, पेपर लीक, ग्रेस मार्क्स, परीक्षा सुरक्षा और अन्य विवादों की व्यापक जांच की मांग की है।

जम्मू-कश्मीर विस्थापितों के लिए अचल संपत्ति और आय की शर्तें हटीं

नई दिल्ली, 1 जून (संवाददाता)।

जम्मू-कश्मीर से विस्थापित होकर दिल्ली में रह रहे प्रवासी परिवारों के कल्याण, पुनर्वास व सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिल्ली सरकार ने उन्हें प्रदान की जाने वाली तदर्थ मासिक राहत योजना (एएमआर) से संबंधित महत्त्वपूर्ण प्रस्तावों को सोमवार को मंजूरी दी है।

यह योजना केवल उन पंजीकृत प्रवासी परिवारों पर लागू होगी, जिन्होंने 31 मार्च 2024 तक राहत प्राप्त की है। बता दें कि, इस निर्णय के बाद उन्हें उनकी आय संबंधी पात्रता की शर्त को समाप्त करने का निर्णय लिया है। जिससे अब परिवार की आय कितनी भी हो या उसके पास कोई अचल संपत्ति हो, इससे राहत प्राप्त करने की पात्रता प्रभावित नहीं होगी।

माडल टाउन, मुखर्जी नगर और चांदनी महल थाना क्षेत्र की घटना

दो लोगों की चाकू व एक की कैंची घोंप कर हत्या

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 1 जून।

राजधानी के अलग-अलग क्षेत्रों में कुछ घंटे के भीतर तीन लोगों की चाकू से ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी गई। पहली घटना माडल टाउन थाना क्षेत्र की है, जहां पर 25 वर्षीय साहिल की हत्या की गई। दूसरी घटना मुखर्जी नगर थाना क्षेत्र की है, जहां पर 38 वर्षीय दिलबहार की सहकर्मी ने हत्या कर दी। वहीं, चांदनी महल थाना क्षेत्र में कुछ हमलावरों ने 50 वर्षीय कामिल की हत्या कर दी। पुलिस ने तीनों ही मामलों में प्राथमिकी दर्ज कर तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है।

वारदात में शामिल एक आरोपी गिरफ्तार, दो नाबालिग भी हिरासत में लिए गए।

उत्तरी पश्चिमी जिला उपायुक्त आकांक्षा यादव ने सोमवार को बताया कि विनायक अस्पताल से रविवार को सूचना मिली कि बुराड़ी के तोमर कालोनी निवासी साहिल को उसके दोस्त शिव और शुभम गंभीर अवस्था में लेकर आए थे, जिसे चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। साहिल के सीने, पीठ और गर्दन पर चाकू से वार किए जाने के कई निशान थे। जांच में पता चला कि घटना एमसीडी कालोनी में हुई थी। चश्मदीद शिव के मुताबिक लालबाग निवासी 18 वर्षीय आशु उर्फ लाला ने साहिल पर चाकू से वार किए थे। वारदात में इस्तेमाल चाकू को बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि इस संबंध में माडल टाउन थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और फरार आरोपी की तलाश की जा रही है।

वहीं, मुखर्जी नगर थाना पुलिस को सोमवार को सूचना मिली कि एक शख्स पर उसके कर्मचारी ने हमला किया है। मौके पर पहुंची पुलिस को पता चला कि घायल को बाबू जगजीवन राम अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने 38 वर्षीय दिलबहार को मृत घोषित कर दिया। जांच में पता चला कि वह पेटल चेस्ट अस्पताल के बाहर गद्दा बनाने का काम करता था। उसके साथ काम करने वाला अशफाक उर्फ शहबाज से उसकी कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद आरोपी ने दिलबहार पर कैंची से कई बार वार कर दिया और मौके से फरार हो गया। हालांकि, पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी अशफाक को दबोच लिया है।

मध्य जिला पुलिस उपायुक्त रोहित राजबीर सिंह ने सोमवार को बताया कि चांदनी महल थाना क्षेत्र में चाकू मारे जाने की सूचना रविवार देर रात करीब 11:30 बजे मिली थी। एलएनजेपी अस्पताल पहुंचने पर पता चला कि घायल शख्स की मौत हो चुकी है। दरअसल, कामिल अपनी 27 वर्षीय बेटी और छह साल की नातिन के साथ झूलावाले के पास गए थे। उसकी नातिन झूला झूल रही थी, तभी दो लड़के वहां आए और लूटपाट करने लगे। विरोध करने पर आरोपियों ने कामिल पर चाकू से हमला कर दिया। पुलिस ने बताया कि घटना के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। हत्या का मामला दर्ज कर दो नाबालिगों को पकड़ा गया है।

वर्षा जल संचयन के लिए बनाए जाएंगे 500 नए ढांचे

नई दिल्ली, 1 जून (संवाददाता)।

दिल्ली जलबोर्ड ने राजधानी में व्यापक वर्षा जल संचयन अभियान शुरू किया है ताकि मानसून से पहले जल सुरक्षा को मजबूत करने के साथ ही भूजल स्तर में सुधार लाया जा सके।

इस अभियान के प्रथम चरण में जलबोर्ड 500 नए वर्षा जल संचयन ढांचों का निर्माण करेगा तथा विभिन्न सरकारी भवनों में स्थापित एक हजार निष्क्रिय प्रणालियों को पुनः कार्यशील बनाएगा।

सार्वजनिक सूचना

सभी संबंधितों को यह नोटिस दिया गया हैं और आम जनता को यह सूचित किया जाता है कि कंपनी को प्रस्तावित वाणिज्यिक भवन का निर्माण के लिए 21/37/2025 –आईए–III दिनांक 27/05/2026 को भारत सरकार के पर्यावरण, वन और **जलवायु परिवर्तन मंत्रालय** (**"एमओईएफ"**) द्वारा पर्यावरण मंजूरी जारी की गई है। प्लॉट संख्या एलपी–03–02, एयरोसिटी डाउनटाउन डिस्ट्रिक्ट, एयरोसिटी, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली। उक्त पर्यावरण मंजूरी की प्रतियां एमओईएफसीसी/एसईआईएए परिवेश पोर्टल की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं https://parivesh.nic.in

Sd/-
M/s PAMIR DEVELOPERS LIMITED
3rd Floor, Worldmark 2, Asset 8, Aerocity, New Delhi – 110037
Phone No.: 011-41384000

डीयू की आपत्तियों के बावजूद सेंट स्टीफंस कालेज की प्राचार्य ने कार्यभार संभाला

नई दिल्ली, 1 जून (संवाददाता)।

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) की आपत्तियों के बावजूद सेंट स्टीफंस कालेज ने प्राचार्य की नियुक्ति कर दी। सुजैन एलियास ने सोमवार को कालेज के 14वें प्राचार्य के रूप में कार्यभार संभाल लिया।

कालेज ने इसकी औपचारिक घोषणा नहीं की लेकिन सूत्रों ने यह जानकारी दी। कालेज की सुप्रीम कांउंसिल ने एलियास की नियुक्ति 12 मई को ही एक अधिसूचना के माध्यम से कर दी थी, जिसके बाद डीयू ने कालेज को पत्र लिखकर नियुक्ति प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाने का निर्देश दिया था और दावा किया था कि यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नियमों का उल्लंघन है। पदभार ग्रहण करने के सवाल पर विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं दी गई । वे यूजीसी से आगे के निर्देशों का इंतजार कर रहे हैं।

DABUR INDIA LIMITED
CIN: L24230DL1975PLC007908
Regd. Off: 8/3, Asaf Ali Road, New Delhi-110 002
Phone: 011-23253488, Website: www.dabur.com,
Email: investors@dabur.com

NOTICE TO SHAREHOLDERS
SPECIAL WINDOW FOR TRANSFER AND DEMATERIALISATION OF PHYSICAL SECURITIES

In terms of SEBI Circular No. HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/I/3750/2026 dated January 30, 2026 on the above-referred subject matter, please note that Special Window has been **opened for a period of one year from February 5, 2026 to February 4, 2027,** allowing shareholders to lodge/ re-lodge transfer and dematerialization requests of physical securities which were sold/purchased prior to April 1, 2019 but were not lodged with the Company/RTA or rejected/returned/not attended to due to deficiency in the documents/process/or otherwise.

Eligible Shareholders who wish to avail this opportunity are advised to contact the Company's Registrar to an Issue & Share Transfer Agent (RTA) **KFin Technologies Limited at their address, Unit: Dabur India Limited, Selenium Building, Tower-B, Plot Nos. 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad - 500032, Telangana** or at their email address at einward.ris@kfintech.com or send an email to the Company at investors@dabur.com at the earliest so as to enable the Company/RTA to complete the transfer / demat process on or before the deadline of February 4, 2027.

June 01, 2026
New Delhi

For DABUR INDIA LIMITED
(SAKET GUPTA)
Company Secretary

खबर कोना

गुरुग्राम : महिला का सड़ा गला शव शौचालय में मिला

गुरुग्राम, 1 जून (भाषा)।

गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 2 इलाके में दूसरी मंजिल पर स्थित एक घर के शौचालय में 74 वर्षीय महिला का सड़ा गला शव बरामद हुआ। पुलिस ने सोमवार को बताया कि महिला की पहचान रीता बख्शी के रूप में हुई है जो अपनी बेटी रजनी बख्शी के साथ उसी घर में रहती थीं। रजनी ने 28 मई को डीएलएफ फेज 2 थाने में अपनी मां के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें उन्होंने दावा किया था कि उनकी मां 25 मई से लापता हैं। शिकायत मिलने के बाद पुलिस दो बार उनके घर गई लेकिन महिला के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। पड़ोसियों ने 30 मई की शाम को पुलिस को घर से दुर्गंध आने की सूचना दी। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, जहां शौचालय में रीता बख्शी का शव सड़ी-गली अवस्था में मिला। पुलिस को संदेह है कि बुजुर्ग महिला शौचालय में फिसलकर गिर गई, जिससे उनके सिर में चोट आई और उनकी मृत्यु हो गई।

'दाखिले के नाम पर ठगी करने वालों से बचकर रहें'

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 1 जून।

गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (आइपी) में दाखिले का झांसा देने वाले धोखेबाज सक्रिय हैं। विश्वविद्यालय का कहना है कि इस बाबत कई उम्मीदवारों ने की शिकायत की है। इसके बाद विश्वविद्यालय ने धोखेबाजों को लेकर आवेदकों को सतर्क करना पड़ा है। विश्वविद्यालय की ओर से जारी एक अधिसूचना में उसने कहा कि उसे ऐसे कई उम्मीदवारों से शिकायतें मिली हैं जिनसे कथित धोखेबाजों ने दाखिले के लिए संपर्क किया। विश्वविद्यालय की प्रवक्ता नलिनी रंजन ने कहा कि विश्वविद्यालय ने सभी आवेदकों से कहा है कि वे ऐसे संदेशों के झांसे में न आएं और यदि कोई एजंट इस उद्देश्य से उनसे संपर्क करता है तो विश्वविद्यालय को सूचित करें।

यूपी पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा 20 केंद्रों पर होगी

जनसत्ता संवाददाता
ग्रेटर नोएडा, 1 जून।

आठ से 10 जून तक होने वाली यूपी पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस लिखित परीक्षा में 42048 अभ्यर्थी शामिल होंगे। इसके लिए जनपद में 20 केंद्र बनाए गए हैं। नकलविहीन और पारदर्शी परीक्षा के लिए बायोमीट्रिक सत्यापन, चेहरा मिलान और लाइव सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी। हालांकि परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की जांच के दौरान कलावा और मंगलसूत्र नहीं उतरवाए जाएंगे। परीक्षा रोजाना दो पाली में होगी। पहली पाली सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर तीन से शाम पांच बजे तक होगी। अभ्यर्थियों को तय समय से पहले केंद्रों पर पहुंचना होगा, ताकि जांच और सत्यापन की प्रक्रिया समय पर पूरी की जा सके। जिला विद्यालय निरीक्षक राजेश कुमार सिंह ने बताया कि परीक्षा ड्यूटी में तैनात कर्मचारी और शिक्षक भी केंद्र के भीतर अपना मोबाइल फोन नहीं ले जा सकेंगे।

नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले तीन दबोचे

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 1 जून।

पुरानी दिल्ली रेलवे थाना पुलिस और रेलवे पुलिस की संयुक्त टीम ने भारतीय रेलवे में एमटीएस और लिपिक की नौकरी दिलवाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है और तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान ईशा, रणजीत और आलम के तौर पर की गई है। इनकी निशानदेही पर पुलिस ने पीड़ित की ओर से दिए गए 3,60,000 रुपए जब्त किए हैं। रेलवे पुलिस उपायुक्त बी बोम्मा रेडी ने सोमवार को बताया कि पीड़ित ने पुरानी दिल्ली रेलवे थाना पुलिस से संपर्क किया और बताया कि उससे भारतीय रेलवे में नौकरी दिलवाने के नाम पर ठगी की गई है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने एक योजना बनाई और बाकी के रकम लेने के लिए आरोपी को पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बुलाया। टीम ने सबसे पहले ईशा को चांदनी चौक के गेट नंबर-3 के पास से गिरफ्तार किया।

साकेत हादसा : मकान मालिक गिरफ्तार, बचाव कार्य पूरा

मेट्रो स्टेशन के पास सैदुलाजाब इलाके में शनिवार को ढह गई थी बहुमंजिला इमारत, छह लोगों की गई थी जान

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 1 जून।

दक्षिणी दिल्ली के साकेत इलाके में शनिवार को ढही बहुमंजिला इमारत के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस हादसे में छह लोगों की मौत हो गई थी, जबकि आठ अन्य घायल हुए थे। अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि आरोपी कर्मवीर उस इमारत का मालिक है, जो साकेत मेट्रो स्टेशन के पास सैदुलाजाब इलाके में शनिवार को ढह गई थी।

वहीं, इमारत ढहने के स्थल पर बचाव और मलबा हटाने का कार्य भी सोमवार को पूरा कर लिया गया। एहतियातन मौके पर आपातकालीन दल तैनात रहे। इस इमारत में एक कोचिंग सेंटर, कैफे और कार्यालय थे। पुलिस ने बताया कि अधिकतर पीड़ित छात्र और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी थे जिनमें विदेशी चिकित्सा स्नातक परीक्षा (एफएमजीई) की तैयारी करने वाले भी शामिल थे। घायलों में से पांच ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में दम तोड़ दिया, जबकि एक अन्य की सफदरजंग अस्पताल में मौत हो गई। यह घटना सैद-उल-अजैब इलाके में वेस्टएंड मार्ग पर शाम सात बजकर 40 मिनट पर हुई। इस इलाके में पुस्तकालय, कोचिंग संस्थान, छात्रावास और भोजनालय हैं, जो सैकड़ों विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करते हैं।

प्राधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या संरचनात्मक खामियां, ऊपरी मंजिलों पर जारी निर्माण गतिविधि या भवन नियमों का उल्लंघन इमारत ढहने की वजह बना। दिल्ली नगर निगम ने मामले में एक सहायक अभियंता और एक कनिष्ठ अभियंता को निलंबित कर दिया है।

पुलिस ने बताया कि अधिकतर पीड़ित छात्र और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी थे जिनमें विदेशी चिकित्सा स्नातक परीक्षा (एफएमजीई) की तैयारी करने वाले भी शामिल थे।

आप नेताओं ने किया प्रदर्शन, उपायुक्त के इस्तीफे की मांग

आम आदमी पार्टी (आप) के कार्यकर्ताओं ने साकेत में इमारत ढहने की घटना को लेकर सोमवार को दक्षिणी दिल्ली के उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया उपायुक्त राकेश कुमार के इस्तीफे की मांग की। आप के दिल्ली संयोजक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली नगर निगम के दक्षिणी क्षेत्र के पार्षदों ने जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर उपायुक्त कार्यालय का घेराव किया। अवैध इमारत को लेकर उपायुक्त को बार-बार शिकायतें भेजी गईं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

काश... मां ने नहीं खोली होती कैंटीन

साकेत में इमारत के ढहने से उसमें दबकर जान गंवाने वाली पार्वती की बेटी नीलम ने रुंधे गले से कहा कि उन्होंने ही मां से कैंटीन खोलने के लिए कहा था। काश... मां ने कैंटीन नहीं खोली होती। अब उन्हें इस बात का बेहद अफसोस है। इसके साथ ही उसने आरोप लगाया कि इमारत के जर्जर होने और उससे कंक्रीट गिरने की शिकायतें पहले भी की गई थीं। बातचीत में नीलम ने बताया कि इमारत के ढहने के संकेत मिलते ही उनकी मां सुरक्षित बाहर निकल आई थीं। लेकिन अंदर फंसे छात्रों की मदद करने के लिए वह दोबारा भीतर चली गईं। पार्वती इस परिसर में एक कैंटीन चलाती थीं, जहां मुख्य रूप से आसपास के कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र आते थे। नीलम ने बताया कि यह कैंटीन करीब तीन साल से संचालित हो रही थी और हाल ही में इसने चौथे साल में प्रवेश किया था।

'अवैध ढांचों की पहचान कर सीलिंग अभियान चलाएगा निगम'

साकेत में एक बहुमंजिला इमारत गिरने की घटना में छह लोगों की मौत होने के दो दिन बाद दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) दक्षिण दिल्ली में अवैध निर्माणों के खिलाफ अभियान शुरू करने की तैयारी में है। वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक निगम जल्दी ही दक्षिण दिल्ली में भवन निर्माण नियमों का उल्लंघन करके बनाई गईं इमारतों की पहचान करके उन्हें सील करने और खाली कराने का अभियान शुरू कर सकता है। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि भूतल समेत तीन मंजिल से अधिक सभी अनधिकृत इमारतों को नोटिस जारी की जाएगी। यह अभियान महरौली, साकेत और आसपास के क्षेत्रों में शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि साकेत क्षेत्र के सैद-उल-अजैब, पर्यावरण काम्प्लेक्स और फ्रीडम फाइटर्स एंक्लेव में अवैध निर्माण बड़े पैमाने पर हो रहे हैं।

जनवरी-मई का औसत एक्यूआइ आठ वर्षों में सबसे बेहतर रहा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 1 जून।

दिल्ली में पिछले आठ वर्षों में इस साल जनवरी से मई के बीच हवा सबसे साफ दर्ज की गई। हालांकि, इसमें कोविड प्रभावित वर्ष 2020 शामिल नहीं है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने सोमवार को आंकड़े जारी कर यह जानकारी दी।

सीएक्यूएम ने बताया कि इस वर्ष इस अवधि में औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) सुधरकर 211 रहा। सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में सीएक्यूएम ने बताया कि वर्ष 2026 के पहले पांच महीनों के दौरान औसत एक्यूआइ 211 रहा, जबकि 2025 की समान अवधि में यह 214, 2024 में 231, 2023 में 213, 2022 में 238, 2021 में 235, 2019 में 237 और 2018 में 243 था। वहीं, कोविड-19 पूर्णबंदी (लाकडाउन) के कारण वर्ष 2020 में एक्यूआइ सुधरकर 181 पर आ गया था। आयोग ने यह भी कहा कि वर्ष 2020 और 2021 को छोड़कर, इस साल मई में दिल्ली का औसत एक्यूआइ पिछले आठ वर्षों में दर्ज किया गया, दूसरा सबसे बेहतर सूचकांक था। मई 2026 में औसत एक्यूआइ 157 दर्ज किया गया।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने जारी किया आंकड़ा।

दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

'भुला दिए जाने के अधिकार' को मिली कानूनी मान्यता

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 1 जून।

दिल्ली हाई कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि गूगल जैसे सर्च इंजन उन मामलों में नाम-आधारित खोज के माध्यम से न्यायिक अभिलेखों को अनिश्चित काल तक प्रदर्शित नहीं कर सकते, जो निजी प्रकृति के हों या आरोपी के बरी होने, आरोपमुक्त किए जाने, कार्यवाही रद्द किए जाने अथवा समझौते के कारण मामले का निस्तारण हो चुका हो। हाई कोर्ट ने व्यक्ति के 'भुला दिए जाने के अधिकार' को मान्यता दी है।

याचिकाकर्ताओं के एक समूह को राहत देते हुए अदालत ने संबंधित प्राधिकारियों, विभिन्न 'सर्च इंजन' के संचालकों और कानूनी डेटाबेस मंचों को निर्देश दिया कि वे याचिकाकर्ताओं द्वारा उद्धृत निर्णयों, आदेशों और समाचार लेखों के संबंध में अपनी नाम-आधारित खोज सुविधा को निष्क्रिय करें तथा उन्हें खोज परिणामों से हटा दें (डी-इंडेक्स करें)। 'डी-इंडेक्स' करने का अर्थ है किसी विशेष वेबपेज या वेबसाइट को सर्च इंजन के डेटाबेस से हटाना, ताकि वह सामान्य खोज परिणामों में दिखाई न दे। हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि महिलाओं या बच्चों के विरुद्ध अपराधों, सार्वजनिक विश्वास के उल्लंघन से जुड़े अपराधों, लोकसेवकों, निर्वाचित प्रतिनिधियों आदि द्वारा किए गए अपराधों में दोषसिद्धि से संबंधित मामलों में 'डी-इंडेक्स' करना उपयुक्त नहीं होगा।

अपने 144 पृष्ठों के फैसले में न्यायालय ने फैसला सुनाया कि याचिकाकर्ताओं को संबंधित न्यायालय से मूल निर्णय या आदेश में खुद की पहचान छिपाने का अनुरोध करने की स्वतंत्रता होगी। अदालत ने कहा कि जिन अभिलेखों की अंतर्निहित कार्यवाही संबंधित व्यक्ति के पक्ष में हल हो चुकी है, उनकी असीमित और अप्रतिबंधित नाम-आधारित खोज क्षमता से किसी भी वैध या विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है।

शुभारंभ गुरुग्राम में सोमवार को नए आपातकालीन प्रतिक्रिया वाहन लेकर जाते पुलिसकर्मी।

अदालत ने तीन आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 1 जून।

दिल्ली की एक अदालत ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी) प्रश्न पत्र लीक मामले में तीन आरोपियों को सोमवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इन आरोपियों में राष्ट्रीय परीक्षा एजंसी (एनटीए) द्वारा अनुवादक के तौर पर सूचीबद्ध किए गए भौतिकी के एक व्याख्याता, लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ और एक भौतिकी शिक्षक शामिल हैं।

विशेष न्यायाधीश अजय गुप्ता ने भौतिकी अनुवादक मनीषा संजय हवलदार, बाल रोग विशेषज्ञ मनोज शिरुरे और भौतिकी शिक्षक तेजस हर्षदकुमार शाह की न्यायिक हिरासत के अनुरोध संबंधी केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) की याचिका स्वीकार कर ली।

नीट-यूजी प्रश्न पत्र लीक मामला

हवलदार की सीबीआइ हिरासत शनिवार को दो दिनों के लिए बढ़ाई गई थी, जबकि शिरुरे और तेजस शाह को हिरासत में पूछताछ के लिए 27 मई को पांच दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया था। सीबीआइ का आरोप है कि हवलदार ने अन्य आरोपियों के साथ साजिश करके पैसों के लिए बिना अनुमति के नीट-यूजी परीक्षा का प्रश्न पत्र अपने पास रखा और वितरित किया।

मुखर्जी नगर में एक इमारत में लगी आग, छात्रा झुलसी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 1 जून।

दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में एक तीन मंजिला इमारत में आग लगने से एक छात्रा झुलस गई। दिल्ली अग्निशमन सेवा अधिकारी ने बताया कि मुखर्जीनगर के इंदिरा विहार स्थित एक तीन मंजिला इमारत में रविवार की देर रात आग लगी, जिसमें पेइंग गेस्ट (पीजी) आवास भी संचालित था।

अग्निशमन अधिकारियों ने बताया कि आग इमारत के भूतल में लगी जहां बिजली का सामान रखा हुआ था। आग तेजी से फैली और दूसरी मंजिल तक के हिस्सों को अपनी चपेट में ले लिया। इमारत में मौजूद सभी लोगों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।

उधर आइटीओ इलाके में स्थित स्कूल आफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर (एसपीए) परिसर में शिक्षा मंत्रालय के कार्यालय की दूसरी मंजिल पर सोमवार को आग लग गई। दिल्ली अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि आग की घटना में किसी के भी हताहत होने की सूचना नहीं है।

जनगणना में लापरवाही, सात कर्मियों पर गिरी गाज

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 1 जून।

जनगणना-2027 के कार्य में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर नोएडा प्राधिकरण ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। लगातार धीमी प्रगति और कर्मचारियों की उदासीनता को देखते हुए दो नियमित कर्मचारियों के निलंबन और पांच संविदा कर्मियों की सेवाएं समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अन्य विभागों के उन कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की तैयारी है, जिन्होंने अब तक जनगणना कार्य शुरू नहीं किया है।

प्राधिकरण के विशेष कार्याधिकारी इंदु प्रकाश सिंह के मुताबिक जनगणना-2027 का कार्य प्रगति पर है। कुल 2284 हाउस लिस्टिंग ब्लाक (एचएलबी) में से 1172 एचएलबी पर कार्य चल रहा है, जबकि 16 एचएलबी का काम पूरा किया जा चुका है। वहीं, 1096 एचएलबी पर अब तक काम शुरू ही नहीं हो सका है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय महत्त्व के इस कार्य में कई कर्मचारी रुचि नहीं ले रहे हैं। इसको देखते हुए प्राधिकरण की नियमित कर्मचारी श्वेता तलवार और पिंकी मावी को निलंबित किया गया है। वहीं, संविदाकर्मी नीरज, ईश्वर तोमर, महबूब अली, राजेश शर्मा और धर्मेंद्र सिंह की सेवाएं समाप्त की जा रही हैं।

जनगणना कार्य पर जा रहे शिक्षक की हादसे में मौत

थाना दनकौर थाना क्षेत्र के चांगोली मोड़ के पास जनगणना ड्यूटी पर जा रहे शिक्षक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई शिरकपुर ग्राम निवासी बालकिशन खुर्जा क्षेत्र के हसनपुर गांव स्थित कंपोजिट विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत थे। सोमवार को घर से मोटरसाइकिल पर सवार होकर निकले थे, लेकिन चांगोली मोड़ के पास हादसे का शिकार हो गए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें टक्कर मारने के बाद आरोपी चालक गाड़ी के साथ भाग गया।

योजना सड़कों की बढ़ेगी चौड़ाई, 72 किमी लंबे लिंक एक्सप्रेस-वे पर बनेगा गोल चक्कर

जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से सीधा जुड़ेगा न्यू नोएडा

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 1 जून।

न्यू नोएडा का भी जेवर के नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तक सीधा संपर्क होगा। इसके लिए गंगा एक्सप्रेस-वे से 72 किलोमीटर लंबा लिंक एक्सप्रेस प्रस्तावित है। यह लिंक एक्सप्रेस-वे यमुना एक्सप्रेस-वे जोड़ा जाएगा, जो जनपद बुलंदशहर से जाएगा। इसका अधिकांश हिस्सा न्यू नोएडा के गांवों से होकर जाएगा।

नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ ने सतीश पाल ने बताया, लिंक एक्सप्रेस-वे पर गोलचक्कर (रोटरी) बनाकर इसे न्यू नोएडा से जोड़ने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस प्रस्ताव को आगामी नोएडा बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। इस गोल चक्कर के बनने से न्यू नोएडा के अधिकांश गांव और प्रस्तावित सेक्टर लिंक एक्सप्रेस-वे आपस में जुड़ जाएंगे। जिसके जरिए जेवर हवाई अड्डे तक पहुंचना आसान होगा। वहीं, नोएडा प्राधिकरण के ओएसडी क्रांति शेखर ने बताया कि इस्टर्न पेरीफेरल के आसपास जहां सड़क बनी है, वहां किसानों से आपसी सहमति के आधार पर जमीन लेने की योजना है। यही पर ही न्यू नोएडा का 'साइट आफिस' बनाया जाएगा। जमीन के लिए किसान प्राधिकरण में भी सीधे संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने बताया जिन सड़कों की चौड़ाई 18 मीटर है। उन्हें महायोजना के मुताबिक 24 मीटर किया जाना प्रस्तावित है। वहां के गांवों की जमीन लेकर सड़कों की चौड़ाई बढ़ाई जाएगी। एसीईओ ने कहा, सबसे महत्त्वपूर्ण नोएडा से न्यू नोएडा का संपर्क स्थापित करना है। दोनों को आपस में जोड़ने के लिए सीधा कोई नया लिंक भी बनाया जा सकता है। ताकि न्यू नोएडा की ज्यादातर अंदरूनी सड़कें इससे जुड़ जाए और नोएडा से इसका सीधा संपर्क मार्ग हो सके।

न्यू नोएडा के लिए यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की तर्ज पर मुआवजा दर 4300 रुपए प्रति वर्ग मीटर तय की गई है। किसानों से आपसी सहमति के आधार पर जमीन ली जाएगी। जिन किसानों को सात फीसद विकसित भूखंड दिया जाएगा, उन्हें 3800 रुपए प्रति वर्गमीटर की दर से मुआवजा मिलेगा।

चार चरण में पूरा होगा काम

न्यू नोएडा (डीएनजीआइआर) 209.11 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में बनाया जाना है। जिसके मास्टर प्लान को चार चरण में पूरा किया जाएगा। पहले चरण का विकास 2027 तक किया जाना है। इसमें 3165 हेक्टेयर क्षेत्र को विकसित किया जाएगा।

नोएडा पुश्ता रोड की 12 साल बाद होगी मरम्मत

नोएडा, 1 जून (संवाददाता)।

सेक्टर-94 से सेक्टर-135 तक 11.20 किलोमीटर के यमुना पुश्ता मार्ग की 'री-सर्फेसिंग' और साफ-सफाई के लिए नोएडा प्राधिकरण ने 34.18 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है। जिसमें से 11 करोड़ रुपए प्राधिकरण ने सिंचाई विभाग को दे दिए हैं।

बताया गया है कि जून में ही पुश्ता मार्ग पर काम शुरू कर दिया जाएगा। चार लेन वाली इस सड़क की 'री सर्फेसिंग' होने से वाहन चालकों को बड़ी राहत मिलेगी। यह सड़क 2014 में बनी थी। इसके बाद मरम्मत नहीं होने से पूरी सड़क उखड़ चुकी है। इस पर बड़े-बड़े गड्ढे बन गए हैं और और घनी झाड़ियां खड़ी हुई हैं। नोएडा के एसीईओ सतीश पाल ने बताया कि बताया कि पहले सड़क की सफाई करवाई जाएगी।

ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड
Oil and Natural Gas Corporation Ltd.

अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई)

ओएनजीसी अपने मेहसाणा एसेट (गुजरात) में नॉर्थ गुजरात (NG) के कच्चे तेल के पूर्व-उपचार एवं निर्जलीकरण के लिए ऑयल डीसॉल्टर यूनिट (जो स्थापित/किराये पर स्थापित करने की इच्छुक हो), ताकि रिफाइनरी-बेड कच्चे तेल की निर्धारित गुणवत्ता प्राप्त की जा सके (0.2% से कम BS&W तथा 10 PTB से कम नमक) इसकी क्षमता... इच्छुक राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित, तकनीकी रूप से सक्षम तथा वित्तीय रूप से मजबूत व्यावसायिक संस्थाओं से अभिरुचि की अभिव्यक्ति (EOI) आमंत्रित करती है ऐसे साझेदार, जिन्होंने पूर्व में डीसाल्टर तकनीकों की आपूर्ति की हो, नॉर्थ गुजरात NG कच्चे तेल का विस्तृत विश्लेषण एवं पायलट स्तर पर इलेक्ट्रोस्टैटिक डिहाइड्रेशन परीक्षण करके उच्च प्रक्रिया की गारंटी, प्रक्रिया डिज़ाइन और जोखिम-निवारण संबंधी सुझावों सहित सबसे उपयुक्त डीसाल्टर तकनीक की अनुशंसा करेंगे।

अधिक जानकारी के लिए कृपया ईओआई दस्तावेज़ https://etender.ongc.co.in और https://ongcindia.com देखें।

इच्छुक पक्षों अपना विस्तृत प्रस्ताव ई-मेल द्वारा sanghi_sanjiv@ongc.co.in तथा mishra_sb@ongc.co.in पर इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 21 दिनों के भीतर भेजें।

अधिक जानकारी के लिए, कृपया ओएनजीसी के ई-पोर्टल पर जाएं: https://tenders.ongc.co.in

---

इंडिया एक्सपोसिशन मार्ट लिमिटेड

सीआईएन: U99999DL2001PLC110396

पंजीकृत कार्यालय: प्लॉट नंबर 1, 210 अटलांटिक प्लाजा, दूसरी मंजिल, स्थानीय शॉपिंग सेंटर, मयूर विहार फेज़-1, दिल्ली-110091, टेलीफोन: +91-120-2328011-20 फैक्स: +91-120-2328010 ईमेल आईडी: cs@indiaexpocentre.com, वेबसाइट: www.indiaexpomart.com

शेयरधारकों हेतु सूचना
15वीं असाधारण सामान्य बैठक का नोटिस और ई-वोटिंग की सूचना

सूचित किया जाता है कि इंडिया एक्सपोसिशन मार्ट लिमिटेड ("कंपनी") के शेयरधारकों की 15वीं असाधारण सामान्य बैठक ("ईजीएम") मंगलवार, 23 जून, 2026 को 11:30 सुबह (भारतीय समयानुसार) "गवर्नमेंट सर्वेंट्स को-ऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड", कल्याण केंद्र, 9, पृथ्वीराज मार्ग, वसंत विहार, नई दिल्ली - 110057 में आयोजित की जा रही है, ताकि शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से भेजे गए नोटिस में बताए गए व्यवसाय को पूरा किया जा सके।

ईजीएम की सूचना उन सभी सदस्यों को भेज दी गई है, जिनकी ईमेल आईडी कंपनी के साथ पंजीकृत हैं। इसकी भौतिक प्रतियां अन्य सभी शेयरधारकों को उनके पंजीकृत पते पर भेज दी गई हैं। यह सूचना कंपनी की वेबसाइट www.indiaexpomart.com और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है। ईजीएम की सूचना प्रेषण का काम सोमवार, 1 जून, 2026 को पूरा हो चुका है।

ईजीएम में किए जाने वाले कारोबार से संबंधित दस्तावेज ईजीएम की तारीख तक, शनिवार, रविवार और राजपत्रित छुट्टियों को छोड़कर सभी कार्यदिवसों में दोपहर 12:00 बजे से 3:00 बजे के बीच कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के, और उस पर लागू नियमों के अनुसार और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक-2, शेयरधारकों को नोटिस में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर, एनएसडीएल द्वारा सुगमतापूर्वक, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (रिमोट ई-वोटिंग) द्वारा अपना वोट डालनेका अवसर मिलेगा। रिमोट ई-वोटिंग शनिवार, 20 जून 2026 को सुबह 10:00 बजे (भारतीय समयानुसार) से शुरू होगी और सोमवार, 22 जून, 2026 को शाम 5:00 बजे (भारतीय समयानुसार) समाप्त होगी। इसके बाद मतदान के लिए एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ई-वोटिंग के निर्देशों के लिए कृपया ईजीएम का नोटिस देखें।

- कंपनी ईजीएम के दौरान वोटिंग की सुविधा भी प्रदान करेगी। ईजीएम में भाग लेने वाले शेयरधारक, जिन्होंने पहले से ही रिमोट ई-वोटिंग के माध्यमसे अपना वोट नहीं डाला है, वे ईजीएम में अपने वोट के अधिकार का प्रयोग करने में सक्षम होंगे। जिन शेयरधारकों ने ईजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाला है, वे बैठक में भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें फिर से अपना वोट डालने का अधिकार नहीं होगा।
- **रिमोट ई-वोटिंग या ईजीएम में मतदान करने की पात्रता निर्धारित करने की कट-ऑफ तिथि मंगलवार, 16 जून, 2026 है।** जिस व्यक्ति का नाम कट-ऑफ तिथि पर सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज है, वह रिमोट ई-वोटिंग या ईजीएम में उपलब्ध मतदान सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा।
- कोई भी व्यक्ति जिसने इस नोटिस के प्रेषण के बाद कंपनी के शेयरों का अधिग्रहण किया हो या कंपनी का शेयरधारक बना हो अथवा कट ऑफ तारीख पर शेयर लिया हो, वो डीपीआईडी/क्लाइंट आईडी नंबर, का उल्लेख कर evoting@nsdl.com या cs@indiaexpocentre.com पर एक अनुरोध भेज कर लॉगइन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।
- किसी भी सवाल के लिए, आप एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध 'सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न' (एफएक्यू) और ई-वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं। किसी भी शिकायत के मामले में, आप एनएसडीएल, से 022-4886 7000 पर संपर्क कर सकते हैं या evoting@nsdl.com पर पहुंच सकते हैं।
- मतदान के परिणाम संबंधित नियमों के तहत निर्धारित अनुसार घोषित किए जाएंगे और उपर्युक्त कंपनी और एनएसडीएल की वेबसाइट पर भी पोस्ट किए जाएंगे।

निदेशक मंडल के आदेश से
इंडिया एक्सपोसिशन मार्ट लिमिटेड के लिए
एसडी/-
अनुपम शर्मा
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

2 जून, 2026
दिल्ली

सैटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

Satin Housing Finance Ltd. THE ANSWER IS HOME

कॉर्पोरेट कार्यालय: प्लॉट नंबर 492, उद्योग विहार, फेज -3 गुरुग्राम हरियाणा-122016
पंजीकृत कार्यालय: 5वीं मंजिल, कुंदन भवन, आजादपुर कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स, आजादपुर, नई दिल्ली-110033

मांग सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत।

अधोहस्ताक्षरी, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (उक्त अधिनियम) के तहत सैटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत प्राधिकारी हैं। अधोहस्ताक्षरी वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (कथित अधिनियम) के तहत सैटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत प्राधिकारी हैं। प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित कथित अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में अधिकृत प्राधिकारी ने निम्नलिखित कर्जदार(रों) ('कथित कर्जदार(रों)') को उन्हें निर्गत सम्बन्धित मांग सूचनाओं जिन्हें नीचे भी दिया गया है, में उल्लिखित राशियों का पुनर्भुगतान करने को कहते हुए नीचे वर्णित तिथियों पर मांग सूचनाएं निर्गत की थीं। उपर्युक्त के सम्बन्ध में, एतद्वारा कथित कर्जदार(रों) को धारा 13(2) के तहत एक बार पुनः इस सूचना के प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर मांग सूचना में उल्लिखित राशि, कथित कर्जदार(रों) द्वारा क्रियान्वित अन्य दस्तावेजों/प्रलेखों, यदि कोई हो, के तहत देय नीचे वर्णित तिथि(यों) से भुगतान तथा/अथवा वसूली की तिथि तक कथित सूचनाओं में वर्णित के अनुसार भावी ब्याज सहित नीचे सूचित राशि तथा का नीचे उल्लिखित तिथि तक भुगतान करने के लिए कहते हुए सूचना दी जाती है। ऋण के बकाया पुनर्भुगतान हेतु प्रतिभूति के रूप में कथित कर्जदार(रों) द्वारा सैटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पास क्रमशः निम्नलिखित आस्तियां बंधक रखी गयी हैं।

क्र. सं.	कर्जदार(रों)/सह-कर्जदार(रों)/जमानती(यों) के नाम एवं ऋण खाता संख्या	मांग सूचना की तिथि तथा मांग सूचना की राशि
1	1. गणपत पुत्र सहीराम (कर्जदार) 2. कमला पत्नी गणपत (सह-कर्जदार) दोनों निवासी खानपुर छाता, मथुरा, उत्तर प्रदेश-281401 ऋण खाता संख्या - LAMTR0322-00004590	23-05-2026 रु. 2,42,355/- (रुपये दो लाख बयालीस हजार तीन सौ पचपन मात्र) दिनांक 31.05.2026 तक
	अचल संपत्ति का विवरणः- एक प्लॉट, क्षेत्रफल 46.45 वर्ग मीटर, खसरा संख्या 192 के एक भाग पर स्थित, मौजा छाता/धर्मसिंघा मार्ग पर विकसित नई आबादी, तहसील छाता, जिला मथुरा। इसकी सीमाएं इस प्रकार हैं- पूर्वः 12.5 फीट, 12 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिमः 12.5 फीट, किसी अन्य व्यक्ति का प्लॉट, उत्तरः 40 फीट, खेमचंद का प्लॉट, दक्षिणः 40 फीट, विक्रेता का प्लॉट। पंजीकरण की तिथिः 13.10.2020, पुस्तक संख्या 01, खंड संख्या 8246, पृष्ठ संख्या 39-70, क्रम संख्या 12263	
2	1. जीतेन्द्र कुमार पुत्र राजन सिंह (कर्जदार) 2. श्याम वती पत्नी जीतेन्द्र (सह-कर्जदार) दोनों निवासी सादाबाद पट्टी शक्ति बटपुरा, उत्तर प्रदेश-281307 ऋण खाता संख्या - LAAGR0523-00007897	25-05-2026 रु. 6,13,775/- (रुपये छह लाख तेरह हजार सात सौ पचहत्तर मात्र) दिनांक 31.05.2026 तक
	अचल संपत्ति का विवरणः- एक प्लॉट, खसरा संख्या 281 का एक भाग, जिसका माप 52.89 वर्ग गज अर्थात 44.32 वर्ग मीटर है। इसकी भुजाओं का माप इस प्रकार है- पूर्वः 33 फीट, पश्चिमः 35 फीट, उत्तरः 14 फीट, दक्षिणः 14 फीट। यह बाहर टाउन एरिया, नई आबादी सादाबाद, तहसील सादाबाद, जिला हाथरस में स्थित है। इसकी सीमाएं इस प्रकार हैं- पूर्वः विनोद कुमार का प्लॉट, पश्चिमः रविंदर कुमार का प्लॉट, उत्तरः श्रीमती पुष्पलता सिंह का खेत, दक्षिणः 6 मीटर चौड़ा रास्ता। पंजीकरण की तिथिः 15.12.2024, पुस्तक संख्या 03, खंड संख्या 2644, पृष्ठ संख्या 281-298, क्रम संख्या 8423.	
3	1. मंजू मंजू पत्नी दुष्यन्त (कर्जदार) 2. दुष्यन्त पुत्र हरपाल (सह-कर्जदार) दोनों निवासी मकान नंबर 247, राकेश मार्ग, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201001 ऋण खाता संख्या - LAGZB0121-00002789	20-05-2026 रु. 5,86,181/- (रुपये पांच लाख छियासी हजार एक सौ इक्यासी मात्र) दिनांक 30.04.2026 तक
	अचल संपत्ति का विवरणः- गोदाम संख्या 8, भूतल, बिना छत के अधिकार के (अर्थात छत का अधिकार शामिल नहीं है), नगरपालिका संख्या 63/575 (पुराना नंबर 85, नया नंबर 249), जिसका माप 13.93 वर्ग मीटर अर्थात 150 वर्ग फीट है। यह राकेश मार्ग कॉलोनी, ग्राम नासिरपुर, तहसील एवं जिला गाजियाबाद में स्थित है। सीमाएं इस प्रकार हैं- पूर्वः दुकान संख्या 7 और 12 फीट चौड़ी गली, पश्चिमः जीत बंधन यादव का मकान, उत्तरः किसी अन्य का मकान, दक्षिणः दुकान संख्या 5. पंजीकरण तिथिः 19.03.2021, पुस्तक संख्या 01, खंड संख्या 17996, पृष्ठ संख्या 45-70, क्रम संख्या 2700.	
4	1. मुकेश कुमार पुत्र सूरज पाल (कर्जदार) 2. मंशी पत्नी मुकेश (सह-कर्जदार) दोनों निवासी खसरा नंबर 64, मंझौली (179), फरीदाबाद, हरियाणा-121101 ऋण खाता संख्या - LALDI0124-00010030	27-05-2026 रु. 38,83,566/- (रुपये अड़तीस लाख तिरासी हजार पांच सौ छियासठ मात्र) दिनांक 09.06.2026 तक
	अचल संपत्ति का विवरणः- प्लॉट संख्या ऊ-77, क्षेत्रफल 194.81 वर्ग मीटर (अर्थात 233 वर्ग गज), परगना एवं तहसील लोनी, मोहल्ला/ग्रामः रामेश्वर पार्क कॉलोनी, लोनी (चकबंदी क्षेत्र से बाहर), गाजियाबाद. सीमाएं इस प्रकार हैं- पूर्वः प्लॉट संख्या 76, पश्चिमः प्लॉट संख्या 78, उत्तरः 40 फीट चौड़ा रास्ता, दक्षिणः 12 फीट चौड़ी सर्विस लेन. पंजीकरण तिथिः 08.04.2024, पुस्तक संख्या 01, खंड संख्या 5649, पृष्ठ संख्या 211-232, क्रम संख्या 6288.	
5	1. राय कुमार पुत्र धरम वीर (कर्जदार) 2. रेखा पत्नी आनंद पाल (सह-कर्जदार) 3. शुभम पुत्र राज कुमार (सह-कर्जदार) सभी निवासी मकान नंबर 52, पहली मंजिल, ब्लॉक-बी, फेज-I, विजय विहार, रोहिणी, दिल्ली-110085, ऋण खाता संख्या - LAGZB0922-00005711 और LAGZB0921-00003481	20-05-2026 रु. 16,24,298/- (रुपये सोलह लाख चौबीस हजार दो सौ अट्ठानवे मात्र) दिनांक 30.04.2026 तक
	अचल संपत्ति का विवरणः- फ्लैट संख्या यूजीएफ-01, ऊपरी भूतल, एमआईजी फ्रंट आरएचएस, बिना छत के अधिकार के, खसरा संख्या 233 में से, प्लॉट संख्या इ-164, क्षेत्रफल 150 वर्ग गज, कवर्ड एरिया (निर्मित क्षेत्र) 50.166 वर्ग मीटर (अर्थात 60 वर्ग गज), स्थितः कॉलोनी रेल विहार आवास समिति लिमिटेड, ग्राम सदुल्लाबाद, परगना एवं तहसील लोनी, गाजियाबाद. सीमाएं इस प्रकार हैं- पूर्वः दुकान संख्या 31, पश्चिमः 30 फीट चौड़ी सड़क, उत्तरः प्लॉट संख्या बी-163, दक्षिणः प्लॉट संख्या बी-165. पंजीकरण तिथिः 06.10.2021, पुस्तक संख्या 01, खंड संख्या 2898, पृष्ठ संख्या 291-320, क्रम संख्या 12213.	
6	1. टिंकू पुत्र महेंद्र सिंह (कर्जदार) 2. गंगा देवी पत्नी टिंकू (सह-कर्जदार) दोनों निवासी बैंक कॉलोनी, प्रीमियम नगर, वेद नगर, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश-202001 ऋण खाता संख्या - LAALG0924-00012235	27-05-2026 रु. 21,45,827/- (रुपये इक्कीस लाख पैंतालीस हजार आठ सौ सत्ताइस मात्र) दिनांक 09.06.2026 तक
	अचल संपत्ति का विवरणः- एक आवासीय संपत्ति जिसका माप 100 वर्ग गज (यानी 83.61 वर्ग मीटर) है, जो खसरा संख्या 294 का एक हिस्सा है। यह गंभीरपुरा, परगना और तहसील कोइ, जिला अलीगढ़ में स्थित है। इसकी सीमाएं इस प्रकार हैं- पूर्वः 18 फीट, उसके बाद किसी अन्य का मकान; पश्चिमः 18 फीट, उसके बाद 12 फीट चौड़ी सड़क; उत्तरः 50 फीट, उसके बाद सत्यनारायण का मकान; दक्षिणः 50 फीट, उसके बाद इंदिरा कुमारी का मकान। पंजीकरण की तिथिः 04.10.2024, पुस्तक संख्या 01, खंड संख्या 14278, पृष्ठ संख्या 265-286, क्रम संख्या 13494.	
7	1. वसीम पुत्र मेहरबान (कर्जदार), 2. हीना पत्नी वसीम (सह-कर्जदार), दोनों निवासी ग्राम लोनी चकबंदी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201102 ऋण खाता संख्या - LALQI0624-00011566	27-05-2026 रु. 7,16,995/- (रुपये सात लाख सोलह हजार नौ सौ पंचानवे मात्र) दिनांक 09.06.2026 तक
	अचल संपत्ति का विवरणः- खसरा संख्या 437 में स्थित एक प्लॉट, जिसका माप 50 वर्ग गज (यानी 41.80 वर्ग मीटर) है। यह अमन गार्डन, ग्राम लोनी चकबंदी क्षेत्र, वार्ड/परगनाः लोनी, तहसील लोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसकी सीमाएं इस प्रकार हैं- पूर्वः मुमताज का मकान; पश्चिमः इलियास का मकान; उत्तरः आरिफ का मकान; दक्षिणः 20 फीट चौड़ी सड़क। पंजीकरण की तिथिः 24.04.2024, पुस्तक संख्या 01, खंड संख्या 2065, पृष्ठ संख्या 1-18, क्रम संख्या 7634.	

यदि उक्त कर्जदार उपरोक्त के रूप में सैटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को भुगतान करने में विफल हो जाते हैं, तो सैटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के तहत उपरोक्त प्रतिभूत संपत्तियों के विरुद्ध पूरी तरह से उक्त कर्जदारों के लागत और परिणाम के जोखिम पर आगे की कार्यवाही करेगा। अधिनियम के तहत उक्त कर्जदारों को सैटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की पूर्व लिखित सहमति के बिना, बिक्री, पट्टे या अन्यथा के माध्यम से, उपरोक्त संपत्ति को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है। कोई भी व्यक्ति जो उक्त अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करेगा, वह अधिनियम के तहत कारावास और/या दंड के लिए उत्तरदायी होगा।

स्थान : गुरुग्राम — **ह. /- अधिकृत प्राधिकारी**
दिनांक : 02.06.2026 — **सैटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**

सार्वजनिक सूचना

सभी संबंधितों को यह नोटिस दिया गया है और आम जनता को यह सूचित किया जाता है कि कंपनी को प्रस्तावित मेगा वाणिज्यिक विकास विस्तार परियोजना के लिए 21-433/2024-आईए-III दिनांक 27/05/2026 को भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ("एमओईएफ") द्वारा पर्यावरण मंजूरी दी गई है। प्लॉट संख्या एलपी-1बी-02, गेटवे डिस्ट्रिक्ट, एरोसिटी, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली। उक्त पर्यावरण मंजूरी की प्रतियां एमओईएफसीसी/एसईआईएए परिवेश पोर्टल की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं https://parivesh.nic.in

Sd/-
M/s ANGELICA DEVELOPERS LIMITED
3rd Floor, Worldmark 2, Asset 8, Aerocity, New Delhi – 110037
Phone No.: 011-41384000

DFM FOODS LTD.

सीआईएन: U15311DL1993PLC052624
पंजीकृत कार्यालय: 149, पहली मंजिल, किलोकारी, रिंग रोड, आश्रम, नई दिल्ली-110014
कॉर्पोरेट ऑफिस: 1401-1411, 14वीं मंजिल, लॉजिक्स सिटी सेंटर, सेक्टर-32, नोएडा-201301 (यूपी), दूरभाष: नं0 0120-6013232
ईमेल: dfm@dfmfoods.com, वेबसाइट: www.crax.in

शेयरधारकों के लिए सूचना
कंपनी के इक्विटी शेयरों के निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (IEPF) प्राधिकरण को हस्तांतरण हेतु

यह सूचना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 तथा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखापरीक्षा, हस्तांतरण एवं धनवापसी) नियम, 2016, यथासंशोधित ("नियम") के प्रावधानों के अनुसार दी जाती है।

नियमों के अनुसार, उन सभी शेयरों को, जिनके संबंध में लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है अथवा शेयरधारकों द्वारा लगातार सात वर्षों तक दावा नहीं किया गया है, निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (IEPF) प्राधिकरण के पक्ष में हस्तांतरित किया जाना है।

नियमों में निर्धारित आवश्यकताओं का अनुपालन करते हुए, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान उन सभी शेयरों को IEPF प्राधिकरण को पहले ही हस्तांतरित कर दिया है, जिनके संबंध में लाभांश लगातार सात वर्षों तक अवैतनिक अथवा दावा रहित रहा था। कंपनी ने उन शेयरधारकों को, जिनके शेयर वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान IEPF प्राधिकरण को हस्तांतरित किए जाने के लिए उत्तरदायी हैं, उनके नवीनतम उपलब्ध पते पर व्यक्तिगत सूचना भेज दी है। कंपनी ने ऐसे शेयरधारकों तथा IEPF प्राधिकरण को हस्तांतरण हेतु देय शेयरों का पूर्ण विवरण अपनी वेबसाइट www.crax.in पर अपलोड कर दिया है। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे IEPF प्राधिकरण को हस्तांतरित किए जाने वाले शेयरों का विवरण सत्यापित करने हेतु वेबसाइट का अवलोकन करें।

जिन शेयरधारकों ने वर्ष 2018-19 से अपना लाभांश दावा नहीं किया है, वे आगे की जानकारी प्राप्त करने तथा वर्ष 2018-19 एवं उसके बाद के वर्षों के अवैतनिक लाभांश के लिए वैध दावा प्रस्तुत करने हेतु 11 सितंबर 2026 तक कंपनी/रजिस्ट्रार एवं शेयर हस्तांतरण अभिकर्ता (RTA) को लिख सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि यदि 11 सितंबर 2026 तक संबंधित शेयरधारकों से कंपनी या RTA को कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो कंपनी नियमों के अनुपालन हेतु, बिना किसी अतिरिक्त सूचना के, उक्त नियमों में वर्णित प्रक्रिया का पालन करते हुए शेयरों को IEPF प्राधिकरण को हस्तांतरित कर देगी, जो निम्नानुसार है:

i) भौतिक रूप में धारित शेयरों के मामले में – डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे तथा शेयर IEPF को हस्तांतरित किए जाएंगे। कृपया ध्यान दें कि शेयरधारक के नाम पर पंजीकृत मूल शेयर प्रमाणपत्र स्वतः निरस्त माने जाएंगे और उन्हें गैर-परक्राम्य माना जाएगा।

ii) डीमैट रूप में धारित शेयरों के मामले में – नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नियत तिथि तक कॉर्पोरेट कार्रवाई के माध्यम से शेयर सीधे IEPF प्राधिकरण के डीमैट खाते में हस्तांतरित किए जाएंगे।

शेयरधारक यह भी ध्यान दें कि IEPF प्राधिकरण को हस्तांतरित अवैतनिक लाभांश तथा ऐसे शेयरों पर अर्जित होने वाले सभी लाभ, यदि कोई हो, नियमों के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात IEPF प्राधिकरण से पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं।

उपरोक्त विषय में किसी भी प्रश्न के लिए, शेयरधारक कंपनी के RTA at M/s MCS Share Transfer Agent Limited, 179-180, DSIDC Shed, तृतीय तल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज – 1, नई दिल्ली-110020, ईमेल **admin@mcsregistrars.com** अथवा **helpdeskreply@mcsregistrars.com** और दूरभाष: 011-41406149-52 पर संपर्क कर सकते हैं।

डीएफएम फूड्स लिमिटेड के लिए
हस्ता./-
वैशाली सिंह
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या: A15108

दिनांक: 1 जून, 2026
स्थान: नोएडा

GPES Solar
Building Trust & Partnerships

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Extra Ordinary General Meeting **("EGM")** of the members of **GP Eco Solutions India Limited ("the Company")** will be held on **Saturday, June 20, 2026, at 02:30 P.M. (IST)** through Video Conferencing **('VC")**/ Other Audio-Visual Means **("OAVM")** to transact the businesses as set forth in the Notice convening the said Meeting.

In compliance with the provisions of sections 108, and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 ('the Act') (including any statutory modifications or re-enactment thereof for the time being in force and as amended from time to time), read with Rules 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (the 'Rules'), read with General Circular No. 14/2020 dated 8th April 2020, 17/2020 dated 13th April 2020, and various subsequent circulars, read with Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 as issued by Ministry of Corporate affairs (collectively referred to as **('MCA Circulars'))** from time to time, permitted the companies to conduct General Meeting **("the Meeting")** through Video Conferencing **("VC")** facility or other Audio Visual means **("OAVM")**, without the physical presence of the Members at a common venue. In compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 **("Act")** SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations,2015 **("SEBI LODR Regulations")** and MCA Circulars, Extra-Ordinary General Meeting ("EGM") of the Company will be held through VC/OAVM on **Saturday, June 20, 2026, at 02:30 P.M. (IST)**. The deemed venue for the EGM will be the Registered Office of the Company.

In terms of the aforesaid Circulars, Notice convening the EGM of the Company has been dispatched only through electronic mode **(i.e. mail)** to the members who have registered their E-mail IDs with the Depository Participant(s)/Company. The Company completed the dispatch of the Notice of the EGM on Friday, May 29, 2026.

In terms of Section 108 of the Act, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, Regulation 44 of SEBI LODR Regulations and Secretarial Standard on General Meetings **("SS-2")** issued by the Institute of Company Secretaries of India, the company is pleased to provide to its Members, the facility to exercise their right to vote by remote e-voting or e-voting during the EGM. The Company has engaged the services of **CDSL** as the Agency to provide an e-voting platform to the Members of the Company. The details relating to e-voting in terms of the Act and the relevant Rules are as under:

1. All the businesses as set out in the Notice of EGM may be transacted through remote e-voting or e-voting during the EGM.
2. The remote electronic voting will commence from **Wednesday, June 17, 2026, at 9:00 A.M.** and ends on **Friday, June 19, 2026, at 5:00 P.M.** No remote e-voting shall be allowed beyond the said date and time.
3. The voting rights of Members shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid-up equity share capital of the Company as on, **Saturday, June 13, 2026 ("cut-off date").** Any person who acquires shares of the company and becomes a member of the company after the dispatch of the Notice of EGM and holds shares as on the cut-off date, may cast his/her vote through remote e-voting or e-voting during the EGM by obtaining the Login-ID and password by sending a request to CDSL. However, if such a member is already registered with CDSL for e-voting, then the existing User-ID and Password shall be used for casting a vote.
4. Only those members who will be present at the EGM through VC/OAVM facility but have not already cast their vote by remote e-voting, shall be eligible to vote through the e-voting system in the EGM.
5. The Cut-off date for determining the eligibility to vote by remote e-voting or e-voting during the EGM is **Saturday, June 13, 2026 ("Cut-off date").**
6. A Member may participate in the EGM even after exercising his/her right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again at the EGM.
7. A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or e-voting during the EGM.
8. The Notice of the EGM is displayed on the website of the Company, i.e. www.gpecosolutions.com, and available on the website of NSE, i.e. https://www.nseindia.com/ and https://www.cdslindia.com/.
9. The manner in which the members, who are holding shares in dematerialized mode or physical form or who have not registered their email addresses with their Depository/the Company, can cast their vote through remote e-voting or through the e-voting system during the EGM will be provided in the Notice of the EGM.
10. In case of any query/grievance with respect to remote e-voting, Shareholders, may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and remote e-voting User Manual for shareholders available under the Downloads section of CDSL e-voting website https://www.cdslindia.com/ or call on.: 022-62638200 or send a request to helpdesk.evoting@cdslindia.com.

Manner of Registration of e-mail addresses:

In case shares are held in physical mode, please update your e-mail ID with investor@bigshareonline.com. In case shares are held in demat mode, please update your e-mail ID with your relevant Depository Participant.

For GP Eco Solutions India Limited
Sd/-
Tanushree
Company Secretary & Compliance Officer

Date: May 28, 2026
Place: Noida

प्रपत्र फॉर्म – जी का परिशिष्ट

16 मई 2025 को प्रकाशित यह 'हरिद्वार हाइवेज प्रोजेक्ट लिमिटेड' के लिए रुचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण का परिशिष्ट है।
(U45200DL2010PLC198587)

(वित्तीय एक्सप्रेस जनसत्ता (अखिल भारतीय संस्करण), दैनिक जागरण हिंदी (उत्तराखंड संस्करण – हरिद्वार विशिष्ट) (उत्तर प्रदेश संस्करण-मुजफ्फरनगर विशिष्ट) में प्रकाशित प्रपत्र फॉर्म जी का परिशिष्ट, भारतीय दिवालियापन एवं दिवालियापन बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवालियापन समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 36ए(1) के अंतर्गत)

संशोधित प्रारंभिक विवरण	
फॉर्म जी और प्रक्रिया ज्ञापन जारी करने की तिथि	16.05.2026
सूचना सूचना (EOI) जमा करने की अंतिम तिथि	11.06.2026
PRAs की अनंतिम सूची जारी करने की तिथि	16.06.2026
अनंतिम सूची पर आपत्तियां जमा करने की अंतिम तिथि	21.06.2026
PRAs की अंतिम सूची जारी करने की तिथि	29.06.2026
RFRP, IM, और मूल्यांकन मैट्रिक्स जारी करने की तिथि	04.07.2026
संकल्प योजना (संभावित) जमा करने की अंतिम तिथि	03.08.2026

नोट: दिनांक 16.05.2026 के फॉर्म जी की अन्य सामग्री और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। इसके अतिरिक्त, जिन मौजूदा संभावित संकल्प आवेदकों ने दिनांक 16.05.2026 के फॉर्म जी के उत्तर में दिनांक 01.06.2026 तक अपनी रुचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत की है, उन्हें पुनः प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

हस्ताक्षरित/-
आई पी आलोक कुमार अग्रवाल (एचएचपीएल के आरपी), AFA, 30 जून 2027 तक वैध
पंजीकरण संख्या: IBBI/IPA-001/IP-P00059/2017-2018/10137

मेटल कोटिंग्स (इंडिया) लिमिटेड

CIN: L74899DL1994PLC063387
पंजीकृत कार्यालय: 912, हेमकंट चैंबर्स, 89, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019
फोन: 011-41808125, वेबसाइट: www.mcil.net, ईमेल: info@mcilindia.net

शेयरधारकों के लिए सूचना

सेबी के परिपत्र सं. HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/1/3750/2026 दिनांक 30 जनवरी, 2026 के अनुसार, शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि सेबी ने 1 अप्रैल, 2019 से पहले जमा किए गए उन भौतिक शेयरों के हस्तांतरण अनुरोधों को फिर से जमा करने के लिए 5 फरवरी, 2026 से 4 फरवरी, 2027 तक एक विशेष विंडो फिर से खोल दी है, जिन्हें दस्तावेजों में कमियों के कारण खारिज या वापस कर दिया गया था।

पात्र निवेशक सभी प्रकार से विधिवत पूर्ण किए गए हस्तांतरण विलेख को आवश्यक दस्तावेजों के साथ रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पास यूनिटः सी 101, एम्बेसी 247, एल.बी.एस. मार्ग, विक्रोली (पश्चिम), मुंबई 400083 के पते पर फिर से जमा कर सकते हैं।

किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिए, शेयरधारक https://web.in.mpms.mufg.com/helpdesk/Service_Request.html पर सर्विस रिक्वेस्ट दर्ज कर सकते हैं या rasharma@mcilindia.net, cs@mcilindia.net, rnt.helpdesk@in.mpms.mufg.com या Investor.helpdesk@in.mpms.mufg.com पर ईमेल कर सकते हैं।

यह सूचना कंपनी की वेबसाइट: https://www.mcil.net/pdf/1312026115416_1769772850270.pdf पर भी उपलब्ध कराई जा रही है।

कृते, मेटल कोटिंग्स (इंडिया) लिमिटेड
हस्ता./–
शिम्पी गोयल
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 01 जून, 2026

एराया लाइफस्पेसेज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: 54, जनपथ, नई दिल्ली, भारत 110001
सीआईएन: L74899DL1967PLC004704 | ई-मेल: cs@eraayalife.com | वेबसाइट: www.eraayalife.com | स्क्रिप कोड: 531035

31 मार्च, 2026 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश

(आंकड़े लाख में)

विवरण	स्टैंडअलोन					समेकित				
	समाप्त तिमाही			समाप्त वर्ष		समाप्त तिमाही			समाप्त वर्ष	
	31.03.2026 (लेखापरीक्षित)	31.12.2025 (अलेखापरीक्षित)	31.03.2025 (लेखापरीक्षित)	31.03.2026 (लेखापरीक्षित)	31.03.2025 (लेखापरीक्षित)	31.03.2026 (लेखापरीक्षित)	31.12.2025 (अलेखापरीक्षित)	31.03.2025 (लेखापरीक्षित)	31.03.2026 (लेखापरीक्षित)	31.03.2025 (लेखापरीक्षित)
परिचालनों से कुल आय	-34.54	30.60	22.95	104.81	218.23	6158.65	6408.24	6145.87	25679.71	15362.12
कुल व्यय	519.14	261.08	60.89	2758.75	561.95	6029.45	6,365.77	7383.54	26860.37	16171.93
अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (कर, अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	-553.68	-230.47	-37.95	-2653.94	-343.75	128.84	43.88	-1236.85	-1174.10	-810.34
कर पूर्व अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात)	-553.68	-230.47	-37.95	-2653.94	-343.75	70.11	-62.08	-1651.27	-1338.79	-1553.75
कर पश्चात अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात)	-553.62	-230.56	-60.01	-2740.55	-258.65	814.98	-545.77	-3253.65	-4527.51	-3128.21
अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु लाभ/(हानि) (कर पश्चात) तथा अन्य व्यापक आय (कर पश्चात) सहित]	-567.52	-230.55	-60.01	-2754.45	-258.65	832.55	-550.54	-3102.65	-4502.78	-3235.15
इक्विटी शेयर पूंजी	206.69	199.33	193.69	206.69	193.69	206.69	199.33	190.69	206.69	193.69
आय प्रति शेयर (रु. 1/- प्रत्येक का((सतत तथा असतत प्रचालनों हेतु)- 1. बेसिक :	-2.84	-1.21	-0.34	-14.08	-1.48	-1.63	-1.73	-21.01	-21.21	-22.55
2. डाइल्यूटेड :	-2.84	-1.21	-0.34	-14.08	-1.48	-1.63	-1.73	-21.01	-21.21	[illegible]

टिप्पणियाँ:
1. 31 मार्च, 2026 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय परिणामों की समीक्षा लेखा परीक्षा समिति द्वारा की गई है और 30 मई, 2026 को आयोजित अपनी बैठकों में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है।
2. ये वित्तीय परिणाम कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत और भारत में आम तौर पर स्वीकार किए जाने वाले अन्य लेखांकन सिद्धांतों के साथ पठित निर्धारित भारतीय लेखा मानकों ('इंड एएस') की मान्यता और माप सिद्धांतों और इसके तहत जारी किए गए प्रासंगिक नियमों के अनुसार तैयार किए गए हैं।
3. पिछली अवधि के आंकड़ों को जहां भी आवश्यक हो, उन्हें तुलनीय बनाने के लिए पुनर्समूहित / पुनर्व्यवस्थित / पुनर्वर्गीकृत किया गया है।
5. 31 मार्च, 2026 को समाप्त तिमाही के परिणाम बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट (यूआरएल: www.bseindia.com) और कंपनी की वेबसाइट www.eraayalife.com) पर उपलब्ध हैं।

एराया लाइफस्पेसेज लिमिटेड के लिए
हस्ता./
आशीष जेटली
निदेशक

दिनांक: 30.05.2026
स्थान: नई दिल्ली

कल्पा कमर्शियल लिमिटेड

CIN: L74899DL1985PLC022778
पंजीकृत कार्यालयः प्रथम तल, 984 पॉकेट, सी आईएफसी गाजीपुर, दिल्ली – 110096
ईमेलः infokalpa2@gmail.com, वेबसाइटः www.kalpacommercialltd.com

31 मार्च, 2026 को समाप्त तिमाही एवं वर्ष के लिए लेखापरीक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय परिणामों का विवरण।

1. 31 मार्च, 2026 को समाप्त तिमाही एवं वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण।

31 मार्च, 2026 को समाप्त तिमाही एवं वर्ष के लिए लेखापरीक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय परिणामों ("वित्तीय परिणाम") की समीक्षा ऑडिट समिति द्वारा की गई तथा इन्हें कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा उनकी क्रमशः आयोजित बैठकों में, जो 30 मई, 2026 को आयोजित हुईं, अनुमोदित किया गया।

वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com (BSE India) तथा कंपनी की वेबसाइट www.kalpacommercialltd.com पर उपलब्ध है तथा क्यू कोड स्कैन करके भी इसे देखा जा सकता है।

टिप्पणी : उपरोक्त सूचना सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स एंड डिस्क्लोज़र रिक्वायरमेंट्स) विनियम, 2015 के विनियम 33 सहपठित विनियम 47(1) के अनुसार जारी की गई है।

2 भौतिक प्रतिभूतियों के अंतरण एवं डीमैटेरियलाइजेशन हेतु विशेष विंडो।

शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि सेबी परिपत्र संख्या HO/MIRSD/POD-1/P/CIR/2026/37 दिनांक 30 जनवरी, 2026 के अनुसार, भौतिक शेयरों के अंतरण अनुरोधों के पुनः प्रस्तुतिकरण को सुगम बनाने हेतु विशेष विंडो की अवधि 05 फरवरी, 2026 से 04 फरवरी, 2027 तक एक वर्ष के लिए बढ़ा दी गई है। यह सुविधा उन ट्रांसफर डीड्स के लिए उपलब्ध है जिन्हें 01 अप्रैल, 2019 से पूर्व प्रस्तुत किया गया था, परंतु दस्तावेजों/प्रक्रिया में कमी अथवा अन्य कारणों से अस्वीकृत/वापस/लंबित कर दिया गया था। उपरोक्त अवधि के दौरान विधिवत संशोधित कर पुनः प्रस्तुत किए गए ऐसे मामलों का निपटान केवल "ट्रांसफर-कम-डीमैट" मोड में किया जाएगा, अर्थात अंतरण के पश्चात शेयर केवल डीमैट स्वरूप में जारी किए जाएंगे। प्रस्तुतकर्ता(ओं) को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके पास डीमैट खाता हो तथा वे ट्रांसफर डीड(स), मूल शेयर प्रमाणपत्र(स) एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ क्लाइंट मास्टर लिस्ट (ब्डर) भी कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट ("RTA") को प्रस्तुत करें। पात्र शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे कंपनी के RTA अर्थात [Skyline Financial Services Private Limited](https://www.skylinerta.com) से उनके ई-मेल आईडी info@skylinerta.com](mailto:info@skylinerta.com) पर संपर्क करें अथवा आवश्यक दस्तावेज उनके कार्यालय पतेः डी-153ए, प्रथम तल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली – 110020 पर भेजें। दूरभाषः +91-11-40450193-97।

3. डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (DP) के साथ KYC विवरण अद्यतन

शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने KYC विवरण, जिनमें ई-मेल पता, मोबाइल नंबर, पैन, बैंक खाता विवरण, नामांकन विवरण तथा अन्य संपर्क जानकारी शामिल हैं, को अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ("DP") / रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट ("RTA"), जैसा लागू हो, के साथ अद्यतन रखें। जिन शेयरधारकों ने अभी तक अपना ई-मेल पता, मोबाइल नंबर एवं अन्य संपर्क विवरण पंजीकृत अथवा अद्यतन नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे कंपनी से संबंधित नोटिस, वित्तीय विवरण तथा अन्य संचार समय पर प्राप्त करने हेतु इन्हें शीघ्र अद्यतन कराएं।

कृते कल्पा कमर्शियल लिमिटेड
एसडी/–
इशांत मल्होत्रा
प्रबंध निदेशक

स्थानः दिल्ली
दिनांकः 30.05.2026

एमबीएल इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड

(सीआइएनः L27109DL1995PLC338407)
पंजीकृत तथा संयुक्त कार्यालयः बानी कारपोरेट वन, सुईट नं. 308, तीसरा तल, प्लाट नं. 5, कॉमर्शियल सेंटर, जसोला, दिल्ली-110025
टेलीः 011-44792982, www.mblinfra.com, इमेलः cs@mblinfra.com

31 मार्च, 2026 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष के लिए स्टैंडएलॉन और कंसोलिडेटिड अंकेक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश

(आय प्रति शेयर डाटा को छोड़कर लाखों में)

क्र. सं.	विवरण	स्टैंडएलान			कंसालिडेटिड		
		समाप्त तिमाही 31.03.2026 अंकेक्षित	समाप्त वर्ष 31.03.2026 अंकेक्षित	समाप्त तिमाही 31.03.2025 अंकेक्षित	समाप्त तिमाही 31.03.2026 अंकेक्षित	समाप्त वर्ष 31.03.2026 अंकेक्षित	समाप्त तिमाही 31.03.2025 अंकेक्षित
1.	**प्रचालनों से कुल आय**	9,218	21,214	3,364	10,946	27,159	4,268
2.	अवधि के लिए कुल लाभ/(हानि) (कर, विशेष तथा/या असाधारण मदों से पूर्व)	5,328	6,170	261	4,432	1,326	(4,796)
3.	कर से पूर्व अवधि के लिए कुल लाभ/(हानि) (विशेष तथा/या असाधारण मदों के बाद)	5,315	6,157	261	4,411	2,981	(4,808)
4.	कर के बाद अवधि के लिए कुल लाभ/(हानि)(विशेष तथा/या असाधारण मदों के बाद)	81	923	261	(846)	(2,263)	(4,746)
5.	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि [कर के बाद) के लाभ/(हानि) तथा अन्य व्यापक आय (कर के बाद) शामिल करके]	87	937	265	(827)	(2,236)	(4,742)
6.	इक्विटी शेयर पूंजी	15,253	15,253	12,253	15,253	15,253	12,253
7.	आरक्षितों	–	121,190	–	–	80,347	–
8.	आय प्रति शेयर (असाधारण मदों से पूर्व/के बाद) (10/– रुपए प्रति)						
	(i) मूल	0.07	0.64	0.30	(0.56)	(2.65)	(0.54)
	(ii) तनुकृत	0.06	0.63	0.30	(0.57)	(1.53)	(0.54)

टिप्पणियांः
1. सेबी (आपत्तियों के सूचीकरण एवं प्रकृटीकरण अपेक्षाएं) विनियमों, 2015 के विनियम 33 अंतर्गत शेयर बाजार में दाखिल दिनांक 31 मार्च, 2026 को समाप्त तिमाही और वर्ष के स्टैंडएलोन तथा समेकित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। विस्तृत अंकेक्षित स्टैंडएलोन तथा समेकित वित्तीय परिणाम शेयर बाजार की वेबसाइट (www.bseindia.com तथा www.nseindia.com) और कंपनी की वेबसाइट www.mblinfra.com पर उपलब्ध है। नीचे दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके भी इसे एक्सेस किया जा सकता है
2. उपरोक्त अंकेक्षित वित्तीय परिणाम कंपनीज़ (भारतीय लेखांकन मानदंड) नियमों, 2015 तथा उसके बाद जारी संबंधित संशोधित नियमों के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानदंड ("इंडए एस") के अनुसार तैयार किए गए है। कंपनी के अंकेक्षित वित्तीय परिणामों की ऑडिट कमेटी द्वारा समीक्षा की गई है और 30 मई, 2026 को आयोजित उनकी बैठक में कंपनी के निदेशकों के बोर्ड द्वारा अनुमोदित तथा रिकार्ड पर लिए गए है।
3. पूर्व अवधि/तिमाही के आंकड़ों को जहां जरूरी विचारा गया, पुनः कार्य/पुनः एकत्रित/पुनः फेरबदल किया गया है।

कृते एमबीएल इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लि.
अंजानी कुमार लखोटिया
अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक
(डीआइएन 00357695)

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30 मई, 2026

SABSE BADI DEALS, SABSE BADA FAAYDA!
JOIN INDIA'S MOST TRUSTED
DEALS CHANNEL
Loot Blink
SAVE MORE SPEND LESS!
100% REAL DEALS | LIMITED TIME OFFERS | BEST PRICES GUARANTEED
SAB PE BADI BACHAT!
UP TO 90% DISCOUNT DEALS
BIGGEST DISCOUNTS • BEST BRANDS • LIMITED STOCK
LIMITED STOCK
JOIN KARO AUR PAO SABSE BADI LOOT DEALS!
boat Airdopes 141 TWS Earbuds
₹2,990
₹249
92% OFF
YOU SAVE ₹2,741
Noise Pulse 2 Smart Watch
₹4,999
₹349
93% OFF
YOU SAVE ₹4,650
iPhone 13 128GB
₹59,900
₹5,399
91% OFF
YOU SAVE ₹54,501
SAMSUNG
32" HD Smart TV
89% OFF
YOU SAVE ₹25,800
realme
Narzo N55 (6GB+128GB)
₹13,999
₹799
94% OFF
YOU SAVE ₹13,200
ASUS
Vivobook 15 (i3 12th Gen, 8GB/512GB SSD)
90% OFF
YOU SAVE ₹40,491
GREEN SOUL
Office Chair Ergonomic
₹14,999
₹1,499
92% OFF
YOU SAVE ₹17,500
SAMSUNG
980 500GB NVMe SSD
₹6,999
91% OFF
YOU SAVE ₹6,400
WILDCRAFT
Backpack
₹1,999
₹149
93% OFF
YOU SAVE ₹1,850
PHILIPS
Trimmer Series 3000
₹1,995
₹199
90% OFF
YOU SAVE ₹1,796
AGARO
Air Fryer 4.5L
₹6,999
₹699
90% OFF
YOU SAVE ₹6,300
PUMA
Men's Running Shoes
₹3,999
91% OFF
YOU SAVE ₹3,650
ZEBRONICS
Study Headphones with Mic
₹1,499
₹169
89% OFF
YOU SAVE ₹1,330
PORTABLE
Laptop Table Foldable
₹1,299
₹129
90% OFF
YOU SAVE ₹1,170
boAt
Stone 650 Bluetooth Speaker
₹3,999
₹199
95% OFF
YOU SAVE ₹3,800
UPTO 90% OFF ON TOP BRANDS
PRICE DROP ALERTS BE THE FIRST TO KNOW
100% GENUINE PRODUCTS
FAST DELIVERY ACROSS INDIA
DEALS ITNI BADI, KI CHOOK GAYE TO PACHTAOGE!
ABHI JOIN KARO AUR LOOTNA SHURU KARO!
JOIN OUR WHATSAPP CHANNEL
Instant Deal Alerts
Exclusive Offers
Limited Stock Updates
CLICK HERE
JOIN OUR TELEGRAM CHANNEL
Latest Deals & Offers
Price Drops Alerts
Limited Time Offers
CLICK HERE
SAVE TIME SHOP SMART
SAVE MONEY LIVE BETTER
SMART CHOICES. BRIGHTER FUTURE!
SHOP SMART. SAVE BIG. SHINE BRIGHT.
JOIN 1 LAKH+ SMART SHOPPERS & SAVE THOUSANDS EVERY MONTH!

कल्पमेधा

शिक्षा का यह मतलब नहीं है कि आपने कितना कुछ याद किया है, या यह कि आप कितना जानते हैं। इसका मतलब है कि आप जो जानते हैं और जो नहीं जानते हैं, उसमे अंतर कर पाएं।

– अनातोले फ्रांस

बदलाव के बजाय

पश्चिम बंगाल में चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद हिंसक घटनाएं सामान्य हो चुकी हैं। मगर हाल ही में जब विधानसभा चुनावों के बाद व्यापक फेरबदल हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई, तो इसे राज्य में एक बड़े बदलाव का उदाहरण बताया गया। वहां की जनता के बीच एक उम्मीद पैदा हुई कि अगर सत्ता में बदलाव आया है, तो संभवतः इसका असर सरकार के कामकाज से लेकर जमीनी स्तर पर आम लोगों के जीवन पर भी पड़े। मगर पहली बार भाजपा की सरकार बनने के बाद जो हालात दिख रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि वहां अराजक तत्त्वों को खुली छूट मिली हुई है, विपक्ष के नेताओं पर सीधे हमले हो रहे हैं और शासन उदासीन है। ऐसी अनेक घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें एक तरह से बदले की भावना से विपक्षी दलों के नेताओं या उनके समर्थकों पर हमले हुए हैं और कानून-व्यवस्था लाचार है। इससे यह सवाल उठा है कि क्या राज्य के लोगों ने इसी तरह के हालात के लिए बदलाव के पक्ष में वोट दिया था। गौरतलब है कि पिछले दो दिनों के भीतर पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के दो नेताओं, अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी पर लोगों की भीड़ ने पुलिस या सुरक्षा बलों की मौजूदगी में घातक हमला किया।

दरअसल, तृणमूल कांग्रेस के नेता और सांसद अभिषेक बनर्जी चुनाव के बाद हुई हिंसा के पीड़ित अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलने सोनारपुर दक्षिण पहुंचे थे। मगर आरोप के मुताबिक वहां भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेर लिया और नारेबाजी करते हुए उनके साथ मारपीट की। एक अन्य घटना में तृणमूल कांग्रेस के एक और सांसद कल्याण बनर्जी पर भी हमला किया गया। गनीमत रही कि दोनों को किसी तरह भीड़ से निकाल लिया गया। मगर उन पर जिस तरह हमला किया गया, वह सभी पार्टियों के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। हैरानी की बात यह है कि लोकतंत्र की बहाली के जिस नारे के साथ चुनावों में जनता का समर्थन मांगा गया, सरकार बदलने के बाद अब वही लोकतंत्र बाधित होता दिख रहा है और राज्य सरकार अराजक तत्त्वों पर काबू पाने के बजाय सब कुछ अपने आप ठीक होने की उम्मीद कर रही है।

सवाल है कि चुनावी नतीजों के बाद राज्य में विपक्षी दलों के समर्थकों या कार्यकर्ताओं के सामने जैसे हालात पैदा हो रहे हैं, उनके नेताओं की गतिविधियों को जिस तरीके से बाधित किया जा रहा है, उसे किस कसौटी पर लोकतंत्र कहा जाएगा। अव्वल तो समूचे राज्य में कहीं भी प्रतिद्वंद्विता की वजह से हिंसक या एक दूसरे पर हमले की घटनाओं को पूरी तरह रोकने और किसी भी पार्टी का समर्थन करने वाले अराजक तत्त्वों के खिलाफ सख्ती बरतने के लिए पुलिस को स्पष्ट निर्देश देने की जरूरत है। फिर विपक्षी दलों के नेता अगर लोकतांत्रिक गतिविधियों के लिए जनता के बीच जाते हैं, तो उन्हें सुरक्षा मुहैया कराना सरकार का दायित्व है। पश्चिम बंगाल में चुनावों के नतीजे सामने आने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा था कि अब राज्य में 'बदला नहीं, बदलाव' और 'भय नहीं, भविष्य' की बात होनी चाहिए। यों भी, अगर नई सरकार ने बदलाव का सपना दिखाया है, तो उसकी सबसे पहली जिम्मेदारी राज्य में हर स्तर पर लोकतांत्रिक माहौल को बहाल करना होना चाहिए। राज्य में कानून-व्यवस्था के मोर्चे पर अगर ऐसे हालात रहे कि विपक्ष को दबाने वाले तत्त्वों को खुली छूट दी गई, तो यह एक तरह से राज्य सरकार की सबसे बड़ी नाकामी होगी।

लापरवाही की कीमत

दिल्ली में साकेत के पास एक इलाके में शनिवार को पांच मंजिला इमारत ढह जाने से पांच विद्यार्थियों सहित छह लोगों की मौत की खबर ने फिर यही साबित किया है कि सरकारी तंत्र के भीतर किस हद तक लापरवाही और गैरजिम्मेदारी का आलम पसरा हुआ है। इस घटना में कई लोग घायल भी हो गए। बचाव अभियान में चौदह लोगों को बाहर निकाला गया। इस हादसे से सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जब यह हादसा हुआ, उस समय इमारत की ऊपरी मंजिल पर निर्माण कार्य किसकी अनुमति से हो रहा था। नियमों का उल्लंघन कर इसकी मंजूरी किस स्तर पर दी गई? हालांकि नगर निगम के दो अभियंताओं को निलंबित कर दिया गया है। इतने बड़े हादसे पर यह कार्रवाई बहुत छोटी है। कायदे से उन सभी पर कार्रवाई होनी चाहिए, जिन पर उस भवन के निर्माण और नक्शे की मंजूरी देने का जिम्मा था। मजिस्ट्रेट के स्तर पर जांच के बाद संबंधित अधिकारियों को छानबीन के घेरे में लाया जाना चाहिए।

मगर वास्तव में यह प्रशासन और नगर निकाय की लापरवाही का एक और ज्वलंत उदाहरण है। सवाल है कि इमारत जर्जर हो गई थी, तो संबंधित विभाग ने समय रहते इसे खाली क्यों नहीं कराया। अगर यह प्राथमिक कदम उठा लिया गया होता, तो एक बड़ा हादसा टल सकता था। कोई भी इमारत एक दिन में अचानक नहीं गिरती। उसमें संरचनात्मक कमजोरी धीरे-धीरे सामने आ रही होती है। साकेत में जो इमारत ढह गई, समय रहते उसके मालिक और नगर निगम के अभियंताओं ने सजगता क्यों नहीं बरती और निर्माण मानकों का उल्लंघन क्यों होने दिया गया। उस इमारत में अवैध निर्माण किए जाते रहे और अधिकारी आंखें मूंदे रहे, तो दरअसल यह आपराधिक लापरवाही है। साकेत में हुई घटना पूरी दिल्ली के लिए सबक होनी चाहिए। यहां कई व्यावसायिक और रिहाइशी इमारतें हैं जो भवन निर्माण की कसौटी पर खरी नहीं उतरतीं। पिछले दो-तीन दशकों में राजधानी में भवनों के निर्माण का जिस तरह व्यावसायीकरण हुआ है, उसके नतीजे सामने आने लगे हैं। जर्जर होती कोई इमारत कब ढह जाए, कहा नहीं जा सकता। अवैध और जर्जर इमारतों का पूरी दिल्ली में सर्वे और निरीक्षण होना चाहिए, ताकि समय रहते नागरिकों की जान बच सके।

महंगी शिक्षा के बीच गुम होते सपने

आय और शिक्षा के खर्च के बीच निरंतर बढ़ता अंतर अब एक ऐसी सामाजिक और मनोवैज्ञानिक त्रासदी का रूप लेता जा रहा है, जो हमारी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को दांव पर लगा रहा है।

रंजना मिश्रा

किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का मुख्य इंजन उसका मध्यवर्ग होता है। भारत जैसे विशाल, विविधतापूर्ण और प्रगतिशील देश में मध्यवर्ग केवल करदाता या उपभोक्ता भर नहीं है, बल्कि समाज का वह सबसे जागरूक तथा संवेदनशील वर्ग है जो देश के उज्ज्वल भविष्य के सबसे ज्यादा सपने पालता है। एक आम मध्यवर्गीय नागरिक अपने जीवन में अनगिनत संघर्ष करता है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी पूंजी उसकी आने वाली पीढ़ी होती है। यह निराशाजनक ही है कि तेजी से बदलते भारत में, यही मध्यवर्ग जटिल दोराहे पर खड़ा है, जहां एक ओर उसके पास अपने बच्चों के सुनहरे कल के लिए बुने गए अनगिनत सपने हैं, तो दूसरी ओर उन सपनों को धरातल पर उतारने के लिए आवश्यक आर्थिक संसाधनों का गहरा अकाल है। भारत की सामाजिक और आर्थिक संरचना की सबसे मजबूत रीढ़ माने जाने वाले इस वर्ग के लिए आज सबसे बड़ी चुनौती अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाना बन गई है। यह विडंबना ही है कि जिस शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का सबसे मजबूत आधार और अज्ञानता को मिटाने वाला प्रकाश माना जाता था, वह आज विशुद्ध मुनाफे पर आधारित उद्योग में तब्दील हो चुकी है।

आज एक औसत मध्यवर्गीय परिवार की सीमित मासिक आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा निजी स्कूलों की तिजोरियों में जा रहा है। इस बेतहाशा खर्च ने परिवार का पूरा आर्थिक और मानसिक संतुलन चरमरा दिया है। जमीनी हकीकत यही है कि आय और शिक्षा के खर्च के बीच निरंतर बढ़ता अंतर अब केवल एक आर्थिक समस्या नहीं रह गया, बल्कि यह एक ऐसी गहरी सामाजिक और मनोवैज्ञानिक त्रासदी का रूप लेता जा रहा है, जो दीमक की तरह चुपचाप हमारी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को निगल रही है।

निजी स्कूलों की फीस का ढांचा जटिल, भ्रामक और अपारदर्शी हो चुका है। बात अब केवल ट्यूशन फीस तक सीमित नहीं रह गई है। इसके साथ जुड़े कई अन्य शुल्क अभिभावकों की कमर तोड़ रहे हैं। निजी स्कूलों की मुनाफे वाली गतिविधियां केवल भारी-भरकम फीस की रसीद थमाने तक ही नहीं रुकी है। यह पूरी व्यवस्था अब बेहद संगठित तरीके से अभिभावकों का शोषण कर रही है। आज स्कूल प्रबंधन ही यह तय करता है कि बच्चों की किताबें किस विशिष्ट प्रकाशक की होंगी और वे शहर की किस दुकान से खरीदी जाएंगी। हर साल पाठ्यक्रम में मामूली फेरबदल कर या प्रकाशक बदल कर पुरानी किताबों के इस्तेमाल की संभावना को पूरी तरह खत्म कर दिया जाता है। स्कूल की वर्दियां, विशेष प्रकार के जूते-मोजे, स्कूल बैग और यहां तक कि मामूली स्टेशनरी भी तय दुकान से बाजार मूल्य से कई गुना ऊंचे दामों पर खरीदने का दबाव बनाया जाता है। अभिभावकों के पास न तो सवाल पूछने का अधिकार है, न मोलभाव करने की गुंजाइश और न ही किसी अन्य विकल्प को चुनने की स्वतंत्रता।

जब शिक्षा वास्तविक ज्ञान और अच्छे संस्कार देने के बजाय विशुद्ध रूप से उत्पाद बन जाती है, तो बच्चों के भीतर छिपी स्वाभाविक रचनात्मकता, मौलिकता

और जिज्ञासा नष्ट होने लगती है। उनकी जगह एक बेलगाम प्रतिस्पर्धा, बिना समझे रटने की प्रवृत्ति और हर समय दूसरों से आगे निकलने का भारी दबाव घर कर लेता है। आजकल के बच्चे छोटी उम्र में ही यह समझने लगते हैं कि उनकी शिक्षा के लिए उनके माता-पिता किस हद तक आर्थिक और मानसिक कष्ट झेल रहे हैं। ऐसे में अपनी स्वाभाविक रुचि के विषयों को चुनने के बजाय वे उन डिग्रियों की तरफ भागने को मजबूर हो जाते हैं जो उन्हें जल्द से जल्द नौकरी का अवसर देते हों। इस तरह हमारा देश भविष्य के कई महान वैज्ञानिकों, विचारकों और नवोन्मेषकों को इसलिए खो रहा है, क्योंकि शिक्षा की लागत ने उनके सपनों के खुले आसमान को एक छोटे से आर्थिक पिंजरे में तब्दील कर दिया है।

> मध्यवर्गीय परिवारों के बच्चों का भविष्य आज उनकी प्रतिभा या कठिन परिश्रम पर उतना निर्भर नहीं है, जितना इस बात पर निर्भर हो गया है कि उनके माता-पिता की आर्थिक हैसियत क्या है। यह पूरी स्थिति हमारे समाज में एक बहुत ही खतरनाक और चौड़ी खाई पैदा कर रही है। एक तरफ समाज का वह छोटा-सा, लेकिन ताकतवर आभिजात्य वर्ग है जिसके बच्चों के पास उच्च स्तर की शैक्षिक सुविधा उपलब्ध है और दूसरी तरफ देश का वह विशाल मध्यवर्ग है, जिसके होनहार और प्रतिभाशाली बच्चों की प्रतिभा का दम उचित संसाधनों और धन की कमी की वजह घुट रहा है। शिक्षा के अधिकार कानून के तहत निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए पच्चीस फीसद आरक्षण की व्यवस्था की गई है, लेकिन व्यवहार में इससे बहुत उम्मीद नहीं की जा सकती।

मध्यवर्गीय परिवारों के बच्चों का भविष्य आज उनकी प्रतिभा या कठिन परिश्रम पर उतना निर्भर नहीं है, जितना इस बात पर निर्भर हो गया है कि उनके माता-पिता की आर्थिक हैसियत क्या है। यह पूरी स्थिति हमारे समाज में बहुत ही खतरनाक और चौड़ी खाई पैदा कर रही है। एक तरफ समाज का वह छोटा-सा, लेकिन ताकतवर आभिजात्य वर्ग है, जिसके बच्चों के पास उच्च स्तर की शैक्षिक सुविधा उपलब्ध है और दूसरी तरफ देश का वह विशाल मध्यवर्ग है, जिसके प्रतिभाशाली बच्चों का दम उचित संसाधनों और धन की वजह से घुट रहा है। शिक्षा का अधिकार कानून के तहत निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए पच्चीस फीसद आरक्षण की व्यवस्था की गई है, लेकिन व्यवहार में इस पर अमल में जिस तरह की अड़चनें दिखती रही हैं, उसमें इससे बहुत उम्मीद नहीं की जा सकती।

इस पूरी त्रासदी का एक सबसे निराशाजनक पहलू हमारे सरकारी स्कूलों की बदहाली और उनकी खस्ताहाल व्यवस्था है। अगर आजादी के इतने दशकों बाद भी हमारी सरकारें स्कूल शिक्षा के उच्च मानकों को कायम कर पाने में सफल रहतीं, तो बहुत सारे भारतीय परिवार निजी स्कूलों के तंत्र की मनमानी का शिकार नहीं होते। सरकारी शिक्षा व्यवस्था की निरंतर विफलता, योग्य शिक्षकों की भारी कमी, बुनियादी ढांचे का अभाव और प्रशासनिक जवाबदेही की शून्यता ने ही निजी स्कूलों के लिए एक ऐसा बाजार तैयार कर दिया है, जिसमें उन्हें मनमानी करने की छूट मिली हुई है। आज मध्यवर्ग के पास कोई दूसरा मजबूत विकल्प बचा ही नहीं है। वह जानता है कि यदि अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजा जाएगा, तो वहां की व्यवस्था में उनके बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। इसी डर के कारण लोग अपनी हैसियत से बाहर जाकर और कर्ज लेकर भी निजी स्कूलों का रुख करने के लिए तैयार रहते हैं। एक समय था जब लोग केवल उच्च शिक्षा या मेडिकल-इंजीनियरिंग की महंगी पढ़ाई के लिए बैंकों से कर्ज लेते थे, लेकिन आज स्थिति यह आ गई है कि स्कूली शिक्षा पूरी करवाने के लिए भी कई लोगों को कर्ज लेना लेना पड़ रहा है।

अब समय आ गया है कि शिक्षा व्यवस्था को लेकर पारदर्शी और दूरदर्शी राष्ट्रीय नीति विकसित की जाए और उसे पूरी ईमानदारी से लागू किया जाए। यह सुनिश्चित करना राज्य और सरकारों की संवैधानिक जिम्मेदारी है कि शिक्षा मनमाना मुनाफा कमाने वाला व्यवसाय न बने। शिक्षण संस्थानों को बिना किसी लाभ के सिद्धांत पर चलने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाले स्कूलों की मान्यता रद्द की जानी चाहिए। इसके समांतर, इस पूरी समस्या का सबसे प्रभावी और एकमात्र स्थायी समाधान यही है कि सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली यानी सरकारी स्कूलों का युद्धस्तर पर कायाकल्प किया जाए। जब तक हमारे देश के हर शहर, कस्बे और हर गांव के सरकारी विद्यालय निजी स्कूलों को शिक्षा की गुणवत्ता में कड़ी टक्कर नहीं देंगे, तब तक भारत का मध्यवर्ग निजी स्कूलों के इस मकड़जाल से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा।

उदारता का सौंदर्य

गिरीश पंकज

समाज में न जाने कितने ऐसे लोग हैं, जो गहन अध्ययन करने के बाद अनेक मामलों में विशेषज्ञ की तरह हो जाते हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं, जो ज्ञान का अतिरेक होने पर दंभ के शिकार भी हो जाते हैं। वे अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझते। ऐसे लोग कुछ कम पढ़े-लिखे लोगों को हीन दृष्टि से देखने लगते हैं। मगर यह भी सच है कि ऐसे लोग धीरे-धीरे समाज से कटते जाते हैं और अपने दंभ की दुनिया में लीन रहकर ही खुश रहते हैं। जबकि हमारे यहां कहा गया है कि फलदार वृक्ष झुक जाते हैं, उदार हो जाते हैं। किसी अज्ञानी माने जाने वाले व्यक्ति से भी वे बड़े प्रेम से मिलते हैं। ठीक उसी तरह, जैसे किसी बच्चे से बड़े लोग प्रेम से बतियाते हैं और उसकी नादानी को अनदेखी करके उसके साथ खेलते हैं। इससे यह भी संभव है कि अज्ञानी व्यक्ति ज्ञान की राह पकड़ ले।

यों भी हर व्यक्ति ज्ञानी या महाज्ञानी नहीं हो सकता। इसी तरह हर कोई प्रखर अध्ययनशील नहीं हो सकता... हर कोई हर क्षेत्र में सफल नहीं हो सकता। तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह उपेक्षा का पात्र है। वह भी इसी समाज का अंग है। उसने भी मेहनत की, मगर वांछित सफलता नहीं मिल सकी। इसलिए उसके साथ भी प्रेमपूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए। हालांकि ऐसा होता नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी दिखाई देते हैं, जो अपनी धार्मिकता को लेकर बड़े ही आक्रामक होते हैं। वे हर जगह अपनी धार्मिकता का ढोल पीटते नजर आते हैं और कहते हैं कि मैं तो इतने उपवास करता हूं... इतने घंटे पूजा-अर्चना करता हूं। मगर सच यह है कि उनके आचरण में उनके पूजा-पाठ का कोई अंश नजर नहीं आता। वे हर घड़ी कटुता से भरे रहते हैं। उनके मुंह से प्रेम के बोल नहीं फूटते। कभी-कभी तो ऐसे लोग गालियां भी देते दिखते हैं। इस तरह के कुछ लोग भले ही खुद को सात्विक बताते हों, सादे वस्त्रों में रहते हों, लेकिन उनके आचरण में वह सात्विकता नजर नहीं आती, जो किसी धार्मिक व्यक्ति में सहज ही होनी चाहिए।

धार्मिकता अगर मनुष्य को बेहतर और ज्यादा मानवीय न बनाए, तो वह बेकार है। ज्ञान अगर मनुष्य को विनम्र न बनाए, सहिष्णु न बनाए, उदार न बनाए, तो ऐसा ज्ञान किस काम का? केवल किताबों में दर्ज बातों को याद कर लेना ज्ञान नहीं होता। ऐसा ज्ञान रटने वाले को तोता की तरह कहा जाएगा। तोता जो सुनता है, वही दोहराने लगता है। फिर चाहे भजन हो या अपशब्द, लेकिन जो व्यक्ति विवेकशील है, वह जो ग्रहण करता है, उसके अनुरूप आचरण भी करता है। इसीलिए वह तोते से अलग होता है। अगर कोई अध्ययनशील ज्ञानी व्यक्ति अपने व्यवहार में कटु है, अभद्र है, तो इसका मतलब यह हुआ कि वह सही मायने में सच्चा ज्ञानी नहीं है। उसके पास केवल किताबी ज्ञान है। उसे अभी आत्मज्ञान नहीं हुआ है। जिसे आत्मज्ञान हो चुका है, वह विनम्र होगा. उदार होगा। वह सबकी बातें ध्यान से सुनेगा। वह किसी को अपने से कमतर नहीं समझेगा।

समस्या यह है कि चाहे ज्ञान का मामला हो या धन-दौलत का, आमतौर पर जिसके पास अधिक मात्रा में होता है, वह अपने आप को विशिष्ट समझने लगता है। धनी व्यक्ति निर्धन व्यक्ति को देखकर दूरी बना लेता है। वह किसी की आर्थिक मदद नहीं करना चाहता, जबकि उसके पास जो धन आया है, वह इसी समाज से अर्जित है. लेकिन वह यह बात समझ नहीं पाता और कृपण बना रहता है। मगर जो व्यक्ति उदार होकर अपने धन को सामाजिक कार्यों में खर्च करता है, तो उससे उसकी प्रतिष्ठा ही बढ़ती है. लोग उसे आदर के साथ देखते हैं। बुला कर उसका सम्मान भी करते हैं। मगर जो व्यक्ति विशुद्ध रूप से धनपशु बना रहता है, वह एक दिन खा-पीकर मर जाता है, तब भी सब उसकी निंदा ही करते हैं।

समाज में हमेशा दानी या उदार व्यक्ति को महत्त्व मिलता है। फिर चाहे वह ज्ञान दान करे,चाहे धन दान करे, चाहे श्रमदान करे। दशरथ मांझी जैसे लोग श्रमदान करके अमरता को प्राप्त कर जाते हैं। उदारता, विनम्रता, सहिष्णुता- ये तमाम गुण बेहतर मनुष्य के लक्षण होते हैं। जिनमें ऐसे लक्षण नहीं होते, उनकी राह अलग हो जाती है। कई बार वे अपराध के मार्ग भी पर चल पड़ते हैं। अपराध सिर्फ हत्या,बलात्कार या चोरी-डकैती ही नहीं है, किसी का दिल दुखाना भी अपराध है। किसी को अपने से छोटा समझना अपराध है। किसी सज्जन का उपहास उड़ाना भी अपराध है। किसी अच्छे व्यक्ति की उपेक्षा करना अपराध है। किसी को कम ज्ञान है, यह समझ कर उसे हेय दृष्टि से देखना अपराध है।

अगर कोई ज्ञानी है, तो अपने ज्ञान को उदारता के साथ सबको बांटते रहना चाहिए। अधिक धन है, तो उसे भी उदारता के साथ बांटना चाहिए। अक्सर ऐसा होता नहीं है। जो लोग ऐसा नहीं करते, वे अपनी सीमित दुनिया में मगन रहते हैं, लेकिन जब कभी एकांत में आत्ममंथन करते हैं कि क्या खोया, क्या पाया की सूक्ति पर विचार करते हैं, तब पता चलता है कि उन्होंने पाया तो बहुत कुछ, लेकिन खोया उससे भी कहीं ज्यादा। मगर जो ज्ञानीजन होते हैं, वे कुछ नहीं खोते, बल्कि निरंतर पाते ही रहते हैं। यह पाना ही उनकी वास्तविक कमाई है। असल पूंजी है। इसका सुख वही व्यक्ति उठा सकता है, जो निर्मल मन वाला है, उदार है और समरसताजीवी है।

दुनिया मेरे आगे

> अगर कोई ज्ञानी है, तो अपने ज्ञान को उदारता के साथ सबको बांटते रहना चाहिए। अक्सर ऐसा होता नहीं है। हालांकि जब कभी एकांत में आत्म-मंथन करते हैं कि क्या खोया, क्या पाया की सूक्ति पर विचार करते हैं, तब पता चलता है कि उन्होंने पाया तो बहुत कुछ, लेकिन खोया उससे भी कहीं ज्यादा।

छीजता भरोसा

नीट के प्रश्नपत्रों को वायुसेना की निगरानी में वितरित किए जाने का निर्णय केवल एक प्रशासनिक व्यवस्था नहीं, बल्कि भारतीय परीक्षा प्रणाली पर गहराते अविश्वास का प्रतीक भी है। क्या देश की शिक्षा व्यवस्था और उससे जुड़ी एजंसियां इतनी कमजोर हो चुकी हैं कि अब उन्हें सेना की मदद लेनी पड़ रही है? क्या शिक्षा माफिया इतने संगठित और प्रभावशाली हो चुके हैं कि सामान्य प्रशासनिक तंत्र उन पर नियंत्रण नहीं रख पा रहा? राष्ट्रीय परीक्षा एजंसियों का मूल दायित्व निष्पक्ष, पारदर्शी और सुरक्षित परीक्षा कराना है। मगर जब प्रश्नपत्र लीक होने की घटनाएं सामने आती हैं, तब यह धारणा मजबूत होती है कि कहीं न कहीं तंत्र कमजोर पड़ा है। यदि एक संगठित गिरोह परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र हासिल कर लेता है, तो यह केवल बाहरी अपराध नहीं माना जा सकता। वायुसेना की निगरानी में प्रश्नपत्र बांटना बीमारी का समाधान नहीं है। सरकार हमेशा सेना के साये में परीक्षाएं नहीं करा सकती। एनटीए का पूरी तरह पुनर्गठन होना चाहिए। शीर्ष अधिकारियों की सीधी जवाबदेही तय होनी चाहिए, ताकि चूक होने पर केवल जांच कमेटी न बैठे, बल्कि त्वरित और अनुकरणीय कार्रवाई हो।

– युगल किशोर राही, छपरा

भटकती दिशा

'नशे का जाल' (संपादकीय, 28 मई) पढ़ कर गहरी चिंता हुई। आज नशीले पदार्थों का फैलता कारोबार केवल कानून-व्यवस्था की समस्या नहीं, बल्कि समाज और युवाओं के भविष्य पर गंभीर खतरा बन चुका है। शहरों से लेकर गांवों तक नशे का जाल जिस तेजी से फैल रहा है, वह बेहद भयावह स्थिति को दर्शाता है। गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर भारी मात्रा में कोकीन की बरामदगी यह साबित करती है कि तस्करों के हौसले लगातार बढ़ रहे हैं। बार-बार इतनी बड़ी खेप पकड़े जाने पर भी तस्करी पर पूरी तरह रोक नहीं लग पा रही है, तो यह सुरक्षा व्यवस्था और जांच एजंसियों की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर प्रश्न खड़े करता है। केवल छोटे अपराधियों को पकड़ना पर्याप्त नहीं, बल्कि इसके पीछे सक्रिय बड़े गिरोहों और सफेदपोश लोगों तक पहुंचना भी जरूरी है। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि नशा व्यक्ति को शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से भी बर्बाद कर देता है।

– इफ्तिखार दानिश, किशनगंज

सवालों का पटाक्षेप

'शुचिता की खातिर' (संपादकीय, 28 मई) पढ़ा। बिहार से शुरू हुई मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया पर विवाद का दायरा पश्चिम बंगाल तक पहुंचा। कई सवाल उठाए गए। शीर्ष अदालत के फैसले के बाद अंततः इस मामले का पटापेक्ष हुआ। अदालत ने याचिकाओं का निपटारा करते हुए विशेष गहन पुनरीक्षण को न केवल वैध करार दिया, बल्कि यह भी स्पष्ट कर दिया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए ऐसा किया जाना आवश्यक है। शीर्ष अदालत के इस फैसले से स्पष्ट है कि किसी वैध प्रक्रिया को रोका नहीं जा सकता। दूसरी ओर इस निर्णय से असहमत लोग निराश हैं। जबकि निष्पक्ष चुनावों की पहली शर्त ही यही है कि पात्र मतदाता ही वोट डालें। जहां तक नागरिकता की पहचान करने का प्रश्न है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि नागरिकता की पहचान संबंधी अंतिम फैसला करने का अधिकार केवल गृह मंत्रालय को ही है।

– वेद प्रकाश, गुरुग्राम

जेब पर असर

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दामों में चार बार बढ़ोतरी कर आम जन की कमर तोड़ दी है। मूल्य वृद्धि का सीधा असर यातायात साधनों, बाजार और आम आदमी की जेब पर पड़ता है। अभिजात्य वर्ग और नीति निर्माताओं का बाजार से सीधा कोई सरोकार नहीं होता। मगर निम्न मध्य और मध्यवर्गीय परिवारों पर असर पड़ता है। महंगाई बढ़ना तब नहीं अखरता, जब आय के साधनों और खर्चों के बीच समन्वय हो। गैस के दामों में बेतहाशा वृद्धि के साथ डीजल और पेट्रोल के दामों में बार-बार वृद्धि होने से आम आदमी के सामने संकट खड़ा हो गया है। जबकि केंद्र और राज्य की सरकारें जनहित में इस महंगाई से निजात दिला सकती थीं। महंगाई का विरोध करने वाले कुछ दलों के नेतृत्व में चल रही राज्य सरकारें भी अधिक कर वसूल रही हैं।

– सुधाकर आशावादी, ब्रह्मपुरी, मेरठ

आस्था

प्रयागराज में ज्येष्ठ सोमवार के अवसर पर भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए गंगाजल ले जाते श्रद्धालु।

बोल

ईरान सचमुच समझौता करना चाहता है और यह अमेरिका एवं हमारे साथ खड़े देशों के लिए अच्छा समझौता होगा। बस निश्चिंत रहिए, अंत में सब ठीक हो जाएगा - हमेशा ऐसा ही होता है।

- डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति

बोल

हिज्बुल्लाह की ओर से लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन किए जाने और हमारे नागरिकों पर हमलों के कारण इजराइली सेना को बेरूत के दक्षिणी उपनगर दहिये में हमले का आदेश दिया है। - बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल के प्रधानमंत्री

सम-सामयिक

ईरान और अमेरिका में किन किन मुद्दों पर फंसा है पेच

जनसत्ता संवाद

ईरान और अमेरिका के बीच गतिरोध जारी है। दोनों देशों में प्रस्तावों और जवाबी प्रस्तावों का आदान-प्रदान चल रहा है। आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। पांच बड़े मुद्दे सामने आए हैं, जो ईरान और अमेरिका के बीच असहमति की मुख्य वजह बने हुए हैं। इनमें यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम, ईरान के संवर्धित यूरेनियम भंडार का भविष्य, होर्मुज जलमार्ग पर नियंत्रण, क्षेत्र में ईरान समर्थित समूहों की गतिविधियां और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम शामिल हैं।

दरअसल, अमेरिका की 14 सूत्री योजना में यूरेनियम संवर्धन रोकना, 60 फीसद संवर्धित यूरेनियम के ईरानी भंडार को खत्म करना या पूरी तरह सीमित करना और होर्मुज को बिना शर्त खोलना शामिल है। इस योजना में 30 दिन की एक अवधि भी शामिल है, ताकि दूसरे मुद्दों पर बातचीत का रास्ता तैयार किया जा सके। इनमें क्षेत्र में ईरान समर्थित समूह और उसका मिसाइल कार्यक्रम शामिल हैं। ईरान इन प्रस्तावों को स्वीकार करने को ऐसी जंग में आत्मसमर्पण के बराबर मानता है। ईरान रियायतें हासिल करने की कोशिश कर रहा है और अपने जवाब में तत्काल युद्धविराम, सभी प्रतिबंध हटाने, हर्जाना देने, होर्मुज पर अपनी संप्रभुता को मान्यता देने और परमाणु वार्ता बाद में करने की मांग कर रहा है। ईरान ने यह भी कहा है कि वह अपने कुछ संवर्धित यूरेनियम को कम स्तर पर लाने या किसी तीसरे देश को सौंपने के लिए तैयार है, लेकिन उसने पूरा भंडार सौंपने से इनकार किया है।

पहला मुद्दा यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम का है। ईरान और अमेरिका के बीच यह सबसे अहम और पुराना विवादित मुद्दा है। अमेरिका के नजरिये से यह इस सवाल से जुड़ा है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की तकनीकी क्षमता से कितनी दूर पर है। प्राकृतिक यूरेनियम अकेले बहुत प्रभावी नहीं होता। संवर्धन प्रक्रिया यूरेनियम के ऊर्जावान हिस्से यानी आइसोटोप 235 की मात्रा बढ़ाती है, ताकि इसे ऐसे ईंधन में बदला जा सके जिसका इस्तेमाल परमाणु संयंत्रों में हो सके। जैसे-जैसे यूरेनियम का संवर्धन अनुपात बढ़ता है, उसके सैन्य इस्तेमाल का खतरा भी बढ़ता जाता है।

ईरान परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी के तहत ऊर्जा उत्पादन, रिसर्च और मेडिकल जरूरतों जैसे शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम संवर्धन के अपने अधिकार पर जोर देता है। दूसरी तरफ, अमेरिका और इजराइल इस कार्यक्रम को परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश का बहाना मानते हैं। आमतौर पर तीन से पांच फीसद संवर्धन स्तर बिजली संयंत्रों के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि 20 फीसद संवर्धित यूरेनियम शोध के मकसद से इस्तेमाल किया जाता है। इससे ऊपर का संवर्धन परमाणु हथियार के लिए यूरेनियम के इस्तेमाल का रास्ता खोल देता है। पिछली गर्मियों की 12 दिन की जंग तक ईरान 60 फीसद संवर्धन स्तर तक पहुंच चुका था। इसी दौरान अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजंसी ने दावा किया था कि तेहरान ने हजारों उन्नत सेंट्रीफ्यूज लगाए हैं और बड़ा भंडार जमा कर लिया था।

नतांज, फोर्दो और इस्फहान के संयंत्रों पर हमलों के बाद संवर्धन गतिविधियां लगभग रुक गईं और कई उपकरण बर्बाद हो गए। अमेरिका ने लंबे समय तक ईरान में संवर्धन पूरी तरह रोकने की मांग की है। दूसरी तरफ, ईरान शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए अस्थायी प्रतिबंध, कम संवर्धन स्तर और अंतरराष्ट्रीय निगरानी स्वीकार करने को तैयार दिखता है, लेकिन कार्यक्रम को पूरी तरह बंद करने या गतिविधियों को विदेश भेजने को अपनी संप्रभुता का उल्लंघन मानते हुए खारिज करता है।

आत्मरक्षा का सवाल

परमाणु कार्यक्रम के विपरीत मिसाइलों के भंडारण का मुद्दा हालिया अमेरिकी प्रस्तावों का केंद्रीय हिस्सा नहीं रहा है। दूसरी तरफ, ईरान का कहना है कि मिसाइल कार्यक्रम आत्मरक्षा के उसके अधिकार का हिस्सा है और इस पर बातचीत नहीं होगी।

शोध

देश के 63 शहरों में बदला बारिश का स्वरूप

जनसत्ता संवाद

आइआइटी हैदराबाद और यूनिवर्सिटी आफ कोलोराडो के अध्ययन में पता चला है कि 120 वर्षों के दौरान भारत के 63 शहरों की बारिश का स्वरूप बदल गया है। कहीं अचानक बाढ़, कहीं सूखा, जलवायु में बदलाव का खतरा बढ़ गया है। कुछ शहरों में अत्यधिक भारी बारिश बढ़ी, जिससे शहरी बाढ़ का खतरा तेजी से और गंभीर रूप से बढ़ा है। कई तटीय शहरों में मानसून और सालाना बारिश में गिरावट दर्ज हुई, जिससे जल संकट और सूखे की आशंका बढ़ गई है।

तेजी से बढ़ते शहरीकरण के साथ-साथ मौसम भी लगातार बदलता जा रहा है। हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) हैदराबाद और यूनिवर्सिटी आफ कोलोराडो के वैज्ञानिकों ने अहम अध्ययन किया है। उन्होंने पाया कि पिछले 120 वर्षों में भारत के 63 बड़े शहरों में बारिश के स्वरूप (पैटर्न) में बड़े और अलग-अलग बदलाव आए हैं। यह अध्ययन 1901 से 2022 तक के रोजमर्रा के बारिश के आंकड़ों पर आधारित है। कुछ शहरों में भारी बारिश अचानक बढ़ गई है, जबकि कुछ जगहों पर कुल बारिश कम होती जा रही है।

भारतीय शहरों में बारिश के बदलाव एक जैसे नहीं हैं। उन्हें चार अलग-अलग प्रकार के स्वरूप (पैटर्न) मिले हैं। कुछ शहरों में अचानक और तेज बारिश की घटनाएं बढ़ गई हैं, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। कुछ शहरों में सालाना और मानसून की बारिश में लगातार गिरावट देखी गई है, जिससे पानी की कमी और सूखे की स्थिति बन सकती है। इसका मतलब यह है कि एक ही क्षेत्र के पास-पास के शहरों में भी मौसम का असर अलग-अलग तरीके से हो रहा है।

'अर्बन क्लाइमेट' नामक पत्रिका में प्रकाशित इस अध्ययन में यह भी पाया गया कि सबसे बड़े बदलाव 1950 के दशक से 1970 के दशक के बीच हुए थे। इसी समय बारिश के पैटर्न में अचानक बदलाव देखने को मिला। उदाहरण के लिए, पश्चिमी तटीय क्षेत्रों के कई शहरों में मानसून की बारिश में कमी आई है। इससे वहां पानी की उपलब्धता पर असर पड़ा है। दूसरी ओर, बंगलुरू जैसे शहरों में हाल के वर्षों में बहुत तेज और भारी बारिश की घटनाएं बढ़ी हैं।

(फाइल फोटो)

इस शोध में वैज्ञानिकों ने पुराने तरीकों के बजाय नई सांख्यिकीय तकनीकों का इस्तेमाल किया। उन्होंने 'चेंज प्वाइंट एनालिसिस' नामक तकनीक का उपयोग किया, जिससे यह पता लगाया गया कि मौसम में बदलाव किस साल अचानक हुआ। इसके अलावा, उन्होंने 30 से 55 साल के 'मूविंग विंडो' का उपयोग किया, यानी समय को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटकर बदलावों को समझा गया। इससे यह साफ हो सका कि बारिश के पैटर्न समय के साथ कैसे बदलते रहे हैं।

शोध में यह भी सामने आया कि हर शहर की स्थिति अलग है। कुछ शहरों में भारी बारिश की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे जलभराव और बाढ़ का खतरा है। वहीं कुछ शहर धीरे-धीरे सूखे की ओर बढ़ रहे हैं। हर शहर की जरूरत और जोखिम अलग-अलग हैं।

पहले वैज्ञानिक लंबे समय के औसत निकालकर मौसम का अनुमान लगाते थे। लेकिन इस नए अध्ययन ने बताया कि यह तरीका कई बार सही तस्वीर नहीं दिखाता। वैज्ञानिकों ने यह भी माना है कि इस अध्ययन में इस्तेमाल किए गए आंकड़े बड़े ग्रिड में बारिश को औसत करते हैं, जिससे छोटे स्तर पर होने वाली बहुत तेज बारिश की घटनाएं पूरी तरह नहीं दिख पातीं। इसके अलावा, शहरों की मौजूदा सीमाओं के आधार पर विश्लेषण किया गया है, जबकि पिछले 100 वर्षों में शहरों का विस्तार काफी बदल चुका है। इसका असर स्थानीय मौसम पर भी पड़ सकता है, जिसे पूरी तरह शामिल नहीं किया गया है।

यह अध्ययन शहरी योजनाकारों के लिए एक अहम संकेत देता है कि अब मौसम को स्थिर मानकर योजना नहीं बनाई जा सकती। शहरों को खुद को बदलना होगा। कहीं पर जल निकासी व्यवस्था को मजबूत करना होगा, तो कहीं पानी बचाने की नीतियों को बढ़ाना होगा।

विश्व परिक्रमा

युद्ध और यौन हिंसा : इजराइली व रूसी बल काली सूची में

जनसत्ता संवाद

दुनियाभर के संघर्षों में यौन हिंसा के मामलों को दर्ज करने वाली संयुक्त राष्ट्र की एक वार्षिक रिपोर्ट में पहली बार इजराइली और रूसी बलों को शामिल किया गया। रिपोर्ट में इजराइल द्वारा फिलिस्तीनी बंदियों के साथ कथित दुर्व्यवहार का उल्लेख किया गया है। हालांकि, इजराइल ने इन आरोपों से इनकार किया है। 35 पन्नों की इस रिपोर्ट में 12 देशों के 77 सरकारी और गैर-सरकारी पक्षों को काली सूची में शामिल किया गया है, जिन पर संघर्ष के दौरान यौन हिंसा में शामिल होने या उसके लिए जिम्मेदार होने का संदेह है।

रिपोर्ट के अनुसार, 2024 की तुलना में 2025 में ऐसे मामलों की संख्या काफी बढ़ी। रूस के सशस्त्र बलों को भी पहली बार सूची में शामिल किया गया है। उन पर यूक्रेन युद्ध के दौरान युद्धबंदियों और असैन्य बंदियों के साथ यौन हिंसा करने के आरोप लगे हैं। वर्ष 2025 की सूची में इजराइल की सेना और सुरक्षा बलों के साथ-साथ हमास के लड़ाके भी शामिल हैं। हमास को पहले ही सात अक्तूबर 2023 के हमले के बाद काली सूची में डाला जा चुका था।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने पिछले वर्ष रूस एवं इजराइल को चेतावनी दी थी कि उन्हें सूची में डाला जा सकता है। इजराइल और रूस के राजदूतों ने इस फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई और गुतारेस की आलोचना की। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2025 में संयुक्त राष्ट्र ने इजराइल और फिलिस्तीन के कब्जे वाले क्षेत्रों में बंद फलस्तीनियों के खिलाफ यौन हिंसा के एक जैसे कई मामले दर्ज किए। इसमें पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के साथ यौन हिंसा, सामूहिक बलात्कार, जबरन नग्न करने और बलात्कार की धमकियों जैसे मामलों का उल्लेख है। इजराइल के विदेश मंत्रालय ने इन आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया।

जानें-समझें

क्वाड : नई दिल्ली सम्मेलन

ताकतवर देशों संग संतुलन की इबारत

जनसत्ता संवाद

हाल में नई दिल्ली में हुए क्वाड (भारत, अमेरिका, जापान और आस्ट्रेलिया) शिखर सम्मेलन में जो सहमतियां बनी हैं, उनके दूरगामी कूटनीतिक नतीजे निकलने की संभावना जताई जा रही है। वैश्विक स्तर पर अशांति के दौर में इस सम्मेलन को कूटनीतिक तालमेल की परीक्षा माना गया। नई दिल्ली की बैठक में हिंद-प्रशांत क्षेत्र को लेकर जो सहमति बनी, उससे चीन की आक्रामक विस्तारवादी नीति पर लगाम कसने में मदद मिलेगी। इसके लिए चारों देश रणनीतिक और आर्थिक सहयोग को मजबूत करेंगे।

नई शुरुआत

इस बैठक ने एक तरह से क्वाड की वापसी की शुरुआत की, क्योंकि पिछले दशक के शुरुआत में चीन के सवाल पर चारों देशों की भू-राजनीतिक मजबूरियों और रणनीतिक दृष्टिकोण में मतभेदों से यह समूह बिखर गया था। वर्ष 2017 के बाद से, क्वाड ने संवाद के लिए प्राथमिक मंच के रूप में विदेश मंत्री स्तर पर बैठकें की हैं, जिससे मार्च 2021 में आभासी स्तर पर आयोजित पहले नेता-स्तरीय शिखर सम्मेलन का रास्ता खुला। वर्ष 2021 से 2023 के बीच दो बार क्वाड शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, लेकिन 2025 में नई दिल्ली में होने वाला सम्मेलन विफल रहने से यह गति थम गई थी।

हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सक्रियता

हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका की व्यस्तताओं पर नजर डालने से पता चलता है कि तनाव और अनिश्चितताओं के बावजूद, क्वाड के भीतर अभियानों में बहुत कम परिचालन व्यवधान आया है। क्वाड साल भर सक्रिय रहा है, जिसमें गुआम के पास आयोजित मालाबार अभ्यास भी शामिल है। हाल ही में, अंतर-संचालनीयता और युद्ध की तैयारियों को बढ़ाने के उद्देश्य से किए गए अमेरिका-फिलीपींस बाल्टिक अभ्यास ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र पर वाशिंगटन के परिचालन फोकस के लचीलेपन को साबित किया है। अमेरिका में 2025 में लिए गए फैसलों से क्वाड पर असर दिखा। इनमें प्रमुख रहा शुल्क का मामला, जिसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने क्वाड भागीदारों सहित कई देशों पर अनुचित लाभ उठाने का आरोप लगाया।

(फाइल फोटो)

क्वाड की कामयाबी इस बात पर निर्भर करती है कि वह क्षेत्रीय दिक्कतों को कितनी जल्दी समझता है और चारों देश मिलकर कितनी अच्छी तरह काम करते हैं। लोग अक्सर सवाल उठाते हैं कि यह समूह सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। इस पहलू पर ध्यान देना होगा।

- अजय बिसारिया, पूर्व राजनयिक

क्वाड ने समुद्र की निगरानी करने, आपदा के समय लोगों की मदद करने और आपस में साजो-सामान का तालमेल बढ़ाने जैसे जरूरी कामों में अच्छी तरक्की की है। क्वाड को व्यापक हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए सार्थक बनाना होगा। *- मीरा शंकर, अमेरिका में भारत की पूर्व राजदूत*

बड़े बदलाव

इस समय हिंद-प्रशांत इलाके में बड़े बदलाव हो रहे हैं। अमेरिका मध्य पूर्व की लड़ाइयों में फंसा हुआ है। इस वजह से सुरक्षा के सवाल पर सब परेशान हैं। इस इलाके के ज्यादातर देश अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर भरोसा करते हैं। ऐसे में अगर अमेरिका अपना हाथ पीछे खींचता है, तो वहां खाली जगह बन जाएगी। इस स्थिति का आकलन कर चीन अपना दबदबा और सेना बढ़ा रहा है। बाकी देश नए दोस्त और संगठन तो बना रहे हैं, पर अमेरिका जितनी ताकत किसी में नहीं है। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक सुदृढ़ सुरक्षा संरचना प्रदान करने के लिए पूरी तरह से वाशिंगटन पर निर्भर रहना अब उन देशों के लिए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण नहीं रह गया है, जो इस क्षेत्र में नियम-आधारित व्यवस्था को बनाए रखने में रुचि रखते हैं।

चीन सागर का मुद्दा

क्वाड ने जो साझा घोषणापत्र पारित किया, उसमें पूर्वी चीन सागर और दक्षिण चीन सागर की स्थिति को लेकर चिंता जताई गई। कहा गया है, 'हम क्षेत्र में शांति और स्थिरता को खतरे में डालने वाली किसी भी अस्थिरता पैदा करने वाली या एकतरफा कार्रवाई, जिसमें बल या दबाव द्वारा की गई कार्रवाई भी शामिल है, का कड़ा विरोध दोहराते हैं। हम खतरनाक और दबावपूर्ण कार्रवाइयों के संबंध में चिंता व्यक्त करते हैं, जिनमें संसाधन विकास में हस्तक्षेप, नौवहन और उड़ान की स्वतंत्रता में बार-बार बाधा डालना, सैन्य विमानों और तटरक्षक एवं समुद्री मिलिशिया जहाजों द्वारा खतरनाक युद्धाभ्यास, विशेष रूप से जल तोपों और फ्लेयर्स का असुरक्षित उपयोग, और दक्षिण चीन सागर में टक्कर मारना या अवरोध पैदा करना शामिल है।'

खनिजों पर सहयोग

चीन पर निर्भरता कम करने के लिए 'क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव फ्रेमवर्क' शुरू किया गया, ताकि सेमीकंडक्टर और बैटरी निर्माण में आवश्यक खनिजों की सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, स्वतंत्र नौवहन और निगरानी समन्वय को मजबूत करने की रूपरेखा तैयार की गई है। क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए हिंद-प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा पर विशेष बल दिया गया और एक साझा ढांचा तैयार किया गया है। व्यापार में व्यवधान और एकाधिकार को रोकने के लिए सुदृढ़ एवं सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने पर सहमति बनी। इस बैठक से यह स्पष्ट संदेश गया कि क्वाड अब केवल रणनीतिक विचार-विमर्श का मंच नहीं रहा, बल्कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में नियम-आधारित व्यवस्था को कायम रखने के लिए एक व्यावहारिक और ठोस गठबंधन बन गया है।

व्यक्तित्व

ईशा : निशानेबाजी में रचा इतिहास, विश्व रिकार्ड के साथ जीता सोना

जनसत्ता संवाद

भारत की युवा निशानेबाज ईशा सिंह ने जर्मनी के म्यूनिख में देश की शान बढ़ा दी। 21 साल की ईशा ने 'आइएसएसएफ वर्ल्ड कप 2026' में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीतकर विश्व रिकार्ड बना डाला। फाइनल में ईशा ने 50 में से 43 सटीक निशाने लगाए और उन्होंने सीनियर एवं जूनियर दोनों श्रेणियों का विश्व रिकार्ड अपने नाम कर लिया। म्यूनिख में खेले गए फाइनल में मौजूदा ओलंपिक चैंपियन यांग जी-इन भी मौजूद थीं। वहां ईशा ने जिस आत्मविश्वास और निरंतरता के साथ निशाने लगाए, उसके सामने बाकी सभी निशानेबाज फीके पड़ गए।

ईशा सिंह ने फाइनल की शुरुआत ही धमाकेदार अंदाज में की। उन्होंने लगातार तीन सटीक निशानों की सीरीज लगाईं और शुरुआत से ही मुकाबले पर पकड़ बना ली। 'एलिमिनेशन राउंड' में जहां बड़े-बड़े नाम दबाव में चूकते दिखे, वहीं ईशा मजबूत दिखीं। हर राउंड के साथ उनका आत्मविश्वास साफ नजर आ रहा था। आखिर में उनका स्कोर 43 हिट्स तक पहुंचा, जो महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में अब नया विश्व रिकार्ड है। इस प्रदर्शन ने उन्हें सिर्फ गोल्ड मेडल ही नहीं दिलाया, बल्कि सीधे 'आइएसएसएफ वर्ल्ड कप फाइनल' के लिए भी क्वालिफाई करा दिया, जो इस साल रोम में खेला जाएगा।

ईशा का यह प्रदर्शन इसलिए भी बेहद खास माना जा रहा है क्योंकि उन्होंने क्वालिफिकेशन राउंड में पांचवें स्थान पर रहते हुए फाइनल में जगह बनाई थी। असली धमाका उन्होंने फाइनल में किया, जहां उनका खेल पूरी तरह अलग स्तर पर पहुंच गया। ओलंपिक में सोना जीतने वाली यांग जी-इन ने क्वालिफिकेशन में शानदार स्कोर बनाया था और उन्हें खिताब का प्रबल दावेदार माना जा रहा था। लेकिन फाइनल में वह अपनी लय बरकरार नहीं रख सकीं और पांचवें स्थान पर खिसक गईं। ईशा की इस ऐतिहासिक जीत ने पूरे भारत को गर्व महसूस कराया। उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने भी उनके प्रदर्शन से प्रभावित नजर आए और उन्होंने सोशल मीडिया पर ईशा की जमकर तारीफ की।

ईशा के पदक से भारत ने टूर्नामेंट में 10 ओलंपिक स्पर्धाओं में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए एक स्वर्ण, चार रजत और दो कांस्य पदक हासिल किए। भारत कुल मिलाकर तीन स्वर्ण, पांच रजत और चार कांस्य पदकों के साथ तालिका में तीसरे स्थान पर रहा, जबकि चीन 10 स्वर्ण पदकों के साथ पहले और कोरिया छह स्वर्ण पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा।

ईशा का यह इस साल का तीसरा व्यक्तिगत आइएसएसएफ पदक था। इससे पहले उन्होंने विश्व कप चरण में स्वर्ण और रजत पदक जीता था। अब वे दिसंबर में दोहा में आइएसएसएफ विश्व कप फाइनल में हिस्सा लेंगी।

जेईई एडवांस्ड 2026 के परिणाम घोषित : लड़कियों में अरोही देशपांडे शीर्ष पर रहीं

शुभम कुमार मेधा सूची में अव्वल

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 1 जून।

संयुक्त प्रवेश परीक्षा (एडवांस्ड) 2026 के नतीजे सोमवार को घोषित हुए, जिसमें दिल्ली जोन के शुभम कुमार ने 360 में से 330 अंक हासिल करके शीर्ष स्थान प्राप्त किया जबकि लड़कियों में अरोही देशपांडे ने बाजी मारी। जेईई (एडवांस्ड) 2026 में कुल 56,880 अभ्यर्थी सफल हुए, जिनमें 10,107 छात्राएं और 46,773 छात्र शामिल हैं। जेईई (एडवांस्ड) देश के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आइआइटी) और अन्य प्रमुख इंजीनियरिंग संस्थानों में स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए मुख्य परीक्षा है।

परीक्षा में शामिल हुआ अकेला 'थर्ड जेंडर' छात्र सफल नहीं हो सका। दिव्यांग श्रेणी में 3,052 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था, जिनमें से 2,864 ने दोनों पेपर दिए और 887 सफल रहे। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) दिल्ली जोन के शुभम कुमार ने कामन रैंक लिस्ट (सीआरएल) में 360 में से 330 अंक हासिल करके पहला स्थान प्राप्त किया। इसी जोन की अरोही देशपांडे शीर्ष रैंक हासिल करने वाली छात्रा बनीं। उन्होंने 360 में से 280 अंक प्राप्त करके पूरे देश में 77वीं रैंक हासिल की।

कबीर छिल्लर ने 329 अंक प्राप्त करके दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि जतिन चाहर 319 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। शीर्ष स्थान पर रहे शुभम कुमार ने कहा कि मैं दो वर्ष से जेईई एडवांस्ड की तैयारी कर रहा था और मुझे उम्मीद थी कि मेरी मेहनत अच्छी रैंक दिलाएगी। अब जब मैंने पूरे देश में पहला स्थान हासिल कर लिया है तो बहुत खुशी हो रही है।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की द्वारा जारी परिणाम आंकड़ों के अनुसार 1,87,389 पंजीकृत अभ्यर्थियों में से 1,79,694 अभ्यर्थियों ने 17 मई को आयोजित जेईई (एडवांस्ड) 2026 के दोनों पेपर दिए। जोनवार परिणामों में आइआइटी मद्रास जोन से सर्वाधिक 14,294 अभ्यर्थी सफल हुए, इसके बाद आइआइटी बांबे से 12,389 और आइआइटी दिल्ली से 10,697 अभ्यर्थियों ने सफलता हासिल की।

शुभम कुमार

आरोही देशपांडे।

सफल विद्यार्थी 'जोसा 2026 काउंसलिंग' के लिए पंजीकरण करें : आइआइटी रुड़की

आइआइटी रुड़की ने सभी जेईई एडवांस्ड पात्रता हासिल करने वाले अभ्यर्थियों से काउंसिलिंग प्रक्रिया में पंजीकृत होने को कहा है। संस्थान के अनुसार, जो अभ्यर्थी परीक्षा में सफल रहे हैं, वे कक्षा 12 की परीक्षा में आए अंकों या प्रतिशत की परवाह किए बिना 'जोसा 2026 काउंसलिंग' प्रक्रिया के लिए पंजीकरण जरूर करें। इससे उन हजारों विद्यार्थियों को राहत मिली है जो बोर्ड परीक्षा के अंकों की वजह से अपनी पात्रता को लेकर असमंजस में थे। अब ऐसे सभी विद्यार्थी काउंसलिंग के शुरुआती दौर का हिस्सा बनकर अपनी दावेदारी पेश कर सकेंगे।

महाराष्ट्र : 'लाडकी बहिन' योजना से 80 लाख महिलाएं बाहर

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 1 जून।

मुख्यमंत्री लाडकी बहिन योजना के लिए आनलाइन माध्यम से केवाईसी की अंतिम तिथि बीत जाने के बाद 80 लाख महिलाएं इस योजना से बाहर हो गई हैं। इसे लेकर विपक्षी दलों ने तीखे आरोप लगाते हुए कहा कि महाराष्ट्र सरकार 'गंभीर वित्तीय संकट' के कारण लाभार्थियों को योजना से बाहर कर रही है।

विपक्ष ने लगाया 'वित्तीय संकट' का आरोप

एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को कहा कि हालांकि, 30 अप्रैल की 'ई-केवाईसी' समयसीमा के बाद लाभार्थियों की संख्या 2.4 करोड़ से घटकर करीब 1.7 करोड़ रह गई है, लेकिन यह कटौती केवल 'ई-केवाईसी' न कराने के कारण नहीं, बल्कि पात्रता मानदंडों का पालन न करने से भी जुड़ी है। सरकार ने लाभार्थियों को ई-केवाईसी पूरी करने के लिए आठ महीने का समय दिया था।

करीब 50 से 55 लाख महिलाओं ने यह प्रक्रिया पूरी ही नहीं की, जबकि दो से तीन लाख ने इस दौरान अपनी त्रुटियां सुधारीं। इसके अलावा, करीब 12 लाख महिलाएं आयकर दाता पाई गईं, जो 2.5 लाख रुपए की वार्षिक आय सीमा से अधिक हैं और 4.5 लाख से अधिक महिलाएं 65 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा पार कर चुकी थीं। करीब पांच लाख महिलाएं पहले से नमो शेतकरी योजना का लाभ उठा रही हैं।

'ई-केवाईसी' पूरी करने के बावजूद मासिक किस्त न मिलने की शिकायतों पर अधिकारी ने कहा कि वास्तविक लाभार्थियों की अंतिम संख्या एक सप्ताह में स्पष्ट हो जाएगी और शिकायतों का पुनः सत्यापन किया जा रहा है।

उन्होंने यह भी खारिज किया कि 80 लाख महिलाओं को केवल ई-केवाईसी न कराने के आधार पर योजना से हटाया गया है। वहीं, विपक्षी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद गुट) नेता जयंत पाटिल ने दावा किया कि योजना से लाभार्थियों को हटाना राज्य के 'गंभीर वित्तीय संकट' को दर्शाता है।

पाटिल ने आरोप लगाया कि 2024 के लोकसभा चुनावों में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के खराब प्रदर्शन के बाद और विधानसभा चुनावों से पहले इस योजना को लागू किया गया था जिसके तहत महिलाओं को 1,500 रुपए मासिक सहायता दी जाती है।

सुप्रीम कोर्ट में पांच नए न्यायाधीशों की नियुक्ति, संख्या बढ़कर 37

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 1 जून।

सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को पांच नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई और इसी के साथ शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 37 हो जाएगी। यह संख्या बढ़ाई गई स्वीकृत संख्या 38 से एक कम है।

केंद्रीय विधि मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा सोमवार सुबह जारी अलग-अलग अधिसूचनाओं के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता वेंकिता सुब्रमणि मोहना, बंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शील नागू, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरुण पल्ली को शीर्ष अदालत का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। उनके शपथ लेने और पदभार ग्रहण करने के बाद उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या औपचारिक रूप से 37 हो जाएगी।

यह संख्या बढ़ाई गई स्वीकृत संख्या 38 से एक कम है।

सरकार ने पिछले महीने एक कानून में संशोधन के लिए अध्यादेश जारी किया था जिसके तहत प्रधान न्यायाधीश सहित शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर 38 कर दी गई। न्यायालय में पहले से ही दो पद खाली थे। स्वीकृत संख्या बढ़ाए जाने के बाद शीर्ष अदालत में कुल पद रिक्त छह हो गए थे। उच्चतम न्यायालय में सोमवार को पांच नियुक्तियों के बाद एक पद रिक्त रहेगा। सुप्रीम कोट कालेजियम ने 27 मई को इन पांच नामों की सिफारिश की थी और चार दिन के भीतर नियुक्तियां कर दी गईं।

कार्यक्रम

आंध्र प्रदेश में काकीनाडा जिले के चामवरम में गरीब जन सेवा कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू (दाएं)।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा

सावधान, सीबीएसई में जेबकतरे बैठे हैं

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 1 जून।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की 'आन-स्क्रीन मार्किंग' (ओएसएम) प्रणाली को लेकर दावा किया कि आज छात्र को अपनी ही उत्तर पुस्तिका की सही जांच के लिए 2000 रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं। आरोप लगाया है कि सीबीएसई में जेबकतरे बैठे हैं, जिनसे सावधान रहने की जरूरत है। सोमवार को राहुल गांधी ने 'एक्स' पर लिखा कि जेबकतरों से सावधान, आज वो सीबीएसई के अंदर बैठे हैं। उन्होंने पूछा कि सीबीएसई की गलती से नंबर गलत आए तो आपको क्या मिलता है?

राहुल गांधी ने कहा कि एक बिल है, इसमें प्रति विषय डिजिटल स्कैन कापी का खर्च 100 रुपए, फिर से कुल करने का खर्च प्रति पेपर 100 रुपए और पुनर्मूल्यांकन का खर्च प्रति प्रश्न 25 रुपए है। उन्होंने कहा कि अपनी ही उत्तर पुस्तिका की सही जांच के लिए एक बच्चे को 2000 रुपए तक भरने पड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि सोचिए, जब चार लाख बच्चों ने ऐसे आवेदन डालें हैं तो सीबीएसई कितनी कमाई कर रहा है। जब स्कैनिंग फोन से हुई हो, गलत मार्किंग तय है और उसे ठीक करवाने की कीमत बच्चा भर रहा है।

कांग्रेस का आरोप जानबूझकर कमजोर की थी निविदा प्रक्रिया

मीडिया और प्रचार के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तथा पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। कांग्रेस ने सवाल किया कि शिक्षकों और विशेषज्ञों द्वारा डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली में 36 बड़ी कमियों की चेतावनी दिए जाने के बावजूद, सीबीएसई ने इसे छात्रों पर क्यों थोपा? कोएम्प्ट कंपनी को ठेका देने से पहले टेंडर की शर्तों, स्कैन गुणवत्ता और साइबर सुरक्षा मानकों में ढील देने का आदेश किसने दिया था? उन्होंने बताया कि आन-स्क्रीन मार्किंग के लिए ठेकेदार ढूंढने से पहले सीबीएसई को तीन अलग-अलग निविदा जारी करनी पड़ी, पहले निविदा में कोई बोली नहीं लगी और दूसरे में तकनीकी रूप से योग्य बोली लगाने वाला नहीं मिला।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा

कंप्यूटर से नहीं होगी नीट-यूजी की पुनर्परीक्षा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 1 जून।

सुप्रीम कोर्ट ने 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी) 2026 पुनः परीक्षा कंप्यूटर के जरिए आयोजित कराने संबंधी याचिका को स्वीकार करने से सोमवार को इनकार कर दिया और कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजंसी (एनटीए) पहले से ही कई समस्याओं का सामना कर रही है।

न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने राजद सांसद सुधाकर सिंह और अन्य की याचिका को 27 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करते हुए नीट-यूजी को मौजूदा कलम-कागज पद्धति के बजाय कंप्यूटर के जरिए आयोजित करने का आदेश देने से इनकार कर दिया। एनटीए ने 12 मई को, प्रश्न पत्र लीक से जुड़े आरोपों के बीच मेडिकल कालेजों में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट-यूजी को रद्द कर दिया था। फिलहाल इस मामले की जांच सीबीआइ कर रही है।

नीट पुनर्परीक्षा को साफ-सुथरे तरीके से कराया जाए : संसदीय समिति

संसद की एक स्थायी समिति ने सोमवार को राष्ट्रीय परीक्षा एजंसी के अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि 21 जून को 'नीट-स्नातक' की पुनर्परीक्षा पारदर्शी और साफ-सुथरे तरीके से हो। एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह और शिक्षा मंत्रालय के कुछ अन्य अधिकारी शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति के समक्ष उपस्थित हुए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह इस समिति के अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा 'नीट-स्नातक' की 21 जून को फिर से होने वाली परीक्षा के सफलतापूर्वक आयोजन की जिम्मेदारी ली है। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि पेपर लीक नहीं होगा, लेकिन यदि यह होता है तो फिर उनका इस्तीफा मांगा जाएगा।

भाजपा की बैठक में राज्यसभा और विधानसभा चुनावों पर चर्चा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 1 जून।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) राज्यसभा और अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनावों पर आगे की रणनीतिक तैयारी में जुट गई है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने सोमवार को दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पर राज्य इकाइयों के अध्यक्षों के साथ 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव और मिशन 2027 को लेकर मंथन किया। दस राज्यों में राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनाव 18 जून को होने वाले हैं।

रविवार को भाजपा कोर ग्रुप के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चर्चा इन चुनावों के साथ-साथ विधान परिषदों में होने वाले आगामी चुनावों के मद्देनजर काफी अहम मानी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक राज्य इकाइयों के अध्यक्षों के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की इस पर बातचीत हुई।

भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने बताया कि बैठक में केंद्र सरकार के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 12 वर्षों, संगठन के विस्तार, जमीनी स्तर पर पार्टी को और अधिक सशक्त बनाने तथा समाज के विभिन्न वर्गों तक संगठन की पहुंच को व्यापक करने के उद्देश्य से भविष्य की पहलों पर हुई अहम चर्चाओं के बारे में बताया। पार्टी सूत्रों ने बताया कि भाजपा की राज्य-स्तरीय गतिविधियों के आकलन के अलावा, वरिष्ठ नेताओं से संगठन के विस्तार से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा हुई।

पेज 1 का बाकी

'भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ म्यांमा की धरती का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा'

संबंधों को बढ़ावा देने के लिए व्यापक वार्ता की। आंग ह्लाइंग पांच दिवसीय भारत यात्रा पर हैं। वार्ता के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि म्यांमा भारत की 'नेबरहुड फर्स्ट' (पड़ोसी पहले), 'एक्ट ईस्ट' और 'महासागर' (क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए आपसी और समग्र प्रगति) नीतियों के संगम पर स्थित है।

चर्चाओं में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के महत्त्व पर जोर दिया गया, जिसमें व्यापार और आर्थिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, विकास सहायता और सांस्कृतिक आदान-प्रदान शामिल हैं। दोनों पक्षों ने विभिन्न द्विपक्षीय समझौतों और समझौता ज्ञापनों पर चल रही चर्चाओं का संज्ञान लिया और उनके शीघ्र निष्कर्ष की उम्मीद जताई। मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि बेहतर संपर्क से इस क्षेत्र में आपसी लाभ वाले आर्थिक संबंध और साझा समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। इस संबंध में, दोनों पक्षों ने कलादान मल्टी-माडल ट्राजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट और भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग को पूरा करने की दिशा में मिलकर काम करने के महत्त्व पर सहमति जताई।

म्यांमा में संसदीय चुनावों के बाद राष्ट्रपति बनने के दो महीने से भी कम समय में वह भारत यात्रा पर आए हैं। सत्ताधारी सैन्य जुंटा के खिलाफ वर्षों से जारी विरोध प्रदर्शनों के बाद ये चुनाव दिसंबर और जनवरी में कराए गए। सैन्य जुंटा ने एक फरवरी, 2021 को तख्तापलट कर आंग सान सू ची की लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को बेदखल कर दिया था।

सूची के बारे में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने यात्रा पर आए राष्ट्रपति के साथ इस मुद्दे को उठाया और चर्चा मुख्य रूप से म्यांमा में जारी शांति प्रक्रिया के संदर्भ में हुई थी। इस मुद्दे पर भारत के निरंतर रुख को स्पष्ट करते हुए विदेश सचिव ने कहा कि भारत स्थायी शांति, समावेशिता और सभी हितधारकों को बातचीत की मेज पर लाने की आवश्यकता का समर्थन करता रहा है।

तमिलनाडु : भाजपा छोड़ेंगे अन्नामलाई

सोमवार को कहा कि आगामी दो दिन में वह अपनी स्थिति स्पष्ट करेंगे। अन्नामलाई ने दिल्ली रवाना होने से पहले चेन्नई हवाई अड्डे पर संवाददाताओं से बातचीत के दौरान नई राजनीतिक पार्टी बनाने की अटकलों के बारे में पूछे जाने पर कहा कि 'वह दो दिनों में जवाब देंगे और अपना रुख स्पष्ट करेंगे।

चर्चाओं से परिचित एक शीर्ष सूत्र ने बताया, 'वे आइपीएस से इस्तीफा देने के बाद भाजपा द्वारा दिए गए अवसरों, अनुभवों और राजनीतिक सफर के लिए नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहते हैं।' यदि मंगलवार को इस घटनाक्रम की औपचारिक रूप से पुष्टि हो जाती है, तो यह अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय की चुनावी जीत के बाद से तमिलनाडु में सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक बदलावों में से एक होगा, जिसने राज्य के राजनीतिक परिदृश्य को पुनर्व्यवस्थित किया और लगभग हर प्रमुख राजनीतिक दल के भीतर नए सवाल खड़े कर दिए। कई हफ्तों से अन्नामलाई के भविष्य को लेकर अटकलें चेन्नई और दिल्ली दोनों जगह राजनीतिक चर्चाओं का मुख्य विषय बनी हुई थीं। हालांकि अफवाहें बढ़ती ही जा रही थीं, लेकिन अन्नामलाई ने आमतौर पर ऐसी अटकलों को शांत करने के लिए दिए जाने वाले स्पष्ट खंडन से परहेज किया।

भाजपा के अंदरूनी हलकों में, चर्चा धीरे-धीरे इस बात से हटकर कि अन्नामलाई नाखुश थे या नहीं, इस बात पर केंद्रित हो गई कि वास्तव में वह क्या चाहते थे। पार्टी के आंतरिक मामलों से परिचित कई नेताओं ने बताया कि अन्नामलाई ने पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को जो संदेश दिया था, वह संक्षेप में दो विकल्पों तक सीमित हो गया था: या तो उन्हें उस पद पर बहाल किया जाए जहां वे कम से कम सात वर्षों के लिए दीर्घकालिक स्वायत्तता और अधिकार के साथ तमिलनाडु में भाजपा का नेतृत्व कर सकें, या उन्हें एक अलग राजनीतिक मार्ग अपनाने की अनुमति दी जाए।

व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर 42 रुपए महंगा

घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 913 रुपए ही है, जो मार्च की शुरुआत से लागू है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। पिछले महीने इनमें लगभग 7.50 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई थी।अंतरराष्ट्रीय उड़ान संचालित करने वाली विमानन कंपनियों के लिए विमान ईंधन (एटीएफ) की कीमतों में सोमवार को 27 फीसद की भारी कटौती की गई जिससे इन्हें बड़ी राहत मिलेगी।

घरेलू कंपनियों के लिए एटीएफ दरों में लगातार दूसरे महीने कोई बदलाव नहीं किया गया। उद्योग सूत्रों के अनुसार, इस कटौती से अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के लिए विमान ईंधन की कीमत 400 डालर प्रति किलोलीटर से अधिक घटकर करीब 1,100 डालर प्रति किलोलीटर रह गई। इन विमानन कंपनियों के लिए एटीएफ दरें एक मई को 76.55 डालर बढ़ाकर 1,511.86 डालर प्रति किलोलीटर की गई थीं।

बंगाल : 35 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ

कोलकाता, 1 जून (भाषा)।

भाजपा विधायक स्वपन दासगुप्ता, तापस राय और शंकर घोष उन 35 विधायकों में शामिल हैं, जिन्होंने पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल के विस्तार के तहत सोमवार को मंत्री पद की शपथ ली। विभागों का बंटवारा मंगलवार को किया जाएगा। राज्य में पहली भाजपा सरकार की विस्तारित मंत्रिपरिषद में भौगोलिक, जातीय और लैंगिक आधार पर सावधानीपूर्वक संतुलन स्थापित किया गया है।

बंगाल मंत्रिमंडल विस्तार, विभागों का बंटवारा आज।

राज्यपाल आरएन रवि ने यहां लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में 35 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, मंत्रिमंडल के मौजूदा सदस्य और राज्य प्रशासन के वरिष्ठ नौकरशाह उपस्थित थे। भाजपा के 13 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली, जबकि तीन को राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और 19 अन्य को राज्य मंत्री के रूप में मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया।

कैबिनेट मंत्री तापस राय ने बताया कि मंत्रियों के विभागों का बंटवारा बुधवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में होगा। मुख्यमंत्री के अलावा पांच कैबिनेट मंत्रियों ने नौ मई को शपथ ली थी। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या वर्तमान में 41 है, जो 294 सदस्यीय राज्य विधानसभा में संविधान द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा 44 से तीन कम है। मंत्रिपरिषद के सदस्य बंगाल के समाज के विभिन्न वर्गों से हैं। भाजपा ने बिधाननगर सीट जीतने वाले कैंसर रोग विशेषज्ञ शरदवत मुखर्जी और खरदाहा के प्रोफेसर कल्याण चक्रवर्ती को कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया है।

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते का पहला चरण लगभग तय

विश्वास जताया कि इन मुद्दों के सुलझने के बाद दोनों देश बीटीए के पहले चरण को अंतिम रूप देकर जल्द ही उस पर हस्ताक्षर करेंगे। वार्ता में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वहां के मुख्य वार्ताकार ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं, जबकि भारतीय टीम की कमान वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव दर्पण जैन के हाथों में है।

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार, बचे हुए मुद्दों पर पूरी स्पष्टता आने के बाद अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जैमीसन ग्रीर भारतीय वाणिज्य मंत्री से मुलाकात कर सकते हैं। इस बातचीत में अमेरिकी व्यापार कानून की धारा 301 के तहत लगाए गए शुल्क और इसके अंतर्गत चल रही जांच पर भी चर्चा होने की पूरी संभावना है।

दरअसल, अमेरिका की धारा 301 के तहत चल रही इस जांच के दायरे में भारत और चीन सहित दुनिया की लगभग 60 अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। गोयल ने कहा कि पहला चरण संपन्न होने के बाद एक अधिक व्यापक व्यापार समझौते की दिशा में आगे की बातचीत शुरू की जाएगी।

दिन भर नहीं चला सीबीएसई का पुनर्मूल्यांकन पोर्टल

आधिकारिक पोर्टल पर लगातार 'रखरखाव के अधीन' संदेश प्रदर्शित होता रहा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 1 जून।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की ओर से पुनर्मूल्यांकन और सत्यापन प्रक्रिया शुरू करने की घोषित तिथि बाद भी सोमवार को दिन भर पोर्टल नहीं खुला। सीबीएसई के आधिकारिक पोर्टल पर लगातार 'रखरखाव के अधीन' संदेश प्रदर्शित होता रहा। इससे हजारों विद्यार्थी हलकान रहे। वे इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए प्रतीक्षारत रहे।

सीबीएसई सूत्रों ने कहा कि पुनर्मूल्यांकन पोर्टल जल्द चालू होने की उम्मीद है। पोर्टल को विद्यार्थियों के लिए सक्रिय करने से पहले तकनीकी और भुगतान संबंधी कार्य पूरे किए जा रहे हैं। सीबीएसई ने यह कहते हुए कि वह विद्यार्थियों के लिए एक सुचारु और त्रुटिरहित अनुभव सुनिश्चित करना चाहता है। पहले पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया को स्थगित कर दिया था। सूत्रों के अनुसार, बोर्ड वर्तमान में आवेदकों के लिए पोर्टल खोलने से पहले सिस्टम को तकनीकी रूप से त्रुटिरहित बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। अधिकारियों द्वारा पोर्टल की कार्यक्षमता और भुगतान एकीकरण से संबंधित अंतिम जांच की जा रही है ताकि आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के बाद कोई व्यवधान न हो। इस देरी से विद्यार्थियों में चिंता पैदा हो गई है, खासकर इंजीनियरिंग प्रवेश के अगले चरण की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों में।

12वीं कक्षा के जो भी विद्यार्थी अपने अंकों से संतुष्ट नहीं हैं, वे स्कैन कापियों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

जेईई काउंसलिंग दो जून से शुरू होने वाली है और सीबीएसई के पुनर्मूल्यांकन पोर्टल सही से काम नहीं कर रहा है। कई विद्यार्थी उम्मीद कर रहे हैं कि अंकों के पुनर्मूल्यांकन या सत्यापन से उन्हें अपने स्कोर में सुधार करने और कुछ इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश के लिए आवश्यक 75 फीसद अंकों की आवश्यकता को पूरा करने में मदद मिल सकती है। परिणामस्वरूप, पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की देरी चिंता का विषय बन गई है।

कामधेनु वेंचर्स लिमिटेड

सीआईएनः L51909HR2019PLC089207
पंजीकृत कार्यालयः द्वितीय तल, टावर ए, बिल्डिंग नंबर 9, डीएलएफ साइबर सिटी, फेज–III, गुरुग्राम (हरियाणा)–122002
फोनः 91-124-4604500
ईमेलः cs@kamdhenupaints.com वेबसाइटः www.kamdhenupaints.com

भौतिक प्रतिभूतियों के हस्तांतरण और अभौतिकीकरण के लिए विशेष विंडो

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि सेबी परिपत्र एचओ/38/13/11(2)2026–एमआईआरएसडी–पीओडी/आई/3750/2026 दिनांकित 30 जनवरी, 2026 के अनुसरण में भौतिक प्रतिभूतियों के हस्तांतरण एवं विभौतिकीकरण के लिए एक विशेष विंडो 5 फरवरी, 2026 से 4 फरवरी, 2027 तक एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए खोली गयी है। यह सुविधा उन लॉजमेंट डीड के लिए उपलब्ध है जो 1 अप्रैल, 2019 से पहले निष्पादित किए गए थे और (i) हस्तांतरण के लिए दर्ज नहीं किए गए थे, या (ii) हस्तांतरण के लिए फाइल की गई थी, लेकिन दस्तावेजों/प्रक्रिया/या किसी और कमी के चलते अस्वीकृत कर दी गई/वापस कर दी गई/उन पर ध्यान नहीं दिया गया था। तदनुसार, 1 अप्रैल, 2019 से पहले निष्पादित वैध हस्तांतरण विलेख धारक प्रतिभूति धारकों से आवश्यक दस्तावेजों, मूल प्रतिभूति प्रमाणपत्र सहित इसे कंपनी के आरटीए नामतः स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, डी–153ए, पहला तल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज–I, नई दिल्ली–110020, दूरभाषः 011–40450193–97 और 011–26812682–83, ईमेल आईडीः admin@skylinerta.com के पास जमा करने की मांग की जाती है।
कृपया ध्यान दें कि इस तरह हस्तांतरित की गई प्रतिभूतियां हस्तांतरितों को केवल डीमैट मोड में ही क्रेडिट की जाएंगी और ये हस्तांतरण के पंजीकरण की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए लॉक–इन रहेंगी। उपरोक्त लॉक–इन पीरियड के दौरान, ऐसी प्रतिभूतियों को हस्तांतरित/ग्रहणाधिकार मार्क/बंधक नहीं किया जाएगा।

वास्ते कामधेनु वेंचर्स लिमिटेड
हस्ता./–
[illegible]
दिनांक : 01–06–2026 — कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी
स्थान : गुरुग्राम — एसीएस : 73881

पैरामाउंट कम्युनिकेशंस लिमिटेड

PARAMOUNT WIRES & CABLES
सीआईएनः L74899DL1994PLC061295
पंजीकृत कार्यालयः [illegible]
फोनः 011-45618800
ईमेलः pcl@paramountcables.com, वेबसाइटः www.paramountcables.com

असाधारण आम बैठक की सूचना में संशोधन

पैरामाउंट कम्युनिकेशंस लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों को इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक 13 मई, 2026 की सूचना के संदर्भ में कंपनी की असाधारण आम बैठक ("ईजीएम") ("ईजीएम सूचना") का आयोजन किया जा रहा है, जो शनिवार, 06 जून, 2026 को दोपहर 12:30 बजे (भारतीय समयानुसार) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") / अन्य ऑडियो–विजुअल माध्यमों ("ओएवीएम") के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जिसमें सदस्यों की शारीरिक उपस्थिति नहीं होगी, और इसमें निर्धारित कार्यों पर चर्चा की जाएगी।
उक्त ईजीएम नोटिस कंपनी के सभी सदस्यों को 15 मई, 2026 को कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम"), उसके तहत बनाए गए नियमों और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए") और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ("एसईबीआई") द्वारा जारी किए गए लागू परिपत्रों (सामूहिक रूप से "परिपत्र" के रूप में संदर्भित) के प्रावधानों के विधिवत अनुपालन में भेजा गया था।
सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कंपनी ने प्रस्तावित 2,19,97,664 (दो करोड़ उन्नीस लाख सत्तानवे हजार छह सौ चौंसठ) इक्विटी शेयरों और 72,00,000 (बहत्तर लाख) गैर–सूचीबद्ध परिवर्तनीय वारंटों के अधिमान्य निर्गमन के लिए स्टॉक एक्सचेंजों से सैद्धांतिक स्वीकृति हेतु आवेदन प्रस्तुत किए हैं, जिसके लिए स्टॉक एक्सचेंजों की स्वीकृति मांगी जा रही है। इसके बाद, कंपनी को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ("एनएसई") से कुछ आपत्तियां प्राप्त हुई हैं।
तदनुसार, ईजीएम नोटिस में यह शुद्धिपत्र ("शुद्धिपत्र") जारी किया गया है और कंपनी के उन सदस्यों को 01 जून, 2026 को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजा गया है जिनके नाम 30 मई, 2026 तक सदस्य रजिस्टर/लाभार्थी मालिकों की सूची में दर्ज हैं, और जिनके ईमेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं। यह शुद्धिपत्र एनएसई द्वारा प्राप्त टिप्पणियों के अनुरूप और एसईबीआई (पूंजी निर्गमन और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2018 ("आईसीडीआर विनियम"), अधिनियम के लागू प्रावधानों, उसके तहत बनाए गए नियमों और एमसीए द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसार, ईजीएम नोटिस के मद संख्या 1 और 2 के व्याख्यात्मक विवरण में कुछ संशोधन और अद्यतन प्रदान करता है।
यह शुद्धिपत्र मूल ईजीएम सूचना का अभिन्न अंग है और इसे उसके साथ पढ़ा जाना चाहिए। ईजीएम सूचना की अन्य सभी सामग्री, कंपनी द्वारा जारी शुद्धिपत्र के माध्यम से संशोधित या स्पष्ट किए गए प्रावधानों को छोड़कर, अपरिवर्तित रहेंगी।
शुद्धिपत्र स्टॉक एक्सचेंजों, बीएसई लिमिटेड ("बीएसई") की वेबसाइट www.bseindia.com और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ("एनएसई") की वेबसाइट www.nseindia.com पर तथा कंपनी की वेबसाइट www.paramountcables.com और एमयूएफजी इंटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट www.in.mpms.mufg.com पर उपलब्ध है।

पैरामाउंट कम्युनिकेशंस लिमिटेड के लिए
हस्ताक्षर/–
राशि गोयल
स्थानः दिल्ली — कंपनी सचिव
दिनांकः 01.06.2026 — सदस्यता संख्याः एफसीएस 9577

सार्वजनिक सूचना

सभी संबंधितों को यह नोटिस दिया गया है और आम जनता को यह सूचित किया जाता है कि कंपनी को प्रस्तावित वाणिज्यिक भवन का निर्माण के लिए 21/29/2025 –आईए–III दिनांक 27/05/2026 को भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ("एमओईएफ") द्वारा पर्यावरण मंजूरी जारी की गई है। प्लॉट संख्या एपी–03–03, एयरोसिटी डाउनटाउन डिस्ट्रिक्ट, एयरोसिटी, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली। उक्त पर्यावरण मंजूरी की प्रतियां एमओईएफसीसी/एसईआईएए परिवेश पोर्टल की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं https://parivesh.nic.in

Sd/-
M/s Zagros Developers Limited
3rd Floor, Worldmark 2, Asset 8, Aerocity, New Delhi – 110037
Phone No.: 011-41384000

ग्रीनलैम इंडस्ट्रीज लिमिटेड

Greenlam — www.greenlamindustries.com
पंजीकृत तथा कारपोरेट कार्यालयः 203, 2' फ्लोर, वेस्ट विंग, वर्ल्डमार्क 1, एरोसिटी, आईजीआई एयरपोर्ट, हॉस्पिटैलिटी डिस्ट्रिक्ट, नई दिल्ली– 110037, भारत
फोनः +91–11–4279–1399; CIN: L21016DL2013PLC386045
ईमेलः investor.relations@greenlam.com; वेबसाइटः www.greenlamindustries.com

भौतिक शेयरों के हस्तांतरण अनुरोध को पुनः दर्ज करने के लिए विशेष विंडो

सेबी परिपत्र संख्या एचओ/38/13/11(2)2026– एमआईआरएसडी–पीओडी/आई/3750/2026 दिनांक 30 जनवरी, 2026 के अनुसार, केवल भौतिक प्रतिभूतियों के हस्तांतरण और डीमैटरियलाइजेशन ("डीमैट") के लिए **05 फरवरी, 2026 से 04 फरवरी, 2027** तक एक वर्ष की अवधि के लिए भौतिक प्रतिभूतियों के हस्तांतरण और डीमैटरियलाइजेशन ("डीमैट") के लिए एक विशेष विंडो फिर से खोली गई है, जिन्हें 01 अप्रैल, 2019 से पहले बेचा/खरीदा गया था और कंपनी/इसके रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट ("आरटीए") द्वारा दस्तावेजों/प्रक्रिया/अन्यथा में कमियों के कारण अस्वीकार/वापस कर दिया गया/विचार नहीं किया गया। इस प्रकार हस्तांतरित किए गए शेयरों को केवल डीमैट मोड में अंतरिती को अनिवार्य रूप से जमा किया जाएगा और हस्तांतरण के पंजीकरण की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए लॉक–इन अवधि के तहत होगा। ऐसी प्रतिभूतियों को उक्त लॉक–इन अवधि के दौरान हस्तांतरित/ग्रहणाधिकार–चिह्नित/गिरवी नहीं रखा जाएगा।
पात्र शेयरधारक आवश्यक दस्तावेजों के साथ कंपनी रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट, एमयूएफजी इंटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जिसे पहले लिंक इंटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) को ई–मेलः delhi@in.mpms.mufg.com पर अपना अनुरोध प्रस्तुत कर सकते हैं।
शेयरधारकों को यह भी याद दिलाया जाता है कि वे अपने लावारिस लाभांश का दावा करें, जिनका सात वर्षों के भीतर दावा नहीं किया है, अन्यथा लाभांश और संबंधित शेयर दोनों नियामक मानदंडों के अनुसार निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (आईईपीएफए) को हस्तांतरित कर दिए जाएंगे।
यह सूचना www.greenlamindustries.com, www.nseindia.com और www.bseindia.com पर भी देखी जा सकती है।

कृते ग्रीनलैम इंडस्ट्रीज लिमिटेड
हस्ता/–
प्रकाश कुमार बिस्वाल
दिनांकः 01 जून, 2026 — कंपनी सचिव और
स्थानः नई दिल्ली — वरिष्ठ उपाध्यक्ष– कानूनी

Mikasa Mikasa Mikasa Mikasa Mikasa MFC

स्पेक्ट्रम टैलेंट मैनेजमेंट लिमिटेड,

पंजीकृत कार्यालयः बी–46, रिट्रीट अपार्टमेंट्स, 20, आई.पी. एक्सटेंशन, नई दिल्ली–110092
सीआईएनः L51100DL2012PLC235573 फोनः 0120-4258857
ईमेलः cs@stmpl.co.in वेबसाइटः www.stmpl.co.in

डाक मतपत्र सूचना

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 108 और 110 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और 22 (समय–समय पर संशोधित),कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इस संबंध में जारी सामान्य परिपत्र संख्या 03/2025 दिनांक 22 सितंबर, 2025 एवं अन्य प्रासंगिक परिपत्रों (एमसीए परिपत्र), एसईबीआई (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 और ऐसे अन्य लागू कानूनों और विनियमों के तहत, स्पेक्ट्रम टैलेंट मैनेजमेंट लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों से दिनांक 27 मई, 2026 की डाक मतपत्र सूचना ("डाक मतपत्र सूचना") में उल्लिखित प्रस्तावों पर केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों ("ई–वोटिंग") से मतदान द्वारा अनुमोदन प्राप्त करने के लिए सूचित किया जाता है।

अतः सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि :

क) कंपनी ने सोमवार, 1 जून, 2026 को उन सभी सदस्यों को डाक मतपत्र सूचना का ऑनलाइन प्रेषण (केवल ईमेल के माध्यम से) पूरा कर लिया है, जिनके नाम सदस्य रजिस्टर/लाभार्थी स्वामित्व सूची में दर्ज हैं और जिन्होंने कंपनी के डिपॉजिटरी/कंपनी/रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) द्वारा शुक्रवार, 22 मई, 2026 ("कट–ऑफ तिथि") तक पंजीकृत ईमेल पते दर्ज किए हैं। यह प्रेषण अधिनियम के प्रावधानों, उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किए गए लागू परिपत्रों ("एमसीए परिपत्र") के अनुसार किया गया है,

ख) एमसीए परिपत्रों के अनुसार, कंपनी अपने सदस्यों को नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") द्वारा प्रदान की गई ई–मतदान प्रक्रिया के माध्यम से केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है और सभी लेनदेन केवल इसी ई–मतदान प्रणाली के माध्यम से किए जाएंगे,

ग) डाक मतपत्र के लिए ई–मतदान बुधवार, 3 जून, 2026 (सुबह 9.00 बजे भारतीय समय) से शुरू होगा और गुरुवार, 2 जुलाई, 2026 (शाम 5.00 बजे भारतीय समय) को समाप्त होगा और उक्त समय और तिथि के बाद ई–मतदान मॉड्यूल की अनुमति नहीं होगी। एक बार किसी प्रस्ताव पर सदस्य द्वारा मतदान कर दिए जाने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं होगी,

घ) सदस्यों के मतदान अधिकार कट–ऑफ तिथि तक कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके हिस्से के अनुपात में होंगे। जो व्यक्ति कट–ऑफ तिथि तक सदस्य नहीं है, उसे इस डाक मतपत्र सूचना को केवल सूचना के उद्देश्य से समझना चाहिए,

ङ) अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ई–वोटिंग प्रक्रिया के लिए,कंपनी ने कंपनी रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (आरटीए) के साथ ईमेल पते के पंजीकरण हेतु उचित व्यवस्था की है। सदस्य अपना ईमेल पंजीकरण अनुरोध कंपनी को बे/जउचसणबवण्पद पर, या अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स (डीपी) को,या आरटीए को कउपद/ॅलसपदमतजंण्बवउ पर भेज सकते हैं,

च) निदेशक मंडल ने श्री कृष्णा राठी, प्रोप्राइटर – कृष्णा राठी एंड एसोसिएट्स, पूर्णकालिक कंपनी सचिव को डाक मतपत्र ई–वोटिंग की जांच के लिए स्क्रूटिनाइजर नियुक्त किया है,

छ) डाक मतपत्र सूचना कंपनी की वेबसाइट https://www.stmpl.co.in/investors/ ,एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting. nsdl.com और स्टॉक एक्सचेंज यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com पर उपलब्ध है,

ज.) ई–वोटिंग का परिणाम रिमोट ई–वोटिंग अवधि की समाप्ति तिथि से दो कार्य दिवसों के भीतर घोषित किया जाएगा और कंपनी की वेबसाइट https://www.stmpl.co.in/investors/ पर उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा, इसकी सूचना एनएसडीएल, स्टॉक एक्सचेंज और आरटीए को भी दी जाएगी,

झ) ई–वोटिंग की प्रक्रिया को समझने के लिए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे डाक मतपत्र सूचना के नोट्स पढ़ें या www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (थ्।फे) को देखें या एनएसडीएल की सहायक उपाध्यक्ष सुश्री पल्लवी म्हात्रे से टोल–फ्री नंबर 022–4886 7000 और 022–2499 7000 पर संपर्क करें या evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेजें,

ट.) किसी भी शिकायत या प्रश्न के लिए, सदस्य कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी श्री आलोक पांडे को cs@stmpl.co.in पर या आरटीए को admin@skylinerta.com पर लिख सकते हैं।

बोर्ड के आदेशानुसार
स्पेक्ट्रम टैलेंट मैनेजमेंट लिमिटेड के लिए
हस्ताक्षर/–
दिनांक : 1 जून, 2026 — आलोक पांडे
स्थान : नोएडा — कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

तेजस कार्गो इंडिया लिमिटेड

(पूर्व में तेजस कार्गो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ज्ञात)
सीआईएन : L60230HR2021PLC094052
पंजीकृत तथा कॉर्पोरेट कार्यालय : तृतीय तल, टावर बी, वाटिका माइंडस्केप 12/3, मथुरा रोड, सेक्टर–27डी, एनएच–2, फरीदाबाद, हरियाणा, 121003, भारत
दूरभाष : +91129–4144812, वेबसाइट : https://www.tcipl.in/,
ई–मेल : compliance.officer@tcipl.in

पोस्टल बैलट की सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम 2013, यथा संशोधित ("अधिनियम") की धारा 108 तथा 110 के प्रावधानों तथा यदि कोई अन्य लागू प्रावधान हों, के अंतर्गत कंपनी (प्रबंधन तथा प्रशासन) नियम, 2014, यथा संशोधित के नियम 20 तथा 22, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 03/2025 तिथि सितंबर 22, 2025 ("एमसीए परिपत्र"), भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा सामान्य बैठकों पर जारी सचिवीय मानक ("एसएस–2"), सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 के विनियम 44 तथा 47 एवं किसी भी अन्य लागू नियमों, कानूनों, परिपत्रों, अधिसूचनाओं तथा विनियमों (जिसमें वर्तमान में लागू कोई भी सांविधिक संशोधन या उसका पुनः अधिनियमन शामिल है) के अनुसरण में, केवल रिमोट ई–वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से पोस्टल बैलट द्वारा प्रस्ताव पारित करके नीचे दिए गए व्यवसाय को निष्पादित करने के लिए कंपनी के सदस्यों की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु सूचना दी जाती है।

क्र.सं.	प्रस्ताव का प्रकार	प्रस्ताव का विवरण
1.	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(ग) के अंतर्गत बोर्ड की ऋण लेने की शक्तियों में वृद्धि को मंजूरी देना।	विशेष प्रस्ताव
2.	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(क) के अंतर्गत कंपनी की परिसंपत्तियों/ संपत्तियों आदि पर बंधक/ प्रभार सृजित करने के लिए बोर्ड को प्राधिकृत तथा सशक्त करना।	विशेष प्रस्ताव

लागू परिपत्रों के अंतर्गत पोस्टल बैलट सूचना तथा पोस्टल बैलट फॉर्म की भौतिक प्रति भेजने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। व्यवसाय को केवल ई–वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से पोस्टल बैलट द्वारा निष्पादित किया जाना है तथा सदस्यों की सहमति या असहमति की सूचना केवल ई–वोटिंग के माध्यम से ही प्राप्त होगी।
सदस्यों के मतदान अधिकार उनके द्वारा धारित इक्विटी शेयरों के आधार पर गिने जाएंगे, जिसके लिए निर्धारित कट–ऑफ तिथि अर्थात् मई 22, 2026 तय की गई है। जो व्यक्ति कट–ऑफ तिथि को सदस्य नहीं है, उसे इस सूचना को केवल जानकारी के उद्देश्य से मानना चाहिए।
कंपनी ने सभी सदस्यों को ई–वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") की सेवाएं ली हैं। सदस्यों से अनुरोध है कि वे ध्यान दें कि ई–वोटिंग मंगलवार, जून 02, 2026 को (प्रातः 9.00 बजे) से आरंभ होगी तथा बुधवार, जुलाई 01, 2026 को (सायं 5.00 बजे) समाप्त होगी, जिसके बाद ई–वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा।
कंपनी के निदेशक मंडल ("बोर्ड") ने निष्पक्ष तथा पारदर्शी तरीके से रिमोट ई–वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से पोस्टल बैलट का संचालन करने के लिए संवीक्षक ("स्क्रूटिनाइजर") के रूप में मैसर्स अभिषेक गुप्ता एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव, को नियुक्त किया है।
पोस्टल बैलट सूचना कंपनी की वेबसाइट अर्थात् www.tcipl.in पर तथा नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।
पोस्टल बैलट के परिणाम की घोषणा अध्यक्ष या उनके द्वारा प्राधिकृत किसी भी व्यक्ति द्वारा ई–वोटिंग अवधि की समाप्ति से 48 घंटे के भीतर अर्थात् शुक्रवार, जुलाई 03, 2026 को या उससे पहले स्टॉक एक्सचेंज पर की जाएगी, जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, तथा इसे संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ कंपनी की वेबसाइट अर्थात् www.tcipl.in पर तथा नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर प्रदर्शित किया जाएगा।
जिन सदस्यों ने अभी तक अपना ई–मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, उनसे अनुरोध है कि वे कंपनी/आरटीए को सीधे ई–मेल भेजकर अपना ई–मेल पता पंजीकृत कराएं।
किसी भी प्रश्न की स्थिति में, आप शेयरधारकों के लिए प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) तथा शेयरधारकों के लिए ई–वोटिंग उपयोगकर्ता नियमावली का संदर्भ ले सकते हैं जो www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग पर उपलब्ध है या 022–4886 7000 पर कॉल कर सकते हैं या evoting@nsdl.co.in पर एक अनुरोध भेज सकते हैं।
सदस्यों से अनुरोध है कि वे पोस्टल बैलट की सूचना में दिए गए सभी नोटों को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा विशेष रूप से, पोस्टल बैलट प्रक्रिया के दौरान रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के अनुदेशों/अनुविधियों को पढ़ें।

कृते तेजस कार्गो इंडिया लिमिटेड
हस्ता./–
रवीना गुप्ता
स्थान : फरीदाबाद — कंपनी सचिव तथा अनुपालन अधिकारी
तिथि : जून 02, 2026 — सदस्यता सं.: ए46718

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

बीएचईएल BHEL
सीआईएनः L74899DL1964GOI004281
पंजीकृत कार्यालयः "बीएचईएल हाउस", सीरी फोर्ट, नई दिल्ली–110049
दूरभाषः 011–66337598
वेबसाइटः www.bhel.com, ई–मेलः shareholderquery@bhel.in

नोटिस

(कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों के ध्यान के लिए)
विषयः भौतिक प्रतिभूतियों के हस्तांतरण और डीमैट करने के लिए विशेष अवसर

सेबी के 30 जनवरी 2026 के परिपत्र के अनुसार, भौतिक इक्विटी शेयरों के हस्तांतरण और डीमैट के लिए एक विशेष अवसर का प्रबंध किया गया है जहाँ ट्रांसफर डीड (हस्तांतरण विलेख) 01 अप्रैल 2019 से पहले निष्पादित की गयी है।
यह विशेष अवसर एक वर्ष की अवधि के लिए, यानी **05 फरवरी 2026 से 04 फरवरी 2027** तक उपलब्ध रहेगा। इस अवधि के दौरान प्राप्त सभी पात्र अनुरोधों को केवल डीमैट रूप में संसाधित किया जाएगा।
उपर्युक्त परिपत्र के अनुसार, 01 अप्रैल 2019 से पहले निष्पादित वैध ट्रांसफर डीड रखने वाले पात्र शेयरधारक अपने अनुरोध, आवश्यक दस्तावेजों के पूर्ण सेट के साथ, कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट को नीचे दिए गए पते पर जमा कर सकते हैं:
श्री विनोद यादव, मैसर्स बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
यूनिटः भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, कार्यालय नंबर S6–2, 6वीं मंजिल, पिनेकल बिजनेस पार्क, अहुरा सेंटर के नजदीक, महाकाली केव्स रोड, अंधेरी (पूर्व) मुंबई–400093
दूरभाषः 022–62638200 ई–मेलः **investor@bigshareonline.com**
वेबसाइटः **www.bigshareonline.com**
वैकल्पिक रूप से, शेयरधारक हमसे **shareholderquery@bhel.in** पर संपर्क कर सकते हैं।

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की ओर से
हस्ता/–
स्थानः नई दिल्ली — डॉ. योगेश आर छाबड़ा
दिनांकः 1 जून 2026 — कंपनी सचिव

ओके प्ले इंडिया लिमिटेड

OK PLAY
सीआईएन नं.: L28219HR1988PLC030347
पंजीकृत कार्यालय : 17–18, रोज–का–मेयो इंडस्ट्रियल एस्टेट, तहसील नूंह, जिला मेवात, हरियाणा – 122103
वेबसाइट : www.okplay.in, ईमेल : info@okplay.in
दूरभाष : 011 41219090, फैक्स : 01146190090

31 मार्च, 2026 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष के पृथक एवं समेकित अंकेक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण

कंपनी के निदेशक मंडल ने 30 मई, 2026 को आयोजित बैठक में 31 मार्च, 2026 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष के कंपनी के पृथक एवं समेकित अंकेक्षित वित्तीय परिणामों का अनुमोदन किया है।
परिणाम, अंकेक्षकों की सीमित समीक्षा रिपोर्ट के साथ कंपनी की वेबसाइट https://cdn.shopify.com/s/files/1/0940/8698/8090/files/Board_Meeting_-30_May_2026.pdf?v=1780313902 पर प्रदर्शित किये गये हैं तथा क्यूआर कोड को स्कैन करके देखे जा सकते हैं।

बोर्ड के आदेशानुसार
कृते ओके प्ले इंडिया लिमिटेड
हस्ता./–
राजन हांडा
तिथि : 30–05–2026
स्थान : सोहना — प्रबंध निदेशक

नोट : उपरोक्त सूचना सेबी (सूचीबद्धता दायित्व तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियम 47(1) के साथ पठित विनियम 33 के अनुसार है।

एसएमसी क्रेडिट्स लिमिटेड

24, अशोका चैम्बर्स, 5–बी, राजिन्द्रा पार्क, पूसा रोड, नई दिल्ली–110060
सीआईएनः L65910DL1992PLC049566
ईमेल आईडीः smccorp011@gmail.com

31 मार्च, 2026 को समाप्त चौथी तिमाही और वर्ष के लिए लेखापरीक्षित एकल वित्तीय परिणामों का विवरण

कंपनी के निदेशक मंडल ने 30 मई, 2026 को सम्पन्न बैठक में, 31 मार्च, 2026 को समाप्त चौथी तिमाही और वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम अनुमोदित कर दिए हैं।
ये परिणाम स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट नामतः www.bseindia.com (URL : https://www.bseindia.com/xml-data@corpfiling/AttachLive/de3a1f53-960a&4a25-bd1d-df62d0fe8ac7-pdf) और कंपनी की वेबसाइट नामतः www.smccredits.com (URL :& https://www.smccredits.com/ productpic-ture/138SMC%20Audited%20Result%20Year%20E nded%20FY%202025&26-compressed%20(1).pdf) पर उपलब्ध हैं।
उक्त परिणाम दिए गए क्विक रिस्पॉन्स कोड को स्कैन करके भी देखे जा सकते हैं :

बोर्ड के आदेश द्वारा
एसएमसी क्रेडिट्स लिमिटेड के लिए
हस्ता./–
राजेश गोयनका
स्थान : नई दिल्ली — पूर्ण कालिक निदेशक एवं सीएफओ
दिनांक : 30 मई, 2026 — डीआईएन : 00296227

नोट – उपर्युक्त सूचना सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 47(1) के साथ पठित विनियम 33 के अनुसार है

हिंदुस्तान इंसुलेटर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड

सीआईएनः L31300DL1959PLC003141
पंजीकृत कार्यालयः कंचनजंगा, सातवीं मंजिल, 18, बाराखंबा रोड, नई दिल्ली, 110001, भारत,
टेलीफोनः +91–11–23310001, 02, 04 और 05, वेबसाइटः www.hindusthaninsulators.com,
ईमेलः investors@hindusthan.co.in

डाक मतपत्र और दूरस्थ ई–मतदान की सूचना

हिंदुस्तान इंसुलेटर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड (श्कंपनीश) के सदस्यों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 108 और 110 के अनुसार, कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और नियम 22 (संशोधित रूप में) और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 44, सामान्य परिपत्र संख्या 09/2024 दिनांक 19 सितंबर, 2024, 03/2025 दिनांक 22 सितंबर, 2025 और इस संबंध में भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किए गए अन्य सभी प्रासंगिक परिपत्रों ("एमसीए परिपत्र") और अधिनियम, नियमों, परिपत्रों और उसके अंतर्गत जारी अधिसूचनाओं (समय–समय पर लागू किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनःअधिनियमन सहित) के अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, 27 मई, 2026 को जारी डाक मतपत्र सूचना में उल्लिखित बोनस शेयरों के निर्गमन से संबंधित साधारण प्रस्ताव को डाक मतपत्र/इलेक्ट्रॉनिक मतदान के माध्यम से पारित करने हेतु कंपनी के सदस्यों के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तावों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों और ई–मतदान के निर्देशों को दर्शाने वाला विस्तृत व्याख्यात्मक विवरण उक्त डाक मतपत्र/ई–मतदान सूचना (सूचना') में दिया गया है।
डाक मतपत्र सूचना, स्पष्टीकरण और दूरस्थ ई–मतदान के लिए निर्देश, कंपनी के उन सदस्यों को सोमवार, 1 जून, 2026 को केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजे गए हैं, जिनके नाम डिपॉजिटरी से प्राप्त शुक्रवार, 29 मई, 2026 (श्कट–ऑफ तिथिश) तक सदस्य रजिस्टर/लाभार्थी मालिक रजिस्टर में दर्ज हैं और जिनका ई–मेल पता कंपनी/रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत है। इस डाक मतपत्र सूचना की प्रति कंपनी की वेबसाइट www.hindusthaninsulators.com, बीएसई लिमिटेड ('स्टॉक एक्सचेंज') की वेबसाइट www.bseindia.com और एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।
कंपनी ने अपने सदस्यों को ई–वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की सेवाएं ली हैं। दूरस्थ ई–वोटिंग मंगलवार, 2 जून, 2026 को सुबह 9: 00 बजे (भारतीय समयानुसार) शुरू होगी और बुधवार, 1 जुलाई, 2026 को शाम 5:00 बजे (भारतीय समयानुसार) समाप्त होगी। इस तिथि और समय के बाद ई–वोटिंग की अनुमति नहीं होगी और उक्त अवधि समाप्त होने पर नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड द्वारा ई–वोटिंग मॉड्यूल को तुरंत निष्क्रिय कर दिया जाएगा। एक बार किसी सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर अपना वोट डालने के बाद, उसे बाद में अपना वोट बदलने की अनुमति नहीं होगी।
जिन सदस्यों ने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, उनसे अनुरोध है कि वे इसे (प) उस डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (ओं) के पास पंजीकृत कराएं जहां उनके डीमैट खाते हैं, यदि शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में हैं और (पप) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य, जिन्होंने कंपनी के साथ अपना ईमेल पता पंजीकृत/अद्यतन नहीं कराया है, उनसे अनुरोध है कि वे अपना ईमेल पता पंजीकृत/अद्यतन करें। इसके लिए उन्हें फॉर्म आईएसआर–1 (कंपनी की वेबसाइट www.hindusthaninsulators.com पर उपलब्ध) को विधिवत भरकर और हस्ताक्षर करके आवश्यक सहायक दस्तावेजों के साथ स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, डी–153ए, प्रथम मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज– I, नई दिल्ली–110020 को जमा करना होगा।
एसईबीआई (पूंजी निर्गमन एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2018 के अनुसार, बोनस निर्गमन के तहत आवंटित किए जाने वाले नए इक्विटी शेयर केवल डीमैटरियलाइज्ड रूप में ही आवंटित किए जाएंगे और संबंधित डीमैट खाते में जमा किए जाएंगे। इसे ध्यान में रखते हुए, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने शेयरों को डीमैटरियलाइज्ड करवा लें या जिन शेयरधारकों का डीमैट खाता विभिन्न कारणों से निष्क्रिय है, उनसे अनुरोध है कि वे अपना डीमैट खाता सक्रिय कर लें। उक्त आवश्यकताओं को कंपनी द्वारा इस उद्देश्य के लिए निर्धारित रिकॉर्ड तिथि तक या उससे पहले पूरा करना आवश्यक है, जिसकी घोषणा अलग से की जाएगी। भौतिक शेयरों को डीमैटरियलाइज्ड न करवाने या डीमैट खाते को निष्क्रिय करने पर बोनस शेयर कंपनी के सस्पेंस एस्क्रो डीमैट खाते में जमा हो जाएंगे, जहां इन बोनस इक्विटी शेयरों पर मतदान अधिकार निलंबित रहेंगे। सदस्य इस संबंध में सहायता के लिए कंपनी के आरटीए से संपर्क कर सकते हैं।
श्री नीरज शर्मा, जो कि प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी फर्म मेसर्स नीरज एंड एसोसिएट्स (सदस्यता संख्या 60713, सीओपीः 23057) के प्रोप्राइटर हैं, को रिमोट ई–वोटिंग प्रक्रिया की जांच करने और यह सुनिश्चित करने के लिए स्क्रूटिनाइजर के रूप में नियुक्त किया गया है कि रिमोट ई–वोटिंग मॉड्यूल के माध्यम से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से वोट डाले जाएं।
जांचकर्ता द्वारा पक्ष और विपक्ष में डाले गए कुल मतों की रिपोर्ट तैयार की जाएगी और इसे कंपनी के अध्यक्ष या उनके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति को शुक्रवार, 3 जुलाई, 2026 को या उससे पहले प्रस्तुत किया जाएगा। घोषित परिणाम, जांचकर्ता की रिपोर्ट सहित, बीएसई लिमिटेड ('**बीएसई**') को प्रस्तुत किए जाएंगे और कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किए जाएंगेय और कंपनी की वेबसाइट www.hindusthaninsulators.com पर भी उपलब्ध होंगे। कंपनी द्वारा दूरस्थ ई–मतदान की सुविधा प्रदान करने के लिए नियुक्त एनएसडीएल भी अपने वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर परिणाम प्रदर्शित करेगा।
किसी भी प्रश्न के लिए, आप www-evoting-nsdl-com के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ) और ई–वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल देख सकते हैं या 022–4886 7000 पर कॉल कर सकते हैं।

अंतिम लाभांश और रिकॉर्ड तिथि

शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल ने 27 मई, 2026 को आयोजित अपनी बैठक में 31 मार्च, 2026 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए 25% की दर से यानी 2 रुपये अंकित मूल्य वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर पर 0.50 रुपये का अंतिम लाभांश देने की सिफारिश की है, जो वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') में सदस्यों की स्वीकृति के अधीन है। यदि एजीएम में अंतिम लाभांश घोषित किया जाता है, तो इसका भुगतान (क) उन सदस्यों को किया जाएगा जिनके नाम रिकॉर्ड तिथि यानी शुक्रवार, 19 जून, 2026 को कंपनी के सदस्य रजिस्टर में दर्ज हैं और (ख) नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा रिकॉर्ड तिथि तक विमूर्त रूप में धारित शेयरों के संबंध में दिए गए सभी लाभकारी मालिकों को किया जाएगा।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार,
हिंदुस्तान इंसुलेटर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए
हस्ताक्षर/–
(नेहा केजरीवाल)
स्थानः नई दिल्ली, — कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी,
दिनांकः 1 जून, 2026 — सदस्यता संख्याः एफ12381

सैटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

Satin Housing Finance Ltd. THE ANSWER IS HOME
कॉर्पोरेट कार्यालयः प्लॉट नंबर 492, उद्योग विहार, फेज –3 गुरुग्राम हरियाणा–122016
पंजीकृत कार्यालयः 5वीं मंजिल, कुंदन भवन, आजादपुर कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स, आजादपुर, नई दिल्ली–110033

मांग सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत।
अधोहस्ताक्षरी, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (उक्त अधिनियम) के तहत सैटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत प्राधिकारी हैं। अधोहस्ताक्षरी वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (कथित अधिनियम) के तहत सैटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत प्राधिकारी हैं। प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित कथित अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में अधिकृत प्राधिकारी ने निम्नलिखित कर्जदार(रों) ('कथित कर्जदार(रों)') को उन्हें निर्गत सम्बन्धित मांग सूचनाओं जिन्हें नीचे भी दिया गया है, में उल्लिखित राशियों का पुनर्भुगतान करने को कहते हुए नीचे वर्णित तिथियों पर मांग सूचनाएं निर्गत की थीं। उपर्युक्त के सम्बन्ध में, एतद्वारा कथित कर्जदार(रों) को धारा 13(2) के तहत एक बार पुनः इस सूचना के प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर मांग सूचना में उल्लिखित राशि, कथित कर्जदार(रों) द्वारा क्रियान्वित अन्य दस्तावेजों/प्रलेखों, यदि कोई हो, के तहत देय नीचे वर्णित तिथि(यों) से भुगतान तथा/अथवा वसूली की तिथि तक कथित सूचनाओं में वर्णित के अनुसार भावी ब्याज सहित नीचे सूचित राशि तथा का नीचे उल्लिखित तिथि तक भुगतान करने के लिए कहते हुए सूचना दी जाती है। ऋण के बकाया पुनर्भुगतान हेतु प्रतिभूति के रूप में कथित कर्जदार(रों) द्वारा सैटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पास क्रमशः निम्नलिखित आस्तियां बंधक रखी गयी हैं।

क्र. सं.	कर्जदार(रों)/सह–कर्जदार(रों)/जमानती(यों) के नाम एवं ऋण खाता संख्या	मांग सूचना की तिथि तथा मांग सूचना की राशि
1	1. आदितेन्द्र भारतीय पुत्र सुरेंद्र भारतीय (कर्जदार) 2. कौशल्या भारतीय पत्नी सुरेंद्र भारतीय (सह–कर्जदार), 3. सुरेंद्र भारतीय पुत्र श्री राम भारतीय (सह–कर्जदार), सभी निवासी फ्लैट नंबर 53, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, स्ट्रीट नंबर 2, जयपुर रोड, अलवर, राजस्थान–301001, ऋण खाता संख्या – LAAWR0624-00011666 और LAAWR0624-00011627	27–05–2026 रु. 69,95,784/– (रुपये उनहत्तर लाख पचानवे हजार सात सौ चौरासी मात्र) दिनांक 09.06.2026 तक
	अचल संपत्ति का विवरणः– प्लॉट संख्या 52, खसरा संख्या 1276, 1277, 1278, 1280, 1281 में स्थित, जिसका क्षेत्रफल 244.44 वर्ग गज है, जोन 2, द फ्रेंड्स हाउसिंग को–ऑप. सोसाइटी, जयपुर रोड, ग्राम अलवर, तहसील अलवर, जिला अलवर। इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं– पूर्वः सड़क, पश्चिमः प्लॉट संख्या 59, उत्तरः प्लॉट संख्या 53, दक्षिणः प्लॉट संख्या 51. पंजीकरण तिथिः 11.03.2005, बही संख्या 01, जिल्द संख्या 683, पृष्ठ संख्या 63, क्रम संख्या 2005001076.	
2	1. भोपाल लाल जाट पुत्र बालू लाल जाट (कर्जदार) 2. गणेश लाल पुत्र बालू लाल (सह–कर्जदार) 3. बादाम जाट पत्नी गणेश लाल जाट (सह–कर्जदार) सभी निवासी 138, जाटों का मोहल्ला, होलीराडा, भीलवाड़ा, अकोला, राजस्थान–311603, ऋण खाता संख्या – LAB HL0825-00014077 और LABHL1025-00014433	25–05–2026 रु. 8,41,396/– (रुपये आठ लाख इकतालीस हजार तीन सौ छियानवे मात्र) दिनांक 09.06.2026 तक
	अचल संपत्ति का विवरणः– पट्टा संख्या 03, बही संख्या 40, खसरा संख्या 2773 में स्थित, जिसका क्षेत्रफल 2052 वर्ग फुट है, ग्राम पंचायत अकोला, होलीराडा, पंचायत समिति कोटड़ी, शाहपुरा, राजस्थान में स्थित। इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं– पूर्वः रामकुंवर (54 फुट), पश्चिमः सार्वजनिक मार्ग (54 फुट), उत्तरः गणेश पुत्र बालू जाट (38 फुट), दक्षिणः सार्वजनिक मार्ग (38 फुट)। पंजीकरण तिथिः 02.05.2025, बही संख्या 01, जिल्द संख्या 68, पृष्ठ संख्या 43, क्रम संख्या 202503255100511.	
3	1. छोटे लाल पुत्र गिर्राज प्रसाद (कर्जदार) 2. लक्ष्मी देवी पत्नी छोटे लाल (सह–कर्जदार) दोनों निवासी सैनी मोहल्ला, लक्ष्मणगढ़, अलवर, राजस्थान–321607 ऋण खाता संख्या – LARJG0524-00011333	23–05–2026, रु. 8,45,799/– (रुपये आठ लाख पैंतालीस हजार सात सौ निन्यानवे मात्र) दिनांक 09.06.2026 तक
	अचल संपत्ति का विवरणः– पट्टा संख्या 784 में स्थित संपत्ति, जिसका क्षेत्रफल 76.66 वर्ग गज है, खसरा संख्या 1454, माली मोहल्ला, लक्ष्मणगढ़, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर, राजस्थान में स्थित। इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं– पूर्वः समलाती गली और पूरन जाटव का मकान, पश्चिमः सार्वजनिक मार्ग और निकास, उत्तरः कमलेश सैनी का मकान, दक्षिणः दलचंद सैनी का मकान। पंजीकृत तिथिः 08.08.2023, पुस्तक संख्या 01, खंड संख्या 485, पृष्ठ संख्या 109, क्रम संख्या 202303245100432.	
4	1. ईश्वर लाल गुजर पुत्र भागू लाल गुर्जर (कर्जदार) 2. भंवरी गुर्जर पत्नी ईश्वर लाल गुर्जर (सह–कर्जदार) दोनों निवासी भादू पोस्ट भादू, तहसील मनाल, भीलवाड़ा, राजस्थान–311403 ऋण खाता संख्या – LABHL0523-00007969	25–05–2026, रु. 5,70,553/– (रुपये पाँच लाख सत्तर हजार पाँच सौ तिरपन मात्र) दिनांक 09.06.2026 तक
	अचल संपत्ति का विवरणः– संपत्ति जिसमें पट्टा संख्या 16, पुस्तक संख्या 95, आबादी क्षेत्र, ग्राम भालड़ी खेड़ा, ग्राम पंचायत बावड़ी, पंचायत समिति मांडल, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान शामिल है; जिसका क्षेत्रफल 848 वर्ग फुट है (तकनीकी रिपोर्ट के अनुसार)। इसकी सीमाएं निम्नानुसार हैं– पूर्वः रोशन पुत्र देवी लाल गुर्जर, पश्चिमः सुखदेव पुत्र मनरूप, उत्तरः सार्वजनिक मार्ग, दक्षिणः रास्ता। पंजीकृत तिथिः 03.11.2022, पुस्तक संख्या 01, खंड संख्या 105, पृष्ठ संख्या 63, क्रम संख्या 202203033103594.	
5	1. जाकिर मोहम्मद पुत्र उमराव पठान (कर्जदार) 2. साहिल मोहम्मद पुत्र जाकिर मोहम्मद (सह–कर्जदार) 3. अनीशा बानू पत्नी जाकिर मोहम्मद (सह–कर्जदार) सभी निवासी एफ–201, आर के कॉलोनी, भीलवाड़ा, राजस्थान–311001 ऋण खाता संख्या – LABHL0124-00009780	25–05–2026, रु. 5,19,211/– (रुपये पाँच लाख उन्नीस हजार दो सौ ग्यारह मात्र) दिनांक 09.06.2026 तक
	अचल संपत्ति का विवरणः– संपत्ति जिसमें पुस्तक संख्या 203, पट्टा संख्या 01 शामिल है, जिसका कुल क्षेत्रफल 1200 वर्ग फुट है, जो ग्राम पंचायत आराजीया, पंचायत समिति सुवाना, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान में स्थित है। इसकी सीमाएं निम्नानुसार हैं– पूर्वः सार्वजनिक मार्ग, पश्चिमः शहनाज बानो, उत्तरः बादाम देवी / रमेश चंद्र नायक, दक्षिणः सार्वजनिक मार्ग। पंजीकृत तिथिः 25.02.2019, पुस्तक संख्या 01, खंड संख्या 65, पृष्ठ संख्या 192, क्रम संख्या 201903253101265.	
6	1. प्रभु चरण पुत्र लक्ष्मण चरण (कर्जदार) 2. गीता बाई पत्नी प्रभु दान चरण (सह–कर्जदार) दोनों निवासी गढ़वाड़ा, गड़वाड़ा, उदयपुर, राजस्थान–313203 ऋण खाता संख्या – LAUDP0722-00005307	23–05–2026, रु. 5,37,163/– (रुपये पाँच लाख सैंतीस हजार एक सौ तिरसठ मात्र) दिनांक 09.06.2026 तक
	अचल संपत्ति का विवरणः– संपत्ति जो पट्टा संख्या 10634 पर स्थित है (आराजी संख्या 297 का एक भाग), जिसका क्षेत्रफल 1110 वर्ग फुट है; ग्राम पंचायत भीमल, पंचायत समिति मावली, उदयपुर, राजस्थान में स्थित है। इसकी सीमाएं निम्नानुसार हैं– पूर्वः धना चारण का मकान, पश्चिमः सार्वजनिक मार्ग, उत्तरः मोहम्मद हुसैन वाला, दक्षिणः सार्वजनिक मार्ग। पंजीकृत तिथिः 11.02.2021, पुस्तक संख्या 01, खंड संख्या 117, पृष्ठ संख्या 48, क्रमांक 202103109100317.	
7	1. राजमल टेलर पुत्र गेहरी लाल टेलर (कर्जदार) 2. मंजू टेलर पत्नी राजमल टेलर (सह–कर्जदार) दोनों निवासी सी–175, आजाद नगर, आमली, गढ़ पचही, भीलवाड़ा, राजस्थान–311001 ऋण खाता संख्या – LABHL1224-00012703	27–05–2026, रु. 23,48,343/– (रुपये तेईस लाख अड़तालीस हजार तीन सौ तैंतालीस मात्र) दिनांक 09.06.2026 तक
	अचल संपत्ति का विवरणः – आवासीय मकान संख्या ए–5, माप 18 x 45 वर्ग फुट = 90 वर्ग गज, जो आराजी संख्या 7428, 7428/1, राजस्व ग्राम पुर, तहसील एवं जिला भीलवाड़ा, राजस्थान में स्थित है। इसकी सीमाएं निम्नानुसार हैं– पूर्वः प्लॉट संख्या ए–6, पश्चिमः प्लॉट संख्या ए–4, उत्तरः 30 फुट चौड़ी सड़क, दक्षिणः प्लॉट संख्या ए–24, 25. पंजीकृत तिथिः 15.01.2025, पुस्तक संख्या 01, खंड संख्या 396, पृष्ठ संख्या 69, क्रमांक 202503253100475.	
8	1. रतन सिंह पुत्र शायर सिंह (कर्जदार) 2. माया देवी पत्नी रतन सिंह (सह–कर्जदार) दोनों निवासी जालिया फर्स्ट, बिच्छू चौरा, राजस्थान–305901 ऋण खाता संख्या – LABWR0924-00012240	23–05–2026, रु. 8,63,974/– (रुपये आठ लाख तिरसठ हजार नौ सौ चौहत्तर मात्र) दिनांक 09.06.2026 तक
	अचल संपत्ति का विवरणः– आवासीय प्लॉट, जो पट्टा संख्या 01, पुस्तक संख्या 241, खसरा संख्या 1749/1095 पर स्थित है, माप 152 वर्ग गज, ग्राम बिच्छूचौड़ा, ग्राम पंचायत दुगार्वास, पंचायत समिति जवाजा, जिला अजमेर, राजस्थान। इसकी सीमाएं निम्नानुसार हैं– पूर्वः सड़क, पश्चिमः पंकज/लक्ष्मण सिंह का मकान, उत्तरः आम रास्ता (सड़क), दक्षिणः सड़क। पंजीकृत तिथिः 02.06.2023, पुस्तक संख्या 01, खंड संख्या 2310, पृष्ठ संख्या 12, क्रमांक 202303003105175.	
9	1.सतीश सिंह राठौड़ पुत्र चतरू सिंह (कर्जदार) 2. मैना देवी पत्नी चतर सिंह (सह–कर्जदार) दोनों निवासी संथालपुर, अलवर, राजस्थान–301402 ऋण खाता संख्या – LAKTP0724-00011789	27–05–2026, रु. 7,89,174/– (रुपये सात लाख नवासी हजार एक सौ चौहत्तर मात्र) दिनांक 09.06.2026 को
	अचल संपत्ति का विवरणः– आवासीय संपत्ति, जो पट्टा संख्या 65, पुस्तक संख्या 014 में स्थित है, माप 300 वर्ग गज, ग्राम पंचायत लोयाटी, ग्राम संथालपुर, तहसील बानसूर, जिला अलवर। सीमाएँ इस प्रकार हैं – पूर्वः सार्वजनिक मार्ग, पश्चिमः सार्वजनिक मार्ग, उत्तरः सार्वजनिक मार्ग, दक्षिणः मंगतू सिंह का मकान और समलती भूमि। पंजीकरण की तिथिः 06.03.2020, पुस्तक संख्या 01, खंड संख्या 78, पृष्ठ संख्या 28, क्रम संख्या 202003358100469.	
10	1. सुरेंद्र सिंह पुत्र कैलाश सिंह (कर्जदार) 2. पुनम पत्नी सुरेंद्र सिंह (सह–कर्जदार) दोनों निवासी रायकरणपुरा, जयपुर, राजस्थान–303105 ऋण खाता संख्या – LAAWR0322-00004584	25–05–2026, रु. 4,49,787/– (रुपये चार लाख उनचास हजार सात सौ सतासी मात्र) दिनांक 09.06.2026 को
	अचल संपत्ति का विवरणः– संपत्ति जिसमें पट्टा संख्या 31, पुस्तक संख्या 45 शामिल है, जिसका क्षेत्रफल 174.33 वर्ग गज है। (पूर्वी तरफः 34'15' फीट पश्चिमी तरफः 34'15' फीट, उत्तरी तरफः 36'23'' फीट, दक्षिणी तरफः 36'23 फीट)। ग्राम पंचायत बकराना, पंचायत समिति कोटपूतली, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर, राजस्थान. इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं– पूर्वः पहाड़ी, पश्चिमः खाली जमीन और सार्वजनिक रास्ता, उत्तरः जगमाल पुत्र सूरजभान, दक्षिणः सुरेंद्र सिंह का मकान, पंजीकरण की तारीखः 20.01.2022, किताब संख्या 01, खंड संख्या 847, पृष्ठ संख्या 40, क्रम संख्या 202203061100687.	
11	1. यूसुफ अली पुत्र मो. अजीज (कर्जदार), 2. सलीम बानो पत्नी मो. अजीज (सह–कर्जदार), 3. मोहम्मद अजीज पुत्र गुलाम हुसैन (सह–कर्जदार) सभी निवासी ए–54–55 विद्याधर नगर, जयपुर मंदिर मोड़, राजस्थान–302039, ऋण खाता संख्या – LAJPR0524-00011361 और LAJPR0524-00011359	27–05–2026 रु. 58,09,178/– (रुपये अठावन लाख नौ हजार एक सौ अठहत्तर मात्र) दिनांक 09.05.2026 को
	अचल संपत्ति का विवरणः– प्लॉट संख्या ए–54 और ए–55, पुराना विद्याधर नगर, जयपुर. प्लॉट संख्या ए–54 का माप पूर्व–पश्चिमः 36 फीट और उत्तर–दक्षिणः 12 फीट 6 इंच है; इसका क्षेत्रफल 50 वर्ग गज यानी 41.80 वर्ग मीटर है, इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं– पूर्वः 20 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिमः प्लॉट संख्या ए–19, उत्तरः प्लॉट संख्या ए–55, दक्षिणः प्लॉट संख्या ए–53. प्लॉट संख्या ए–55 का माप पूर्व–पश्चिमः 36 फीट और उत्तर–दक्षिणः 12 फीट 6 इंच है; इसका क्षेत्रफल 50 वर्ग गज यानी 41.80 वर्ग मीटर है। (कुल क्षेत्रफल 100 वर्ग गज है). इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं– पूर्वः 20 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिमः प्लॉट संख्या ए–18, उत्तरः प्लॉट संख्या ए–56, दक्षिणः प्लॉट संख्या ए–54. पंजीकरण की तारीखः 22.05.2019, किताब संख्या 01, खंड संख्या 120, पृष्ठ संख्या 77, क्रम संख्या. 201903182103150.	

यदि उक्त कर्जदार उपरोक्त के रूप में सैटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को भुगतान करने में विफल हो जाते हैं, तो सैटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के तहत उपरोक्त प्रतिभूत संपत्तियों के विरुद्ध पूरी तरह से उक्त कर्जदारों के लागत और परिणाम के जोखिम पर आगे की कार्यवाही करेगा। अधिनियम के तहत उक्त कर्जदारों को सैटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की पूर्व लिखित सहमति के बिना, बिक्री, पट्टे या अन्यथा के माध्यम से, उपरोक्त संपत्ति को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है। कोई भी व्यक्ति जो उक्त अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करेगा, वह अधिनियम के तहत कारावास और/या दंड के लिए उत्तरदायी होगा।

स्थान : गुरुग्राम — ह. /– अधिकृत प्राधिकारी
दिनांक : 02.06.2026 — सैटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

मेरठ : 3600 रुपए के लिए की थी कबड्डी खिलाड़ी की हत्या

मेरठ, 1 जून (जनसत्ता)।

मेरठ में महज 3600 रुपए उधार की रकम को लेकर हुई कहासुनी में राष्ट्रीय स्तर की कबड्डी खिलाड़ी अनुष्का पाल की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने डेढ़ महीने बाद हत्या का खुलासा किया है। आरोपी की निशानदेही पर रोहटा रोड स्थित नाले से शव बरामद किया गया, जो लंबे समय तक पानी और कीचड़ में पड़े रहने के कारण लगभग कंकाल में बदल चुका था। पहचान की अंतिम पुष्टि के लिए डीएनए परीक्षण कराया जाएगा।

पुलिस ने डेढ़ महीने बाद हत्या का खुलासा किया है।

एसएसपी अविनाश पांडे ने सोमवार को बताया कि 17 वर्षीय अनुष्का पाल की हत्या अप्रैल में कर दी गई थी। पुलिस ने फास्ट फूड का ठेला लगाने वाले श्याम धानक को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उसने रुपए मांगने को लेकर हुए विवाद के बाद अनुष्का के सिर पर ईंट से हमला किया और शव को नाले में फेंककर फरार हो गया। पुलिस के अनुसार, दौराला क्षेत्र के चिरौड़ी गांव की रहने वाली अनुष्का राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले चुकी थीं। पढ़ाई और खेल अभ्यास में सुविधा के लिए वह मेरठ के शोभापुर क्षेत्र में किराए पर रह रही थी। परिवार को आखिरी बार उसने बताया था कि वह प्रतियोगिता में भाग लेने गई है। इसके बाद 16 अप्रैल से उसका मोबाइल बंद हो गया। काफी तलाश के बाद 28 अप्रैल को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। जांच के दौरान पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और काल डिटेल रिकार्ड खंगाले। इनमें अनुष्का की आखिरी लोकेशन आरोपी श्याम धानक के साथ मिली। पूछताछ में चंडीगढ़ से गिरफ्तार आरोपी ने अपराध स्वीकार कर लिया। परिजनों का आरोप है कि जिस व्यक्ति पर हत्या का आरोप लगा है उससे पहले भी पूछताछ हुई थी लेकिन उसे छोड़ दिया गया था। पुलिस जांच में सामने आया है आरोपी पर पहले भी एक महिला की हत्या का मामला दर्ज था और वह जमानत पर बाहर था।

भारत, ओमान के बीच मुक्त व्यापार समझौता लागू

ओमान में भारत के 98.08% निर्यात पर व भारत में ओमान के 77.79% निर्यात पर शून्य शुल्क

नई दिल्ली, 1 जून (ब्यूरो)।

भारत और ओमान के बीच मुक्त व्यापार समझौता सोमवार से लागू हो गया। इसके तहत वस्त्र, इंजीनियरिंग उत्पाद, रत्न और आभूषण समेत भारत के 98.08 फीसद निर्यात को ओमान के बाजार में बगैर शुल्क प्रवेश और पेशेवरों को आवागमन की बेहतर सुविधा का लाभ होगा। दूसरी तरफ भारत को ओमान से सस्ते खजूर मिलेंगे क्योंकि समझौते के तहत कोटा-आधारित शुल्क रियायतें लागू होंगी। ईरान संकट के बीच इस समझौता के लागू होने से होर्मुज जलमार्ग के प्रभावित रहने पर भी भारत को राहत मिलने की उम्मीद है।

ओमान के साथ व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) का लागू होना इसलिए भी अहम है, क्योंकि अमेरिकी-ईरान युद्ध की वजह से भारतीय निर्यातकों को खाड़ी देशों में माल भेजने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। छह खाड़ी देश ओमान, बहरीन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात हैं। भारत ने कुल 12,556 टैरिफ लाइन में से 77.79 फीसद पर शुल्क रियायतें दी हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में टैरिफ लाइन का मतलब किसी वस्तु या उत्पाद के उस विशिष्ट वर्गीकरण कोड से होता है, जिस पर कोई विशेष आयात कर लगाया जाता है।

गोयल ने कहा कि कृषि और रत्न एवं आभूषण उत्पादों की लगभग 10 खेप तरजीही दरों के तहत खाड़ी देश को भेजी गईं।

ओमान के साथ समझौता रणनीतिक : जीटीआरआइ

नई दिल्ली, 1 जून (भाषा)।

भारत के लिए ओमान के साथ व्यापार समझौता रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि मस्कट का अधिकतर तट होर्मुज जलमार्ग के बाहर स्थित है। इससे क्षेत्रीय संघर्ष, व्यवधान या भू-राजनीतिक अस्थिरता के दौरान भी ओमान भारत के लिए एक भरोसेमंद व्यापार और ऊर्जा मार्ग बना रह सकता है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआइ) के अनुसार, इस दृष्टि से यह समझौता केवल व्यापार तक सीमित नहीं है बल्कि भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा एवं आर्थिक सुरक्षा में निवेश भी है।

खबर कोना

उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सोमवार को मुंबई में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से उनके बंगले पर शिष्टाचार भेंट की।

रुपया 34 पैसे टूटकर 95.19 प्रति डालर पर

मुंबई, 1 जून (भाषा)।

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव तथा कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के बीच सोमवार को रुपया 34 पैसे लुढ़ककर डालर के मुकाबले 95 .19 पर बंद हुआ। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि वैश्विक बाजारों में डालर की मजबूती और इजराइल-लेबनान के बीच जारी तनाव से निवेशकों की जोखिम लेने की धारणा प्रभावित हुई, जिसका असर भी रुपए पर पड़ा। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 94 .93 के भाव पर खुला और कारोबार के दौरान यह 94 .73 के ऊपरी एवं 95 .03 के निचले स्तर तक गया। कारोबार के अंत में यह 95 .19 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जो पिछले बंद भाव से 34 पैसे की गिरावट है। शुक्रवार को रुपया भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) के संभावित हस्तक्षेप के बीच 73 पैसे मजबूत होकर 94 .85 प्रति डालर पर बंद हुआ था।

सोना 2,500 टूटा, चांदी 5,000 रुपए कमजोर

नई दिल्ली, 1 जून (भाषा)।

राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में सोमवार को सोने की कीमत 2,500 रुपए टूटकर 1.60 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम रह गई। अमेरिका और ईरान के बीच फिर से शुरू हुए सैन्य संघर्ष के कारण कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने के बाद वैश्विक बाजारों में आई गिरावट से यहां भी सोने कमजोर पड़ गया। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार, 99 .9 फीसद शुद्धता वाले सोने की कीमत में 2,500 रुपए (1 .53 फीसद) की गिरावट आई। शुक्रवार को बंद हुई कीमत 1,62,900 रुपए प्रति 10 ग्राम से गिरकर यह 1,60,400 रुपए प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्स मिलाकर) रह गई। चांदी की कीमतों में भी भारी गिरावट आई और यह 5,000 (या लगभग 2 फीसद) टूटकर 2,69,700 रुपए प्रति किलोग्राम (सभी टैक्स मिलाकर) रह गई। पिछले सत्र में चांदी की कीमत 2,74,700 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी।

चौथे दिन भी गिरा बाजार, सूचकांक 508 अंक फिसला

मुंबई, 1 जून (भाषा)।

अनिश्चित वैश्विक संकेतों के बीच स्थानीय शेयर बाजार सोमवार को वित्तीय, एफएमसीजी एवं वाहन शेयरों में बिकवाली के कारण लगातार चौथे सत्र में गिरावट के साथ बंद हुए। सूचकांक 508 अंक फिसल गया जबकि निफ्टी में 165 अंक की गिरावट रही। विश्लेषकों के मुताबिक, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और अमेरिका-ईरान संघर्ष को लेकर अनिश्चितता के कारण घरेलू बाजार दबाव में रहा। बीएसई का 30 शेयरों पर आधारित मानक सूचकांक 508 .40 अंक यानी 0 .68 फीसद गिरकर 74,267 .34 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान सूचकांक ने 75,367 .93 अंक के ऊपरी और 74,203 .68 अंक के निचले स्तर को भी छुआ। इस तरह सूचकांक में 1,164 .25 अंक का उतार-चढ़ाव दर्ज किया गया।

पंजाब अनुसूचित जाति आयोग ने

रेल राज्यमंत्री बिट्टू को चार जून को तलब किया

चंडीगढ़, 1 जून (ब्यूरो)।

पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को कथित जातिसूचक टिप्पणी के मामले में चार जून को पेश होने के लिए सोमवार को समन जारी किया। आयोग के अध्यक्ष जसवीर सिंह गढ़ी ने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से उनके संज्ञान में आया कि केंद्रीय रेल राज्यमंत्री बिट्टू ने हाल में धूरी में दौरे के दौरान कथित रूप से जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया था।

इस मामले में संगरूर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से रिपोर्ट मांगी गई लेकिन आयोग ने पुलिस की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट से असंतोष जाहिर किया है। बिट्टू ने रविवार को अनुसूचित जाति समुदाय से आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए माफी मांगी व स्वीकार किया कि एक मंत्री के रूप में उन्हें ऐसे शब्द नहीं कहने चाहिए थे। वह पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के समक्ष माफी मांगने को तैयार हैं। यह मामला 26 मई की उस घटना से जुड़ा है जब बिट्टू ने धूरी में भाजपा नेता ओंकार सिंह को रिहा करने की मांग को लेकर पुलिस अधिकारियों के साथ तीखी बहस की थी। ओंकार सिंह को नगर निकाय चुनावों के लिए प्रचार अवधि खत्म होने के दौरान प्रचार करने के आरोप में पुलिस ने हिरासत में लिया था। रवनीत सिंह बिट्टू पर पुलिसकर्मियों के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल का आरोप लगा है। दरअसल, 26 मई की घटना का एक वीडियो प्रसारित हो गया था।

केंद्रीय रेल राज्यमंत्री बिट्टू ने हाल में धूरी में दौरे के दौरान कथित रूप से जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया था।

जीएसटी संग्रह मई में 1.94 लाख करोड़ रुपए के पार

नई दिल्ली, 1 जून (भाषा)।

माल एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह मई में 3.2 फीसद बढ़कर 1.94 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा।

यह वृद्धि वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति में सुधार तथा आयात से मिलने वाले कर संग्रह में लगातार बढ़ोतरी के कारण हुई। सोमवार को जारी सरकारी आंकड़ों में यह जानकारी सामने आई। मई, 2025 में सकल जीएसटी संग्रह 1.88 लाख करोड़ रुपए रहा था। घरेलू लेनदेन से मई के दौरान केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) संग्रह 37,397 करोड़ रुपए, राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) 45,143 करोड़ रुपए और एकीकृत जीएसटी (आइजीएसटी) 51,990 करोड़ रुपए रहा। इस अवधि में कर योग्य वस्तुओं की आपूर्ति में 26.9 फीसद की वृद्धि हुई, जो घरेलू मांग को दर्शाती है। वहीं, सेवाओं के क्षेत्र में यह वृद्धि 22.2 फीसद रही जो घरेलू खपत की मजबूती को दिखाती है। आयात से आइजीएसटी संग्रह 19.1 फीसद बढ़कर मई में 59,654 करोड़ रुपए हो गया जो औद्योगिक क्षमता के विस्तार का संकेत है।

औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर घटकर 4.9 फीसद पर

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 1 जून।

देश का औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर अप्रैल में सालाना आधार पर घटकर 4.9 फीसद दर्ज हुआ। साल 2025 में अप्रैल का यह आंकड़ा 5.7 फीसद पर था। पश्चिम एशिया संकट के बीच ऊर्जा क्षेत्र में सुस्त वृद्धि के कारण औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि कम रही है।

सोमवार को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष 2011-12 से बदलकर 2022-23 कर आइआइपी का पहला आंकड़ा जारी किया। इसमें औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आइआइपी) के संदर्भ में मापे जाने वाले औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि अप्रैल, 2025 में 5.7 फीसद रही थी। इस रिपोर्ट में कहा गया कि अप्रैल 2026 के महीने में खनन और उत्खनन, विनिर्माण, बिजली और गैस आपूर्ति, तथा जल आपूर्ति, सीवरेज और अपशिष्ट प्रबंधन की विकास दरें क्रमश 5.1 फीसद, 6.2 फीसद, 4.9 फीसद और 6.6 फीसद रही। आइआइपी का त्वरित अनुमान अप्रैल 2025 के 113.1 के मुकाबले 118.9 रहा। अप्रैल 2026 महीने के लिए खनन और उत्खनन, विनिर्माण, बिजली और गैस आपूर्ति, तथा जल आपूर्ति, सीवरेज और अपशिष्ट प्रबंधन के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक क्रमश 104.6, 119.3, 125.5 और 146.1 रहे। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग का कहना है कि आइआइपी की नई शृंखला पिछली शृंखला की कमियों को दूर करती है। इसमें लघु खनिज भी शामिल हैं।

यात्रा जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कुलगाम में सोमवार को 'ड्रग-मुक्त जेएंडके' पदयात्रा के दौरान बच्चों के साथ।

देश में जन विश्वास अधिनियम लागू

जुर्माना और कार्यवाही से पहले मिलेगी चेतावनी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 1 जून।

देश में आम जनता को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने जन विश्वास अधिनियम लागू कर दिया है। यह विधेयक एक जून से लागू किया गया है और इसके आदेश भी जारी किए गए हैं। आदेशों के मुताबिक इस प्रावधान के तहत सरकारी एजंसियां अपने क्षेत्र में पेचीदा नियम प्रक्रिया को आसान बनाने की पहल की है।

सरकार के मुताबिक सरकारी एजंसियों के साथ कागजी कार्रवाई करते समय होने वाली त्रुटियों की स्थिति में सजा व जुर्माने के प्रावधान रहे हैं। यह प्रावधान सजा से पहले चेतावनी के प्रावधान को सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है। जैसे समय पर कोई जानकारी नहीं देना, फार्म भरने में गड़बड़ी, कागजों में मामूली गड़बड़ी की गलती थी। इन वजह से आम जनता को जुर्माना और अन्य कानूनी कार्रवाई से जूझना होता था। नए प्रावधान इस हालात से आम जनता को राहत देंगे, कई मंत्रालयों में यह भी प्रावधान होगा कि आसानी से एक मुश्त शुल्क भुगतान कर मामले का खात्मा किया जा सकेगा। इन प्रावधानों में ऊर्जा मंत्रालय की ओर से किए गए प्रावधान भी शामिल है। इन प्रावधानों के संबंध में ही मंत्रालय की ओर से इस विधेयक को लागू करने के आदेश जारी किए गए हैं।

ऊर्जा संबंधित विशेषज्ञों के मुताबिक ऊर्जा क्षेत्र में इस अधिनियम के तहत विद्युत अधिनियम 2003 और दामोदर घाटी निगम के पुराने प्रावधानों में संशोधन किया गया है। ये नियम उपभोक्ताओं के लिए नियम प्रक्रिया को आसान कर देंगे और उन्हें बार- बार जुर्माना या अन्य दंडात्मक कार्रवाई से भी बचाएंगे। केंद्र सरकार ने यह विधेयक लोकसभा में पेश किया था। इसका उद्देश्य 80 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन करके अपराधों और दंडों को अपराधों की श्रेणी से बाहर करना था। इस विधेयक ने 2025 में पेश किए गए विधेयक की जगह ली है। इसमें कई जगहों पर दंड की जगह पर मौद्रिक मूल्य संशोधन का भी प्रावधान है। इन प्रावधानों में पहले ही स्पष्ट किया गया है कि एक निर्धारित समय सीमा के बाद इन प्रावधानों में आर्थिक दंड प्रावधान को बढ़ाया जाएगा। इसके अतिरिक्त नए प्रावधान में आम जनता से संबंधित मामलों में कई स्तर पर चेतावनी देने का प्रावधान भी इसके तहत लाया गया है।

सरकार के मुताबिक सरकारी एजंसियों के साथ कागजी कार्रवाई करते समय होने वाली त्रुटियों की स्थिति में सजा व जुर्माने के प्रावधान रहे हैं। यह प्रावधान सजा से पहले चेतावनी के प्रावधान को सुनिश्चित करने के लिए लाया गया।

ब्रिक्स संस्कृति कार्यसमूह की दूसरी बैठक की मेजबानी करेगा भारत

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 1 जून।

ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह (सीडब्ल्यूजी) की दूसरी बैठक की मेजबानी भारत करने जा रहा है। जिसका आयोजन 4-5 जून को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में किया जाएगा। इसकी घोषणा सोमवार को संस्कृति सचिव विवेक अग्रवाल ने प्रेसवार्ता के दौरान की।

यह बैठक में तीन प्रमुख विषयगत प्राथमिकताओं पर केंद्रित रहेगी। पहला रचनात्मक अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक व रचनात्मक उद्योग, कापीराइट व कृत्रिम बुद्धिमत्ता, दूसरा सांस्कृतिक विरासत संरक्षण व सांस्कृतिक संपदा की वापसी व तीसरा संस्कृति, जलवायु और सतत विकास। उक्त सभी प्राथमिकताएं सहयोग को बढ़ावा देने और वैश्विक 2030 के बाद के सतत विकास एजेंडा में संलग्न होने को दर्शाती हैं। बता दें कि ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक 29-30 अप्रैल 2026 को 'वर्चुअल मोड' में की गई थी। इसके बाद अब दूसरी बैठक 4-5 जून को वाराणसी में होगी। जबकि तीसरी बैठक 5-6 अगस्त को भोपाल में होगी। इस दौरान 6-7 अगस्त को भोपाल में ब्रिक्स सांस्कृतिक महोत्सव भी आयोजित किया जाएगा और 7-8 अगस्त को ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्रियों की बैठक होगी। जबकि इसका समापन 12-14 अक्तूबर 2026 को 'थिएटर महोत्सव' के साथ नई दिल्ली में किया जाएगा।

वाराणसी में 4-5 जून को होगा आयोजन।

'निर्यात में अप्रैल-मई में दहाई अंक में वृद्धि'

नई दिल्ली, 1 जून (भाषा)।

देश के निर्यात में चालू वित्त वर्ष 2026-27 के अप्रैल-मई माह के दौरान दहाई अंक में वृद्धि दर्ज की गई है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने यह भी कहा कि वाणिज्य मंत्रालय भारत के मुक्त व्यापार समझौतों के बारे में जानकारी देने के लिए 1,000 लोगों को नियुक्त करेगा। वाणिज्य मंत्रालय 15 जून को मई के व्यापार आंकड़े जारी करेगा। अधिकारी ने कहा कि इन दो महीनों के दौरान निर्यात में दहाई अंक में वृद्धि हुई है। अप्रैल में निर्यात 13.78 फीसद बढ़कर 43.56 अरब डालर रहा जो पिछले चार वर्ष में सबसे अधिक मासिक निर्यात है। यह वृद्धि मुख्य रूप से कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के बीच पेट्रोलियम उत्पादों के कारण हुई। इसी दौरान व्यापार घाटा बढ़कर तीन महीने के उच्चस्तर 28.38 अरब डालर पर पहुंच गया।

कृषि मंत्री ने खेत बचाओ अभियान की शुरुआत की | अभियान | मिट्टी बचेगी तो खेती बचेगी, किसान मजबूत होगा

गांवों में किसानों को उन्नत खेती के गुर सिखाएंगे विशेषज्ञ

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 1 जून।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को मध्यप्रदेश के रायसेन के रमासिया गांव से राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान की शुरुआत की। 30 जून तक जारी रहने वाले इस अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, संतुलित पोषण प्रबंधन, प्राकृतिक खेती, आधुनिक बुवाई तकनीक, जल संरक्षण और उन्नत खेती के तरीके बताए जाएंगे। अभियान के दौरान कृषि वैज्ञानिक और विशेषज्ञों सहित कृषि विभाग की टीम और जनप्रतिनिधि भी गांवों में किसानों को जागरूक करेंगे।

केंद्रीय कृषि मंत्री चौहान ने इस मौके पर कहा, मिट्टी बचेगी तो खेती बचेगी, किसान मजबूत होगा और देश समृद्ध होगा। उन्होंने उर्वरकों के संतुलित इस्तेमाल, मिट्टी परीक्षण, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, जल संरक्षण, प्राकृतिक खेती के साथ साथ वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों को अपनाने पर जोर दिया। कृषि मंत्री ने कहा, धरती की सेहत को संरक्षित करना, सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे रासायनिक खाद और कीटनाशकों का अंधाधुंध इस्तेमाल न करें, बल्कि मिट्टी की जांच के आधार पर जरूरत के अनुसार ही उर्वरकों का इस्तेमाल करें।

शिवराज सिंह ने कहा कि रसायनों के ज्यादा इस्तेमाल से मिट्टी की उपजाऊ क्षमता घटती है और उसमें मौजूद लाभकारी सूक्ष्म जीव नष्ट होते हैं। इसका सीधा असर उपज और खेती की लागत पर पड़ता है। उन्होंने कहा कि यह अभियान महज एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि धरती माता को बचाने का राष्ट्रीय संकल्प है। उन्होंने कहा कि हर किसान का ह्यमिट्टी की सेहत के लिए कार्ड (सायल हेल्थ कार्ड) बनाना जरूरी है। इससे वह अपनी जमीन की जरूरत के मुताबिक उर्वरकों का इस्तेमाल करेंगे।

इससे खेती की लागत में कमी आएगी और उत्पादन बढ़ने के साथ साथ मिट्टी लंबे समय तक उपजाऊ बनी रहेगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों को रियायती दरों पर उर्वरक उपलब्ध करा रही है लेकिन जरूरत के मुताबिक ही इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सही मात्रा में खाद का इस्तेमाल ही टिकाऊ खेती की कुंजी है। शिवराज ने कहा कि खेती को लाभकारी बनाना केंद्र सरकार की प्राथमिकता है।

केंद्रीय कृषि मंत्री चौहान ने इस मौके पर कहा, मिट्टी बचेगी तो खेती बचेगी, किसान मजबूत होगा और देश समृद्ध होगा। उन्होंने उर्वरकों के संतुलित इस्तेमाल, मिट्टी परीक्षण, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, जल संरक्षण, प्राकृतिक खेती के साथ साथ वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों को अपनाने पर जोर दिया। कृषि मंत्री ने कहा, धरती की सेहत को संरक्षित करना, सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे रासायनिक खाद और कीटनाशकों का अंधाधुंध इस्तेमाल न करें, बल्कि मिट्टी की जांच के आधार पर जरूरत के अनुसार ही उर्वरकों का इस्तेमाल करें।

यात्री वाहन बिक्री ने मई में पकड़ी रफ्तार

नई दिल्ली, 1 जून (भाषा)।

मोटर वाहन कंपनियों ने ईंधन कीमतों में उतार-चढ़ाव के बावजूद मई में मजबूत वृद्धि दर्ज की। इस दौरान मारुति सुजुकी और किआ इंडिया ने रिकार्ड बिक्री हासिल की। मारुति सुजुकी इंडिया ने सोमवार को बताया कि उसकी मासिक बिक्री अब तक के सर्वाधिक स्तर पर पहुंच गई, जबकि घरेलू बिक्री मई, 2026 में 1,93,535 इकाई रही जो पिछले साल इसी महीने में 1,38,690 इकाई थी। मारुति सुजुकी इंडिया के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी (विपणन एवं बिक्री) पार्थो बनर्जी ने बताया कि ईंधन कीमतों में बढ़ोतरी से मांग पर असर पड़ने के बावजूद कंपनी ने समग्र वृद्धि के साथ मजबूत प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी का असर छोटी कारों के खंड पर पड़ता है, खासकर उन ग्राहकों पर जो छोटी कार खरीदते हैं लेकिन हमने ह्यमिनीह्ल और ह्यकाम्पैक्टह्ल खंड में शानदार वृद्धि हासिल की।

शुद्धिपत्र

यह शुद्धिपत्र **तन्वेड कंटेनर्स प्राइवेट लिमिटेड** द्वारा **जनसत्ता (दिल्ली संस्करण) में दिनांक 25.04.2026 को पृष्ठ संख्या 5** पर प्रकाशित **फॉर्म नं. आईएनसी-26** की सूचना के संदर्भ में जारी किया जा रहा है। उक्त सूचना में मुद्रण/तकनीकी त्रुटि के कारण निम्नलिखित पंक्तियाँ अनावश्यक रूप से प्रकाशित हो गई थीं, जो मूल सूचना का भाग नहीं थीं: "कंपनी का प्रस्तावित पंजीकृत कार्यालय: ऑफिस नं 113 और 115, रेगस, पहली मंजिल, डी1010/1050 सॉलिटेयर बिजनेस हब, क्लोवर पार्क, विमान नगर, पुणे–411014, महाराष्ट्र, भारत में यहाँ स्थित होगा।"
अतः आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त पंक्तियों को प्रकाशित सूचना का हिस्सा न माना जाए तथा उन्हें निरस्त एवं विलोपित समझा जाए। उक्त सूचना की अन्य सभी शर्तें, विवरण एवं सामग्री यथावत एवं प्रभावी रहेंगी।

दिनांक: 01.06.2026

आवेदक की ओर से और उनके लिए
तन्वेड कंटेनर्स प्राइवेट लिमिटेड
निदेशक
तपस रंजन पात्रा
DIN: 07054144
पता: फ्लैट नं. 6122, एटीएस डॉल्से, सेक्टर ज़ेटा-1, ग्रेटर नोएडा – 201308
पंजीकृत कार्यालय: 18, पटपड़गंज गांव, पटपड़गंज, दिल्ली – 110091

HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED
कॉर्पोरेट कार्यालय: नं. 167-169, द्वितीय तल, अन्ना सालाई, सैदापेट, चेन्नई -600015
संपर्क नं. आरएलएम - ब्रजेश अवस्थी - 9918301885
आरआरएम - हरीश यादव - 7060411785,
सीएलएम - रवि 9999048581,
सीआरएम - सचिन पंवार - 9837000044

अचल संपत्ति के भौतिक कब्जे की सार्वजनिक सूचना

सेवा में,
1. श्री सचिन त्यागी... कर्जदार 2. श्रीमती नेहा एन 3. श्रीमती सुनीता... सह–उधारकर्ता दनोरा हापुड़, 1, हापुड़, शहरी, हापुड़, उत्तर प्रदेश, भारत – 245101.
1.1 सम्पत्ति का पता: रेज़िडेंशियल प्लॉट नंबर 61, जो खसरा नंबर 503 का हिस्सा (एरिया 113.14 स्क्वेयर्ड यानी 94.63 स्क्वेयर मी.) जो गांव धनोरा, सीमा नगर पालिका हापुड़ परगना हापुड़, तहसील और जिला हापुड़

लोन सं. GH/HPR/HAPU/A000000746

जबकि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला न्यायालय, हापुड़, उत्तर प्रदेश द्वारा पारित दिनांक 01.04.2026 के आदेश के अनुसार
सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि रेज़िडेंशियल प्लॉट नंबर 61, खसरा नंबर 503 का हिस्सा (एरिया 113.14 स्क्वेयर यार्ड यानी 94.63 वर्ग मी.), गांव धनोरा, सीमा नगर पालिका हापुड़ परगना हापुड़, तहसील और जिला हापुड़ सीमाएं: पूर्व: सड़क 20 फीट, पश्चिम: अन्य की भूमि, उत्तर: प्लॉट नंबर 62, दक्षिण: प्लॉट नं. 60 की सम्पत्ति का **भौतिक कब्जा 30.05.2026** को मैसर्स हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा अधिग्रहित किया गया है।
विशेष रूप से उधारकर्ताओं और सामान्य रूप से जनता को चेतावनी दी जाती है कि वे संपत्ति का सौदा न करें और संपत्ति के साथ कोई भी लेनदेन मैसर्स हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधीन होगा।

स्थान : हापुड़, दिनांक : 02.06.2026
प्राधिकृत अधिकारी, हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

फॉर्म यूआरसी-2
सार्वजनिक सूचना

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 374(b) और कंपनी (पंजीकरण के लिए प्राधिकृत) नियमावली, 2014 के नियम 4(1) के अनुसरण में)

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 366 के अनुसरण में, एक सीमित देयता भागीदारी 'पायरेन टेक्नोलॉजीज एलएलपी' को कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय क के भाग क के तहत एक 'शेयरों द्वारा सीमित कंपनी' के रूप में पंजीकृत करने के लिए रजिस्ट्रार, केंद्रीय पंजीकरण केंद्र (सीआरसी), भारतीय कॉर्पोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए), प्लॉट नं. 6, 7 और 8, सेक्टर–5, आईएमटी मानेसर, जिला गुड़गांव, हरियाणा–122050 के समक्ष एक आवेदन किया जाना प्रस्तावित है।
प्रस्तावित कंपनी के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं: वायुयान और अंतरिक्ष यान तथा उनसे संबंधित मशीनरी का निर्माण करना, रडार उपकरण, जीपीएस उपकरण, खोज, पहचान, नेविगेशन, वैमानिकी और समुद्री उपकरणों का निर्माण तथा इनसे संबंधित गतिविधियाँ।
प्रस्तावित कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के मसौदे की एक प्रति का निरीक्षण एलएलपी के पंजीकृत कार्यालय: 313, पुष्पांजलि अपार्टमेंट, केशव कुंज, प्रताप नगर, शाहगंज, आगरा, उत्तर प्रदेश–282010 पर किया जा सकता है।
एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति जिसे इस आवेदन पर कोई आपत्ति हो, वह अपनी आपत्ति लिखित रूप में रजिस्ट्रार, केंद्रीय पंजीकरण केंद्र (सीआरसी), भारतीय कॉर्पोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए), प्लॉट नंबर. 6, 7 और 8, सेक्टर–5, आईएमटी मानेसर, जिला गुड़गांव, हरियाणा–122050 को इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस (21) दिनों के भीतर भेज सकता है, और उसकी एक प्रति कंपनी को उसके पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजनी होगी।

दिनांक: 02 जून, 2026
स्थान: आगरा, उत्तर प्रदेश

कृते और की ओर से:
पायरेन टेक्नोलॉजीज एलएलपी
1. कुलदीप शर्मा – नामित भागीदार
DPIN : 10602349
2. क्षितिज गांधी – नामित भागीदार
DPIN: 10602348

प्रपत्र सं. आईएनसी-26
[कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार]
केंद्रीय सरकार के समक्ष, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र निदेशालय I, कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय, नई दिल्ली
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के खंड (क) के विषय में
तथा
एनालिटिक जेना इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
(CIN:U74140DL2014FTC272134) के मामले में, जिसका पंजीकृत कार्यालय **462, एफ.आई.ई. पटपड़गंज औद्योगिक क्षेत्र, पूर्वी दिल्ली, भारत, 110092** में स्थित है।

...आवेदक कंपनी/याचिकाकर्ता

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 (4) के तहत क्षेत्रीय निदेशक को प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत केंद्र सरकार को एक आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव करती है, जिसमें 21 मई, 2026 को आयोजित कंपनी की असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन की पुष्टि की मांग की जाएगी, ताकि कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय को "दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी)" से "महाराष्ट्र राज्य" में स्थानांतरित कर सके।
कोई भी व्यक्ति जिसका हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, वह एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र भरकर या किसी अन्य माध्यम से अपने हितों की प्रकृति और विरोध के कारणों को बताते हुए हलफनामे सहित अपनी आपत्तियाँ क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, बी-2 विंग, दूसरी मंजिल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली - 110003 को इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह (14) दिनों के भीतर भेज सकता है। इसकी एक प्रति आवेदक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को भेजी जानी चाहिए।
पंजीकृत कार्यालय: 462, एफ.आई.ई. पटपड़गंज औद्योगिक क्षेत्र, पूर्वी दिल्ली, भारत, 110092

एनालिटिक जेना इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से
हस्ताक्षर/-
संतोष कुमार
प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 00174062
दिनांक: 01 जून 2026 **स्थान: नई दिल्ली**

"प्रपत्र सं. आईएनसी–26"
(कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में)
कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय एक राज्य से दूसरे राज्य में अंतरित करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन
केन्द्रीय सरकार क्षेत्रीय निदेशक के समक्ष उत्तरी क्षेत्र I, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप–धारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उप–नियम (6) के खंड (ए) के मामले में
और
के मामले में
मैसर्स नोवोएवेंदुरास प्राईवेट लिमिटेड
(CIN : U17210DL2011PTC223944)
जिसका पंजीकृत कार्यालय : 1309, 13वां फ्लोर, विक्रम टॉवर, राजिंद्र प्लेस, सेंट्रल दिल्ली, नई दिल्ली, दिल्ली–110008, इंडिया में स्थित है

...याचिकाकर्ता

आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन करने का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "पंजाब राज्य" में स्थानांतरित करने के लिए तारीख 21.05.2026 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है।
कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररुप फाइल कर एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्र I, को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर बी–2 विंग, द्वितीय तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110003, ईमेल आईडी : rd.ser@mca.gov.in, पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है या सुपुर्द कर सकते हैं और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके उपरोक्त पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेगा।
पंजीकृत कार्यालय : 1309, 13वां फ्लोर, विक्रम टॉवर, राजिंद्र प्लेस, सेंट्रल दिल्ली, नई दिल्ली, दिल्ली–110008, इंडिया

कृते आवेदक की ओर से
मैसर्स नोवोएवेंदुरास प्राईवेट लिमिटेड
हस्ता/– हस्ता/–
विक्रम सिंघी जर्का जैन
(निदेशक) (निदेशक)
डीआईएन : 09242I689 डीआईएन : 09420356
दिनांक : 02.06.2026
स्थान : नई दिल्ली

बेजल इंटरनेशनल लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : ।।–बी/20, प्रथम तल, लाजपत नगर, नई दिल्ली– 110024
सीआईएन : L65923DL1982PLC290287
ईमेल आईडी : bazelinternational@gmail.com, **दूरभाष सं.:** 011–46081516,
वेबसाइट : www.bazelinternationalltd.com

31 मार्च 2026 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष के पृथक एवं समेकित लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश

(रु. लाख में)

क्र. सं.	विवरण	पृथक					समेकित				
		समाप्त तिमाही			समाप्त वर्ष		समाप्त तिमाही			समाप्त वर्ष	
		31.03.2026 (लेखापरीक्षित)	31.12.2025 (अलेखापरीक्षित)	31.03.2025 (लेखापरीक्षित)	31.03.2026 (लेखापरीक्षित)	31.03.2025 (लेखापरीक्षित)	31.03.2026 (लेखापरीक्षित)	31.12.2025 (अलेखापरीक्षित)	31.03.2025 (लेखापरीक्षित)	31.03.2026 (लेखापरीक्षित)	31.03.2025 (लेखापरीक्षित)
1	परिचालनों से कुल आय	109.90	114.05	243.40	439.89	319.68	103.53	121.18	244.24	441.39	320.51
2	अवधि का निवल लाभ / (हानि) (कर, आपवादिक तथा / अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	(19.72)	70.53	148.08	182.44	176.28	18.46	14.57	84.30	123.60	89.66
3	कर पूर्व अवधि का निवल लाभ / (हानि) (आपवादिक तथा / अथवा असाधारण मदों के पश्चात्)	(19.72)	70.53	148.08	182.44	176.29	18.46	14.57	84.30	123.60	89.66
4	कर पश्चात् अवधि का निवल लाभ / (हानि) (आपवादिक तथा / अथवा असाधारण मदों के पश्चात्)	(48.34)	52.19	99.12	101.25	144.55	(35.39)	21.46	35.24	42.42	57.91
5	अवधि की कुल व्यापक आय (अवधि के लाभ / (हानि) (कर पश्चात्) तथा अन्य व्यापक आय (कर पश्चात्) से समाविष्ट) (टिप्पणी सं. 2 का संदर्भ लें)	(8.70)	77.28	108.16	139.13	153.59	4.25	46.55	374.86	80.30	406.58
6	प्रदत्त समता अंश पूंजी (रु. 10/– का अंकित मूल्य)	981.52	385.52	278.60	981.52	278.60	981.52	385.22	278.60	981.52	278.60
7	आय प्रति अंश (रु. 10/– प्रत्येक का) (परिचालनरत् तथा अपरिचालित परिचालनों हेतु) :										
	मूलभूत :	(0.49)	1.35	0.38	2.93	7.02	(0.16)	0.56	1.26	2.02	3.63
	तरलीकृत :	(0.49)	1.35	0.38	2.93	7.02	(0.16)	0.56	1.26	2.02	3.63

टिप्पणी :
1. उपरोक्त सारांश दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष के वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक सारांश है। सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकतायें) विनियमावली 2015 के विनियम 33 में संदर्भित अन्य प्रकार की मदों के साथ वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप, कंपनी की वेबसाइट www.bazelinternationalltd.com पर तथा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com पर उपलब्ध है। इसे नीचे दिये गये क्यूआर कोड के माध्यम से भी देखा एवं प्राप्त किया जा सकता है।

बोर्ड की ओर से
कृते बेजल इंटरनेशनल लिमिटेड
हस्ता./–
पंकज डावर
(प्रबंध निदेशक)
डीआईएन : 0647964

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28–05–2026

नक्ष प्रेशियस मेटल्स लिमिटेड

(पूर्व में वैक्संस ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)
सीआईएन क्रमांक: L51502DL2003PLC119052
पंजीकृत कार्यालय: 105, प्रथम मंजिल, बड़ौदिया टावर, प्लॉट नंबर 12, डी ब्लॉक, सेंट्रल मार्केट, प्रशांत विहार, नई दिल्ली–110085
कॉर्पोरेट कार्यालय – दुकान संख्या 720, सातवीं मंजिल, सीटीएस संख्या 725/1, लोटस कैपिटल, नासिक रोड, नासिक, महाराष्ट्र, भारत, 422001 : दूरभाष: 0130–2218572 | फैक्स: 0130–2218572 |
ईमेल आईडी: info@nakshmetals.com | **वेबसाइट:** www-nakshmetals-com

31 मार्च, 2026 को समाप्त तिमाही और वर्ष के समेकित लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश

(लाख रुपये में)

क्रम संख्या	विवरण	समेकित परिणाम				
		तिमाही समाप्त			वर्ष समाप्त	
		31.03.2026 (लेखापरीक्षित)	31.12.2025 (लेखापरीक्षित)	31.03.2025 (लेखापरीक्षित)	31.03.2026 (लेखापरीक्षित)	31.03.2025 (लेखापरीक्षित)
1	कुल आय	34.11	34.60	50.98	155.74	235.18
2	कर से पहले की अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि), (असाधारण और/या असाधारण मदों से पहले)	(79.98)	7.63	4.55	(53.49)	42.20
3	कर से पहले की अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण और/या असाधारण मदों के बाद)	(79.98)	7.63	4.55	(53.49)	42.20
4	कर के बाद की अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण और/या असाधारण मदों के बाद)	(58.97)	7.19	4.55	(37.23)	45.25
5	5 अवधि के लिए कुल व्यापक आय (कर के बाद की अवधि के लाभ/हानि सहित) कर सहित) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद)	(58.97)	8.01	4.55	(37.40)	45.25
6	इक्विटी शेयर पूंजी	1052.05	1052.05	1052.05	1052.05	1052.05
7	आरक्षित निधि (वित्तीय परिणाम में दर्शाए गए पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि को छोड़कर)	-	-	-	(446.28)	(408.88)
8	प्रति शेयर आय (10 रुपये प्रति शेयर) (निरंतर और बंद परिचालन के लिए)					
	1 बेसिक	0.56	0.08	0.04	0.36	0.43
	2. डाइल्यूटेड	0.56	0.08	0.04	0.36	0.43

स्टैंडअलोन वित्तीय परिणामों के प्रमुख आंकड़े
एसईबीआई के विनियम 47(1)(बी) (1.0DR) के अनुसार कंपनी की स्टैंडअलोन वित्तीय जानकारी:

संचालन से कुल आय	34.11	34.60	50.98	143.83	235.18
कर से पहले शुद्ध लाभ/(हानि)	(79.68)	8.02	4.55	(53.97)	42.20
कर के बाद शुद्ध लाभ/(हानि)	(58.73)	7.49	4.55	(37.58)	45.25

1. वित्तीय परिणामों के विस्तृत नोट्स स्टॉक एक्सचेंजों और कंपनी की वेबसाइटों www-vaksonsautomobiles-in पर उपलब्ध हैं और नीचे दिए गए या कोड के माध्यम से भी देखे जा सकते हैं:

नक्ष प्रेशियस मेटल्स लिमिटेड के लिए
हस्ताक्षर/–
स्नेहा विस्पुते
प्रबंध निदेशक
DIN: 09693252

दिनांक: 30 मई, 2026
स्थान: नासिक

इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड

IndiGo

सीआईएन: एल62100डीएल2004पीएलसी129768
पंजीकृत कार्यालय: अपर ग्राउंड फ्लोर, थापर हाउस, गेट नं० 2, वेस्टर्न विंग, 124 जनपथ, नई दिल्ली-110001, भारत
मोबाइल: +91–9650098905; **फैक्स:** +91–11–4351 3200
ई-मेल: investors@goindigo.in; **वेबसाइट:** www.goindigo.in

शेयरधारकों के लिए सूचना
कंपनी के इक्विटी शेयरों का निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में हस्तांतरण

यह सूचना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) तथा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखा–परीक्षा, हस्तांतरण और रिफंड) नियम, 2016, संबंधित परिपत्रों एवं उनमें समय–समय पर किए गए संशोधनों ("आईईपीएफ नियम") के प्रावधानों के अनुसार प्रकाशित की जा रही है। इसका उद्देश्य शेयरधारकों को यह सूचित करना है कि यदि उनके पिछले लगातार सात वर्षों के किसी भी लाभांश का दावा नहीं किया गया है/उसका भुगतान नहीं हुआ है और वे आगामी हस्तांतरण की नियत तिथि अर्थात शनिवार, 26 सितंबर 2026 तक उसका दावा नहीं करते हैं, तो आईईपीएफ नियमों के अनुसार उनके पात्र शेयर और लाभांश क्रमशः आईईपीएफ प्राधिकरण के निर्धारित डिमैट खाते और बैंक खाते में हस्तांतरित कर दिए जाएंगे। ऐसे शेयरधारकों का विवरण, जिसमें उनका नाम तथा डीपी आईडी/क्लाइंट आईडी शामिल है, कंपनी की वेबसाइट के निवेशक अनुभाग (https://www.goindigo.in/information/investor-relations.html) पर उपलब्ध है।

उपरोक्त के संदर्भ में, ऐसे सभी शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे वित्तीय वर्ष 2018–19 के अंतिम लाभांश की अप्राप्त / अवैतनिक राशि का दावा करने हेतु गुरुवार, 20 अगस्त 2026 तक कंपनी को आवेदन करें, ताकि उनके शेयर आईईपीएफ में हस्तांतरित न किए जाएं। यदि **गुरुवार, 20 अगस्त 2026** तक या उससे पहले कोई वैध दावा प्राप्त नहीं होता है, तो कंपनी बिना किसी अतिरिक्त सूचना के, जहां भी लागू हो, पात्र लाभांश तथा उससे संबंधित इक्विटी शेयरों को आईईपीएफ प्राधिकरण के पक्ष में हस्तांतरित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाएगी।

ऐसे अप्राप्त / अवैतनिक लाभांश और शेयरों के हस्तांतरण की स्थिति में, शेयरधारक निर्धारित प्रपत्र आईईपीएफ–5, जो www.iepf.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है, में ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करके तथा उसी की विधिवत हस्ताक्षरित भौतिक प्रति, प्रपत्र आईईपीएफ–5 में उल्लिखित आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ कंपनी को भेजकर, आईईपीएफ से उक्त राशि और शेयरों का दावा करने के पात्र होंगे।

उपरोक्त विषय से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए, शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट, मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड (यूनिट: इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड), सेलेनियम बिल्डिंग टॉवर बी, प्लॉट नं. 31–32, फाईनान्शियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद, रंगारेड्डी, तेलंगाना, भारत – 500032 से संपर्क करें। टोल फ्री नं.: 1800–309–4001 अथवा ई–मेल आईडी: einward.ris@kfintech.com ।

इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड के लिए
हस्ता./–
नीरजा शर्मा
कम्पनी सचिव और मुख्य अनुपालन अधिकारी

दिनांक: 1 जून, 2026
स्थान : गुरुग्राम

Criminal Courts Ludhiana

In the court of Sh. Dasvinder singh Judicial Magistrate 1st Class, Ludhiana
Kotak Mahindra Bank
Vs.
Jaspreet Singh
Next Date: 01-07-2026
CNR NO: PBLD03-001096-2024
Notice to: Jaspreet singh : s/o ram krishan r/o sarangwal, jalandhar - 146102, punjab
Whereas it has been proved to the satisfaction of this court that you the accused above named cannot be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under section 82 CRPC is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before the court on 01-07-2026 at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation. take notice that, in default of your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence. given under my hand and seal of the court. for details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana
JMIC, Ludhiana
dated this day of

फार्म नं. आइएनसी–26
[कंपनीज (इनकार्पोरेशन) नियमों, 2014 के नियम 30(5)(ए) के अनुवर्ती]
क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, दिल्ली के समक्ष

कंपनीज अधिनियम, 2013, कंपनीज़ (इनकार्पोरेशन) नियमों, 2014 के नियम 30(5)(ए) तथा कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) के विषय में।
तथा
हिंदुस्तान मर्चेंट्स लिमिटेड (CIN: U74899DL1985PLC021062) **का पंजीकृत कार्यालयः, एक्स–33, पीपल वाला चौक के पास, नवीन शाहदरा, दिल्ली–110032 स्थित है**

....याचिकाकर्ता

सामान्य जनता को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी अपना पंजीकृत कार्यालय **"दिल्ली राज्य" से "उत्तर प्रदेश राज्य" तक** में बदलने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए दिनांक 11.05.2026 को आयोजित कंपनी की असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि मांगने के लिए कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत केन्द्र सरकार को आवेदन करना प्रस्तावित है।
कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन द्वारा प्रभावित होने वाले कोई व्यक्ति, अपनी आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह (14) दिनों के अन्दर **क्षेत्रीय निदेशक के पते बी–2 विंग, दूसरी मंजिल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–** 110003 को विरोध के कारण तथा हित की प्रकृति वर्णित करने वाले शपथ–पत्र द्वारा समर्थित आपत्तियों को पंजीकृत डाक द्वारा या कारणों को भेजें या **निवेशक शिकायत प्रपत्र भरने द्वारा एमसीए–21 पोर्टल** (www.mca.gov.in) पर डिलीवर करने के साथ उसकी प्रति याचिकाकर्ता कंपनी के ऊपर वर्णित पंजीकृत पते पर भेजनी है।

हिते एवं कृते निदेशकों को बोर्ड
हिंदुस्तान मर्चेंट्स लिमिटेड
हस्ता./– **हस्ता./–**
प्रदीप जैन **सुनील जैन**
निदेशक **निदेशक**
डीआईएन: 03525927 **डीआईएन: 00778138**
दिनांक: 20.05.2026
स्थान: दिल्ली

HINDUSTAN AGRIGENETICS LIMITED

CIN: L01119DL1990PLC040979
Regd. Office : C-1/5, Second Floor, Safdarjung Development Area, Hauz Khas, South West Delhi, New Delhi - 110016

STATEMENT OF STANDALONE AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR TO DATE 31-03-2026

Amt in Lacs except EPS

Sl. No.	Particulars	Quarter Ended			Year Ended	
	(Refer Notes Below)	31-03-2026 (Audited)	31-12-2025 (Unaudited)	31-03-2025 (Audited)	31-03-2026 (Audited)	31-03-2025 (Audited)
	Nature of Report - Standalone or Consolidated	Standalone	Standalone	Standalone	Standalone	Standalone
	REVENUE :					
I	Revenue from Operations	-	-	-	4.33	7.71
II	**Other Income :**					
	- Interest and Other Income	24.87	19.78	17.92	91.60	58.14
	- Changes in Value of Investments	18.49	-	-	9.22	17.85
III	**Total Revenue (I + II)**	**43.36**	**19.78**	**17.92**	**105.15**	**83.70**
IV	**EXPENSES :**					
	a) Cost of Materials Consumed	-	-	-	2.21	4.00
	b) Purchases of Stock-in-Trade	-	-	-	0.00	-
	c) Changes in Inventories	-	-	-	0.00	-
	d) Employee Benefits Expense	2.37	2.34	2.30	9.40	8.82
	e) Finance Cost	0.92	-	-	0.92	1.11
	f) Depreciation and Amortisation Expense	0.67	0.67	0.90	2.69	3.59
	g) Other Expenses :					
	- Other Administrative Expenses	4.01	9.98	19.98	26.25	54.32
	- Manufacturing & Operating Expenses	-	-	-	1.34	2.35
	- Changes in Value of Investments	76.38	11.19	46.62	48.69	40.61
V	Total Other Expenses	80.39	21.17	66.60	76.28	97.28
VI	**Total Expenses**	**84.35**	**24.18**	**69.80**	**91.51**	**114.80**
	Profit / (Loss) before Exceptional and Extraordinary items (III-IV)	**(41.00)**	**(4.40)**	**(51.88)**	**13.64**	**(31.10)**
VII	a) Exceptional Items - Profit on sale of Agrl. Land	13.32	-	-	13.32	0.33
VIII	b) Extraordinary Items	-	-	-	-	-
	Profit / (Loss) Before Tax (V - VI)	**(27.68)**	**(4.40)**	**(51.88)**	**26.96**	**(30.77)**
	Tax Expense :					
	(1) Current Tax	13.68	-	-	13.68	0.00
IX	(2) Income Tax - Earlier Years	-	-	-	-	0.00
X	(2) Deferred Tax	(0.14)	-	(0.27)	(0.14)	(0.27)
XI	**Profit/(Loss) After Tax (Continuing operations) (VII - VIII)**	**(41.22)**	**(4.40)**	**(51.61)**	**13.42**	**(30.50)**
XII	Other Comprehensive Income	-	-	-	-	-
XIII	Total Comprehensive Income (IX + X)	(41.22)	(4.40)	(51.61)	13.42	(30.50)
XIV	**Paid-up Share Capital**	440.02	440.02	440.02	440.02	440.02
	Face Value of the Shares	Rs. 10.00	Rs. 10.00	Rs. 10.00	Rs. 10.00	Rs. 10.00
XV	**Other Equity :**					
	- Total Reserves	775.74	816.96	762.32	775.74	762.32
	Earnings Per Share (before extraordinary items) (of Rs. 10/- each)					
	a) Basic	(0.94)	(0.10)	(1.17)	0.30	(0.69)
	b) Diluted	(0.94)	(0.10)	(1.17)	0.30	(0.69)

Notes:
1) The above audited financial results were reviewed and recommended by Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 30th May, 2026 and the review of the same have been carried out by the Statutory Auditors of the company.
2) The Company had adopted the Indian Accounting Standards (Ind AS) from April 1, 2017 and these financial results have been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 an other accounting principles generally acepted in India.
3) The format of audited quarterly results as prescribed by SEBI's Circular CIR/CFD/CMD / 15/2015 dated 30th November, 2015 has been modified to comply with the requirements of SEBI Circular dated 5th July, 2016, Ind AS and Schedule III of the Companies Act, 2013.
4) The Company has one reportable business segment viz., Trading in Agricultural Seeds.
5) The previous period figures have been rearranged / regrouped, wherever necessary, to confirm to current period classification.

By and on behalf of the Board of Directors of
HINDUSTAN AGRIGENETICS LIMITED
RAJENDRA NANIWADEKAR
Managing Director

Place : Hyderabad
Date : 30.05.2026

पदम कॉटन यार्न्स लिमिटेड

सीआईएन: L17112HR1997PLC033641
पंजीकृत कार्यालय:196, पहली मंजिल, रेड क्रॉस भवन के सामने, जी.टी. रोड, करनाल–132001 (हरियाणा)
कॉर्पोरेट कार्यालय: सी – 801, कृष क्यूबिकल गोवर्धन पार्टीप्लॉट, एवलॉन हॉटल रोड, सिंधु भवन मार्ग, थलतेज, अहमदाबाद, दस्क्रोई, गुजरात, भारत, 380059
वेबसाइट: www.padamcotton.com | ईमेल: cspcyl6@gmail.com | टेलीफोन: 9998865217

31 मार्च, 2026 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए अंकेक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण

कंपनी के निदेशक मंडल ने शनिवार, 30 मई, 2026 को हुई बैठक में 31 मार्च, 2026 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों ("वित्तीय परिणाम") को मंजूरी दे दी।
सीमित समीक्षा रिपोर्ट के साथ गैर–लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों को कंपनी की वेबसाइट पर OUTCOME OF BOARD MEETING_RESULTS AS ON 31.03.2026.pdf पर अपलोड किया गया है और दिए गए क्यूआर कोड के माध्यम से इसे एक्सेस किया जा सकता है।

पदम कॉटन यार्न्स लिमिटेड के लिए
हस्ता/–
दिनेश श्रीवास्तव
पूर्णकालिक निदेशक
डीआईएन: 11030609

तिथि: 01.06.2026
स्थान: अहमदाबाद

अहलुवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः ए–177, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज–I, नई दिल्ली–110020
सीआईएन क्रमांकः L45101DL1979PLC009654 – वेबसाइटः www.acilnet.com ईमेलः mail@acilnet.com
31 मार्च, 2026 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए स्वतंत्र और समेकित लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण

(राशि लाख रुपये में)

क्र. सं.	विवरण	स्वतंत्र				समेकित			
		समाप्त तिमाही		समाप्त वर्ष		समाप्त तिमाही		समाप्त वर्ष	
		31-03-2026 (लेखापरीक्षित)	31-03-2025 (लेखापरीक्षित)	31-03-2026 (लेखापरीक्षित)	31-03-2025 (लेखापरीक्षित)	31-03-2026 (लेखापरीक्षित)	31-03-2025 (लेखापरीक्षित)	31-03-2026 (लेखापरीक्षित)	31-03-2025 (लेखापरीक्षित)
I	परिचालनों से कुल आय	132229.87	121563.63	456519.81	409862.31	132229.87	121563.63	456519.81	409862.31
II	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/हानि (कर से पहले, अपवादात्मक और /या असाधारण मदें)	10795.52	11174.41	35751.94	27240.22	10802.49	11180.03	35777.26	27260.06
III	कर से पहले की अवधि के लिए सामान्य गतिविधियों से शुद्ध लाभ/(हानि) (अपवादात्मक और/या असाधारण मदों के बाद)	10795.52	11174.41	35751.94	27240.22	10986.68	11191.18	35909.22	27297.27
IV	कर के बाद की अवधि के लिए शुद्ध लाभः (हानि) (अपवादात्मक और/या असाधारण मदों के बाद)	8014.06	8316.47	26432.16	20151.08	8202.11	8333.24	26586.34	20208.13
V	अवधि के लिए कुल व्यापक आय [जिसमें अवधि के लिए लाभ/(हानि) (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद) शामिल हैं]	7973.29	8333.45	26391.49	20128.09	8161.34	8350.22	26545.66	20185.14
VI	इक्विटी शेयर पूंजी	1339.75	1339.75	1339.75	1339.75	1339.75	1339.75	1339.75	1339.75
VII	अन्य इक्विटी (आरक्षित) (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर) जैसा कि वर्ष के लेखापरीक्षित तुलन पत्र में दर्शाया गया है			204656.39	178066.82			204550.62	178504.99
VIII	प्रति शेयर आय (2 रुपये प्रति शेयर) (निरंतर और बंद किए गए संचालन के लिए)								
	मूल	11.96	12.41	39.46	30.08	12.24	12.44	39.69	30.17
	तनुकृत	11.96	12.41	39.46	30.08	12.24	12.44	39.69	30.17

टिप्पणियाँ:
1. उपरोक्त स्वतंत्र और समेकित वित्तीय परिणामों की समीक्षा लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गई है और उसके बाद निदेशक मंडल ने 30 मई, 2026 को आयोजित अपनी बैठक में इन्हें अनुमोदित किया है। स्वतंत्र और समेकित वित्तीय परिणाम कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों (आईएनडी–एएस) के अनुसार, कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के नियम 3 और उसके बाद के प्रासंगिक संशोधन नियमों के साथ तैयार किए गए हैं। वैधानिक लेखापरीक्षकों ने इन परिणामों पर अपरिवर्तित लेखापरीक्षा राय व्यक्त की है।
2. निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए 35: की दर से 0.70 पैसे प्रति इक्विटी शेयर (प्रत्येक का अंकित मूल्य 2 रुपये) लाभांश की सिफारिश की है,जो आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की स्वीकृति के अधीन है।
3. उपरोक्त विवरण , 31 मार्च 2026 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक अंश है, जिसे एसईबीआई (एलओडीआर) विनियमन 2015 के संशोधित विनियमन 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों में दाखिल किया गया है। परिणाम कंपनी की वेबसाइट **www.acilnet.com** और बीएसई और एनएसई की वेबसाइटों **www.bseindia.com** और **www.nseindia.com** पर उपलब्ध हैं।

अहलुवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड के लिए
हस्ताक्षर/
(बिक्रमजीत अहलुवालिया)
प्रबंध निदेशक
डीआईएन–00304947

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30.05.2026

होर्मुज के पूर्व और लाल सागर से होकर गुजरने वाली नौवहन सेवाओं में बढ़ोतरी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 1 जून।

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने फारस की खाड़ी में मौजूदा समुद्री स्थिति को लेकर जानकारी देते हुए कहा, पश्चिम एशिया में मौजूदा स्थिति के बीच होर्मुज के पूर्व और लाल सागर से होकर गुजरने वाली नौवहन सेवाओं में बढ़ोतरी हुई है। होर्मुज के पश्चिमी हिस्से से जहाजों की आवाजाही प्रभावित होने के बाद फरवरी में 127 से बढ़कर अप्रैल में 257 पहुंचने के बाद मई में 245 नौवहन सेवाएं दर्ज की गईं। यह समुद्री व्यापार की मजबूती और नौवहन क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के बीच लगातार बढ़ते विश्वास को दर्शाता है।

मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि इस क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं, और पिछले 72 घंटों में भारतीय ध्वज वाले जहाजों या भारतीय चालक दल वाले विदेशी जहाजों से जुड़ी कोई घटना सामने नहीं आई है।

मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि इस क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं, और पिछले 72 घंटों में भारतीय ध्वज वाले जहाजों या भारतीय चालक दल वाले विदेशी जहाजों से जुड़ी कोई घटना सामने नहीं आई है। मंत्रालय ने जहाजरानी महानिदेशालय (डीजी शिपिंग) के जरिए अब तक 3,446 से अधिक भारतीय नाविकों की सुरक्षित स्वदेश वापसी में सहायता की है, जिनमें खाड़ी क्षेत्र के विभिन्न स्थानों से पिछले 72 घंटों में 24 नाविक शामिल हैं।

अंतर मंत्रालयी संबोधन के दौरान अधिकारी ने बताया कि सरकार ने खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार बनाए रखा है, नियमित आयात, घरेलू उत्पादन और मौजूदा भंडार के समर्थन से खाद्य तेलों की घरेलू उपलब्धता पर्याप्त बनी हुई है।

पश्चिम एशिया संघर्ष : युद्धविराम की स्थिति बनी नाजुक

अमेरिका ने ईरानी सैन्य स्थलों पर बमबारी की, कुवैत पर हुए ड्रोन व मिसाइल हमले

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 1 जून।

अमेरिका ने सोमवार को कहा कि इस सप्ताहांत में तेहरान द्वारा एक अमेरिकी ड्रोन को मार गिराए जाने के बाद उसने ईरान में रडार और ड्रोन ठिकानों पर बमबारी की।

अमेरिका के बयान के बाद ईरान ने कहा कि उसने कुवैत में अमेरिकी सैनिकों को मिसाइलों से निशाना बनाया, जिन्हें अमेरिका ने मार गिराने का दावा किया है। ये हमले ईरान युद्ध में कई सप्ताह से लागू युद्धविराम की नाजुक स्थिति को दशार्ते हैं। अमेरिकी और ईरानी अधिकारी इस युद्धविराम की अवधि को बढ़ाने के लिए समझौते पर बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हमले लगातार जारी हैं।

ईरान होर्मुज जलमार्ग पर अपनी पकड़ बनाए हुए है जिससे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति बाधित हुई है। कभी फारस की खाड़ी के इस संकरे मुहाने से तेल और प्राकृतिक गैस के वैश्विक कारोबार का पांचवां हिस्सा गुजरता था। ब्रिटिश सेना ने बताया कि सोमवार अपराह्न इराक के तट पर एक मालवाहक जहाज पर हमला हुआ। इजराइल और लेबनानी चरमपंथी समूह हिज्बुल्ला के बीच लड़ाई तेज हो गई है। इजराइल ने लेबनान में अपना कब्जा काफी अंदर तक बढ़ा दिया है, और हिज्बुल्ला – जो अपने मुख्य समर्थक ईरान के समर्थन में युद्ध में शामिल हुआ – इजराइल पर ड्रोन हमले जारी रखे हुए है।

अमेरिकी सेना की 'सेंट्रल कमांड' ने कहा कि उसने शनिवार और रविवार को ईरान में गेरुक शहर और केशम द्वीप के आसपास हमले किए। 'सेंट्रल कमांड' ने कहा, 'सीमित और सोच-समझकर किए गए ये हमले ईरान की आक्रामक कार्रवाइयों के जवाब में हुए थे, जिनमें अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र के ऊपर उड़ान भर रहे 'अमेरिकी एमक्यू-1' ड्रोन को मार गिराना शामिल है।'

उसने कहा, 'अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ईरानी वायु रक्षा प्रणालियों, एक जमीनी नियंत्रण केंद्र और दो ऐसे ड्रोन को नष्ट कर दिया जो क्षेत्रीय जलक्षेत्र से गुजर रहे पोतों के लिए स्पष्ट खतरा पैदा कर रहे थे।' प्रीडेटर ड्रोन को अमेरिकी वायुसेना सेवा से हटा चुकी है और अब वह 'एमक्यू-9 रीपर' ड्रोन का इस्तेमाल करती है लेकिन अमेरिकी थल सेना अब भी प्रीडेटर ड्रोन का उपयोग करती है। अमेरिकी सेना ने कहा कि इन हमलों में कोई अमेरिकी सैनिक हताहत नहीं हुआ। इस बीच कुवैत ने कहा कि उसकी वायु रक्षा प्रणालियों ने ड्रोन और मिसाइल हमलों को रोकने के लिए सोमवार तड़के कार्रवाई शुरू कर दी।

ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी आईआरएनए की खबर के अनुसार, ईरानी अर्द्धसैन्य बल 'रिवोल्यूशनरी गार्ड' ने एक बयान में बताया कि अमेरिकी बलों ने एक द्वीप पर दूरसंचार टावर को निशाना बनाया। 'रिवोल्यूशनरी गार्ड' ने कहा कि उसने जवाबी हमला किया लेकिन यह नहीं बताया कि हमला कहां किया गया। ब्रिटिश सेना ने बताया कि सोमवार को इराक के उम कसर तट के पास एक मालवाहक जहाज पर हमला किया गया, जिससे एक 'बड़ा विस्फोट' हुआ। हालांकि ईरान ने पहले भी इराक के तट पर जहाजों पर हमले किए हैं, लेकिन सेना ने कोई विवरण नहीं दिया और किसी ने भी हमले की जिम्मेदारी नहीं ली।

ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने सोमवार को एक बार फिर अमेरिका पर लगातार अपना रुख बदलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, 'शुरू से ही हम जानते थे और अब भी जानते हैं कि हम अविश्वास के माहौल में बातचीत कर रहे हैं।'

'मिसाइलों व ड्रोन का सामना किया'

कुवैत की सेना ने कहा कि उसके हवाई सुरक्षा तंत्र ने 'दुश्मन' मिसाइलों और ड्रोन का सामना किया, लेकिन उसने यह जानकारी नहीं दी कि यह हमला कहां से हुआ था। यह नए हमले तीन महीने पुराने युद्ध को खत्म करने के लिए चल रही बातचीत के दौरान हुए। यह युद्ध 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के हमलों के साथ शुरू हुआ था, जिसमें अब तक हजारों लोग मारे जा चुके हैं और वैश्विक ऊर्जा की कीमतें तेजी से बढ़ गई हैं।

हमले में कोई हताहत नहीं : ईरान

ईरानी मीडिया ने बताया है कि अमेरिकी सेना ने बंदर अब्बास बंदरगाह के पास हमला किया, जिससे कोई नुकसान या हताहत नहीं हुआ। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कार्प्स ने बाद में कहा कि उसने बंदर अब्बास हमले के जवाबी कार्रवाई में एक अमेरिकी एयरबेस पर हमला किया, और चेतावनी दी कि यदि अमेरिका का आक्रमण जारी रहा तो और भी निर्णायक कार्रवाई की जाएगी।

ईरानी ड्रोन को मार गिराया : अमेरिका

एक अमेरिकी अधिकारी ने रायटर्स को बताया कि अमेरिकी सेना ने रात के समय ईरान में नए हमले किए। अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि अमेरिकी सेना ने कई ईरानी ड्रोन को भी रोका और मार गिराया, जो इसी तरह का खतरा पैदा कर रहे थे।

खबर कोना

कुलगाम में सोमवार को नशामुक्त पदयात्रा के दौरान बच्चों के साथ जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा।

अमेरिकी सेना ने होर्मुज से 70 वाणिज्यिक जहाजों को सुरक्षित निकलवाया

वाशिंगटन, 1 जून (भाषा)।

पिछले तीन हफ्तों में अमेरिकी सशस्त्र बलों ने लगभग 70 वाणिज्यिक जहाजों को होर्मुज जलमार्ग से सुरक्षित निकाला है। ईरान के साथ अमेरिका के युद्ध की शुरुआत के तीन महीने बाद से यह जलमार्ग जोखिम भरा बना हुआ है। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि पिछले तीन हफ्तों में अमेरिकी सेंट्रल कमान ने फारस की खाड़ी में आने-जाने वाले लगभग 70 वाणिज्यिक जहाजों का जलमार्ग से गुजरने में मार्गदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि संकरे जलमार्ग से गुजरते समय पकड़े जाने से बचने के लिए ज्यादातर जहाजों ने अपने ट्रांसपोंडर बंद कर दिए थे। बताया गया कि 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने से पहले, प्रतिदिन 100 से अधिक वाणिज्यिक जहाज होर्मुज से होकर गुजरते थे। ईरान और ओमान से घिरे इस संकरे जलमार्ग से वैश्विक तेल आपूर्ति की 20 फीसद माल ढुलाई होती है। अधिकारियों ने यह बताने से इनकार कर दिया कि किस प्रकार के जहाज वहां से गुजर रहे थे और उन्होंने कौन सा मार्ग अपनाया, लेकिन अधिकारी ने संकेत दिया कि एक मार्ग ईरानी तटरेखा के करीब नहीं था। अधिकारियों ने कहा कि ईरान की अनुमति के बिना ईरान के पास से गुजरने वाले जहाजों पर ईरानी ड्रोन या मिसाइलों द्वारा हमले का खतरा निश्चित है।

नागेंद्र नाथ त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठक नियुक्त

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 1 जून।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी के वरिष्ठ नेता नागेंद्र नाथ त्रिपाठी को राष्ट्रीय संगठक नियुक्त किया है। पार्टी के एक पदाधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। त्रिपाठी बिहार और झारखंड के लिए भाजपा के क्षेत्रीय महामंत्री के रूप में सेवाएं दे रहे थे। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) अरुण सिंह ने एक अधिसूचना में कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने नागेंद्र नाथ त्रिपाठी को पार्टी का राष्ट्रीय संगठक (विशिष्ट कार्यकर्ता संपर्क) नियुक्त किया है। उनका केंद्र दिल्ली रहेगा।

राज्यसभा की 27 व तीन विधानसभा के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित

नई दिल्ली, 1 जून (ब्यूरो)।

निर्वाचन आयोग ने सोमवार को देश में होने वाले 27 राज्यसभा और तीन विधानसभा क्षेत्र के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इन सीटों पर आगामी 18 जून को मतदान होगा। यह प्रक्रिया सुबह आठ बजे से शुरू होगी और चार बजे तक होगी। मतदान के दिन ही निर्वाचन आयोग मतों की गणना की प्रक्रिया शुरू करेगा। इन चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया आदेश जारी होने के साथ ही शुरू हो गई है और आगामी आठ जून तक इन सीट के लिए नामांकन किया जाएगा। नामांकन की जांच नौ जून होगी और नामांकन करने वाला उम्मीदवार 11 जून तक अपना नामांकन वापस ले सकता है। निर्वाचन आयोग के मुताबिक इस प्रक्रिया के तहत दस राज्यों की 24 सीट के लिए मतदान होगा। इन राज्यों में महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा की सीट शामिल हैं। इसी प्रकार बिहार राज्य विधानसभा की नौ सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव होगा और एक सीट के लिए उपचुनाव कराया जाएगा। कर्नाटक में विधानसभा की सात सीट के लिए चुनाव कराया जाएगा।

तृणमूल ने पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर दो विधायकों को निकाला

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 1 जून।

तृणमूल कांग्रेस ने कथित पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर अपने दो विधायकों संदीपन साहा और ऋतव्रत बनर्जी को सोमवार को निष्कासित कर दिया।

इस निष्कासन आदेश से कुछ ही मिनट पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य सचिवालय में संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा था कि राज्य विधानसभा में 'फर्जी हस्ताक्षर' मामले के संबंध में शिकायतें इन दोनों विधायकों ने दर्ज कराई थीं। यह मामला तृणमूल द्वारा शोभनदेब चट्टोपाध्याय को विपक्ष के नेता के रूप में समर्थन दिए जाने के पत्र से जुड़ा है। दोनों विधायकों को भेजे गए पत्र में कहा गया है, 'अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के संज्ञान में सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से यह बात लाई गई है कि एआइटीसी द्वारा नामित उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित होने के बावजूद आप पार्टी के अधिकृत नेतृत्व द्वारा बुलाई गई बैठकों में शामिल होने में विफल रहे हैं और आपने खुद को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल किया है।'

पार्टी उपाध्यक्ष चंद्रिमा भट्टाचार्य द्वारा हस्ताक्षरित पत्र में कहा गया, 'यह भी पाया गया है कि आप ऐसी गतिविधियों में शामिल रहे हैं और आपने ऐसे बयान दिए हैं, जो तृणमूल कांग्रेस के हितों के प्रतिकूल हैं।'

पत्र में कहा गया है कि मामले पर विचार-विमर्श करने के बाद तृणमूल के प्राधिकारी ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित करने का फैसला किया है।

कर्नाटक मंत्रिमंडल गठन पर आज सहमति संभव

सिद्धरमैया और शिवकुमार की शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठक

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 1 जून।

कर्नाटक में नए मुख्यमंत्री पद का फैसला होने के बाद अब डीके शिवकुमार से मंत्रिमंडल सहयोगियों की तलाश शुरू हो गई है। इसके लिए सोमवार को दिल्ली में कर्नाटक के नेताओं का तांता लगा रहा और इन नेताओं ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की।

माना जा रहा है कि इन बैठकों में नए मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल सहयोगियों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। डीके शिवकुमार के अतिरिक्त पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया भी सोमवार को दिल्ली में ही मौजूद रहे। पार्टी के नेताओं से मुलाकात के बाद कर्नाटक के मनोनीत मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार दिल्ली में कर्नाटक भवन पहुंचे। इससे पहले डीके शिवकुमार दिल्ली में वरिष्ठ अधिवक्ता और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी से भी मुलाकात की। सोमवार को कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया दिल्ली में ही मौजूद थे। इसके अतिरिक्त कर्नाटक कांग्रेस के अन्य नेताओं ने भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर पहुंच कर उनके मुलाकात की।

कर्नाटक के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता प्रियांक खरगे, पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया से मिलने दिल्ली के एक होटल पहुंचे। कांग्रेस नेता एच.के. पाटिल ने कर्नाटक में नई सरकार के गठन पर कहा, 'पार्टी में सबकुछ सामान्य चल रहा है। पार्टी के नेताओं में बहुत सहमति है। वहीं कर्नाटक के पूर्व मंत्री ईश्वर खंड्रे ने कहा कि मैं कांग्रेस अध्यक्ष से मिला और अपने कर्तव्यों का पालन करने में उनके मार्गदर्शन के लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहता था।

मुख्यमंत्री तीन जून को शपथग्रहण समारोह, राहुल गांधी भी होंगे शामिल।

काकरोच जनता पार्टी के संस्थापक छह जून को भारत लौटेंगे

नई दिल्ली, 1 जून (भाषा)।

काकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सोमवार को कहा कि वह परीक्षा संबंधी गड़बड़ियों के संबंध में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन की शुरुआत के लिए छह जून को भारत लौटेंगे। वर्तमान में अमेरिका में रह रहे दीपके ने 'इंस्टाग्राम' पर जारी एक वीडियो में समर्थकों और छात्रों से दिल्ली में उनके विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया।

उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि हम सभी भारत के संविधान के मार्ग पर चलते हुए एकजुट हों और शांतिपूर्वक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करें। अगर हम सब मिलकर आवाज उठाएंगे तो उन्हें हमारी बात जरूर सुननी पड़ेगी। दीपके इस समय अमेरिका के बोस्टन शहर में हैं, जहां उन्होंने हाल ही में जनसंपर्क में स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी की है। उन्होंने समर्थकों से छह जून को हवाई अड्डे पर उनसे मिलने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि मैं शनिवार, छह जून की सुबह दिल्ली पहुंचूंगा। कृपया हवाई अड्डे पर मुझसे मिलें और हम सब मिलकर संसद मार्ग थाने जाकर जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की अनुमति मांगेंगे। सीजेपी के संस्थापक ने आशंका जताई कि भारत लौटने पर उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है।

अमेरिका में रह रहे दीपके ने 'इंस्टाग्राम' पर जारी एक वीडियो में समर्थकों व छात्रों से दिल्ली में उनके विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया।

दीपके ने कहा, लेकिन उनका मानना है कि उनका नियोजित विरोध प्रदर्शन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण सभा की संवैधानिक गारंटी के तहत संरक्षित है। दीपके ने हालांकि कहा कि वह परिवार को मिल रही धमकियों को लेकर ज्यादा चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि मुझे व्यक्तिगत रूप से मिली धमकियों की ज्यादा चिंता नहीं है, लेकिन मेरे परिवार को मिली धमकियों को लेकर मैं थोड़ा चिंतित हूं। क्योंकि मेरे परिवार ने ऐसा करने का फैसला नहीं किया था, यह मेरा निर्णय था। उन्हें इसमें घसीटा नहीं जाना चाहिए।

मुलाकात नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करते नव नियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष (सीडीएस) जनरल एन एस राजा सुब्रमणि व उनकी पत्नी महालक्ष्मी सुब्रमणि।

कोर्ट ने सीबीआइ को झुनझुनवाला को गिरफ्तार करने की अनुमति दी

मुंबई/नई दिल्ली, 1 जून (भाषा)।

मुंबई की एक अदालत ने सोमवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) को उद्योगपति अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस समूह के पूर्व वरिष्ठ कार्यकारी अमिताभ झुनझुनवाला को बैंक ऋणों के कथित दुरुपयोग से संबंधित मामले में गिरफ्तार करने की अनुमति दे दी।

मामला कंपनी द्वारा कथित ऋण धोखाधड़ी में भारतीय स्टेट बैंक को हुए 2,929.05 करोड़ रुपए के नुकसान से संबंधित है। झुनझुनवाला को नई दिल्ली की तिहाड़ केंद्रीय जेल से एक पेशी वारंट पर सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश जेपी दरेकर के सामने पेश किया गया। झुनझुनवाला ईडी की जांच वाले एक संबंधित धनशोधन मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। उन्हें पेश किए जाने के बाद, सीबीआइ ने विशेष लोक अभियोजक ए लिमोसिन के माध्यम से आरोपी को हिरासत में लेने और औपचारिक रूप से गिरफ्तार करने की अनुमति मांगने के लिए एक आवेदन दायर किया।

झुनझुनवाला की ओर से पेश अधिवक्ता रीति उपाध्याय और मुदित जैन ने तर्क दिया कि दिल्ली की एक अदालत द्वारा जारी किए गए पेशी वारंट के अनुसार, अनिल धीरूभाई अंबानी समूह के पूर्व कार्यकारी को पांच जून को अदालत के समक्ष पेश किया जाना था। बचाव पक्ष ने दलील दी कि उस तारीख से पहले अदालत के समक्ष उनकी पेशी अवैध है। अदालत ने सीबीआइ के उस आवेदन को स्वीकार कर लिया जिसमें आरोपियों को औपचारिक रूप से गिरफ्तार करने की अनुमति मांगी गई थी।

मौसम विभाग ने कहा | अनुमान | कृषि क्षेत्र के लिए बड़ी चिंता का विषय

मानसून के दो-तीन दिन में केरलम पहुंचने की संभावना

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 1 जून।

देश की मुख्य भूमि पर मानसून का इंतजार खत्म होने को है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने शनिवार को कहा कि दो से तीन दिन में दक्षिण-पश्चिम मानसून के केरलम पहुंचने की संभावना की पूरी संभावना है। आमतौर पर मानसून एक जून को केरलम में पहुंच जाता है।

मौसम विभाग ने कहा कि अगले दो-तीन दिनों में दक्षिण-पश्चिम मानसून के दक्षिण-पश्चिम और दक्षिण-पूर्व अरब सागर, लक्षद्वीप समूह, केरलम व तमिलनाडु के कुछ हिस्से, दक्षिण-पश्चिम, पश्चिम-मध्य, पूर्व-मध्य व उत्तर-पूर्व बंगाली की खाड़ी के कुछ और हिस्सों तथा दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी के शेष हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। तीन जून से उत्तर-पश्चिमी भारत में एक नए पश्चिमी विक्षोभ के आने की संभावना है। उत्तर-पश्चिमी भारत के कई राज्यों में तापमान में क्रमिक चार से छह डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी हो सकती है।

विभाग ने शुक्रवार को कहा था कि देश में मानसून की बारिश सामान्य से कम रहने की संभावना है, जो लंबी अवधि के औसत का 90 फीसद होगी। इसके साथ ही साल 2026 देश में 10 साल का सबसे सूखे वर्ष हो सकता है। विभाग ने अप्रैल में जारी अपने पिछले पूर्वानुमान को घटा दिया है। साल 1971 से साल 2020 तक के आंकड़ों के आधार पर, जून से सितंबर के दौरान देश में मानसून वर्षा का लंबी अवधि का औसत 87 सेंटीमीटर है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, 'कमी वाले' मानसून (लंबी अवधि के औसत का 90 फीसद से कम) की 60 फीसद संभावना है, 'सामान्य से कम' मानसून (लंबी अवधि के औसत का 90-95 फीसद) की 24 फीसद संभावना है, 'सामान्य' मानसून (लंबी अवधि के औसत का 96-104 फीसद) की 14 फीसद संभावना है, 'सामान्य से अधिक' मानसून (लंबी अवधि के औसत का 105-110 फीसद) की दो फीसद संभावना है और 'अत्यधिक' मानसून (लंबी अवधि के औसत का 110 फीसद से अधिक) की शून्य संभावना है।

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव एम रविचंद्रन ने कहा कि हमने लंबी अवधि के औसत का 90 फीसद पूर्वानुमान, इस आधार पर जारी किया है कि इस मौसम के दौरान हमें कुल कितनी बारिश मिलने की संभावना है। इसलिए हम गतिशील कारकों पर भी नजर रखते हैं। कृषि क्षेत्र के लिए यह एक बड़ी चिंता का विषय है।

जून से सितंबर 2026 के दौरान देश के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से कम मौसमी वर्षा होने की सबसे अधिक संभावना है। इसके अपवाद के तौर पर उत्तर-पश्चिमी और उत्तर-पूर्वी भारत के कुछ क्षेत्र, दक्षिणी प्रायद्वीप के पूर्वी हिस्से और पूर्वी-मध्य भारत तथा पूर्वी भारत के कुछ अलग इलाके शामिल हैं, जहां सामान्य से लेकर सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावना है।

देश की अधिकांश वर्षा-आधारित कृषि भूमि के लिए दक्षिण-पश्चिम मानसून की वर्षा भी सामान्य से कम रहने की संभावना है, जो लंबी अवधि के औसत के 94 फीसद से नीचे होगी। पूर्वोत्तर भारत में बारिश के सामान्य रहने की सबसे अधिक संभावना है

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT. THIS DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. THIS PUBLIC ANNOUNCEMENT IS NOT INTENDED FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA.

YAASHVI JEWELLERS LIMITED

Corporate Identification Number: U27200RJ2016PLC056519

Our Company was incorporated as *"Yaashvi Jewellers Private Limited"* under the provisions of the Companies Act, 2013 vide certificate of incorporation dated December 13, 2016 issued by Registrar of Companies/ Central Registration Centre. Subsequently the status of the Company was changed to public limited and the name of our Company was changed to *"Yaashvi Jewellers Limited"* vide Special Resolution passed by the Shareholders at the Extra Ordinary General Meeting of our Company held on September 12, 2024. The fresh certificate of incorporation consequent to conversion was issued on December 13, 2024, by Central Processing Centre. The Corporate Identification Number of our Company is U27200RJ2016PLC056519. For further details on Incorporation and Registered Office of our Company, see *"History and Certain Corporate Matters"* beginning on page 157 of the Prospectus.

Registered Office: Plot No. 486, Nemi Sagar Colony, Vaishali Nagar, Jaipur, Rajasthan, India, 302021.
Telephone: +91 9529833397 | **Email:** investor@yaashvijewellers.com | **Website:** www.yaashvijewellers.com
Contact Person: Mr. Kalu Ram Kumawat, Company Secretary and Compliance Officer

THE PROMOTERS OF OUR COMPANY ARE MS. ANKITA AGARWAL AND MR. ANKIT AGGARWAL

"THE ISSUE IS BEING MADE IN ACCORDANCE WITH CHAPTER IX OF THE SEBI ICDR REGULATIONS (IPO OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES) AND THE EQUITY SHARES ARE PROPOSED TO BE LISTED ON SME PLATFORM OF BSE (BSE SME)."

BASIS OF ALLOTMENT

INITIAL PUBLIC OFFER OF 52,86,400 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH (THE **"EQUITY SHARES"**) OF YAASHVI JEWELLERS LIMITED (**"OUR COMPANY"** OR **"YAASHVI"** OR **"THE ISSUER"**) AT AN ISSUE PRICE OF ₹ 83/- PER EQUITY SHARE FOR CASH, AGGREGATING TO ₹ 4,387.71 LAKHS (**"PUBLIC ISSUE"**). THE ISSUE INCLUDES A RESERVATION OF 2,67,200 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH, AT AN ISSUE PRICE OF ₹ 83/- PER EQUITY SHARE FOR CASH, AGGREGATING ₹ 221.78 LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY THE MARKET MAKER TO THE ISSUE (THE **"MARKET MAKER RESERVATION PORTION"**). THE PUBLIC ISSUE LESS MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. NET ISSUE OF 50,19,200 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH, AT AN ISSUE PRICE OF ₹ 83/- PER EQUITY SHARE FOR CASH, AGGREGATING UPTO ₹ 4,165.94 LAKHS IS HEREIN AFTER REFERRED TO AS THE **"NET ISSUE"**. THE PUBLIC ISSUE AND NET ISSUE WILL CONSTITUTE 30.00% and 28.48% RESPECTIVELY OF THE POST- ISSUE PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

ISSUE PRICE: ₹ 83/- PER EQUITY SHARE OF FACE VALUE OF ₹ 10.00 EACH.

THE ISSUE PRICE IS 8.3 TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES.

ISSUE PROGRAM

ISSUE OPENED ON: MONDAY, MAY 25, 2026

ISSUE CLOSED ON: WEDNESDAY, MAY 27, 2026

Risks to Investors:

1. **Risk to Investors: Top 5 Risk factors:**

a) We have certain outstanding litigation against us, an adverse outcome of which may adversely affect our business, reputation and results of operations.

b) We depend on few suppliers for our raw materials required for our operations and we have not entered into any long-term agreements. Any delays, interruptions or reduction in the supply of raw materials to manufacture our products and any abrupt fluctuations in the prices of our raw materials may adversely affect the pricing of our products and may have an impact on our business, results of operation, financial condition and cash flows.

c) We depend on certain customers for a significant portion of our revenues, Also, our Company in the usual course of business does not have any long-term contracts with its customers and we rely on purchase orders for delivery of our products and our customers may cancel or modify their orders, change quantities, delay or change their sourcing strategy. Loss of one or more of our top customers or a reduction in their demand for our products or reduction in revenue derived from them may adversely affect our business, results of operations and financial condition.

d) Our jewellery business faces risks from market volatility and changing customer preferences. Fluctuations in commodity prices like gold and silver could impact our costs and profitability. Our ability to anticipate changes in industry trends to meet customers' demands and any variations in the government regulations/policies or technology upgradation is a significant factor to remain competitive, any failure to identify and understand the trends may materially adversely affect our business.

e) Majority of our revenue from operation is derived from manufacturing of plain gold chains. Any reduction in the sale of plain gold chains, or our inability to manufacture and sell plain gold chains, may have an adverse effect on our business, results of operations, cash flows and financial condition.

2. Our Equity Shares have never been publicly traded and may experience price and volume fluctuations following the completion of the Issue. Further, our Equity Shares may not result in an active or liquid market, and the price of our Equity Shares may be volatile, and you may be unable to resell your Equity Shares at or above the Issue Price or at all.

3. The Merchant Banker associated with the Issue has handled following public issues in the past three years which have closed below the Issue Price on Listing date:

Name of Lead Manager	Total Issues	Issues that closed below IPO price as on listing date
Smart Horizon Capital Advisors Private Limited	23	05
Total	**23**	**05**

4. The average cost of acquisition of Equity Shares by our Promoters is as follows:

Sr. No.	Name	No of Equity Shares held	Average cost of Acquisition (in ₹)*
Promoters			
1.	Ms. Ankita Agarwal	55,07,382	1.70
2.	Mr. Ankit Aggarwal	61,24,982	7.38

**As certified by Statutory Auditor of our Company, by way of their certificate dated May 08, 2026.*

5. Weighted average cost of acquisition during the 18 months preceding the date of the Prospectus:

Period	Weighted Average Cost of Acquisition (in ₹) *	Issue Price is '83.00' times the Weighted Average Cost of Acquisition
Weighted average cost of acquisition of primary issuances	Nil	NA
Weighted average cost of acquisition for secondary transactions	58.00	1.43

**As certified by Statutory Auditor of our Company, by way of their certificate dated May 08, 2026.*

The Issue was being made through the Fixed Price process, in terms of Rule 19(2)(b)(i) of the SCRR this Issue is being made for at least 25% of the post-Issue paid-up Equity Share capital of our Company. This Issue is being made through Fixed Price process in accordance and compliance with Chapter IX and other applicable provisions of SEBI ICDR Regulations wherein a minimum 50% of the Net Issue is allocated for Individual Investors who applies for minimum application size and the balance shall be offered to individual applicants other than Individual Investors who applies more than minimum application size and other investors including corporate bodies or institutions, QIBs and Non-Institutional Investors. However, if the aggregate demand from the Individual Investors is less than 50%, then the balance Equity Shares in that portion will be added to the other than Individual Investors portion offered to the remaining investors including QIBs and NIIs and vice-versa subject to valid applications being received from them at or above the Issue Price. Additionally, if the Individual Investors category is entitled to more than 50% on proportionate basis, the Individual Investors shall be allocated that higher percentage. All potential investors shall participate in the Issue only through an Application Supported by Blocked Amount ("ASBA") process including through UPI mode (as applicable) by providing details of the respective bank accounts and / or UPI IDs, in case of UPI Applicants, if applicable, which will be blocked by the Self Certified Syndicate Banks (**"SCSBs"**) for the same. For details in this regard, specific attention is invited to *"Issue Procedure"* beginning on page 277 of this Prospectus.

The issue was subscribed to the extent of 6.35 times as per the bid books of BSE (the "Bid Files") after removing multiple and duplicate bids.

The issue received 1,978 applications for 2,86,14,400 Equity Shares before technical rejections and after invalid bids Multiple/Duplicate/bids, UPI Mandates not accepted by investors, bids rejected under application banked but bid not registered resulting in 5.41 times subscription (including reserved portion of market maker). The Details of the Applications received from various categories (before technical rejection) are as under:

Detail of the Applications Received:

Sr. No.	Category	Number of Applications	No. of Equity Shares applied	Equity Shares Reserved as per Prospectus	No. of times Subscribed	Amount (₹)
1.	Market Maker	1	2,67,200	2,67,200	1.00	2,21,77,600
2.	Individual Investors	1,382	44,22,400	25,12,000	1.76	36,70,59,200
3.	Other than Individual Investors	595	2,39,24,800	25,07,200	9.54	1,98,57,58,400
	Total	**1,978**	**2,86,14,400**	**52,86,400**	**5.41**	**2,37,49,95,200**

The Basis of Allotment was finalized in consultation with the Designated Stock Exchange – BSE on May 29, 2026.

1) **Allocation to Market Maker (After Technical Rejections):** The Basis of Allotment to Market Maker, who have applied at Issue Price of ₹ 83/- per equity shares or above, was finalized in consultation with BSE. The category was subscribed by 1.00 time i.e., for 2,67,200 shares the total number of shares allotted in this category is 2,67,200 Equity Shares. The category wise details of the Basis of Allotment are as under:

No. of Shares Applied for (Category wise)	No. of applications received	% to total	Total no. of shares applied in this category	% of total	No. of Equity Shares allocated/ allotted per Applicant	Ratio	Total Number of shares allotted	Surplus/ Deficit
2,67,200	1	100.00	2,67,200	100.00	2,67,200	1:1	2,67,200	0.00
Total	**1**	**100**	**2,67,200**	**100**	**2,67,200**			

2) **Allocation to individual investors (After Technical Rejections):** The Basis of Allotment to individual investors, who have applied at cut-off Price or at or above the Issue Price of ₹ 83.00 per equity shares, was finalized in consultation with BSE. The category was subscribed. by 1.75 times i.e., for 43,90,400 Equity Shares. Total number of shares allotted in this category is 25,12,000 Equity Shares to 785 successful applicants. The category wise details of the Basis of Allotment are as under:

No. of Shares Applied for (Category wise)	No. of applications received	% to total	Total no. of shares applied in this category	% of total	Proportionate shares available	No. of Equity Shares allocated/ allotted per Applicant	Ratio	Total Number of shares allotted
3,200	1,372	100.00	43,90,400	100.00	25,12,000	3,200	785:1372	25,12,000
Total		**100**		**100**				

3) **Allocation to Other than Individual Investors (After Technical Rejections):** The Basis of Allotment to Other than Individual Investors, who have applied at Issue Price of ₹ 83.00 per equity shares or above, was finalized in consultation with BSE. The category was subscribed by 9.52 times i.e., for 2,38,60,800 shares. The total number of shares allotted in this category is 25,07,200 Equity Shares to 522 successful applicants. The category wise details of the Basis of Allotment are as under:

Sr. No.	Category	No. of Application Received	% to Total	Total No. of Equity Shares applied	% of Total	No. of Equity Shares Allotted per Applicant	Ratio	Total No. of Equity Shares allotted
1	4800	438	74.24	2102400	8.81	4800	387:438	1857600
2	6400	8	1.36	51200	0.21	4800	7:8	33600
3	9600	2	0.34	19200	0.08	4800	0:0	0
4	11200	7	1.19	78400	0.33	4800	6:7	28800
5	12800	89	15.09	1139200	4.77	4800	79:89	379200
6	20800	1	0.17	20800	0.09	4800	1:1	4800
7	30400	4	0.68	121600	0.51	4800	3:4	14400
8	32000	2	0.34	64000	0.27	4800	0:0	0
9	44800	1	0.17	44800	0.19	4800	1:1	4800
10	48000	1	0.17	48000	0.20	4800	1:1	4800
11	51200	2	0.34	102400	0.43	4800	0:0	0
12	59200	3	0.51	177600	0.74	4800	2:3	9600
13	60800	1	0.17	60800	0.25	4800	1:1	4800
14	64000	2	0.34	128000	0.54	4800	0:0	0
15	73600	1	0.17	73600	0.31	4800	1:1	4800
16	80000	1	0.17	80000	0.34	4800	1:1	4800
17	102400	1	0.17	102400	0.43	4800	1:1	4800
18	105600	1	0.17	105600	0.44	4800	1:1	4800
19	113600	1	0.17	113600	0.48	4800	1:1	4800
20	120000	2	0.34	240000	1.01	4800	0:0	0
21	121600	4	0.68	486400	2.04	4800	3:4	14400
22	128000	1	0.17	128000	0.54	4800	1:1	4800
23	144000	1	0.17	144000	0.60	4800	1:1	4800
24	156800	1	0.17	156800	0.66	4800	1:1	4800
25	160000	1	0.17	160000	0.67	4800	1:1	4800
26	179200	1	0.17	179200	0.75	4800	1:1	4800
27	190400	1	0.17	190400	0.80	4800	1:1	4800
28	196800	1	0.17	196800	0.82	4800	1:1	4800
29	240000	2	0.34	480000	2.01	4800	0:0	0
30	241600	1	0.17	241600	1.01	4800	1:1	4800
31	243200	1	0.17	243200	1.02	4800	1:1	4800
32	264000	1	0.17	264000	1.11	4800	1:1	4800
33	275200	1	0.17	275200	1.15	4800	1:1	4800
34	361600	1	0.17	361600	1.52	4800	1:1	4800
35	422400	1	0.17	422400	1.77	4800	1:1	4800
36	5019200	3	0.51	15057600	63.11	4800	2:3	9600
	52,800 shares to be allotted to unsuccessful allottees (Sr. Nos. 3, 8, 11, 14, 20, 29) at 4,800 shares each in the ratio of 11:12						11:12	52800
	1,600 Additional share will be allotted to successful allotees from Sr no. 2 to 36 = 1,600 shares in ratio of 1:135						1:135	1600
	Total	--	**100.00**	---	**100.00**			**25,07,200**

The Board of Directors of the Company at its meeting held on May 29, 2026 has approved the Basis of Allocation of Equity Shares as approved by the Designated Stock Exchange viz. BSE and has authorized the corporate action for issue of the Equity Shares to various successful applicants.

The CAN-cum-allotment advices and/or notices will forward to the email id's and address of the Applicants as registered with the depositories / as filled in the application form on or before June 01, 2026. Further, the instructions to Self-Certified Syndicate Banks for unblocking the amount will process on or prior to June 01, 2026. In case the same is not received within ten days, investors may contact at the address given below. The Equity Shares allocated to successful applicants are being credited to their beneficiary accounts subject to validation of the account details with the depositories concerned. The Company is taking steps to get the Equity Shares admitted for trading on the BSE SME within Three working days from the date of the closure of the issue.

CORRIGENDUM TO THE PROSPECTUS FILED WIRH REGISTRAR OF COMPANIES, JAIPUR ON MAY 19, 2026

This Corrigendum is with reference to the Prospectus filed on May 19, 2026. In this regard, please note the following:

1. The name of company shall be read as "YAASHVI JEWELLERS LIMITED" instead of "YAASHVI JEWLLERS LIMITED" on the inside cover page.
2. The Investor grievance e-mail and Website of the Registrar to The Issue shall be interchanged on the inside cover page.
3. Borrowing powers disclosure on page no. 164 of the prospectus shall be read as (Rupees Two Hundred Crores only) in amount disclosed in words.

Note: All capitalized terms used and not defined herein shall have the respective meanings assigned to them in the Prospectus dated May 19, 2026 ("Prospectus") filed with Registrar of Companies, Jaipur.

INVESTORS, PLEASE NOTE

The details of the allotment made would also be hosted on the website of the Registrar to the issue, **BIGSHARE SERVICES PRIVATE LIMITED** at www.bigshareonline.com. All future correspondence in this regard may kindly be addressed to the Registrar to the Issue quoting full name of the First/ Sole applicants, serial number of the Application Form, number of shares applied for and Bank Branch where the application had been lodged and payment details at the address of the Registrar given below:

BIGSHARE SERVICES PRIVATE LIMITED
Office No. S6 - 2, 6th Floor Pinnacle Business Park, Next to Ahura Centre, Mahakali Caves, Road, Andheri (East), Mumbai - 400 093.
Tel. No.: 022 – 6263 8200 | **E-mail:** ipo@bigshareonline.com
Investors Grievance e-mail: investor@bigshareonline.com | **Website:** www.bigshareonline.com
Contact Person: Mr. Asif Sayyed | **SEBI Registration No.:** INR000001385

For YAASHVI JEWELLERS LIMITED
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
Mr. Ankit Aggarwal
Designation: Whole Time Director
DIN: 06568063

Date: : June 01, 2026
Place: Jaipur

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES ON LISTING OR THE BUSINESS PROSPECTS OF YAASHVI JEWELLERS LIMITED.

Yaashvi Jewellers Limited is proposing, subject to market conditions, public issue of its equity shares and has filed the Prospectus with the Registrar of Companies, Jaipur. The Prospectus is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, the website of the Lead Manager at www.shcapl.com website of the BSE at www.bseindia.com and website of Issuer Company at https://yaashvijewellers.com/ . Investors should note that investment in Equity Shares involves a high degree of risk. For details, investors shall refer to and rely on the Prospectus including the section titled "Risk Factors" beginning on page 22 of the Prospectus, which has been filed with ROC. The Equity Shares have not been and will not be registered under the US Securities Act (the "Securities Act") or any state securities law in United States and may not be Issued or sold within the United States or to, or for the account or benefit of, "U.S. persons" (as defined in the Regulation S under the Securities Act), except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to the registration requirements of the Securities Act of 1933.

AdBaaz

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA.

Please Scan this QR code to view Prospectus

HARIKANTA OVERSEAS LIMITED

CORPORATE IDENTITY NUMBER: U17299GJ2018PLC104835

Our Company was originally incorporated as "Harikanta Overseas Private Limited", a Private Limited Company under the provisions of the Companies Act, 2013, Pursuant to a certificate of incorporation dated October 22, 2018 Issued by the Registrar of Companies, Central Registration Centre. Subsequently, pursuant to a Special Resolution of our Shareholders passed in the Extra-Ordinary General Meeting held on January 27, 2025 our Company was converted from a Private Limited Company to Public Limited Company and consequently, the name of our Company was changed to "Harikanta Overseas Limited" and a fresh certificate was issued on February 22, 2025 by the Registrar of Companies, Central Registration Centre. for further details, please refer the chapter titled "History and Certain Corporate Matters" beginning on page 132 of the Prospectus.

Registered Office: 28, Sairam Ind Estate Bamroli, Surat-394107, Gujarat, India
Tel No.: +9198986 82560; **E-Mail:** info@harikantaoverseas.com; **Website:** www.harikantaoverseas.com
Contact Person: Swati Malu, Company Secretary and Compliance Officer

PROMOTERS OF OUR COMPANY: HARDIK GOTAWALA, ABHISHEK GOTAWALA, NILESH GOTAWALA

INITIAL PUBLIC OFFER OF EQUITY SHARES ON SME PLATFORM OF BSE LIMITED (BSE) IN COMPLIANCE WITH CHAPTER IX OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018

Our Company is engaged in the manufacturing of Synthetic textile fabrics. Our product portfolio includes Ikat fabrics, polyester garment fabrics, saree fabrics, dhupion fabrics, poly linen, and natural fiber. We primarily cater fabric to women's wear, producing fabrics for sarees, dress materials, and kurtas, while also offering fabrics for men's kurtas. Although our fabrics have multiple end uses, the majority of them are utilized in the manufacturing of different types of sarees. The origins of our business can be traced back to our Promoters' grandfather, Mr. Harivadan Gangaram Gotawala, who laid the foundation by operating manual power looms from his residence. Over time, the enterprise was expanded by his son, Mr. Kamlesh Gotawala, who scaled up operations and established a market presence. Following his untimely demise in 1997, his brother, Mr. Nilesh Gotawala, assumed responsibility for the business and continued to nurture and grow its operations. The next generation—Mr. Hardik Gotawala, son of Kamlesh Gotawala, and Mr. Abhishek Gotawala, son of Nilesh Gotawala—subsequently joined the family enterprise. They brought with them fresh ideas, energy, and a focus on efficiency and modern production practices. Their active involvement contributed to enhanced productivity, diversification of the product range, and the transformation of the business into a broader textile manufacturing enterprise. Today, under the vision and combined experience of Mr. Hardik Gotawala, Mr. Abhishek Gotawala, and Mr. Nilesh Gotawala, the Company has evolved into a diversified manufacturer of textile products while strengthening its domestic presence through its associate concerns. For further details regarding associate concerns, kindly refer to the chapter titled Promoter and Promoter Group on page no. 149 of the Prospectus.

With the objective of broadening business horizons and accessing international markets, the Promoters incorporated Harikanta Overseas Private Limited on October 22, 2018. This marked a milestone in their entrepreneurial journey, creating a platform for global trade. The company commenced exports of products such as Ikat fabrics and Dhupion fabrics, which not only reinforced its market presence but also expanded its customer base beyond India. This step diversified the group's business portfolio and placed it on a path of growth with a emphasis on global expansion. With the objective of supplying products to overseas customers, we have set up a manufacturing unit at Surat, Gujarat. Our current manufacturing facility is spread across 953.93 sq. mtrs. at Plot No.-16, 23,24,25,26,27 and 28 of Sai Ram Industrial Estate-2, Bamroli Gam, Bamroli, Surat, Gujarat, 394107.

BASIS OF ALLOTMENT

INITIAL PUBLIC ISSUE OF 26,70,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH OF HARIKANTA OVERSEAS LIMITED ("HOL" OR THE "COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹91 PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹81 PER EQUITY SHARE (THE "ISSUE PRICE") AGGREGATING TO ₹2429.70 LAKHS("THE ISSUE"), OF WHICH 1,34,400 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH FOR CASH AT A PRICE OF ₹91 PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹81 PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹122.30 LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER TO THE ISSUE (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS THE MARKET MAKER RESERVATION PORTION i.e., NET ISSUE OF 25,35,600 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH AT A PRICE OF ₹ 91 PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹2307.40 LAKHS IS HEREIN AFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE 27.06 % AND 25.70 % RESPECTIVELY OF THE POST ISSUE PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

ISSUE PRICE IS ₹91 PER EQUITY SHARE OF FACE VALUE OF ₹10 EACH. THE ISSUE PRICE IS 9.1 TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES.

BID/ISSUE PROGRAMME

BID/ISSUE OPENED ON: WEDNESDAY, MAY 20, 2026

BID/ISSUE CLOSED ON: WEDNESDAY, MAY 27, 2026

RISKS TO INVESTORS

Summary Description of Key Risk Factors Based on Materiality:

1. We have not yet placed orders in relation to the capital expenditure to be incurred for the proposed, purchase of equipment / machineries. In the event of any delay in placing the orders for Machineries or in the event the vendors are not able to provide the equipment / machineries in a timely manner, or at all, the same may result in time and cost over-runs.
2. Our business is significantly dependent on yarn and other related raw materials, and fluctuations in their prices or availability, as well as concentration of our supplier base, may adversely affect our operations, margins, and profitability.
3. Our operations are energy-intensive and any disruption in power supply or increase in energy costs may adversely affect our business and financial performance.
4. Potential Exposure to Competition Despite Non-Compete Agreements with Promoter Group Entities
5. Potential Conflicts of Interest Arising from Promoters' Proprietary Businesses and Their Operational Overlap with Our Company
6. Our business is working capital intensive and any inability to secure adequate financing may adversely impact operations.
7. Dependence on third-party and subsidiary job work arrangements
8. We have experienced negative cash flows in previous years / periods. Any operating losses or negative cash flow in the future could adversely affect our results of operations and financial condition.
9. There may have been certain instances of non-compliances with respect to certain corporate actions taken by our Company in the past. Consequently, we may be subject to regulatory actions and penalties.
10. Our business is seasonal in nature, which could adversely affect our business operations and financial performance.

Details of suitable ratios of the company for the latest full financial year

1. Basic and Diluted Earnings per Share (EPS)

Year ended	Weights	Basic and Diluted EPS
March 31, 2023	1	0.40
March 31, 2024	2	1.27
March 31, 2025	3	6.69
Weightage Average EPS	6	3.84
November 30, 2025*		**10.61**

**Annualized*

Note.

Basic and Diluted EPS = Net Profit (Loss) after tax as restated attributable to Equity Shareholders / weighted average no of equity shares outstanding during the year as per restated Consolidated financials.

The figures disclosed above are based on the Consolidated Restated Summary Financial Information of our Company for the Period ended on November 30, 2025 and year ended March 31, 2025 and Standalone Restated Financial Statements of the Company for the financial year ended on March 31, 2024 and March 31, 2023

2. Price to Earnings (P/E) ratio in relation to Issue Price ₹ 91 per Equity Share of ₹10/- each fully paid up

Particulars	P/E at the lower end of the price band	P/E at the upper end of the price band
P/E ratio based on Basic and diluted EPS as at March 31, 2025	12.86	13.60
P/E ratio based on Weighted Average Basic and diluted EPS	22.43	23.73
Industry PE		
Highest	35.61	
Lowest	19.44	
Industry Average	27.53	

3. Return on Net worth (RoNW)

Return on Net Worth (RoNW) as per restated financial statements

Year Ended	RONW (%)	Weight
March 31, 2023	1	22.00
March 31, 2024	2	41.67
March 31, 2025	3	32.41
Weighted Average	6	33.76
November 30, 2025		40.65

Note: Return on Net worth has been calculated as per the following formula:

1) Return on Net Worth (%) = Net Profit after tax attributable to owners of the Company, as restated / Net worth as restated as at year end.

2) Weighted average Net Worth = Aggregate of year-wise weighted RoNW divided by the aggregate of weights i.e. (RoNW x Weight) for each year/Total of weights.

4. Net Asset Value (NAV)

Particulars	₹ per share
Net Asset Value per Equity Share as of November 30, 2025	26.08
Net Asset Value per Equity Share as of March 31, 2025	19.16
Net Asset Value per Equity Share after IPO	38.60
Issue Price	91
NAV Post Issue	
- At Floor Price	37.25
- Issue Price	38.60

Note: *Net Asset Value has been calculated as per the following formula:*

$$NAV = \frac{\text{Net worth excluding revaluation reserve}}{\text{Outstanding number of Equity shares during the year}}$$

5. Comparison with industry peers

Companies	CMP*	EPS	PE Ration	RONW (%)	NAV (Per Share)	Face Value	Revenue from Operation	Total Income
Harikanta Overseas Limited#	91**	6.69	13.60	33.00	19.13	10.00	3,517.30	3,546.57
Peer Group	-							
Betex India Limited$	365.00	13.03	28.01	5.73	227.34	10.00	9,637.99	9,714.55
Swasti Vinayaka Synthetics Limited$	3.45	0.27	12.78	10.54	2.55	1.00	3,838.06	3,855.83

**CMP as on March 05, 2026*

*** CMP of our company is considered as an Issue Price.*

 # Amount taken from Restated Consolidated Financials as on March 31, 2025

$ Consolidated financial Statement of peers are not Available.

Source: www.bseindia.com

Notes:

1. *Considering the nature and size of the business of our Company the peers are not strictly comparable. However, above company is included for broad comparison.*
2. *The figures for Harikanta Overseas Limited are based on the restated consolidated financial statements for the year ended March 31, 2025.*
3. *The figures are based on the Audited Standalone financial statements for the year ended March 31, 2025 of Betex India Limited and Swasti Vinayaka Synthetics Limited from the Annual reports of the Companies available from the website of the Stock Exchange and website of the Companies.*
4. *CMP of the peer group is as per the closing price as available on www.bseindia.com*
5. *P/E Ratio for the peer has been computed based on the closing market price of respective equity shares as on March 05, 2026 sourced from website of Stock Exchange as divided by the Basic/diluted EPS as applicable.*

6. Financial KPI of our Company

(₹ in Lakhs)

Particulars	November 30, 2025 Consolidated	March 2025 Consolidated	March 2024 Standalone	March 2023 Standalone
Revenue from operations (1)	2608.41	3517.30	1111.22	1490.27
Total Income (2)	2,628.20	3550.41	1270.10	1506.24
EBITDA (3)	735.23	671.68	124.24	48.65
EBITDA (%) Margin (4)	27.97%	18.92	11.29	3.23
Profit after Tax (5)	508.58	446.80	81.98	25.25
Current Ratio (6)	1.97	1.94	0.77	0.54
Debt Equity Ratio (7)	0.15	0.24	0.75	1.16
Debt Service Coverage Ratio (8)	42.92	4.48	1.77	4.02
Return on Capital Employed (%) (9)	31.99%	37.56	35.11	19.03
Net profit Ratio (%) (10)	19.50%	12.70	7.38	1.69
Return on Equity (%) (11)	31.15%	56.72	52.64	32.32

As certified by the Statutory auditor vide their certificate dated March 07, 2026 bearing UDIN: 26142660LIOFP8336.

Notes:

(1) Revenue from operations is calculated as the sum of revenue from sale.

(2) Total income is calculated as the sum of revenue from operations and other income for the period/year.

(3) Operating EBITDA refers to earnings before interest, taxes, depreciation, amortisation, gain or loss from discontinued operations and exceptional items.

(4) Operating EBITDA Margin refers to EBITDA during a given period as a percentage of Total income during that period.

(5) Profit / (loss) for the period/ year is calculated as Total Income less Total Expenses plus Share of (loss) from joint ventures (Net of tax) less Total Tax expenses for the period/ year.

(6) Current Ratio is a liquidity ratio that measures our ability to pay short-term obligations (those which are due within one year) and is calculated by dividing the current assets by current liabilities.

(7) Debt to equity ratio is calculated by dividing the debt (i.e., borrowings (current and non-current) and current maturities of long-term-borrowings) by total equity (which includes issued capital and all other equity reserves).

(8) Debt Service Coverage Ratio is calculated by dividing the sum of Profit after Tax and interest amount by sum of the repayment of loan and Interest.

(9) RoCE (Return on Capital Employed) (%) is calculated as profit before tax plus finance costs divided by total equity plus Reserves & Surplus.

(10) Net Profit Ratio/Margin quantifies our efficiency in generating profits from our revenue and is calculated by dividing our net profit after taxes by our total revenue.

(11) Return on equity (RoE) is equal to profit for the year divided by the total equity during that period and is expressed as a percentage

PROPOSED LISTING: TUESDAY, JUNE 02, 2026

The Issue is being made through the Book Building Process, in terms of Rule 19(2)(b)(i) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended ("SCRR") read with Regulation 229 of the SEBI ICDR Regulations and in compliance with Regulation 253 of the SEBI (ICDR) Regulations, as amended, wherein 2% (not more than 50% of the Net Issue) shall be allocated on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers ("QIBs", the "QIB Portion"). Further, 5% of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis only to Mutual Funds, and the remainder of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIBs, including Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Issue Price. However, if the aggregate demand from Mutual Funds is less than 5% of the Net QIB Portion, the balance Equity Shares available for allocation in the Mutual Fund Portion will be added to the remaining Net QIB Portion for proportionate allocation to QIBs. Further, 46.47 (not less than 15% of the Net Issue) shall be available for allocation on a proportionate basis to Non-Institutional Bidders of which (a) one third of the Non-Institutional Portion shall be reserved for Bidders with an application size of more than two lots and upto such lots equivalent to not more than ₹ 10 lakhs and (b) two thirds of the Non-Institutional Portion shall be reserved for Bidders with an application size exceeding ₹10 lakhs provided under-subscription in either of these two sub-categories of Non-Institutional Portion may be allocated to Bidders in the other subcategory of Non-Institutional Portion and 46.47 (not less than 35% of the Net Issue) shall be available for allocation to Individual Investors who applies for minimum application size in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received at or above the Issue Price. All potential Bidders, are required to mandatorily utilize the Application Supported by Blocked Amount ("ASBA") process providing details of their respective ASBA accounts, and UPI ID in case of IIBs using the UPI Mechanism, if applicable, in which the corresponding Bid Amounts will be blocked by the SCSBs or by the Sponsor Bank under the UPI Mechanism, as the case may be, to the extent

Continued to next page.....

Continued from previous page...

of respective Bid Amounts. For details, see "Issue Procedure" beginning on page no. 243 of this Prospectus. The investors are advised to refer to the Prospectus for the full text of the Disclaimer clause pertaining to BSE. For the purpose of this Offer, the designated Stock Exchange will be the BSE Limited. The trading is proposed to be commenced on or before June 02, 2026*

*Subject to the receipt of listing and trading approval from the BSE ("BSE SME").

SUBSCRIPTION DETAILS

The Issue received 394 Applications for 29,79,600 Equity Shares (before technical rejections) resulting in 1.12 times subscription (including reserved portion of market maker). The details of the Applications received in the Issue from various categories are as under (After technical rejections):

Detail of the Applications Received after invalid bids multiple and duplicate:

Category	Valid Equity Shares Received in each category	No. of Equity Shares available for allocation (as per Prospectus)	Spill Over / Deficit*	Equity Shares Allotted	Total Allotment Amount (₹)
Qualified Institutional Buyers	1152000	54000	932400	986400	89762400
Non-Institutional Bidders (More than Rs. 200,000/- upto Rs. 1,000,000/-*	148800	414000	(265200)	148800	13540800
Non-Institutional Bidders (More than Rs. 1,000,000/-)*	615600	826800	(211200)	615600	56019600
Individual Investors*	784800	1240800	(456000)	784800	71416800
Market Maker	134400	134400	0	134400	12230400
Total	**2835600**	**2670000**	**0**	**2670000**	**242970000**

* 9,32,400 equity shares spilled over from NII1, NII2 & Individual Investor category added in QIB category.

Final Demand

A summary of the final demand as per BSE as on the Bid/ Issue Closing Date at different Bid prices is as under:

Sr. No.	Bid Price	No. of Equity Shares	% to Total	Cumulative Share Total	Cumulative % of Total
1	86	162000	2.47	162000	2.47
2	87	15600	0.24	177600	2.71
3	88	12000	0.18	189600	2.90
4	89	7200	0.11	196800	3.01
5	90	14400	0.22	211200	3.23
6	91	3458400	52.82	3669600	56.05
7	CUT OFF	2877600	43.95	6547200	100.00
		6547200	**100.00**		

The Basis of Allotment was finalised in consultation with the Designated Stock Exchange, being BSE Limited on May 29, 2026.

1) Allotment to Individual Investors (After Technical Rejections)

The Basis of Allotment to the Individual Investors, who have Bid at cut-off Price or at or above the Issue Price of Rs. 91/- per Equity Share, was finalized in consultation with BSE Limited. The category has been subscribed to the extent of 0.6325 times. The total number of Equity Shares Allotted in this category is 7,84,800 Equity Shares to 327 successful applicants. The details of the Basis of Allotment of the said category are as under:

Sl no	No. of Shares Applied for (Category wise)	No. of Applications Received	% of Total	Total No. of Shares applied in each category	% to Total	No. of Equity Shares Allotted per Applicant	Ratio	Total No. of shares allocated/ allotted
1	2400	327	100	784800	100	2,400	1:1	784800
	TOTAL	**327**	**100**	**784800**	**100**			**784800**

Unsubscribed portion of 4,56,000 Equity Shares have been spilled over to QIB Category.

2) Allotment to Non-Institutional Investors- Above Rs. 2 Lakhs and Upto Rs.10 Lakhs (After Technical Rejections)

The Basis of Allotment to the Non-Institutional Investors, who have Bid at cut-off Price or at or above the Issue Price of Rs. 91/- per Equity Share, was finalized in consultation with BSE Limited. The category has been subscribed to the extent of 0.36 times. The total number of Equity Shares Allotted in this category is 1,48,800 Equity Shares to 32 successful applicants. The details of the Basis of Allotment of the said category are as under:

Sr. no	No. of Shares applied for (Category wise)	Number of applications received	% to total	Total No. of Shares applied in each category	% to total	No. of Equity Shares Allotted per Applicant	Ration of allottees to applicants	Total No. of shares allocated/alloted
1	3600	21	65.63	75600	50.81	3600	1:1	75600
2	4800	6	18.75	28800	19.35	4800	1:1	28800
3	6000	2	6.25	12000	8.06	6000	1:1	12000
4	10800	3	9.38	32400	21.77	10800	1:1	32400
	Total	**32**	**100.00**	**148800**	**100.00**			**148800**

Unsubscribed portion of 2,65,200 Equity Shares have been spilled over to QIB Category.

3) Allotment to Non-Institutional Investors- Above Rs.10 Lakhs (After Technical Rejections)

The Basis of Allotment to the Non-Institutional Investors, who have Bid at cut-off Price or at or above the Issue Price of Rs. 91/- per Equity Share, was finalized in consultation with BSE Limited. The category has been subscribed to the extent of 0.74 times. The total number of Equity Shares Allotted in this category is 6,15,600 Equity Shares to 11 successful applicants. The details of the Basis of Allotment of the said category are as under:

Sr. no	No. of Shares applied for (Category wise)	Number of applications received	% to total	Total No. of Shares applied in each category	% to total	No. of Equity Shares Allotted per Applicant	Ration of allottees to applicants	Total No. of shares allocated/alloted
1	12000	4	36.36	48000	7.80	12000	1:1	48000
2	16800	1	9.09	16800	2.73	16800	1:1	16800
3	63600	3	27.27	190800	30.99	63600	1:1	190800
4	103200	1	9.09	103200	16.76	103200	1:1	103200
5	120000	1	9.09	120000	19.49	120000	1:1	120000
6	136800	1	9.09	136800	22.22	136800	1:1	136800
	Total	**11**	**100.00**	**615600**	**100.00**			**615600**

Unsubscribed portion of 2,11,200 Equity Shares have been spilled over to QIB Category.

4) Allotment to QIBs excluding Anchor Investors (After Technical Rejections)

Allotment to QIBs, who have bid at the Issue Price of Rs. 91/- per Equity Share or above, has been done on a proportionate basis in consultation with BSE Limited. This category has been subscribed to the extent of 1.17 times of QIB portion. As per the SEBI Regulations, Mutual Funds were Allotted 5% of the Equity Shares of QIB Portion available i.e., Nil Equity Shares and other QIBs and unsatisfied demand of Mutual Funds were Allotted the remaining available Equity Shares i.e., 9,86,400 Equity Shares (i.e., Includes spilled over of 9,32,400 Equity Shares from Eligible Shareholders, Individual Investors, NII1 Above Rs. 2 Lakhs and Upto Rs.10 Lakhs and NII2 above Rs. 10 Lakhs Categories). The total number of Equity Shares Allotted in the QIB Portion is 9,86,400 Equity Shares which were allotted to 4 successful QIB Investors. The category-wise details of the Basis of Allotment are as under:

Category	FI'S/BANK'S	MF'S	IC'S	NBFC'S	AIF	FPC/FII	Others	Total
QIB	-	-	-	-	45,600	9,40,800	-	9,86,400

5) Allocation to Market Maker (After Technical Rejections & Withdrawal):

The Basis of Allotment to Market Maker who have bid at Issue Price of ₹ 91/- per Equity Shares or above, was finalized in consultation with BSE Limited. The category was subscribed 1.00 times i.e. for 1,34,400 Equity Shares the total number of shares allotted in this category is 1,34,400 Equity Shares. The category wise details of the Basis of Allotment are as under:

No. of Shares Applied for (Category wise)	No. of Applications received	% to Total	Total No. of Equity Shares applied in this Category	% of Total	No. of Equity Shares allocated/ allotted per Applicant	Ratio	Total Number of shares allotted	Surplus Deficit
1,34,400	1	100	1,34,400	100	1,34,400	1:1	1,34,400	1,34,400
TOTAL	**1**	**100**	**1,34,400**	**100**	**134400**		**1,34,400**	**TOTAL**

The Board of Directors of our Company at its meeting held on May 29, 2026 has taken on record the basis of allotment of Equity Shares approved by the Designated Stock Exchange, being BSE Limited and has allotted the Equity Shares to various successful applicants. The Allotment Advice Cum Refund Intimation will be dispatched to the address of the investors as registered with the depositories. Further, instructions to the SCSBs have been dispatched/ mailed for unblocking of funds and transfer to the Public Issue Account on or before June 01, 2026 and payment to non-Syndicate brokers have been issued on June 01, 2026. In case the same is not received within ten days, investors may contact the Registrar to the Issue at the address given below. The Equity Shares allotted to the successful allottees shall be uploaded on or before June 01, 2026 for credit into the respective beneficiary accounts subject to validation of the account details with the depositories concerned. The Company is in the process of obtaining the listing and trading approval from BSE Limited and the trading of the Equity Shares is expected to commence on June 02, 2026.

Note: All capitalized terms used and not defined herein shall have the respective meaning assigned to them in the Prospectus dated May 29, 2026 ("Prospectus").

INVESTORS, PLEASE NOTE

The details of the allotment made would also be hosted on the website of the Registrar to the Issue, BIGSHARE SERVICES PRIVATE LIMITED. Ltd. at www.bigshareonline.com. All future correspondence in this regard may kindly be addressed to the Registrar to the Issue quoting full name of the First/Sole applicants, serial number of the Application Form, number of shares applied for and Bank Branch where the application had been lodged and payment details at the address of the Registrar given below:

BIGSHARE SERVICES PRIVATE LIMITED
Address: Office No. S6-2, 6th Floor, Pinnacle Business Park, Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai – 400093, Maharashtra, India
Telephone: 022-62638200; **E-mail:** ipo@bigshareonline.com; **Website:** www.bigshareonline.com
Investor Grievance ID: investor@bigshareonline.com
Contact Person: Mr. Babu Rapheal C
SEBI Registration: INR000001385
CIN: U99999MH1994PTC076534

On behalf of Board of Directors
FOR, HARIKANTA OVERSEAS LIMITED
Sd/-
Ms. Swati Malu
Company Secretary & Compliance Officer

Place: Surat
Date: June 02, 2026

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARE ON LISTING OR THE BUSINESS PROSPECTS OF HARIKANTA OVERSEAS LIMITED.

Disclaimer: Harikanta Overseas Limited is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offer of its Equity Shares and has filed the Prospectus with the Registrar of Companies, Ahmedabad on May 29, 2026 and thereafter with SEBI and the Stock Exchange. The Prospectus is available on the website of BSE SME at https://www.bsesme.com/PublicIssues/ and is available on the websites of the BRLM at www.ifinservices.in. Any potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, please refer to the Prospectus including the section titled "Risk Factors" beginning on page 15 of the Prospectus.

The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended or any state securities laws in the United States, and unless so registered, and may not be issued or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act, 1933 and in accordance with any applicable U.S. State Securities laws. The Equity Shares are being issued and sold outside the United States in 'offshore transactions' in reliance on Regulation "S" under the Securities Act, 1933 and the applicable laws of each jurisdiction where such issues and sales are made. There will be no public offering in the United States.

HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED

HINDUJA HOUSING FINANCE

कॉर्पोरेट कार्यालय: नं. 167-169, द्वितीय तल, अन्ना सलाई, सैदापेट, चेन्नई-600015, ईमेल: auction@hindujahousingfinance.com

अचल संपत्ति की बिक्री के लिए बिक्री नोटिस परिशिष्ट IV-A (नियम 8 (6) का परंतुक देखें)

प्रमोद चंद, मोबाइल नंबर- 9990338759 और श्री रवि शंकर, मो. नं. 9999735552 और श्री राकेश कुमार गुप्ता 9873925255

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (इसके बाद "नियम" के रूप में संदर्भित) के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के अंतर्गत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री नोटिस, एतद्द्वारा सामान्य रूप से जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(ओं) को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति सुरक्षित लेनदार को बंधक / प्रभारित है, जिसका कब्जा हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (सिक्योर्ड क्रेडिटर) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, जिसका कॉर्पोरेट कार्या : 167–169, द्वितीय तल, लिटिल माउंट, सैदापेट, चेन्नई – 600015 और इसका शाखा कार्यालय ऑफिस नं. 210 / 211, दूसरी मंजिल, दशमेश प्लाजा, सेक्टर–20बी, एनआईटी, फरीदाबाद, हरियाणा–121001 को उधारकर्ताओं और गारंटरों से सुरक्षित लेनदार को देय राशि की वसूली के लिए नीचे उल्लिखित तारीखों पर **"जैसा है जहां है", "जैसा है वह क्या है" और "जो कुछ भी है"** के आधार पर बेचा जाएगा। बिक्री अधोहस्ताक्षरी द्वारा वेबसाइट **https://www.bankeauctions.com/** पर उपलब्ध ई–नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाएगी।

सम्पत्ति का निरीक्षण की तिथि : 02.07.2026 को अपराह्न 14.00 बजे से अपराह्न 17.00 बजे तक, ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि : 06.07.2026 को अपराह्न 17.00 बजे तक ई-नीलामी की तिथि/समय : 07.07.2026 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 13:00 बजे तक

1

लोन / उधारकर्ता / सह–उधारकर्ता / गारंटर	मांग नोटिस की तिथि एवं राशि	आरक्षित मूल्य	बयाना राशि जमा (ईएमडी)
ऋण खाता सं. GR/VSN/RNGP/A000000208 श्री संजय कौशिक पुत्र चंदर शेखर (उधारकर्ता) श्रीमती सुनीता कौशिक पत्नी संजय कौशिक और सुश्री दिव्यकल पत्नी सुमित (सह–उधारकर्ता)	07.02.2026 और रु. 10,12,672/- दिनांक 07.02.2026 तक	रु. 19,73,000/-	रु. 197300
	सांकेतिक कब्जे की तिथि: 14-04-2026	कुल बकाया रु. 10,12,672/- दिनांक 07.02.2026 तक	बोली वृद्धि राशि रु. 10000/-

अचल संपत्ति / सुरक्षित संपत्ति का विवरण: संपत्ति / मकान / प्लॉट का क्षेत्रफल 70 वर्ग गज, किला मोहल्ला (पुराना), बहादुरगढ़, एमसी सीमा के भीतर, बहादुरगढ़, झज्जर, हरियाणा – 122006

2

ऋण खाता / उधारकर्ता	मांग नोटिस की तिथि एवं राशि	आरक्षित मूल्य	बयाना राशि जमा (ईएमडी)
ऋण खाता सं. GR/KAP/KUNJ/A000000921 श्री रोहित पुत्र दयाराम (उधारकर्ता) श्री दीपक पुत्र दयाराम और श्रीमती सावित्री टेकचंद पत्नी दयाराम (सह–उधारकर्ता)	06.01.2026 और रु. 7,89,371/- दिनांक 06.01.2026 तक	रु. 15,05,000/-	रु. 150500
	सांकेतिक कब्जे की तिथि: 17-03-2026	कुल बकाया रु. 7,89,371/- दिनांक 06.01.2026 तक	बोली वृद्धि राशि रु. 10000/-

अचल संपत्ति / सुरक्षित संपत्ति का विवरण: पूर्ण प्लॉट, संपत्ति संख्या 09 / 378 (पुराना) और 6NUCNHCO (नया), वार्ड संख्या 9 क्षेत्रफल 38.20 वर्ग गज, लाल डोरा क्षेत्र में स्थित, जिसमें 2 कमरे, 1 रसोई, 1 शौचालय, 1 बाथरूम शामिल है, जिसका कवर्ड एरिया (ढका हुआ क्षेत्रफल) 343 वर्ग फुट है, मौजा ग्राम फर्रुखनगर, जिला गुड़गांव, हरियाणा – 122506

3

ऋण खाता / उधारकर्ता	मांग नोटिस की तिथि एवं राशि	आरक्षित मूल्य	बयाना राशि जमा (ईएमडी)
ऋण खाता सं. HR/GGN/KRNL/A000000892 श्री सोनू कुमार पुत्र वजीर सिंह (उधारकर्ता) श्रीमती कृष्णा पत्नी वजीर सिंह और श्री वजीर सिंह पुत्र हरि चंद (सह–उधारकर्ता)	06.01.2026 और रु. 21,73,001/- दिनांक 06.01.2026 तक	रु. 41,14,000/-	रु. 411400
	सांकेतिक कब्जे की तिथि: 17-03-2026	कुल बकाया रु. 21,73,001/- दिनांक 06.01.2026 तक	बोली वृद्धि राशि रु. 10000/-

अचल संपत्ति / सुरक्षित संपत्ति का विवरण: संपत्ति / मकान / प्लॉट खेवट / खाता संख्या 1998 / 2225 में शामिल, मुस्तकिल संख्या 247, किला संख्या 22 / 1 (8 – 0), कुल किता 1, रकबा 8 कनाल 0 मरला, जिसमें हिस्सा 33 1 / 2 / 1080 अर्थात हकदार रकबा 0 कनाल 3 मरला 6 1 / 2 सरसाई, मौजा वार्ड संख्या – 8, तहसील सोहना, जिला गुड़गांव, हरियाणा – 122103

4

ऋण खाता / उधारकर्ता	मांग नोटिस की तिथि एवं राशि	आरक्षित मूल्य	बयाना राशि जमा (ईएमडी)
ऋण खाता सं. GR/KAP/KUNJ/A000001164 श्री संदीप कुमार पुत्र दया नंद (उधारकर्ता) श्रीमती रेनु कुमारी पत्नी संदीप कुमार (सह–उधारकर्ता)	07.02.2026 और रु. 14,50,717/- दिनांक 07.02.2026 तक	रु. 27,13,000/-	रु. 271300
	सांकेतिक कब्जे की तिथि: 14-04-2026	कुल बकाया रु. 14,50,717/- दिनांक 07.02.2026 तक	बोली वृद्धि राशि रु. 10000/-

अचल संपत्ति / सुरक्षित संपत्ति का विवरण: संपत्ति / मकान / प्लॉट का क्षेत्रफल 110 वर्ग गज, खेवट / खाता संख्या 355 / 403 और 406 में शामिल, मुस्तकिल संख्या 9, किला संख्या 8 (8 – 0), 9 (8 – 0), मुस्तकिल संख्या 9, किला संख्या 13 (8 – 0), 18 (8 – 0), 20 / 2 (5 – 2), मुस्तकिल संख्या 9, किला संख्या... 14(8 – 0), 17(8 – 0), 24(7 – 2), 25(7 – 2), मुस्तकिल नंबर 9, 10, 9, किला नंबर 12 (8 – 0), 15(8 – 0), 16(8 – 0), 19(8 – 0), किता 13 रकबा 99 कनाल 6 मरला शेयर 33 / 17874 यानी रकबा 0 कनाल 3 मरला 6 सरसाई, कुल भूमि 110 वर्ग गज वाका मौजा सिवाना हरि नगर बुमा तहसील फर्रुखनगर जिला गुड़गांव हरियाणा – 122506

5

ऋण खाता / उधारकर्ता	मांग नोटिस की तिथि एवं राशि	आरक्षित मूल्य	बयाना राशि जमा (ईएमडी)
ऋण खाता सं. HR/GGN/KRNL/A000001135 श्री कृष्ण प्रसाद मेहता पुत्र गोविंद प्रसाद मेहता (उधारकर्ता) श्री मुकेश कुमार मेहता पुत्र गोविंद प्रसाद मेहता और श्री अरुण प्रसाद मेहता पुत्र बलदेव मेहता और श्रीमती आशा देवी पत्नी कृष्ण प्रसाद मेहता (सह–उधारकर्ता)	07.02.2026 और रु. 11,49,840/- दिनांक 07.02.2026 तक	रु. 32,40,000/-	रु. 324000
	सांकेतिक कब्जे की तिथि: 14-04-2026	कुल बकाया रु. 11,49,840/- दिनांक 07.02.2026 तक	बोली वृद्धि राशि रु. 10000/-

अचल संपत्ति / सुरक्षित संपत्ति का विवरण: संपत्ति / मकान / प्लॉट का क्षेत्रफल 160 वर्ग गज जो खेवट / खाता नंबर 2 / 1 मिन में शामिल मुस्तकिल नंबर 28, किला नंबर 12 / 2(7 – 6), 13(8 – 0), 18(7 – 11), 19 / 1(3 – 16), 19 / 2(3 – 16), 20 / 1(1 – 14), 20 / 2 / 1(1 – 18), किता 7 रकबा 34 कनाल 1 मरला शेयर 48 / 6129 यानी रकबा 0 कनाल 5 मरला 3 सरसाई कुल भूमि160 वर्ग गज स्थान: मौजा सेहजावास, तहसील सोहना, जिला गुड़गांव, हरियाणा – 122102

6

ऋण खाता / उधारकर्ता	मांग नोटिस की तिथि एवं राशि	आरक्षित मूल्य	बयाना राशि जमा (ईएमडी)
ऋण खाता संख्या DL/MTG/MTNG/A000000524 1. श्री परवीन (कर्जदार) 2. श्रीमती सविता (सह–कर्जदार)	10.02.2025 और रु. 16,87,578/- दिनांक 31.01.2025 तक	रु. 1,07,89,000/-	रु. 1078900
	सांकेतिक कब्जे की तिथि: 17-06-2025	कुल बकाया रु. 16,87,578/- दिनांक 31.01.2025 तक	बोली वृद्धि राशि रु. 10000/-

अचल संपत्ति / सुरक्षित संपत्ति का विवरण: संपत्ति का क्षेत्रफल 997 वर्ग गज खेवट संख्या 138 / / 119 का हिस्सा, खतौनी संख्या 153, म्यू संख्या 25, किला संख्या 1(8 – 0), म्यू संख्या 26, किला संख्या 5 / 2(2 – 17), कुल 2 किता, रकबा 10 कनाल 17 मरले जिसमें से 62 / 382 हिस्सा, यानी 1 कनाल 3 मरले (685 वर्ग गज) और खेवट संख्या 141 / / 122, खतौनी संख्या 156, म्यू संख्या 20, किला संख्या 21 / 2(2 – 3), कुल 1 किता, रकबा 2 कनाल 3 मरले जिसमें से 10 मरले (302 वर्ग गज), मौजा जसाना, तहसील तिगांव और जिला फरीदाबाद, हरियाणा – 121101

7

ऋण खाता / उधारकर्ता	मांग नोटिस की तिथि एवं राशि	आरक्षित मूल्य	बयाना राशि जमा (ईएमडी)
ऋण खाता संख्या DL/DEL/LXND/A000001243 1. श्री नरेश कुमार (कर्जदार) 2. श्री मनीष कुमार (सह–कर्जदार) 3. श्रीमती सुमन (सह–कर्जदार)	18.03.2025 और रु. 13,51,054/- दिनांक 18.03.2025 तक	रु. 31,10,400/-	रु. 3,11,040
	सांकेतिक कब्जे की तिथि: 11-07-2025	कुल बकाया रु. 13,51,054/- दिनांक 18.03.2025 तक	बोली वृद्धि राशि रु. 10000/-

अचल संपत्ति / सुरक्षित संपत्ति का विवरण: प्लॉट सं. 41 पर बना फ्रीहोल्ड आवासीय मकान जिसका क्षेत्रफल 100 वर्ग गज जो खसरा सं. 68 / 6 के अंतर्गत मौजा सारन, तहसील और जिला फरीदाबाद, हरियाणा – 121005 सीमाएं: पूर्व: प्लॉट सं. 42, पश्चिम: प्लॉट सं. 40य उत्तर: प्लॉट सं. 60, दक्षिण: 15 फीट चौड़ी सड़क

8

ऋण खाता / उधारकर्ता	मांग नोटिस की तिथि एवं राशि	आरक्षित मूल्य	बयाना राशि जमा (ईएमडी)
ऋण खाता संख्या HR/GGN/FRBD/A000001000 1. श्री प्रदीप अग्रवाल (कर्जदार) 2. श्री संदीप कुमार अग्रवाल (सह–कर्जदार) 3. सुश्री काजल गोयल (सह–कर्जदार)	25.09.2023 और रु. 31,62,995/- दिनांक 25.09.2023 तक	रु. 87,51,000/-	रु. 8,75,100
	सांकेतिक कब्जे की तिथि: 28-01-2025	कुल बकाया रु. 31,62,995/- दिनांक 25.09.2023 तक	बोली वृद्धि राशि रु. 10000/-

अचल संपत्ति / सुरक्षित संपत्ति का विवरण: प्लॉट सं. 63 में से 50 वर्ग फुट क्षेत्रफल संपत्ति, जो खसरा सं. 18 / 6 / 2 / 18 का हिस्सा डबुआ कॉलोनी, सारन, तहसील एवं जिला फरीदाबाद, हरियाणा – 121001 | सीमाएं: पूर्व: अन्य , पश्चिम: शेष भाग , उत्तर: शेष भाग , दक्षिण: 15 फुट का रास्ता

9

ऋण खाता / उधारकर्ता	मांग नोटिस की तिथि एवं राशि	आरक्षित मूल्य	बयाना राशि जमा (ईएमडी)
ऋण खाता संख्या DL/RJP/RJPC/A000000105 1. श्री अभिषेक पिलवान (कर्जदार) 2. श्रीमती पुष्पा पिलवान (सह–कर्जदार)	20.12.2023 और रु. 12,67,924/- दिनांक 20.12.2023 तक	रु. 18,16,000/-	रु. 1,81,600
	सांकेतिक कब्जे की तिथि: 31-08-2024	कुल बकाया रु. 12,67,924/- दिनांक 20.12.2023 तक	बोली वृद्धि राशि रु. 10000/-

अचल संपत्ति / सुरक्षित संपत्ति का विवरण: प्लॉट 5 मरले यानी 126.465 वर्ग मीटर खेवट नंबर 16 / / 16 में से खतौनी नंबर 19, एमयू नंबर 5, किला नंबर 15(2 – 18), 16(5 – 13), 24(0 – 13), 25(7 – 17), एमयू नंबर 6 किला नंबर 11(7 – 13), 20(7 – 13), 21(7 – 13), एमयू नंबर 10 किला नंबर 1(7 – 13), 10(7 – 13), 11‍1(3 – 1), म्यू नं. 11, किला नंबर 4(3 – 0), 5(8 – 0), 6(6 – 16), 7(2 – 3), 15 / 1(0 – 2), किता 15 रकबा 78 कनाल 8 मरले सीमा 5 / 785 तक, ग्राम वाका मौजा महमूदपुर, उपतहसील तिगांव, जिला फरीदाबाद, हरियाणा

10

ऋण खाता / उधारकर्ता	मांग नोटिस की तिथि एवं राशि	आरक्षित मूल्य	बयाना राशि जमा (ईएमडी)
ऋण खाता संख्या DL/UTM/UTTM/A000000685 1. श्री दीपक भाटी (कर्जदार) 2. श्रीमती पिंकी भाटी (सह–कर्जदार)	12.08.2024 और रु. 13,89,063/- दिनांक 12.08.2024 तक	रु. 24,62,000/-	रु. 2,46,200
	सांकेतिक कब्जे की तिथि: 28-01-2025	कुल बकाया रु. 13,89,063/- दिनांक 12.08.2024 तक	बोली वृद्धि राशि रु. 10000/-

अचल संपत्ति / सुरक्षित संपत्ति का विवरण: संपत्ति क्षेत्रफल 6 मरला यानी 180 वर्ग गज खेवट / खतौनी सं. 519 / 713 में शामिल, खसरा नंबर 714, मु. नंबर 17, किल्ला नंबर 13, किता 2 रकबा 8 कनाल 13 मरले शेयर 30 / 173 यानी रकबा 1 कनाल 10 मरला, वाका मौजा करोली, तहसील दयालपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा – 121101 सीमाएं: पूर्व: सड़क 11 फीट, पश्चिम: अन्य की संपत्ति, उत्तर: प्रदीप की संपत्ति, दक्षिण: रणवीर की संपत्ति

11

ऋण खाता / उधारकर्ता	मांग नोटिस की तिथि एवं राशि	आरक्षित मूल्य	बयाना राशि जमा (ईएमडी)
ऋण खाता संख्या DL/RJP/RJPC/A000000498 1. श्री भगत सिंह (कर्जदार) 2. श्रीमती सीमा (सह–कर्जदार)	07.02.2026 और रु. 7,85,620/- दिनांक 07.02.2026 तक	रु. 16,84,000/-	रु. 1,68,400
	सांकेतिक कब्जे की तिथि: 25-04-2026	कुल बकाया रु. 7,85,620/- दिनांक 07.02.2026 तक	बोली वृद्धि राशि रु. 10000/-

अचल संपत्ति / सुरक्षित संपत्ति का विवरण: निर्मित मकान / प्लॉट का क्षेत्रफल 150 वर्ग गज जो आराजी खेवट सं. 69 से निर्मित खतौनी सं. 82, म्यू सं. 42, किला सं. 8 / 1(2 – 7), 13 / 1(0 – 16), किता 2 रकबा 3 कनाल 3 मरले के 5/69 हिस्से में से, यानी रकबा 5 मरले, मौजा फिरोजपुर कलां, उप–तहसील गौंछी, जिला फरीदाबाद, हरियाणा – 121004 सीमाएं: पूर्व: विधि का मकान, पश्चिम: सड़क, उत्तर: ब्रमजीत का मकान, दक्षिण: रास्ता

12

ऋण खाता / उधारकर्ता	मांग नोटिस की तिथि एवं राशि	आरक्षित मूल्य	बयाना राशि जमा (ईएमडी)
ऋण खाता संख्या HR/NCH/GURH/A000001168 1. श्रीमती शशि (कर्जदार) 2. श्री शिव कुमार (सह–कर्जदार)	25.02.2025 और रु. 12,83,713/- दिनांक 24.02.2025 तक	रु. 24,14,000/-	रु. 241400
	सांकेतिक कब्जे की तिथि: 16-07-2025	कुल बकाया रु. 12,83,713/- दिनांक 24.02.2025 तक	बोली वृद्धि राशि रु. 10000/-

अचल संपत्ति / सुरक्षित संपत्ति का विवरण: संपत्ति का क्षेत्रफल 277 वर्ग गज खेवट / खाता सं. 958 / 1444 का हिस्सा, म्यू सं. 131, किला सं. 18, 23 / 1 और खाता सं. 1450, म्यू सं. 131, किला सं. 23 / 2 मिन, और खाता सं. 1442, म्यू सं. 118, किला सं. 25 मिन, और खाता सं. 1443, म्यू सं. 118, किला सं. 16 / 2, 17 / 1, 25 और खाता सं. 1445, म्यू सं. 117, किला सं. 22, और खाता सं. 1446, म्यू सं. 117, किला सं. 21 / 2, म्यू सं. 118, किला सं. 23 / 2, खाता सं. 1447, म्यू सं. 118, किला सं. 24 / 2 और खाता सं. 1448, म्यू नंबर 118, किला नंबर 25 (मिन), कुल 12 किता, रकबा 45 कनाल 3 मरला (9 / 903 हिस्से का) यानी कुल 9 मरला, वाका मौजा छायंसा, उप–तहसील मोहना और जिला फरीदाबाद, हरियाणा – 121004 सीमाएं: पूर्व: मंगल, पश्चिम: सड़क, उत्तर: जगदीश, दक्षिण: अमरजीत

13

ऋण खाता / उधारकर्ता	मांग नोटिस की तिथि एवं राशि	आरक्षित मूल्य	बयाना राशि जमा (ईएमडी)
ऋण खाता संख्या GR/SKP/SUPR/A000000174 & GR/SKP/SUPR/A000000463 1. श्री मनोज कुमार (कर्जदार) 2. श्रीमती मीनू (सह–कर्जदार)	12.12.2024 और रु. 19,79,916/- दिनांक 07.12.2024 तक	रु. 38,41,000/-	रु. 384100
	सांकेतिक कब्जे की तिथि: 22-05-2025	कुल बकाया रु. 19,79,916/- दिनांक 07.12.2024 तक	बोली वृद्धि राशि रु. 10000/-

अचल संपत्ति / सुरक्षित संपत्ति का विवरण: संपत्ति / मकान / प्लॉट का क्षेत्रफल 400 वर्ग गज जो खेवट / खाता नंबर 86 / 119 में शामिल म्यू नंबर 23, किला नंबर 4 / 2, 5, 6, 7 / 1, 15, 17 / 1, 25, म्यू नंबर 24, किला नंबर 1 / 1, 9 / 2, 10, 11, 12, 13 / 1, 18 / 2, 19, 20, 21 / 1, 21 / 2, 22, 23 / 1, 23 / 2, म्यू नंबर 27, किला नंबर 10 / 1, म्यू नंबर 28, 6 / 1 / 2, म्यू नंबर 27, किला नंबर 1 / 2, 10 / 1, 10 / 2, 11 / 1, 11 / 2, 21 / 2 / 1, म्यू नंबर 38, किला नंबर 2 / 1 / 2, 2 / 2 / 2, 3 / 1 / 2, 3 / 2 / 2, 4 / 1 / 2, 6 / 1, 6 / 2, 6 / 3, 7 / 1, 8 / 1, 9 / 1 / 1, 16 / 2, 25 / 2य म्यू नंबर 43, किला नंबर 1 / 2, खसरा नंबर 131 / 1, कुल 44 किता, रकबा 172 कनाल 18 मरला (हिस्सा) 13 / 3458 यानी रकबा 13 मरला, वाका मौजा बदरोला, तहसील दयालपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा – 121101 सीमाएँ: पूर्व: हंसराज की संपत्तिय पश्चिम: संदरपाल की संपत्ति और रास्ता, उत्तर: अन्य की संपत्ति, दक्षिण: 10 फीट की गली

14

ऋण खाता / उधारकर्ता	मांग नोटिस की तिथि एवं राशि	आरक्षित मूल्य	बयाना राशि जमा (ईएमडी)
ऋण खाता संख्या HR/GGN/FRBD/A000001000 1. श्री उत्तम (कर्जदार) 2. श्री मूल चंद शर्मा (सह–कर्जदार) 3. सुश्री लक्ष्मी देवी (सह–कर्जदार)	06.01.2026 और रु. 15,44,602/- दिनांक 06.01.2026 तक	रु. 51,23,000/-	रु. 5,12,300
	सांकेतिक कब्जे की तिथि: 28-01-2025	कुल बकाया रु. 15,44,602/- दिनांक 25.09.2023 तक	बोली वृद्धि राशि रु. 10000/-

अचल संपत्ति / सुरक्षित संपत्ति का विवरण: संपत्ति का क्षेत्रफल 50 वर्ग फीट प्लॉट नंबर 63 में से, जो खसरा नंबर 18 / 6 / 2 / 18 का हिस्सा डबुआ कॉलोनी, सारन, तहसील और जिला फरीदाबाद, हरियाणा – 121001 सीमाएँ: पूर्व: अन्य, पश्चिम: शेष भाग, उत्तर: शेष भाग, दक्षिण: 15 फीट का रास्ता

15

ऋण खाता / उधारकर्ता	मांग नोटिस की तिथि एवं राशि	आरक्षित मूल्य	बयाना राशि जमा (ईएमडी)
ऋण खाता संख्या GR/SKP/SUPR/A000000478 1. श्री अमित मेहरा (कर्जदार) 2. श्रीमती कोमल (सह–कर्जदार)	11.03.2025 और रु. 24,80,649/- दिनांक 11.03.2025 तक	रु. 29,84,000/-	रु. 2,98,400
	सांकेतिक कब्जे की तिथि: 11-09-2025	कुल बकाया रु. 24,80,649/- दिनांक 11.03.2025 तक	बोली वृद्धि राशि रु. 10000/-

अचल संपत्ति / सुरक्षित संपत्ति का विवरण: प्लॉट का क्षेत्रफल 50 वर्ग गज खसरा नंबर 62 / / 21 / 45, 21 / 46, 22 / 41, 69 / / 1 / 16, 1 / 17, 2 / 1, 2 / 27, 1 / 14 का हिस्सा, मौजा सारन (जवाहर कॉलोनी), तहसील बड़खल और जिला फरीदाबाद, हरियाणा – 121001 सीमाएँ: पूर्व: महेश का मकान, पश्चिम: राजू का मकान, उत्तर: अन्य की संपत्ति, दक्षिण: 15 फीट का रास्ता

16

ऋण खाता / उधारकर्ता	मांग नोटिस की तिथि एवं राशि	आरक्षित मूल्य	बयाना राशि जमा (ईएमडी)
ऋण खाता संख्या GR/SKP/SATB/A000000012 1. श्री भीम सिंह (कर्जदार) 2. श्रीमती विमला (सह–कर्जदार) 3. श्री वीर सिंह (सह–कर्जदार)	07.02.2026 और रु. 12,95,899/- दिनांक 07.02.2026 तक	रु. 31,71,000/-	रु. 3,17,100
	सांकेतिक कब्जे की तिथि: 25-04-2026	कुल बकाया रु. 12,95,899/- दिनांक 07.02.2026 तक	बोली वृद्धि राशि रु. 10000/-

अचल संपत्ति / सुरक्षित संपत्ति का विवरण: निर्मित मकान / प्लॉट का क्षेत्रफल 113 वर्ग गज खेवट सं. 22, खतौनी सं. 29, खसरा सं. 254 / 2 / 2 (0 – 15) के 905 / 18144 हिस्से में शामिल, यानी 0 बिस्वा 14.9 बिस्वांसी, मौजा भाकरी, तहसील बड़खल, जिला फरीदाबाद, हरियाणा – 121004 सीमाएं: पूर्व: परशुराम की संपत्ति पश्चिम: मुमताज की संपत्ति, उत्तर: अन्य की संपत्ति, दक्षिण: सड़क

17

ऋण खाता / उधारकर्ता	मांग नोटिस की तिथि एवं राशि	आरक्षित मूल्य	बयाना राशि जमा (ईएमडी)
ऋण खाता संख्या HR/GGN/KRNL/A000000901 1. श्री संदीप कुमार सिंह (कर्जदार) 2. श्रीमती अनीता देवी (सह–कर्जदार) 3. श्रीमती नीतू सिंह (सह–कर्जदार)	27.08.2024 और रु. 27,78,951/- दिनांक 20.08.2024 तक	रु. 27,38,000/-	रु. 2,73,800
	सांकेतिक कब्जे की तिथि: 28-01-2025	कुल बकाया रु. 27,78,951/- दिनांक 20.08.2024 तक	बोली वृद्धि राशि रु. 10000/-

अचल संपत्ति / सुरक्षित संपत्ति का विवरण: संपत्ति / मकान सं. एफसीए – 160, क्षेत्रफल 50 वर्ग गज, खेवट सं. 18 / / 9, 10 में से, कुल कवर्ड एरिया 300 वर्ग फुट, मौजा ऊंचा गांव, भीसेन कॉलोनी, तहसील बल्लभगढ़, जिला फरीदाबाद, हरियाणा सीमाएं: पूर्व: शेष भाग, पश्चिम: टोपन दास की संपत्ति, उत्तर: खाली प्लॉट, दक्षिण: सड़क

ऑनलाइन ई–नीलामी बिक्री के नियम और शर्तें: – 1. संपत्ति को **"जैसा है जहाँ है", "जैसा है जो है", "जो कुछ भी है" और "बिना किसी दायित्व रहित"** के आधार पर बेचा जा रहा है। इस तरह की बिक्री किसी भी प्रकार की वारंटी और क्षतिपूर्ति के बिना है। 2. संपत्ति / परिसंपत्तियों का विवरण (अर्थात् ई–नीलामी बिक्री नोटिस में निर्दिष्ट सीमा और माप को सुरक्षित लेनदार की सर्वोत्तम जानकारी के लिए कहा गया है और सुरक्षित लेनदार किसी भी त्रुटि, गलत–बयान या चूक हेतु उत्तरदायी नहीं होगा। वास्तविक मौजूदा और मापन अलग–अलग हो सकते हैं। 3. सुरक्षित लेनदार द्वारा जारी ई–नीलामी बिक्री नोटिस आम जनता को अपनी बोलियां जमा करने के लिएएक निमंत्रण है और इसे सुरक्षित लेनदार की ओर से कोई प्रतिबद्धता या कोई प्रतिनिधित्व नहीं माना जाएगा। इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे सुरक्षित लेनदार के साथ शीर्षक विलेखों की प्रतियों का उपयोग करें और बोलियां प्रस्तुत करने से पहले संपत्ति / परिसंपत्तियों और दावों / देय राशियों के स्वामित्व और वर्तमान स्थिति के बारे में स्वयं की स्वतंत्र पूछताछ / उचित परिश्रम करें जो संपत्ति को प्रभावित करते हैं। 4. नीलामी/बोली केवल वेबसाइट auction@hindujahousingfinance.com and https://www.bankeauctions.com के माध्यम से "ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मोड" या सेवा प्रदाता सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रदान की गई नीलामी के माध्यम से होगी, जो नीलामी की पूर्ण प्रक्रिया को ई–नीलामी मंच द्वारा व्यवस्थित और समन्वयित करेगा। 5. बोलीदाता अपनी पसंद के स्थान से बोली लगाने के लिए ई–नीलामी में भाग ले सकते हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी खुद बोली लगाने वाले को सुनिश्चित करनी होगी। सुरक्षित लेनदार / सेवा प्रदाता को इंटरनेट कनेक्टिविटी, नेटवर्क समस्याओं, स्वयं के सिस्टम क्रैश, बिजली की विफलता आदि के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। 6. विवरण, सहायता, प्रक्रिया हेतु तथा ई–नीलामी पर ऑनलाइन बोली लगाने वाले संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाता मैसर्स सी1 इंडिया प्रा. लि., 605ए, पता: सी1 इंडिया प्रा. लि. तीसरी मंजिल, प्लॉट नं. 68 सेक्टर–44, गुड़गांव, हरियाणा–122003, (सम्पर्क व्यक्ति : मिथलेश, फोन नं. 7080804466 ईमेल: delhi@c1india.com, सहायता मो. नं. 7291981124/1125/1126 से संपर्क कर सकते हैं। 7. ई–नीलामी बिक्री में भाग लेने के लिए इच्छुक बोलीदाताओं को अपना नाम https://www.bankeauctions.com/ and auction@hindujahousingfinance.com पर पहले से पंजीकृत कर लेना चाहिए और यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करना चाहिए। इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे सेवा प्रदाता से पासवर्ड प्राप्त करने के तुरंत बाद ही उसे बदल दें। 8. ई–नीलामी में भाग लेने के लिए इच्छुक बोलीदाताओं को "हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड" के पक्ष में Demand Draft/NEFT/RTGS के माध्यम से आरक्षित मूल्य (जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है) का 10 प्रतिशत की वापसी योग्य बयाना जमा (ईएमडी) जमा करना होगा। 9. इच्छुक बोलीदाताओं को विधिवत भरा हुआ बोली फॉर्म https://www.bankeauctions.com/ and auction@hindujahousingfinance.com पर उपलब्ध प्रारूप), हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, कार्यालय संख्या–286, द्वितीय तल, पॉकेट–1, सेक्टर–25, रोहिणी, नई दिल्ली–110085 के प्राधिकृत अधिकारी को सीलबंद लिफाफे में ईएमडी प्रेषण के साथ डिमांड ड्राफ्ट जमा करना होगा। 10. सीलबंद लिफाफे के ऊपर (जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है) की संपत्ति के लिए ऋण खाता सं. (जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है) में ई–नीलामी बिक्री में भाग लेने के लिए बोली" लिखा जाना चाहिए। ईएमडी के साथ बोलियां जमा करने की अंतिम तिथि की समाप्ति के बाद, प्राधिकृत अधिकारी उसके द्वारा प्राप्त बोलियों की जांच करेगा और योग्य बोलीदाताओं के विवरण की पुष्टि करेगा (जिन्होंने आरक्षित मूल्य के ऊपर और ऊपर अपनी बोलियां उद्धृत की हैं और निर्दिष्ट ईएमडी का भुगतान सुरक्षित लेनदार) सेवा प्रदाता सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को ई–नीलामी बिक्री नोटिस में उल्लिखित तिथि और समय पर केवल उन बोलीदाताओं को ऑनलाइन इंटर–से बोली/नीलामी कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति देने के लिए सक्षम बनाता है। 11. योग्य बोलीदाताओं के बीच परस्पर बोली योग्य बोलीदाताओं द्वारा उद्धृत उच्चतम बोली से शुरू होगी। परस्पर बोली की प्रक्रिया के दौरान, प्रत्येक "10" मिनट का असीमित विस्तार होगा, अर्थात ई–नीलामी का अंतिम समय स्वचालित रूप से प्रत्येक बार 10 मिनट तक बढ़ाया जाएगा यदि बोली अंतिम विस्तार से 10 मिनट के भीतर की जाती है। 12. एक बार की गई बोलियों को रद्द या वापस नहीं लिया जाएगा। बोलीदाता को दी गई यूजर आईडी से की गई सभी बोलियां उसके द्वारा अकेले की गई समझी जाएंगी। 13. ई–नीलामी की कार्यवाही बंद होने के तुरंत बाद, सबसे ऊंची बोली लगाने वाला, ई–नीलामी बिक्री कार्यवाही में सफल बोलीदाता के रूप में घोषित होने के लिए प्राधिकृत अधिकारी को उनकी मेल आईडी parmod.chand@hindujahousingfinance.com और सेवा प्रदाता दोनों को ई–मेल द्वारा उद्धृत बोली की अंतिम राशि की पुष्टि करेगा। 14. सफल बोलीदाता को तत्काल अर्थात् उसी दिन अथवा अगले कार्य दिवस से पहले, जैसा भी मामला हो, बिक्री मूल्य की राशि का पच्चीस प्रतिशत जमा करना होगा, जिसमें जमा की गई बयाना राशि (यदि कोई हो) भी शामिल है, जो बिक्री का संचालन करने वाले प्राधिकृत अधिकारी को देनी होगी। देय क्रय मूल्य की शेष राशि अचल संपत्ति की बिक्री की पुष्टि के पंद्रहवें दिन या उससे पहले देनी होगी। 15. सफल बोलीदाता / नीलामी क्रेता द्वारा निर्धारित समय के भीतर उपरोक्त निर्धारित राशि के भुगतान में चूक के मामले में, बिक्री रद्द कर दी जाएगी और पहले से भुगतान की गई राशि (ईएमडी सहित) को जब्त कर लिया जाएगा और संपत्ति को फिर से बिक्री के लिए रखा जाएगा। 16 सफल बोलीदाता के अनुरोध पर, प्राधिकृत अधिकारी अपने पूर्ण विवेक से बोली राशि की शेष राशि जमा करने के लिए लिखित रूप में और समय दे सकता है। 17. सफल बोलीदाता को लागू टीडीएस (बिक्री आय में से) का भुगतान करना होगा तथा प्राधिकृत अधिकारी को टीडीएस प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। 18. नगरपालिका / पंचायत कर, बिजली देय (यदि कोई हो) और किसी अन्य प्राधिकरण देय राशि (यदि कोई हो) का भुगतान सफल बोलीदाता द्वारा बिक्री प्रमाण पत्र जारी करने से पहले किया जाना है। संपत्ति से संबंधित सभी वैधानिक देय राशि को ध्यान में रखते हुए बोलियां लगाई जाएंगी। 19. सफल बोलीदाता के पक्ष में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बिक्री प्रमाण पत्र केवल संपूर्ण खरीद मूल्य / बोली राशि जमा करने और सभी करों / शुल्कों के भुगतान के संबंध में आवश्यक प्रमाण प्रस्तुत करने पर जारी किया जाएगा। 20. कानूनी शुल्क, स्टांप ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क और किसी भी प्रकार के अन्य आकस्मिक प्रभार नीलामी खरीदार द्वारा वहन किया जाएगा। 21. प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताए ई–नीलामी बिक्री कार्यवाही को स्थगित / रद्द कर सकता है। यदि निर्धारित ई–नीलामी बिक्री को बिक्री की निर्धारित तिथि से 15 दिन की तिथि के लिए स्थगित किया जाता है, तो इसे सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। 22. प्राधिकृत अधिकारी का निर्णय अंतिम, बाध्यकारी और निर्विवाद है। 23. बोली प्रस्तुत करने वाले सभी बोलीदाताओं को ई–नीलामी बिक्री के नियमों और शर्तों को पढ़ और समझ लिया गया माना जाएगा और वे उनके द्वारा बाध्य होंगे। 24. अधिक जानकारी और प्रश्नों के लिए, कृपया हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के शाखा कार्यालय ऑफिस न. 210 / 211, दूसरी मंजिल, दशमेश प्लाजा, सेक्टर–20बी, एनआईटी, फरीदाबाद, हरियाणा–121001 के प्राधिकृत अधिकारी प्रमोद चंद, मोबाइल नंबर– 9990338759 और श्री रवि शंकर, मो. नं. 9999735552 और श्री राकेश कुमार गुप्ता 9873925255 से संपर्क करें। 26. यह उपर्युक्त ऋण खाते के ऋणी / बंधककर्ता / गारंटर को 30 (तीस) दिन का नोटिस है, जो कि प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के अनुसरण में उपर्युक्त तिथि / स्थान पर नीलामी बिक्री आयोजित करने के बारे में है।

भुगतान का तरीका– भुगतान हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पक्ष में दिल्ली और गुड़गांव में देय डिमांड ड्राफ्ट द्वारा या आरटीजीएस / एनईएफटी द्वारा किया जाएगा।

विशेष निर्देश / सावधानी: अंतिम मिनट / सेकंड में बोली लगाने वालों को अपने हित में बोली लगाने से बचना चाहिए। ऐसे मामलों में बोलीदाता की ओर से किसी भी चूक / विफलता (इंटरनेट विफलता, बिजली की विफलता, आदि) के लिए न तो हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड और न ही सेवा प्रदाता जिम्मेदार होगा। ऐसी आकस्मिक स्थिति से बचने के लिए, बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे सभी आवश्यक व्यवस्था / विकल्प जैसे बैक–अप बिजली की आपूर्ति और जो कुछ भी आवश्यक हो, ताकि वे ऐसी स्थिति से बचने में सक्षम हों और नीलामी में सफलतापूर्वक भाग ले सकें।

स्थान : हरियाणा, दिनांक : 02.06.2026 **प्राधिकृत अधिकारी, हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**

SINGER
ORIGINAL SINCE 1851.

सिंगर इंडिया लिमिटेड

CIN : L52109DL1977PLC025405

पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालय का पता: इंस्टीट्यूट फॉर स्टडीज इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट (आईएसआईडी), तीसरा फ्लोर, ब्लॉक सी–2–3 आईएसआईडी कैंपस, 4, वसंत कुंज इंस्टिट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली – 110070
ई–मेल: secretarial@singerindia.com, mail@singerindia.com
फोन नं0: +91-11-40617777 वेबसाइट: www.singerindia.com

भौतिक प्रतिभूतियों के हस्तांतरण और डिमटेरियलाइजेशन के लिए विशेष विंडो

सदस्यों को सूचित किया जाता है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ('सेबी') ने परिपत्र संख्या HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/I/3750/2026 दिनांक 30 जनवरी, 2026 के माध्यम से भौतिक प्रतिभूतियों के हस्तांतरण और डीमटेरियलाइजेशन के लिए एक विशेष विंडो खोली है। यह विशेष विंडो 05 फरवरी, 2026 से 04 फरवरी, 2027 तक, एक वर्ष की अवधि के लिए खुली रहेगी।

जिन सदस्यों ने 01 अप्रैल, 2019 से पहले शेयर खरीदे / अधिग्रहित किए हैं और जिनके पास मूल शेयर प्रमाणपत्रों के साथ–साथ विधिवत निष्पादित हस्तांतरण विलेख हैं, वे सेबी द्वारा निर्धारित शर्तों और आवश्यकताओं के अनुपालन के अधीन, कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट ('आरटीए') के माध्यम से ऐसी प्रतिभूतियों के हस्तांतरण और साथ ही डीमैटीरियलाइजेशन के लिए अपने अनुरोध जमा कर सकते हैं।

यह विशेष विंडो उन हस्तांतरण अनुरोधों के लिए भी उपलब्ध है, जिन्हें पहले जमा किया गया था, लेकिन दस्तावेजीकरण या प्रक्रिया में कमियों के कारण अस्वीकृत / वापस कर दिया गया था / जिन पर ध्यान नहीं दिया गया था।

विस्तृत पात्रता मानदंड, दस्तावेजीकरण आवश्यकताओं और प्रक्रियात्मक दिशानिर्देशों के लिए, निवेशक 30 जनवरी, 2026 का सेबी परिपत्र देख सकते हैं, जो सेबी की वेबसाइट (www.sebi.gov.in), कंपनी की वेबसाइट (www.singerindia.com) पर उपलब्ध है, या कंपनी के आरटीए: एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट्स लिमिटेड, के 179–180, डीएसआईडीसी शेड, तीसरी मंजिल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज–1, नई दिल्ली–110020 फोन: 011–41406149–51 ईमेल admin@mcsregistrars.com पर सम्पर्क कर सकते हैं।

कृते सिंगर इंडिया लिमिटेड
हस्ता / –
रुपिंदर कौर
कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

Satin Housing Finance Ltd.
THE ANSWER IS HOME

सैटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

निगमित कार्यालय : भूखंड सं. 492, उद्योग विहार, फेज-3, गुरूग्राम, हरियाणा-122016
पंजीकृत कार्यालय : 5वां तल, कुंदन भवन, आजादपुर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, आजादपुर, नई दिल्ली- 110033

माँग सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 (1) के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत।

अधोहस्ताक्षरकर्ता ने सैटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (उक्त अधिनियम) के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत, प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचनायें दिनाँकित निम्न अंकित निर्गत की थी, जिनमें निम्नलिखित ऋणकर्ता(ओं) (उक्त ''ऋणकर्ता(ओं)'') को उन्हें निर्गत संबंधित मांग सूचना(ओं), जिन्हें नीचे भी दिया गया है, में अंकित राशियों का, प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।

उपरोक्त के संबंध में, एतद्द्वारा उक्त ऋणकर्ता(ओं) को एक बार पुनः सूचित किया जाता है कि वे इस सूचना के प्रकाशन से 60 दिवसों के अंदर धारा 13(2) के अंतर्गत निर्गत सूचना निम्न दिनांकित में यहां इसमें निम्नांकित देय राशि का, उक्त ऋणकर्ता(ओं) द्वारा निष्पादित अन्य प्रलेखों/आलेखों, यदि कोई, के साथ पठित ऋणानुबंध के अंतर्गत भुगतानयोग्य, निम्नांकित तिथि(यों) से लेकर के भुगतान एवं/अथवा वसूलीकरण की तिथि तक, उक्त मांग सूचना(ओं) में विवरणितानुसार भावी ब्याज के साथ भुगतान कर दें। ऋण के नियत प्रतिभुगतान की प्रतिभूति के रूप में निम्नलिखित परिसंपत्तियों को उक्त ऋणकर्ता(ओं) द्वारा सैटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पास क्रमशः बंधककृत किया गया है।

क्र. सं.	ऋणकर्ता(ओं) / सह–ऋणकर्ता(ओं) के नाम तथा पते तथा ऋण खाता सं.	मांग सूचना तिथि तथा देयराशि रु. में
1.	1. **अरुण कुमार पुत्र कंवर भान ऋणकर्ता** (ऋणकर्ता) 2. **नीलम रानी पत्नी अरुण कुमार** (सह–ऋणकर्ता) 3. **कंवर भान पुत्र रति राम** (सह–ऋणकर्ता) **सभी निवासी :** मकान संख्या 1381, ग्राम कुतैल, करनाल, हरियाणा–132037, **ऋण खाता संख्या – LAKNL1221-00003862**	**27–05–2026** **रु. 10,21,817/–** (रुपये दस लाख इक्कीस हजार आठ सौ सत्रह मात्र) तिथि 30.05.2026 के अनुसार
	अचल संपत्ति का विवरण :– लाल डोरा के भीतर स्थित 81.30 वर्ग गज माप वाली संपत्ति, जो ग्राम कुतैल, तहसील घरौंदा, जिला करनाल, हरियाणा में स्थित है, जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं :– पूर्व : पाला राम का मकान, पश्चिम : गली तथा गेट, उत्तर : राजबीर का मकान, दक्षिण : मुकेश का मकान। स्थानांतरण विलेख धारक वसीका संख्या 3205 तिथि 22.01.2019	
2.	1. **बहुपिंदर राणा पुत्र करण सिंह** (ऋणकर्ता) 2. **ममता पत्नी भूपेंद्र सिंह** (सह–ऋणकर्ता) **दोनों निवासी :** मुआना, डाकघर मोवाना, जिला जींद, हरियाणा–126112 **ऋण खाता संख्या – LAPNT1124-00012604**	**23–05–2026** **रु. 32,32,752/–** (रुपये बत्तीस लाख बत्तीस हजार सात सौ बावन मात्र) तिथि 30.05.2026 के अनुसार
	अचल संपत्ति का विवरण :– 846 वर्ग गज या 1 कनाल 7.97 मरला माप वाली संपत्ति जो खेवट संख्या 1254, खतौनी संख्या 1647, खसरा संख्या 742(3–4), 1440(0–18), 1441(1–0), 1442(0–19), 1443(0–18) में शामिल 6 कनाल 19 मरला में से 5284/26255वां हिस्सा है, जो ग्राम मुआना की राजस्व संपदा के भीतर, तहसील सफीदों, जिला जींद, हरियाणा में स्थित है, जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं :– पूर्व : 38 फीट गली, पश्चिम : 41 फीट 6 इंच श्याम सिंह का मकान, उत्तर : भुजा 134 फीट 6 इंच बिजेंद्र तथा राजेंद्र आदि का मकान + 9 फीट + 50 फीट गली, दक्षिण : 134 फीट 6 इंच + 62 फीट 9 इंच गली। पंजीकृत तिथि : 21.12.2023, बहीखाता संख्या 01, खंड संख्या 3, पृष्ठ संख्या 14.75, विलेख संख्या 3272	
3.	1. **नरेश कुमार पुत्र पोला राम** (ऋणकर्ता) 2. **पोला राम पुत्र रोंकी राम** (सह–ऋणकर्ता) 3. **आरती पत्नी नरेश कुमार** (सह–ऋणकर्ता) **सभी निवासी :** ग्राम सोथा, कैथल, हरियाणा–136033 **ऋण खाता संख्या – LAKNL0722-00005316**	**23–05–2026** **रु. 3,95,908/–** (रुपये तीन लाख पंचानवे हजार नौ सौ आठ मात्र) तिथि 30.05.2026 के अनुसार
	अचल संपत्ति का विवरण :– प्लॉट/मकान यू.आई.डी. नं. 058813EM1M1S02RL164, जिसका क्षेत्रफल 95.309 वर्ग मीटर है, जो ग्राम सोथा के लाल डोरा, तहसील सिवान, जिला कैथल, हरियाणा में स्थित है, जिसकी सीमाएं इस प्रकार हैं– पूर्व : 22.707 मीटर, पश्चिम : 23.3 मीटर, उत्तर : 5.451 मीटर, दक्षिण : 4.967 मीटर। पंजीकृत तिथि : 14.09.2021 धारक वसीका संख्या 1425/1, खंड संख्या 602	
4.	1. **राहुल राहुल पुत्र अशोक कुमार** (ऋणकर्ता) 2. **पूजा यादव पत्नी राहुल** (सह–ऋणकर्ता) **दोनों निवासी :** मकान संख्या 136, ग्राम रूपगढ़, भिवानी, हरियाणा –127021, **ऋण खाता संख्या – LAREI1223-00009620**	**27–05–2026, रु. 13,55,223/–** (रुपये तेरह लाख पचपन हजार दो सौ तेईस मात्र) तिथि 30.04.2026 के अनुसार
	अचल संपत्ति का विवरण :– खेवट संख्या 164, खतौनी संख्या 202, खसरा संख्या 200(1–0) तथा 201(1–0) से मिलकर बनी संपत्ति, जिसकी माप 2 कनाल 0 मरला है, इसका 1/3वां हिस्सा यानी 13.33 मरला (400 वर्ग गज), जो ग्राम रूपगढ़, तहसील तथा जिला भिवानी, हरियाणा में स्थित है। पंजीकृत तिथि : 06.08.2019, खाताबही संख्या 01, विलेख संख्या 6951	

यदि उक्त ऋणकर्तागण, उपर्युक्तानुसार सैटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को भुगतान करने में विफल होंगे, तो सैटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड उपरोक्त प्रतिभूत परिसंपत्तियों के विरुद्ध, लागतों एवं परिणामों से संबंधित उक्त ऋणकर्ताओं के संपूर्ण जोखिम पर अधिनियम की धारा 13 (4) और यथा लागू नियमावली के अंतर्गत कार्रवाई करेगी। उक्त ऋणकर्ताओं को अधिनियम के अंतर्गत प्रतिबंधित किया जाता है कि वे सैटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की पूर्व लिखित अनुमति–सहमति के बिना उपर्युक्त परिसंपत्तियों का विक्रय, पट्टा के माध्यम से अथवा अन्यथा हस्तांतरण नहीं कर सकेंगे। कोई भी व्यक्ति जो उक्त अधिनियम के प्रावधानों अथवा उसके अंतर्गत विरचित नियमावली का उल्लंघन करता है अथवा उल्लंघन के लिए उकसाता है उसे अधिनियम के अंतर्गत उपलब्धानुसार कारावास दंड तथा/अथवा अर्थदंड दिया जायेगा।

स्थान : गुरुग्राम
दिनांक : 02–06–2026

हस्ता./–, प्राधिकृत अधिकारी
सैटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

STATE BANK OF INDIA भारतीय स्टेट बैंक

3171, ब्लॉक सी, ग्रीनफील्ड कॉलोनी, फरीदाबाद, 121010

गिरवी रखी गई संपत्ति, अर्थात सोने के आभूषणों की ई-नीलामी के लिए सार्वजनिक सूचना

एतद्द्वारा सर्वसाधारण और विशेष रूप से ऋणधारकों को सूचित किया जाता है कि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा नीचे दिए गए खातों में गिरवी रखे गए सोने के आभूषणों की सार्वजनिक नीलामी नीचे उल्लिखित शाखा में आयोजित करने का प्रस्ताव है। नीचे उल्लिखित ऋणधारकों ने बैंक के पक्ष में सोने के आभूषणों को प्रतिभूति के रूप में गिरवी रखकर भारतीय स्टेट बैंक से ऋण सुविधा ("स्वर्ण ऋण सुविधा") प्राप्त की है। ऋणधारकों/गारंटर को उनके द्वारा प्राप्त स्वर्ण ऋण सुविधा के संबंध में बकाया राशि का भुगतान करने के लिए मांग सूचना जारी किए गए थे। चूंकि ऋणधारकों/गारंटर बकाया ऋण राशि चुकाने में विफल रहे हैं, इसलिए बैंक गिरवी को रद्द करने और नीचे संपत्ति के विवरण में विशेष रूप से वर्णित गिरवी रखे गए सोने के आभूषणों की नीलामी बिक्री 08.06.20256 को सुबह 10:30 बजे शाखा परिसर: 3171, ब्लॉक सी, ग्रीनफील्ड कॉलोनी, फरीदाबाद, 121010 में "जैसा है जहाँ है", "जैसा है जो है", "जो कुछ भी वहाँ है" और "बिना किसी उपचार के आधार" पर आयोजित की जाएगी।

ऋणधारक का नाम और पता	ऋण खाता सं.	बकाया राशि (रु. में)	सकल भार	शुद्ध भार
श्री सर्वेश यादव पता: डी3/37, शिव दुर्गा विहार, लक्कड़पुर फरीदाबाद, 121003	445593 62785	रु. 2,11,591/- + ब्याज + उस पर अन्य शुल्क	31.450 ग्राम	28.20 ग्राम

भारतीय स्टेट बैंक बिना किसी पूर्व सूचना के नीलामी की तारीख बदलने का अधिकार रखता है। नीलामी 08.06.2026 को सुबह 10:30 बजे आयोजित की जाएगी। विस्तृत नियम और शर्तों के लिए, कृपया संपर्क करें:
अधिकृत अधिकारी, श्री मनोज कुमार (8448160622) और श्री पवन कुमार राँय (9015983393)
बैंक प्रक्रिया से पहले किसी भी समय नीलामी रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

स्थान: फरीदाबाद — हस्ता/–, अधिकृत अधिकारी
दिनांक: 01.06.2026 — भारतीय स्टेट बैंक

Chola — चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

कॉर्पोरेट कार्यालय: "चोला क्रेस्ट", सी 54 और 55, सुपर बी-4, तिरु वी का औद्योगिक एस्टेट, गिंडी, चेन्नई- 600 032

कब्जे की सूचना (नियम 8 (1)) (अचल संपत्ति के लिए)

जैसा की वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम,2002 के अंतर्गत मेसर्स चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम,2002के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने दिनांक 09.03.2026 को मांग सूचना[ऋण खाता सं.: TL01NDL0000060678 एवं TL01NDL0000061558] के लिए जारी कर ऋणकर्ता / सह-ऋणधारको **1. मैसर्स चौहान कोल्ड ड्रिंक, 2. श्री विवेक चौहान, 3. श्रीमती पिंकी, 4. श्रीमती प्रीति चौहान** को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर उक्त मांग सूचना में दर्शाई गई बकाया राशि **₹ 78,70,326/- (रुपये अठहत्तर लाख सत्तर हजार तीन सौ छब्बीस मात्र), जो कि दिनांक 09.03.2026** तक है, को उक्त चाह लगने वाले आगे के ब्याज और सुरक्षित सहित वापस लौटाने का निर्देश दिया था

ऋणधारक/ सह- ऋणधारक राशि चुकाने में विफल रहे हैं, इसलिए एतद्वारा विशेष रूप से ऋणधारक/ सह- ऋणधारक और आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने अधिनियम की धारा 13की उप-धारा [4] के अंतर्गत तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली, 2002 के नियम 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **29 मई, 2026** को नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है।

ऋणधारकों / सह-ऋणधारकों का ध्यान सुरक्षित संपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप- धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

विशेष रूप से ऋणधारक/ सह- ऋणधारक और आम जनता को एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि वह नीचे उल्लिखित संपत्तियों के साथ कोई व्यवहार न करें और संपत्ति के साथ किया गया कोई भी लेनदेन **₹ 78,70,326/- (रुपये अठहत्तर लाख सत्तर हजार तीन सौ छब्बीस मात्र)** दिनांक 09.03.2026 को और उस पर देय ब्याज के लिये मैसर्स चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

अचल संपत्ति का विवरण

मकान नं. 37, **कुल क्षेत्रफल 140 वर्ग गज**, जो खसरा नंबर 175 में से है, तथा जो आबादी राजेंद्र प्रसाद मार्ग, नगर निगम बागपत के अंतर्गत, तहसील और जिला बागपत, उत्तर प्रदेश में स्थित है, का पूरा हिस्सा और टुकड़ा जिसकी सीमाएं) नीचे दिए अनुसार है: पूर्व: राजेंद्र प्रसाद मार्ग, पश्चिम: अन्य प्लॉट, उत्तर: राजेंद्र शर्मा का मकान, दक्षिण: विष्णु कुमार का मकान

दिनांक: 29.05.2026 — प्राधिकृत अधिकारी
स्थान: लखनऊ बागपत — मैसर्स चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

प्रपत्र नं. 14
[विनियम –33(2) देखें]
वसूली अधिकारी कार्यालय– I / II
ऋण वसूली न्यायाधिकरण दिल्ली (डीआरटी–2)
चतुर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001
डिमांड नोटिस

ऋण वसूली और दिवालियापन अधिनियम, 1993 की धारा 25 से 28 और आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 2 के तहत नोटिस।

RC/62/2024 — 19-05-2026

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
बनाम
मैसर्स आदिवा मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य

सेवा में,
(सीडी 1) मैसर्स आदिवा मेडिकेयर प्रा. लि. एवं अन्य, (इसके निदेशकों श्री बिकाश कुमार साहू एवं श्रीमती निखिला जोसेफ के माध्यम से) अस्पताल का पता : सी1/3वी, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, ग्राम युसुफ सराय, नई दिल्ली – 110016, दिल्ली–पश्चिम दिल्ली।
(सीडी 2) श्री बिकाश कुमार साहू (निदेशक एवं गारंटर), मैसर्स आदिवा मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक, आवासीय पता : एफ–1 / ए, एफ–ब्लॉक, साकेत, नई दिल्ली – 110017 ।
(सीडी 3) श्रीमती निखिला जोसेफ (निदेशक एवं गारंटर), मैसर्स आदिवा मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड की निदेशक, आवासीय पता : एफ–1 / ए, एफ–ब्लॉक, साकेत, नई दिल्ली – 110017 ।

यह सूचित किया जाता है कि **पीठासीन अधिकारी**, ऋण वसूली न्यायाधिकरण दिल्ली (डीआरटी 2) द्वारा **TA/1348/2023** में पारित आदेशों के अनुसरण में जारी किए गए वसूली प्रमाण पत्र के अनुसार, **रु. 65,65,805.48 (पैंसठ लाख पैंसठ हजार आठ सौ पांच रुपये और अड़तालीस पैसे मात्र)** की राशि, बकाया और भविष्य के ब्याज सहित **29/11/2023** से वसूली तक **@10%** साधारण सालाना ब्याज और **रु. 68,000 (अड़सठ हजार रुपये मात्र)** की लागत आपके विरुद्ध (संयुक्त रूप से और व्यक्तिगत रूप से / पूर्ण रूप से सीमित) देय हो गई है।

2. इस नोटिस के माध्यम से आपको नोटिस प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर उपरोक्त राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। ऐसा न करने पर बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 और उसके अधीन नियमों के अनुसार वसूली की जाएगी।
3. आपको सुनवाई की अगली तारीख को या उससे पहले एक हलफनामे पर अपनी संपत्ति का विवरण घोषित करने का आदेश दिया जाता है।
4. आपको आदेश दिया जाता है कि दिनांक **03.08.2026 को प्रातः 10:30 बजे** अधोहस्ताक्षरी के समक्ष आगे की कार्यवाही हेतु उपस्थित हों।
5. उपरोक्त राशि के अतिरिक्त, आप भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होंगे:
(क) इस तरह के प्रमाण पत्र / निष्पादन कार्यवाही की इस सूचना के तुरंत बाद शुरू होने वाली अवधि के लिए देय है।
(ख) इस नोटिस और वारंट और अन्य प्रक्रियाओं और देय राशि की वसूली के लिए की गई अन्य सभी प्रक्रियाओं की तामील के संबंध में किए गए सभी लागत, शुल्क और व्यय।

मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर के तहत दिनांक 19.05.2026 को दिया गया।

हस्ता/–
वसूली अधिकारी
ऋण वसूली अधिकरण दिल्ली (डीआरटी–2)

ट्रूहोम फाइनेंस लिमिटेड

(पूर्व में श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से प्रसिद्ध)

Truhome FINANCE

पंजीकृत कार्यालय : श्रीनिवास टावर, प्रथम तल, डोर नंबर 5, पुराना नंबर 11, दूसरी लेन, सेनाटोफ रोड, अलवरपेट, तेनाम्पेट, चेन्नई–600018
प्रधान कार्यालय : लेवल 3, वोकहार्ट टावर्स, ईस्ट विंग सी–2, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई–400051
वेबसाइट : http://www.truhomefinance.in

सांकेतिक कब्जा सूचना

जबकि, अधोहस्ताक्षरी, ट्रूहोम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से प्रसिद्ध) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के तहत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के (नियम 3) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मांग सूचनाएं जारी की थीं, जिनमें नीचे तालिका में वर्णित कर्जदारों से उक्त मांग सूचनाओं में वर्णित बकाया राशि चुकाने की मांग की गई थी।

कर्जदार राशि चुकाने में असफल रहे हैं, अतः कर्जदारों और सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 30–05–2026 को नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है।

कर्जदार को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को सम्पत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार ट्रूहोम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड) की नीचे वर्णित बकाया राशि + ब्याज के प्रभार के अधीन होगा।

कर्जदार का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

कर्जदार का नाम और पता

श्री रमेश कुमार विश्वकर्मा पुत्र श्री जानू विश्वकर्मा
मकान नंबर बी–22, गली नंबर 3, अमर विहार, करावल नगर, उत्तर पूर्व दिल्ली–110094
अन्य पता :–मकान नंबर बी–23, गली नंबर 3, अमर विहार, करावल नगर, दिल्ली–110094
श्रीमती नीलम विश्वकर्मा पत्नी श्री रमेश कुमार विश्वकर्मा
मकान नंबर बी–22, ब्लॉक–बी, गली नंबर 3, अमर विहार, करावल नगर, उत्तर पूर्व दिल्ली–110094
अन्य पता :–मकान नंबर बी–23, गली नंबर 3, अमर विहार, करावल नगर, दिल्ली–110094

मांग सूचना के अनुसार बकाया राशि

ऋण खाता संख्या SLPHGPRK0003125 के संदर्भ में 09–मार्च–2026 तक रु. 39,75,640/– (रुपये उनतालीस लाख पचहत्तर हजार छह सौ चालीस मात्र)
मांग सूचना की तिथि – 11–मार्च–2026
सांकेतिक कब्जा की तिथि – 30–मई–2026
एनपीए तिथि – 05–मार्च–2026.

बंधक सम्पत्ति का विवरण

संपत्ति के सभी अंश एवं खंड : संपत्ति संख्या बी–23, गली नंबर 3, किला नंबर 17/2, 19/3 और 20, खसरा संख्या(आईडी: पीएम–उदय/केस/03093447196414/1. क्षेत्रफल परिम. प 41.81 वर्ग मीटर, करावल नगर, दिल्ली–110094, उक्त संपत्ति की सीमाएं:–पूर्व: अन्य संपत्ति, पश्चिम: अन्य संपत्ति, उत्तर: अन्य संपत्ति, दक्षिण: गली

स्थान : दिल्ली — हस्ता/– प्राधिकृत अधिकारी – ट्रूहोम फाइनेंस लिमिटेड
तिथि : 30–05–2026 — (पहले श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से मशहूर)

पिरामल फाइनेंस लिमिटेड

Piramal Finance

(पूर्व में पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से विदित)

सीआईएन : L65910MH1984PLC032639, पंजीकृत कार्यालय : यूनिट नंबर–601, 6ठवाँ तल, पिरामल अमिति बिल्डिंग, पिरामल अगस्त्य कॉर्पोरेट पार्क, कमानी जंक्शन, फायर स्टेशन के सामने, एलबीएस मार्ग, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई– 400070 – दूरभाष : +91 22 3802 4000, **शाखा कार्यालय :** यूनिट नं. 01 तथा 09, भूतल, जीडी–आईटीएल नॉर्थ एक्स टॉवर, प्लॉट नंबर ए–9, नेताजी सुभाष प्लेस, नई दिल्ली–110034 तथा प्लॉट नंबर–6, ब्लॉक–ए द्वितीय तल, सेक्टर 2, नोएडा–201301

अधिग्रहण सूचना प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8–(1) तथा परिशिष्ट–IV के अनुसार अचल संपत्ति हेतु

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने पीरामल फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से विदित) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत, कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नीचे उल्लिखित उधारकर्ता (ओं) / गारंटर (रों) को मांग सूचना(यें) निर्गत की गई थीं, जिन्हें उक्त सूचनाओं की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में उल्लिखित राशि चुकाने के लिए कहा गया था। उधारकर्ताओं द्वारा राशि चुकाने में असफल रहने के कारण, उधारकर्ता(ओं)/गारंटर(रों) और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। उधारकर्ता का ध्यान, प्रतिभूत परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है। विशेष रूप में उधारकर्ता और आम जनता को एतद्द्वारा संपत्ति का लेन–देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ कोई भी लेन–देन पिरामल फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से विदित) के अधीन होगा, जो कि ब्याज के साथ नीचे उल्लिखित राशि के लिए है।

उधारकर्ता(ओं) / गारंटर(रों) के नाम	प्रतिभूत परिसंपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण	मांग सूचना तिथि तथा राशि	अधिग्रहण की तिथि
(ऋण कोड सं. BLSA0001F409), (शाखा–रोहतक), चन्न ओ., कृष्ण कुमार, किरण के विधिक उत्तराधिकारी	खेवट सं. 412, वाका मौजा खरकाड़ी, तोशम जनपद भिवानी हरियाणा 127040, सीमाएँ :– उत्तर : मंगल सिंह का मकान 40', पश्चिम : गली 27', पूर्व : रिक्त भूखंड 27', दक्षिण : अन्य का मकान 40'	16–10–2024 हेतु रु. 6,11,875.28/– (रुपये छह लाख ग्यारह हजार आठ सौ पिचहत्तर तथा अट्ठाईस पैसे मात्र)	27.05.2026

स्थान : रोहतक, दिनांक : 02–06–2026 — (प्राधिकृत अधिकारी), पिरामल फाइनेंस लिमिटेड

केनरा बैंक Canara Bank

(भारत सरकार का उपक्रम) (A Govt. of India Undertaking)

सिंडिकेटबैंक SyndicateBank

माँग सूचना

वसूली, कानूनी एवं धोखाधड़ी निवारण अनुभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, बी–35, साइबर मीडिया बिल्डिंग, प्रथम मंजिल, सेक्टर–32, गुरूग्राम 122003

जबकि अधोहस्ताक्षरी, **केनरा बैंक** के अधिकृत अधिकारी होने के नाते, सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत उधारकर्ता/गारंटर/गिरवीदार को मांग नोटिस जारी किया, जो कि नीचे उल्लिखित प्रत्येक नोटिस के पंजीकृत डाक द्वारा भेजे जाने और उधारकर्ता/गारंटर/गिरवीदार के पते से वापस न मिलने के परिणामस्वरूप हुआ। इस प्रकाशन के माध्यम से उन्हें उक्त सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने का आह्वान किया जाता है, अन्यथा बैंक अचल और चल संपत्ति/संपत्तियों पर कब्जा कर लेगा और सुरक्षा हित (नामांकन) नियम 2002 की धारा 13(2) के साथ नियम 8 और 9 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रक्रिया के माध्यम से इसे बेच देगा। उधारकर्ता/गारंटर/गिरवीदार को विशेष रूप से और आम जनता को एतद्द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे अचलध्चल संपत्तियों से कोई लेन–देन न करें और नीचे उल्लिखित अचलध्चल संपत्तियों से किसी भी प्रकार का लेन–देन बकाया राशि और उस पर ब्याज तथा अन्य शुल्कों के लिए **केनरा बैंक** के प्रभार के अधीन होगा।

ऋणकर्ता/गारंटर/मालिक/गिरवीदार का नाम और पता	चल/अचल संपत्तियों का विवरण	मांग सूचना के अनुसार देय राशि	मांग सूचना की तिथि
केनरा बैंक, रेवाडी दिल्ली रोड शाखा श्री अजमेर मलिक पुत्र ओम प्रकाश मकान नंबर 283 मानेसर गुड़गांव 122001 श्री अजमेर मलिक पुत्र ओम प्रकाश गांव बोआना लाखू तहसील इसराना पानीपत 132107	**1). स्वामित्व धारक का नामः अजमेर मलिक** अचल संपत्तिः NEW SWIFT L XI B S -VI चेसिस संख्या MBHCZCB3SPFC65893 का बंधक इंजन संख्या K12NP1449834] वाहन संख्या HR26FD3325 का चल/अचल संपत्तियों का विवरण	**4,28,613 रुपये** (चार लाख अट्ठाईस हजार छह सौ तेरह रुपये मात्र) ब्याज और अन्य आकस्मिक व्यय सहित	30.05.2026 **एनपीए की तिथिः** 23.05.2026

दिनांकः 02.06.2026 स्थानः गुड़गांव — हस्ताक्षर/– अधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक

कब्जा सूचना

एडलवाइस एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

CIN: U67100MH2007PLC174759
रिटेल सेन्ट्रल और रजि. कार्यालयः एडलवाइस हाउस, ऑफ सीएसटी रोड, कलिना, मुंबई 400098

परिशिष्ट IV (नियम–8(1)) कब्जे का नोटिस (अचल संपत्ति के लिए)

जबकि, यहाँ उल्लिखित सुरक्षित लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी ने, वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित के प्रवर्तन (अधिनियम), 2002 के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित उधारकर्ता(ओं) को एक मांग नोटिस जारी किया था जिसमें नोटिस में उल्लिखित राशि को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था।

तत्पश्चात, इसमें उल्लिखित समनुदेशक ने वित्तीय परिसंपत्तियों को एडलवाइस एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को, स्वयं के रूप में या नीचे उल्लिखित ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में कार्य करते हुए, समनुदेशित कर दिया है (जिसे इसके बाद "ईएआरसी" के रूप में संदर्भित किया गया है)। तदनुसार, सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 5 के तहत निष्पादित समनुदेशन समझौतों के अनुसरण में, ईएआरसी ने समनुदेशक का स्थान ले लिया है। उधारकर्ता द्वारा प्राप्त की गई वित्तीय सहायता के संबंध में, समनुदेशक के सभी अधिकार, स्वत्व और हित, अंतर्निहित सुरक्षा हितों गारंटी और गिरवी के साथ अब ईएआरसी में निहित हो गए हैं और ईएआरसी सुरक्षित लेनदार के रूप में अपने सभी अधिकारों का प्रयोग करेगा।

उधारकर्ता द्वारा राशि चुकाने में असफल रहने के कारण, उधारकर्ता और आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी एडलवाइस एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रत्येक सम्पत्ति के समक्ष वर्णित तिथि को ले लिया है।

क्र. सं.	असाइनर का नाम	ट्रस्ट का नाम	ऋण खाता नं.	कर्जदार/सह–कर्जदार का नाम	राशि और मांग सूचना की तिथि	कब्जे की तिथि	कब्जे का प्रकार
1	ICICI होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (ICICI HFCL)	EARC Trust SC – 448	NHDEL00000727479	श्री ओमकार सिंह (ऋणकर्ता) श्रीमती बिमलेश चौधरी (सह–ऋणकर्ता)	रु. 1,61,80,715.10 (रु. एक करोड़ इकसठ लाख अस्सी हजार सात सौ पंद्रह और दस पैसे) दिनांक 20.03.2024 तक और 20.03.2024	29.05.2026	भौतिक कब्जा

संपत्ति का विवरणः आवासीय संपत्ति का संपूर्ण भाग और हिस्सा जोकि प्लॉट संख्या डी–224, जिसका क्षेत्रफल 111.56 वर्ग मीटर डी ब्लॉक, गोविंदपुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश और जिसकी सीमाएँः उत्तरः 30 फुट चौड़ी सड़क, दक्षिणः प्लॉट संख्या डी 221, पूर्वः प्लॉट संख्या डी 223, पश्चिमः प्लॉट संख्या डी 225.

उधारकर्ता का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों को मुक्त करने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है। विशेष रूप से उधारकर्ता और आम जनता को संपत्ति से संबंधित लेन–देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति से संबंधित किसी भी लेन–देन एडलवाइस एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के प्रभार वास्ते राशि और उस पर भावी ब्याज इत्यादि सहित के अधीन होगा।

स्थानः गाजियाबाद — प्राधिकृत अधिकारी
दिनांकः 29.05.2026 — कृते एडलवाइस एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

Edelweiss Asset Reconstruction

ई–नीलामी सह विक्रय की सार्वजनिक सूचना

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (यहां इसमें इसके उपरान्त "अधिनियम") के अंतर्गत, आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड (आईआईएफएल–एचएफएल) निगमित कार्यालय : भूखंड सं. 98, उद्योग विहार, फेज–IV, गुड़गांव–122015 (हरियाणा) तथा शाखा कार्यालय :– 30/30ई, ऊपरी भू तल, शिवाजी मार्ग, नई दिल्ली – 110015" के पास बंधककृत अचल सम्पत्ति का विक्रय। जबकि आईआईएफएल–एचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी ("एओ") ने, आईआईएफएल–एचएफएल की देयराशियों की वसूली हेतु, निम्नलिखित सम्पत्ति/यों का "जैसी हैं जहां हैं आधार एवं जैसी हैं जो हैं आधार तथा बिना वसूली आधार" पर विक्रय करने के एकाधिकार के साथ निम्नलिखित ऋण खातों/प्रोस्पेक्ट नंबरों के तहत अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत निर्गत सूचना के अनुपालन में उनका अधिग्रहण कर लिया था। विक्रय जो है, वह अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा वेबसाइट : www.iiflonehome.com पर उपलब्ध ई–नीलामी मंच के माध्यम से किया जाएगा।

ऋणकर्ता(ओं) / सह–ऋणकर्ता(ओं) / गारंटर(रों) के नाम	माँग सूचना तिथि एवं राशि	अचल संपत्ति / प्रतिभूत परिसंपत्ति का विवरण	भौतिक अधिग्रहण की तिथि	आरक्षित मूल्य	संपत्ति के निरीक्षण की तिथि
श्री दीपक श्रीमती उर्मिला (प्रॉस्पेक्ट नं.: IL10159976)	10/10/2025, रू. 25,38,726.00 (रुपये पच्चीस लाख अड़तीस हजार सात सौ छब्बीस मात्र) **बोली वृद्धि राशि : रू. 40,000.00/–** (रुपये चालीस हजार मात्र)	संपत्ति का वह पूरा हिस्सा और भाग जो तृतीय तल पर, पूर्वी सामने का दाहिना हिस्सा, निर्मित संपत्ति संख्या 97, 98, 99 के छत के अधिकारों के साथ, क्षेत्रफल : खसरा नंबर 91 और 92 में से 80 वर्ग गज, जो कि ग्राम नवादा, विपिन गार्डन एक्सटेंशन, गली नंबर–04, उत्तम नगर, नई दिल्ली–110059 में स्थित है। क्षेत्रफल की माप (वर्ग फीट में) : संपत्ति का प्रकार : निर्मित क्षेत्रफल, कारपेट क्षेत्रफल, संपत्ति का क्षेत्रफल : 720.00, 604.00	25/05/2026 आज की तिथि 12/05/2026 तक कुल बकाया राशि रु. 27,48,868.38/– (रुपये सत्ताईस लाख अड़तालीस हजार आठ सौ अड़सठ और अड़तीस पैसे मात्र)	रु. 36,29,000.0/– (रुपये छतीस लाख उनतीस हजार मात्र) बयाना जमा राशि (ईएमडी) : रु. 3,62,900.00/– (रुपये तीन लाख बासठ हजार नौ सौ मात्र)	01/07/2026 सुबह 11:00 बजे से अप. 14:00 बजे **ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि 03/06/2026 सायं 5:00 बजे तक** **ई–नीलामी की तिथि/समय 06/07/2026 को सुबह 11:00 बजे से अप. 13:00 बजे**

भुगतान का माध्यम : धराज भुगतानों को मात्र ऑनलाइन विधि द्वारा किया जाना है। भुगतान करने के लिये आपको https://www.iiflonehome.com पर विजिट करना होगा और मात्र संपत्ति/प्रतिभूत परिसंपत्ति हेतु उपलब्ध लिंक के माध्यम से ही भुगतान करना होगा।
टिप्पणी : प्रत्येक संपत्ति/प्रतिभूत परिसंपत्ति के लिये भुगतान लिंक पृथक है। सुनिश्चित करें कि आप उसी संपत्ति / प्रतिभूत परिसंपत्ति के लिंक का उपयोग कर रहे हैं, जिसे आपने सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से खरीदने का इरादा किया है।
शेष भुगतान के लिये – यहाँ लॉगिन करें – https://www.iiflonehome.com >Select "My Bid" > Click on Pay Balance Amount

नियम एवं शर्तें :–
1. ई–नीलामी में भाग लेने के लिए, इच्छुक बोलीदाताओं को सेवा प्रदाता https://www.iiflonehome.com पर अपना विवरण पहले ही पंजीकृत कराना होगा और लॉगिन अकाउंट, लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाना होगा। इच्छुक बोलीदाताओं को भाग लेने से पहले ईएमडी का भुगतान करना होगा। भुगतान के बाद, बोलीदाताओं को अपने आधार नंबर का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षरित ई–निविदा फॉर्म/बोली फॉर्म (ई–साइन) जमा करना होगा।
2. बोलीदाताओं को "बोली वृद्धि राशि" कॉलम में उल्लिखित राशि के गुणज में अपनी बोली में सुधार करना होगा। यदि नीलामी के समापन समय के अंतिम 5 मिनट में बोली लगाई जाती है, तो समापन समय स्वतः ही 5 मिनट के लिए बढ़ जाएगा।
3. सफल बोलीदाता को एओ द्वारा बोली मूल्य स्वीकार किए जाने के 24 घंटे के भीतर बोली राशि का 25 प्रतिशत : (ईएमडी समायोजित करने के बाद) और सुरक्षित लेनदार द्वारा बिक्री की पुष्टि की तिथि से 15 दिनों के भीतर बोली राशि का शेष 75 प्रतिशत : जमा करना होगा। सभी जमा और भुगतान निर्धारित भुगतान पद्धति से होंगे।
4. क्रेता को उपकर, लागू स्टाम्प शुल्क, फीस और अन्य वैधानिक बकाया या अन्य बकाया जैसे नगरपालिका कर, भूमि के हस्तांतरण या हस्तांतरण से जुड़ी लागत और अन्य सभी आकस्मिक लागतें, संपत्ति से संबंधित सभी करों और दरों सहित प्रभार वहन करने होंगे।
5. क्रेता को बिक्री राशि के लेन–देन/भुगतान पर लागू टीडीएस का भुगतान करना होगा और IIFL-HFL के पास टीडीएस प्रमाणपत्र जमा करना होगा।
6. बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे ई–नीलामी बिक्री कार्यवाही में भाग लेने के लिए अपनी बोलियां जमा करने से पहले नीलामी बिक्री और नीलामी आवेदन पत्र के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए वेबसाइट https://www.iiflonehome.com देखें।
7. ई–नीलामी पर विवरण, सहायता प्रक्रिया और ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाता की ईमेल आईडी : care@iiflonehome.com, सहायता हेल्पलाइन नंबर : /1800 2672 499 पर संपर्क कर सकते हैं।
8. संपत्ति के विवरण, संपत्ति के निरीक्षण और ऑनलाइन बोली आदि से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए, सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 9:30 बजे से शाम 18:00 बजे तक IIFL HFL के टोल–फ्री नंबर 1800 2672 499 पर कॉल करें या care@iiflonehome.com पर ईमेल करें।
9. एतद्द्वारा उपरोक्त उधारकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि वे 7 दिनों के भीतर भौतिक कब्जा लेने के समय सुरक्षित संपत्ति में पड़े घरेलू सामान को एकत्र कर लें, अन्यथा IIFL-HFL इन परिस्थितियों में संपत्ति के किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगी।
10. इसके अलावा, उधारकर्ता/ओं को सूचित किया जाता है कि यदि वे उपरोक्त सामान एकत्र करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें कानून के अनुसार बेच दिया जाएगा।
11. सफल बोलीदाता/नीलामी क्रेता द्वारा उपरोक्त निर्धारित समय के भीतर किसी भी स्तर पर भुगतान में चूक होने पर, बिक्री रद्द कर दी जाएगी, तथा पहले से भुगतान की गई राशि (ईएमडी सहित) जब्त कर ली जाएगी तथा संपत्ति को पुनः बिक्री के लिए रखा जाएगा।
12. एओ बिना कोई कारण बताए निविदा/नीलामी की शर्तों को स्थगित/रद्द या परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। निविदा/नीलामी में किसी भी विवाद की स्थिति में, IIFL-HFL के एओ का निर्णय अंतिम होगा।

सरफॉएसि अधिनियम 2002 के नियम 8 (6) के अंतर्गत 30 दिवसीय सांविधिक विक्रय सूचना

ऋणकर्ता को एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि वे निविदा / नीलामी की तिथि से पूर्व ऊपर अंकितानुसार राशि का अद्यतनीकृत ब्याज एवं आनुषंगिक व्ययों के साथ भुगतान कर दें। भुगतान करने में विफल रहने पर, संपत्ति की नीलामी की जाएगी / उसे बेच दिया जाएगा तथा शेष देयराशियों, यदि कोई निकलती हों, की वसूली ब्याज एवं लागत के साथ की जायेगी।

स्थान : दिल्ली, दिनांक : 02–06–2026 — हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी, कृते आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड

इंडिया शेल्टर फाइनैंस कार्पोरेशन लिमिटेड

IndiaShelter Home Loans

पंजी. कार्यालय : प्लॉट–15, छठा तल, सेक्टर–44, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरूग्राम, हरियाणा–122 002

अचल सम्पत्ति हेतु कब्जा सूचना

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने इंडिया शेल्टर फाइनैंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनरनिर्माण और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) अधिनियम, 2002 के अधीन और धारा 13(12) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक मांग सूचना इसमें आगे वर्णित खाते के सामने वर्णित तिथि को जारी की थी, जिसमें कर्जदार और सम्पत्ति/प्रतिभूति के स्वामी से बकाया राशि का भुगतान उक्त सूचना की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी। जबकि सम्पत्ति स्वामी और अन्य उक्त बकाया राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्द्वारा अधोवर्णित कर्जदारों तथा सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति/यों का सांकेतिक/भौतिक कब्जा उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के साथ पठित उक्त नियमावली के नियम 8 एवं 9 के अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रत्येक खाते के सामने वर्णित तिथि को प्राप्त कर लिया है। अब, कर्जदार को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को इन सम्पत्ति/यों के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है तथा इन सम्पत्ति/यों के संबंध में कोई भी संव्यवहार इंडिया शेल्टर फाइनैंस कार्पोरेशन लिमिटेड की नीचे वर्णित बकाया राशि तथा उस पर ब्याज, लागत इत्यादि के प्रभाराधीन होगा।

कर्जदार/गारंटर (सम्पत्ति स्वामी) का नाम एवं ऋण खाता नंबर	प्रभारित/बंधक सम्पत्ति (सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड) का वर्णन	मांग सूचना की तिथि, मांग सूचना की तिथि तक बकाया राशि	कब्जा की तिथि
श्री/श्रीमती विशाखा सिंह, श्री/श्रीमती गौरव चौधरी, बी–1 ऑर्चिड ग्रीन कॉलोनी मिशन स्कूल के सामने दिल्ली रोड रुड़की हरिद्वार उत्तराखंड –247667 **HLROCHLONS000005011432 (शाखा : रुड़की–1)**	संपत्ति के सभी अंश एवं खंड : मकान (खसरा नंबर 44), क्षेत्रफल परिमाप 1125 वर्ग फीट या 104.55 वर्ग मीटर, जो ग्राम शफीपुरा, तहसील रूड़की, जिला हरिद्वार (उत्तराखंड) में स्थित है, सीमा– उत्तर सड़क 18 फीट, दक्षिण– अन्य का प्लॉट, पूर्व–अन्य का मकान, पश्चिम– पहल सिंह का प्लॉट	मांग सूचना 10–01–2024 रु. 5,73,909/– (रुपये पांच लाख तिहत्तर हजार नौ सौ नौ मात्र) 10–01–2024 तक देय, साथ में 11–01–2024 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क लागत	28–05–2026
श्री/श्रीमती कुसुम लता देवी पत्नी राजेन्द्र शर्मा, श्री/श्रीमती नरेश शर्मा पुत्र राजेन्द्र शर्मा बैरंगपुर उर्फ नई बस्ती, गौतमबुद्ध नंबर, उत्तर प्रदेश–203207 **LA11CLLONS000005055456/ AP-10120796 (शाखा : नोएडा–2)**	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : खसरा नंबर–137 खाता नंबर–43, एरिया 0.0844 हेक्टेयर गांव बैरंगपुर उर्फ घ्घ्नई बस्ती, परगना और तहसील– दादरी, जिला– गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश– 203207, सीमाः – पूर्व– ओमप्रकाश की संपत्ति, पश्चिम– जयप्रकाश की संपत्ति, उत्तर– 10 फीट रोड, दक्षिण– अन्य	मांग सूचना 08–09–2025 रु. 16,89,680.74/– (रुपये सोलह लाख नवासी हजार छह सौ अस्सी तथा पैसे चौहत्तर मात्र) 08–09–2025 तक देय, साथ में 09–09–2025 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क लागत	29–05–2026
श्री/श्रीमती अभिलाषा मिश्रा पत्नी श्री धीरज मिश्रा, श्री/श्रीमती धीरज कुमार मिश्रा पुत्र श्री ब्रह्मदेव मिश्रा, जी.आई. ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड, श्रीमती अभिलाषा मिश्रा पत्नी श्री धीरज मिश्रा कर्मचार कोड :–63071 2143, करहेड़ा निकट लक्ष्मी प्रॉपर्टी, मोहन नगर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश –201007 **ऋण खाता संख्या – LAGGSVLONS000005157560 & HLGGSVLONS000005151836/AP-10345951 & AP-10339964 (शाखा : गुरूग्राम–1)**	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : फ्रीहोल्ड आवासीय संपत्ति खसरा नंबर 2143, क्षेत्रफल परिमाप 35 वर्ग गज, जो गांव करहेड़ा परगना लोनी तहसील और जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश–201007 में स्थित है सीमा :– पूर्व : पप्पू सिंह का प्लॉट पश्चिमः अन्य प्लॉट उत्तर : रणवीर की भूमि दक्षिण : रोड 16 फीट चौड़ी	मांग सूचना 10–01–2026 रु. 13,68,243/– (रुपये तेरह लाख अड़सठ हजार दो सौ तेतालीस मात्र) 10–01–2026 तक देय, साथ में 11–01–2026 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क लागत	27–05–2026
श्री/श्रीमती सोनल पत्नी श्री अरुण कुमार, श्री/श्रीमती. अरुण कुमार पुत्र विनोद कुमार, तेजस आईटी सॉल्यूशंस सी/ओ श्री अरुण कुमार पुत्र विनोद कुमार 60 कटघर किला बरेली उत्तर प्रदेश 243001 **ऋण खाता संख्या – HL11SVLONS000005123738/AP-10281190 (शाखा : बरेली–1)**	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : खसरा नंबर 125 मिन, क्षेत्रफल परिमाप 41.80 वर्ग मीटर, गांव– जसोली मुस्तकिल, चुंगी मारूफ कटघर परगना/ तहसील/जिला बरेली उत्तर प्रदेश। सीमा :– पूरबः– सड़क 6 फीट, पश्चिमः– रेलवे की भूमि, उत्तरः– माया गंगवार का मकान, दक्षिणः– चंदन का मकान	मांग सूचना 12–01–2026 रु. 5,04,135/– (रुपये पांच लाख चार हजार एक सौ पैंतीस मात्र) 10–01–2026 तक देय, साथ में 11–01–2026 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क लागत	27–05–2026

स्थान : दिल्ली/एनसीआर, उत्तराखंड, दिनांक : 02–06–2026 — कृते इंडिया शेल्टर फाइनैंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (प्राधिकृत अधिकारी)
किसी भी प्रश्न के लिए कृपया सम्पर्क करें : श्री सुधीर तोमर (+91 9818460101)

महिन्द्रा रूरल हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड

कब्जा सूचना

कार्पोरेट कार्यालय– महिन्द्रा रूरल हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड, साधना हाउस, द्वितीय तल, 570, पी.बी. मार्ग वर्ली, मुंबई–400 018, भारत, **फोन :** +91 22 66523500 **फैस :** +91 22 24972741
आंचलिक कार्यालय : अशोक राज टावर, द्वितीय तल, सीपी–162, सेक्टर डी, एलडीए कालोनी, कानपुर रोड, निकट पावर हाउस चौराहा, लखनऊ, उत्तर प्रदेश–226012,
शाखा कार्यालय : तृतीय तल, सी–79/आरडीसी, राजनगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201001

(अचल सम्पत्ति के लिए) (प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(1) के अधीन)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने, मैसर्स महिन्द्रा रूरल हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड (इसमें आगे "एमआरएचएफएल" कही गई है), जिसका पंजीकृत कार्यालय लखनऊ में और शाखा कार्यालय गाजियाबाद में स्थित है, के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के अधीन और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन आप कर्जदारों (नाम और पता नीचे वर्णित) को मांग सूचना जारी की थी, जिसमें उक्त सूचना में वर्णित बकाया राशि, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर चुकाने की मांग की गई थी।

उपरिवर्णित कर्जदार उक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्द्वारा उपरिवर्णित कर्जदारों और जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नवर्णित संपत्ति का कब्जा दिनांक 30–05–2026 को ले लिया है।

उपरिवर्णित कर्जदारों को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को इस संपत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है और संपत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार मैसर्स महिन्द्रा रूरल हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड की बकाया राशि तथा उस पर ब्याज के प्रभाराधीन होगा।

कर्जदार का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

क्र. सं.	कर्जदार(रों)/ गारंटर(रों) का नाम	प्रत्याभूत आस्ति का वर्णन (अचल सम्पत्ति)	मांग सूचना तिथि एवं राशि	कब्जा की तिथि
1.	**(एलसी नंबर : 829598/ XSEMGZB00709585** गाजियाबाद शाखा) इमामुद्दीन (कर्जदार) शमा (सह–कर्जदार)	प्लॉट नंबर–28 खसरा नंबर–1277, नई आबादी मोहल्ला गढ़ी, पिलखुवा हापुड़, गाजियाबाद, यूपी–245304, पूर्वः रोड 15 फीट चौड़ी, पश्चिमः खाली प्लॉट, उत्तरः खाली प्लॉट, दक्षिणः राजुद्दीन का घर	20–जनवरी–23 रु. 7,76,643/–	30–05–2025 भौतिक कब्ज़ा
2.	**(एलसी नंबर : 1167356/ XSEMGZB00952875** गाजियाबाद शाखा) **हासिम** (कर्जदार) **तारा बेगम** (सह–कर्जदार)	प्लॉट नंबर 13 और प्लॉट नंबर 14 का हिस्सा, खाता नंबर 347, खसरा नंबर 1281 मिन, मोहल्ला, गढ़ीपिलखुआ, परगना–डासना, तहसील धौलाना, गाजियाबाद–हापुड़, उत्तर प्रदेश –245304, पूरबः बाबू का प्लॉट, पश्चिमः प्लॉट नंबर 13, उत्तरः 14 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिणः उमराव सिंह का प्लॉट	26–दिसंबर–22 रु. 5,94,825/–	30–05–2025 भौतिक कब्ज़ा

स्थान : गाजियाबाद, — हस्ता./–प्राधिकृत अधिकारी,
तिथि : 02–06–2026 — महिन्द्रा रूरल हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड

ई–नीलामी बिक्री सूचना

एडलवाइस एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

CIN: U67100MH2007PLC174759
रिटेल सेन्ट्रल और रजि. कार्यालयः एडलवाइस हाउस, सीएसटी रोड पर, कलिना, मुंबई 400098

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ("नियम") के नियम 8(6) और 9(1) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत, अचल सुरक्षित परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री नोटिस

यहां उल्लिखित समनुदेशक (जिसे आगे ("समनुदेशक/मूल ऋणदाता" कहा जाएगा) की वित्तीय सुविधाएं एडलवाइस एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को सौंपी गई हैं, जो दिए गए कॉलम में स्पष्ट रूप से उल्लिखित विभिन्न ट्रस्टों के ट्रस्टी के रूप में कार्य कर रही है। उक्त असाइनमेंट के अनुसरण में, ईएआरसी ने असाइनर के स्थान पर कदम रखा और सुरक्षित ऋणदाता के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग किया। उस ईएआरसी ने, सुरक्षित ऋणदाता के रूप में अपनी क्षमता में, सरफेसी अधिनियम की धारा 13(4) और उसके तहत नियमों के तहत नीचे उल्लिखित अचल सुरक्षित परिसंपत्तियों पर कब्जा कर लिया था।

आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(ओं) को 15 दिन का नोटिस दिया जाता है कि सुरक्षित लेनदार के पक्ष में बंधक रखी गई नीचे वर्णित अचल सुरक्षित संपत्ति, जिसका भौतिक कब्जा प्राधिकृत अधिकारी (एओ) द्वारा लिया गया है, उसे "जहां है जैसा है", "जैसा है वैसा है", और "जो कुछ भी है" के आधार पर बेचा जाएगा, ईएआरसी को देय नीचे उल्लिखित उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(ओं) से राशियों की वसूली के लिए, साथ ही ईएआरसी द्वारा प्राप्त किसी भी धन के लिए काटे गए अतिरिक्त ब्याज और अन्य खर्च/लागतों के साथ संपत्ति के लिए आरक्षित मूल्य और बयाना राशि का विवरण नीचे दिया गया है।

नीलामी के लिए रखी गई सुरक्षित संपत्ति का विवरणः

क्र. सं.	ऋण खाता नं./ संस्था का नाम	कर्जदार/सह–कर्जदार का नाम	ट्रस्ट का नाम	कुल बकाया देय राशि	आरक्षित मूल्य (रु. में)	धरोहर राशि (रु. में)	नीलामी की तिथि एवं समय	कब्जे का प्रकार
1	613250999/ एचडीएफसी बैंक	गुप्ता अमित कुमार	Trustees of EARC TRUST SC - 469	रु. 25,83,622.00 दिनांक 01.06.2026 तक	रु. 6,90,000/–	रु. 69,000/–	19.06.2026 को पूर्वा. 11.00 बजे	भौतिक
संपत्ति का विवरणः मकान नंबर 9, ओमश्री ग्रीन होम्स फेज– I (पुराना नाम K.P.S आशियाना), खसरा नंबर 235–238 का हिस्सा, मौजा नाग ला काली, शमसाबाद रोड, आगरा, उत्तर प्रदेश और उस पर वर्तमान और भविष्य में होने वाला निर्माण								
2	3618221 – 7572871– एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड	मैसर्स नीरज फुटवियर (उधारकर्ता), श्री नीरज कुमार (उधारकर्ता), श्री गौतम दिवारी लाल (सह – उधारकर्ता), श्रीमती कंचन कुमारी (सह–उधारकर्ता) श्रीमती रजनी अवधेश (सह–उधारकर्ता), श्री. रानू लाल (सह–उधारकर्ता), श्रीमती शारदा देवी (सह–उधारकर्ता) और श्रीमती वर्षा दिवारी लाल (सह–उधारकर्ता)	EARC TRUST SC 483	ऋण खाता सं. 3618221 के संबंध में रु. 2,25,468.22 तथा ऋण खाता संख्या 7572871 के संबंध में रु. 30,26,498.30, इस प्रकार दोनों ऋण खातों में दिनांक 28.05.2026 तक कुल बकाया राशि रु. 32,51,966.52	रु. 14,00,000/–	रु. 1,40,000/–	19.06.2026 को पूर्वा. 11.00 बजे	भौतिक

संपत्ति का विवरणः संपत्ति का संपूर्ण भाग और टुकड़ा जिसका संपत्ति मिन नंबर 16/355, क्षेत्रफल 27.58 वर्ग मीटर, मिश्री सैय्यद, सदर भट्टी, तहसील और जिला – आगरा, उत्तर प्रदेश और जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैंः पूर्व – मनका का मकान, उत्तर – गली, पश्चिम – मिन. मकान नंबर 16/355, अशोक कुमार, दक्षिण – संतोष का मकान

नीलामी प्रक्रिया के बारे में महत्वपूर्ण जानकारीः

1. सभी डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) "एडेलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड–ईएमडी खाता" के पक्ष में तैयार किए जाएंगे और मुंबई में देय होंगे।
2. ईएमडी भुगतान आरटीजीएस के माध्यम से किया जाएगा। खाता का नामः एडलवाइस एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड – ईएमडी खाता, खाता सं. **000405158602**, बैंक का नामः आईसीआईसीआई बैंक, आईएफएससी कोडः आईएफएससी **ICIC0000004**

3.	ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	नीलामी की तारीख से 1 दिन पहले प्राप्त होगी
4.	बोली जमा करने का स्थान	पहली मंजिल, एडलवाइस हाउस, सीएसटी रोड, कलिना, मुंबई–400098
5.	नीलामी का स्थान (नीलामी के लिए वेबसाइट)	ई–नीलामी **(https://auction.edelweissarc.in)**
6.	संपर्क विवरणः	टोल फ्री नंबरः 1800 266 6540 वेबसाईटः **https://auction.edelweissarc.in**
7.	संपत्ति के निरीक्षण की तिथि और समय	पूर्व नियुक्ति के अनुसार

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया EARC's की वेबसाइट अर्थात **https://auction.edelweissarc.in** पर दिए गए लिंक को देखें।

दिनांक 02.06.2026, स्थानः दिल्ली — प्राधिकृत अधिकारी,कृते एडलवाइस एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

Edelweiss Asset Reconstruction

जटालिया ग्लोबल वेंचर्स लिमिटेड

(सीआईआरपी की शुरुआत एनसीएलटी नई दिल्ली बेंच द्वारा सीपी संख्या आईबी-263/एनडी/2023 में पारित दिनांक 07.03.2024 के आदेश द्वारा की गई
CIN : L74110DL1987PLC350280

रजि. कार्यालयः 500, 5वीं मंजिल, आईटीएल ट्विन टॉवर, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, दिल्ली - 110034
ईमेलः **info@jatalia.in**, वेबसाईटः **www.jatalia.in**

(प्रति शेयर डेटा को छोड़कर, राशि लाख में)

31 मार्च 2026 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए लेखा-परीक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण

क्र. सं.	विवरण	तिमाही समाप्ति 31.03.2026 (लेखापरीक्षित)	31.03.2025 (लेखापरीक्षित)	31.12.2025 (अलेखापरीक्षित)	वर्ष समाप्ति 31.03.2026 (लेखापरीक्षित)	31.03.2025 (लेखापरीक्षित)
1	परिचालन से आय					
	(क) शुद्ध बिक्री/परिचालन से आय (उत्पाद शुल्क के बाद शुद्ध)	-	-	-		
	(बी) अन्य परिचालन आय	2.56	3.91	2.28	8.46	9.80
	परिचालन से कुल आय (शुद्ध)	2.56	3.91	2.28	8.46	9.80
2	खर्च					
	(क) उपभोग की गई सामग्रियों की लागत					
	(बी) स्टॉक–इन–ट्रेड की खरीद					
	(ग) तैयार माल, स्टॉक–इन–ट्रेड और कार्य–प्रगति की सूची में परिवर्तन					
	(घ) कर्मचारी लाभ व्यय					
	(ई) मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय					
	(च)अन्य व्यय	5.03	4.13	0.07	5.44	4.73
	(छ) कानूनी और व्यावसायिक प्रभार	9.82	0.29	2.23	17.42	0.70
	कुल व्यय	14.85	4.41	2.30	22.85	5.43
3	वित्तीय लागत से पहले परिचालन से लाभ / (हानि) और असाधारण वस्तुएँ (1 –2)	(12.30)	(0.51)	(0.03)	(14.39)	4.37
4	वित्त लागत	0.01	(0.00)	-	0.01	0.04
5	वित्तीय लागतों के बाद लेकिन असाधारण मदों से पहले सामान्य गतिविधियों से लाभ / (हानि) (3–4)	(12.31)	(0.51)	(0.03)	(14.40)	4.33
6	असाधारण वस्तुएँ					
7	कर से पूर्व सामान्य गतिविधियों से लाभ/(हानि) (5–6)	(12.31)	(0.51)	(0.03)	(14.40)	4.33
8	कर व्ययः					
	(1)वर्तमान कर	-	-	-	-	-
	(2) आस्थगित कर	-	-	-	-	-
9	कर के बाद सामान्य गतिविधियों से शुद्ध लाभ / (हानि) (7–8)	(12.31)	(0.51)	(0.03)	(14.40)	4.33
10	अन्य व्यापक आय					
	क (i) ऐसी मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा	-	-	-	-	-
	(ii) उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा	-	-	-	-	-
	ख (i) वे मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा	-	-	-	-	-
11	अवधि (9–10) के लिए शुद्ध लाभ / (हानि)	(12.31)	(0.51)	(0.03)	(14.40)	4.33
12	सहयोगियों के लाभ/(हानि) का हिस्सा					
13	अल्पसंख्यक हित					
14	कर के बाद लाभ/हानि, अल्पसंख्यक ब्याज,और सहयोगियों के लाभ/(हानि) का हिस्सा	(12.31)	(0.51)	(0.03)	(14.40)	4.33
15	चुकता इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य रु.10/– प्रति शेयर)	1,497.56	1,497.56	1,497.56	1,497.56	1,497.56
16	आरक्षित निधि (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि को छोड़कर)	(1,727.33)	(1,712.93)	(1,715.02)	(1,727.33)	(1,712.93)
17	प्रति शेयर आय (ईपीएस) (असाधारण मदों से पहले)					
	(1)बुनियादी	(0.08)	(0.00)	(0.00)	(0.10)	0.03
	(2)पतला	(0.08)	(0.00)	(0.00)	(0.10)	0.03
18	प्रति शेयर आय (ईपीएस) (असाधारण मदों के बाद)					
	(1)बुनियादी	(0.08)	(0.00)	(0.00)	(0.10)	0.03
	(2)पतला	(0.08)	(0.00)	(0.00)	(0.10)	0.03

टिप्पणियाँ:
1. जटालिया ग्लोबल वेंचर्स लिमिटेड ("कंपनी" अथवा "जेजीवीएल") के उपर्युक्त वित्तीय परिणामों की समीक्षा ऋणदाताओं की समिति द्वारा की गई है।
2. इन वित्तीय परिणामों को भारतीय लेखा मानकों के अनुसार निर्धारित मान्यता एवं मापन सिद्धांतों के अनुरूप तैयार किया गया है, जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 तथा समय–समय पर किए गए उनके संशोधनों के अनुसार अधिसूचित किया गया है।
3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 33 की आवश्यकताओं के अनुसार उपर्युक्त परिणामों के संबंध में आवश्यक प्रमाण–पत्र/प्रतिवेदन निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।
4. भारतीय लेखा मानकों के अनुपालन में, पूर्व अवधि/वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान अवधि/वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलनीय बनाने हेतु पुनः समूहीकृत/पुनः वर्गीकृत किया गया है।
5. उपर्युक्त परिणाम कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं।
6. कंपनी केवल एक ही व्यावसायिक खंड में कार्यरत है, अतः भारतीय लेखा मानक 108 के अनुसार पृथक खंडीय प्रतिवेदन लागू नहीं होता है।
7. वर्तमान तिमाही तथा 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त तिमाही के आंकड़े, 31 मार्च, 2026 को समाप्त पूर्ण वित्तीय वर्ष के लेखापरीक्षित आंकड़ों तथा संबंधित वित्तीय वर्ष की चौथी तिमाही तक प्रकाशित संचयी आंकड़ों के मध्य संतुलनकारी आंकड़े हैं।

कृते जटालिया ग्लोबल वेंचर्स लिमिटेड
मोहम्मद नाजिम खान,
रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल
IBBI पंजीकरण सं. IBBI/IPA-002/IPN00076/2017-18/10207
स्थानः दिल्ली
दिनांकः 29.05.2026 — पताः एमएनके हाउस, 9ए/9-10 ईस्ट पटेलनगर, नई दिल्ली-110008

ई-नीलामी बिक्री सूचना

एडलवाइस एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

CIN: U67100MH2007PLC174759

रिटेल सेन्ट्रल और रजि. कार्यालय: एडलवाइस हाउस, सीएसटी रोड पर, कलिना, मुंबई 400098

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ("नियम") के नियम 8(6) और 9(1) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत, अचल सुरक्षित परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री नोटिस

यहां उल्लिखित समनुदेशक (जिसे आगे ("समनुदेशक / मूल ऋणदाता" कहा जाएगा) की वित्तीय सुविधाएं एडलवाइस एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को सौंपी गई है, जो दिए गए कॉलम में स्पष्ट रूप से उल्लिखित विभिन्न ट्रस्टों के ट्रस्टी के रूप में कार्य कर रही है। उक्त असाइनमेंट के अनुसरण में, ईएआरसी ने असाइनर के स्थान पर कदम रखा और सुरक्षित ऋणदाता के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग किया।उस ईएआरसी ने, सुरक्षित ऋणदाता के रूप में अपनी क्षमता में, सरफेसी अधिनियम की धारा 13(4) और उसके तहत नियमों के तहत नीचे उल्लिखित अचल सुरक्षित परिसंपत्तियों पर कब्जा कर लिया था।

आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(ओं) को 15 दिन का नोटिस दिया जाता है कि सुरक्षित लेनदार के पक्ष में बंधक रखी गई नीचे वर्णित अचल सुरक्षित संपत्ति, जिसका भौतिक कब्जा प्राधिकृत अधिकारी (एओ) द्वारा लिया गया है, उसे "जहां है जैसा है", "जैसा है वैसा है", और "जो कुछ भी है" के आधार पर बेचा जाएगा, ईएआरसी को देय नीचे उल्लिखित उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(ओं) से राशियों की वसूली के लिए, साथ ही ईएआरसी द्वारा प्राप्त किसी भी धन के लिए काटे गए अतिरिक्त ब्याज और अन्य खर्च / लागतों के साथ संपत्ति के लिए आरक्षित मूल्य और बयाना राशि का विवरण नीचे दिया गया है।

नीलामी के लिए रखी गई सुरक्षित संपत्ति का विवरण:

क्र. सं.	ऋण खाता नं. / संस्था का नाम	कर्जदार / सह-कर्जदार का नाम	ट्रस्ट का नाम	कुल बकाया देय राशि दिनांक 28.05.2026 तक	आरक्षित मूल्य (रु. में)	धरोहर राशि (रु. में)	नीलामी की तिथि एवं समय	कब्जे का प्रकार
1	640699904,'643114607,'645432960,'644739583/ एचडीएफसी बैंक	श्री कुमार राकेश (कर्जदार)	EARC TRUST-SC 469	रु. 29,74,057.50 दिनांक 28.05.2026 तक सभी धारा ऋण खाते के समक्ष	रु. 12,60,000/-	रु. 1,26,000/-	19.06.2026 को पूर्वा. 11.00 बजे	भौतिक
संपत्ति का विवरण: खसरा नं. 290 और 293 के भाग के प्लॉट पर मकान, गांव मोहनपुर, बरेली सीमाएं: पूर्व अराजी अमरीश, पश्चिम मंदिर, उत्तर-अराजल माया देवी, दक्षिण सड़क क्षेत्रफल-83.61 वर्ग मीटर								
2	510359009/ एचडीएफसी बैंक	श्री राम नेक (उधारकर्ता), श्री मिश्रा अनिल कुमार (गारंटर) श्री पूरनलाल (गारंटर)	EARC TRUST-SC 469	रु. 11,30,215.90 दिनांक 01.06.2026 तक	रु. 2,30,000/-	रु. 23,000/-	19.06.2026 को पूर्वा. 11.00 बजे	भौतिक
संपत्ति का विवरण: आराजी, खेत नंबर 17,18, वके- मैदा पुर, बरेली सीमाएं: पूर्व-रोड, पश्चिम-नाथू खान, उत्तर अन्य, पश्चिम-नवी शेर एरिया-83.61 वर्ग मीटर								

नीलामी प्रक्रिया के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी:

1.	सभी डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) "एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड-ईएमडी खाता" के पक्ष में तैयार किए जाएंगे और मुंबई में देय होंगे।	
2.	ईएमडी भुगतान आरटीजीएस के माध्यम से किया जाएगा: खाता का नाम: एडलवाइस एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड – ईएमडी खाता, खाता सं. 000405158602 बैंक का नाम: आईसीआईसीआई बैंक, आईएफएससी कोड: आईएफएससी ICIC0000004	
3.	ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	नीलामी की तारीख से 1 दिन पहले प्राप्त होगी
4.	बोली जमा करने का स्थान	पहली मंजिल, एडलवाइस हाउस, सीएसटी रोड, कलिना, मुंबई-400098
5.	नीलामी का स्थान (नीलामी के लिए वेबसाइट)	ई-नीलामी (https://auction.edelweissarc.in)
6.	संपर्क विवरण:	टोल फ्री नंबर 1800 266 6540
7.	संपत्ति के निरीक्षण की तिथि और समय	पूर्व नियुक्ति के अनुसार

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया EARC's की वेबसाइट अर्थात https://auction.edelweissarc.in पर दिए गए लिंक को देखें।

दिनांक 02.06.2026, स्थान: उत्तर प्रदेश

प्राधिकृत अधिकारी,कृते एडलवाइस एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

Edelweiss Asset Reconstruction

कार्यालय नगरपरिषद, राजसमन्द

जिला परिषद रोड़, राजनगर

टेलिफोन नं. 02952-220034, फेक्स नं. 02952-221233, ई-मेल rajsamandnagarpalika@gmail.com

क्रमांक : एफ( )नपरा / इंजी / ई निविदा / 6 / 2025-26 / 1654 दिनांक :- 21.05.2026

ई-निविदा सूचना संख्या 6/2025-26

नगर परिषद राजसमन्द द्वारा विकास कार्यो हेतु समस्त विभागों में पंजीकृत संवेदकों, कम्पनी, संगठनों / संस्थानों से ई-प्रोक्यूरमेन्ट प्रक्रिया हेतु ऑनलाईन तकनीकी व वित्तिय निविदाऐं आमंत्रित की जाती है। निविदा से संबंधित विस्तृत विवरण वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in, www.sppp.rajasthan.gov.in पर देखी व डाउनलोड़ की जा सकती है।

निविदा क्रार्यक्रम	तिथि व समय
कार्य की संख्या	1
कार्यो की अनुमानित लागत	1000.00 लाख
निविदा अपलोड की तिथि	21.05.2026 06:00 PM
निविदा डाउनलोड प्रारम्भ तिथि	22.05.2026 09:00 AM
प्री-बिड मिटींग की तिथि व समय	03.06.2026 11:00 AM
ऑनलाईन निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि	23.06.2026 06:00 PM
भौतिक रूप से दस्तावेज जमा करने की तिथि	24.06.2026 01:00 PM
ऑनलाईन निविदा खोलने की तिथि	24.06.2026 04:00 PM
ऑनलाईन निविदा हेतु वेबसाईट	http://eproc.rajasthan.gov.in
दोष निवारण अवधी	नियमानुसार
UBN NO-	DLB2627SLRC05403

राज.संवाद / सी / 26 / 3810

आयुक्त, नगरपरिषद, राजसमन्द

यू ग्रो कैपिटल लिमिटेड

चौथी मंजिल, टॉवर 3, इक्विनॉक्स बिजनेस पार्क, एलबीएस रोड, कुर्ला, मुंबई 400070

कब्जा सूचना परिशिष्ट IV (नियम 8(1) देखें) (अचल संपत्ति के लिए)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन ऐक्ट 2002 (2002 का 54) के तहत यूग्रो कैपिटल लि. जिसका पंजीकृत पता: 4वीं मंजिल, टावर 3, इक्विनॉक्स बिजनेस पार्क, एलबीएस रोड, कुर्ला, मुंबई 400070 का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित दिनांकों को डिमांड नोटिस में उल्लिखित राशि को ब्याज सहित, उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर वापस करने के लिए कहा गया था।

उधारकर्ताओं उक्त राशि का भुगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिये एतद्द्वारा उधारकर्ता तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत निम्नलिखित माह और वर्ष को सम्पत्ति पर कब्जा ले लिया है।

कर्जदारों को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे निम्न सम्पत्तियों के साथ लेन-देन न करें तथा सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन-देन यूग्रो कैपिटल लि. के प्रभार वास्ते बकाया राशि और भविष्य का ब्याज इत्यादि सहित के अधीन होगा।

कर्जदारों का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

क्र. सं.	कर्जदार का विवरण	मांग सूचना की तिथि	बंधक सम्पत्ति	कब्जा की तिथि
1	1) आर एस मल्टीफैसिलिटी सर्विसेज 2) ममता शर्मा 3) राज कुमार ऋण खाता नं. HCFDELSEC00001017336	रु. 29,19,259.00/- (रुपये उनतीस लाख उन्नीस हजार दो सौ उनसठ मात्र)/- दिनांक 28.02.2026 तक की राशि हेतु **मांग सूचना दिनांक 04.03.2026**	निर्मित मकान जिसका मकान नं. 5172, गली नंबर 13, सूरत नगर फेज -1, गुड़गांव क्षेत्रफल 60 वर्ग गज, खसरा नंबर 14436, 11360 / 4094 / 308 गुड़गांव की रेवेन्यू एस्टेट वर्तमान में सूरत नगर गुड़गांव के नाम से जाना जाता है, म्युनिसिपल लिमिट, गुड़गांव हरियाणा के अंतर्गत	30.05.2026
2	1) फिट इंडिया रिटेल्स 2) नीरज शर्मा 3) लक्ष्मी रानी ऋण खाता नं. HCFDELSEC00001003574	रु. 25,60,683.00/- (रुपये पच्चीस लाख साठ हजार छह सौ तिरासी मात्र)/- दिनांक 26.02.2026 तक की राशि हेतु **मांग सूचना दिनांक 05.03.2026**	प्लॉट नंबर सी-95, क्षेत्रफल 100 वर्ग गज, न्यू डिफेंस कॉलोनी, गांव भोपुरा का एरिया, साहिबाबाद, गाजियाबाद यू.पी. सीमाएं: – पूर्व: प्लॉट नंबर सी-96, पश्चिम: रोड 15 फीट, उत्तर: अन्य का प्लॉट, दक्षिण: रोड 20 फीट	28.05.2026

स्थान : दिल्ली

दिनांक : 02.06.2026,

हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी, यूग्रो कैपिटल लिमिटेड

इंडिया शेल्टर फाइनैंस कार्पोरेशन लिमिटेड

पंजी. कार्यालय : प्लॉट-15, छठा तल, सेक्टर-44, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरुग्राम, हरियाणा-122 002

अचल सम्पत्ति हेतु कब्जा सूचना

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने इंडिया शेल्टर फाइनैंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनरनिर्माण और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) अधिनियम, 2002 के अधीन और धारा 13(12) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक मांग सूचना इसमें आगे वर्णित खाते के सामने वर्णित तिथि को जारी की थी, जिसमें कर्जदार और सम्पत्ति / प्रतिभूति के स्वामी से बकाया राशि का भुगतान उक्त सूचना की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी। जबकि सम्पत्ति स्वामी और अन्य उक्त बकाया राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्द्वारा अधोवर्णित कर्जदारों तथा सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति / यों का सांकेतिक / भौतिक कब्जा उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के साथ पठित उक्त नियमावली के नियम 8 एवं 9 के अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रत्येक खाते के सामने वर्णित तिथि को प्राप्त कर लिया है। अब, कर्जदार को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को इन सम्पत्ति / यों के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है तथा इन सम्पत्ति / यों के संबंध में कोई भी संव्यवहार इंडिया शेल्टर फाइनैंस कार्पोरेशन लिमिटेड की नीचे वर्णित बकाया राशि तथा उस पर ब्याज, लागत इत्यादि के प्रभाराधीन होगा।

कर्जदार / गारंटर (सम्पत्ति स्वामी) का नाम एवं ऋण खाता नंबर	प्रभारित / बंधक सम्पत्ति (सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड) का वर्णन	मांग सूचना की तिथि, मांग सूचना की तिथि तक बकाया राशि	कब्जा की तिथि
श्री / श्रीमती लत्ता पत्नी राम सिंह श्री / श्रीमती राम सिंह पुत्र साधु राम श्री / श्रीमती गुलाब सिंह पुत्र राम सिंह ग्राम ठाकसा पीओ महमूदपुर 451यमुनानगर -133204, हरियाणा **ऋण खाता संख्या LA11VLLONS000005082223/ AP-10195397**	खेवट खतौनी नंबर 63 / 71, खसरा नंबर 244, 1 कनाल 18 मरला के संगत क्षेत्र का 1 / 18 हिस्सा, बाकदर 2 मरला या खेवट खतौनी नंबर 64 / 72, खसरा नंबर 65 / / 21 / 2, 66 / / 25 / 3, 72 / / 6 / 1, 207 और, 8 / 1,13 / 2,14 / 2,15 / 1, 73 / / 1 / 1,10 / 2,85 / / 25,86 / / 21, 91 / / 1, 10,11, 92 / / 4,5, कित्ते 17, जो 90 कनाल 3 मरला के संगत क्षेत्र का 4 / 1803 हिस्सा बाकदर 4 मरला कुल क्षेत्रफल 1633 वर्ग फीट यानि 181.4 वर्ग गज क्षेत्र, मौजा ठसका हदबस्त नं. 187, उप तहसील सढौरा, जिला यमुना नगर हरियाणा में स्थित है। चौहद्दी – पूर्व-स्ट्रीट, पश्चिम-चुहड़ सिंह की संपत्ति, उत्तर-मलकीत सिंह की संपत्ति, दक्षिण-सरवन सिंह की संपत्ति (प्रथम तल, एससीओ 15, अंबाला रोड, जीरकपुर-140603)	मांग सूचना 12-05-2025 रु. 11,03,038/- (रूपये ग्यारह लाख तीन हजार अड़तीस मात्र) 10-05-2025 तक देय, साथ में 10-05-2025 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क लागत	27-05-2026

स्थान : यमुनानगर दिनांक : 02-06-2026 कृते इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (प्राधिकृत अधिकारी)

किसी भी प्रश्न के लिए कृपया सम्पर्क करें : श्री सुधीर तोमर (+91 9818460101)

कामधेनु लिमिटेड

सीआईएन : L27101HR1994PLC092205

पंजीकृत कार्यालय : द्वितीय तल, टावर ए, बिल्डिंग नंबर 9, डीएलएफ साइबर सिटी, फेज-III, गुरुग्राम (हरियाणा)-122002

फोन : 91-124-4604500

ईमेल : cs@kamdhenulimited.com वेबसाइट : www.kamdhenulimited.com

भौतिक प्रतिभूतियों के हस्तांतरण और अभौतिकीकरण के लिए विशेष विंडो

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि सेबी परिपत्र एचओ / 38 / 13 / 11(2)2026-एमआईआरएसडी-पीओडी / आई / 3750 / 2026 दिनांकित 30 जनवरी, 2026 के अनुसरण में भौतिक प्रतिभूतियों के हस्तांतरण और विभौतिकीकरण के लिए एक विशेष विंडो 5 फरवरी, 2026 से 4 फरवरी, 2027 तक एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए खोली गयी है। यह सुविधा उन लॉजमेंट डीड के लिए उपलब्ध है जो 1 अप्रैल, 2019 से पहले निष्पादित किए गए थे और (ए) हस्तांतरण के लिए दर्ज नहीं किए गए थे, या (बी) हस्तांतरण के लिए फाइल की गई थी, लेकिन दस्तावेजों / प्रक्रिया / या किसी और कमी के चलते अस्वीकृत कर दी गई / वापस कर दी गई / उन पर ध्यान नहीं दिया गया था। तदनुसार, 1 अप्रैल, 2019 से पहले निष्पादित वैध हस्तांतरण विलेख धारक प्रतिभूति धारकों से आवश्यक दस्तावेजों, मूल प्रतिभूति प्रमाणपत्र सहित इसे कंपनी के आरटीए नामतः केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, सेलेनियम बिल्डिंग, टॉवर-बी, प्लॉट नं. 31 और 32, वित्तीय जिला नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद 500032, दूरभाषः +91-40-67161517, **ईमेल आईडी : einward.ris@kfintech.com** के पास जमा करने की मांग की जाती है

कृपया ध्यान दें कि इस तरह हस्तांतरित की गई प्रतिभूतियां हस्तांतरिती को केवल डीमैट मोड में ही क्रेडिट की जाएंगी और वे हस्तांतरण के पंजीकरण की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए लॉक-इन में रहेंगी। उपरोक्त लॉक-इन पीरियड के दौरान, ऐसी प्रतिभूतियों को हस्तांतरण / लियन मार्क / बंधक नहीं किया जाएगा।

वास्ते कामधेनु लिमिटेड

हस्ता./-

खेम चंद

दिनांक : 01-06-2026

स्थान : गुरुग्राम

कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

एफसीएस : 10065

एक्सिस बैंक लि0 — कब्जे की नोटिस

रिटेल एसेट्स सेंटर: प्रथम तल, जी-4/5 बी सेंटर-4, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ- 226010

रजिस्टर्ड ऑफिसः (त्रिशूल), तृतीय तल, समराथेश्वर मंदिर के सामने, लॉ गार्डन के पास, एलिसब्रिज, अहमदाबाद-380006

जबकि, अधोहस्ताक्षरी, ऐक्सिस बैंक लि0 के प्राधिकारी, न सिक्योरिटाइजशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनेन्शियल एसेट्स एण्ड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के अन्तर्गत तथा सिक्योरिटी इंटरेस्ट (इंफोर्समेंट) रूल, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत मांग नोटिस जारी किये गये। उक्त वर्णित उधारकर्ता राशि का भुगतान करने में असफल रहे है, अतः उक्त वर्णित उधारकर्ताओं को विशेष रूप से एवं सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उन्हें उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त एक्ट की धारा 13(4) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कब्जा ले लिया है। उपरोक्त वर्णित उधारकर्ताओं को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि उक्त सम्पत्ति के साथ कोई सौदा न करें तथा उक्त सम्पत्ति के साथ किया जाने वाला कोई सौदा एक्सिस बैंक लि0 के साथ उक्त नोटिस में वर्णित वार्षिक ब्याज, अनुशंगी व्यय, लागत, प्रभार इत्यादि समेत से प्रभावी, मॉर्टगेज के विषयाधीन होगा। ऋणी / सह-ऋणी / बंधककर्ता एवं जमानतकर्ता का ध्यान सरफेसी एक्ट की धारा 13(8) की ओर आकृष्ट किया जाता है कि तय समय सीमा में बन्धक सम्पत्ति को रीडीम (मोचन) कर सकते हैं।

खातेदार / गारन्टरों का नाम एवं पता	सुरक्षित सम्पत्तियों का विवरण	मांग नोटिस के अनुसार बकाया राशि / मांग सूचना की तिथि / कब्जे की तिथि
श्री विजय शर्मा (ऋणी) पुत्र श्री नरेश चन्द्र पताः 713, सिथोरा, शांति विहार, निकट सतयोद्धा स्कूल, बरेली, उ0प्र0-243001, श्रीमती शिल्पा देवी (सह-ऋणी) पत्नी श्री विजय शर्मा **पताः 1.** 713, सिथोरा, शांति विहार, निकट सतयोद्धा स्कूल, बरेली, उ0प्र0-243001, **पताः 2.** ग्राम सिथोरा परगना एवं तहसील एवं जिला बरेली, उ0प्र0-243002	रिहायशी / व्यवसायिक सम्पत्ति स्थित गाटा नं0 509, 510 ग्राम सिथोरा, परगना एवं तहसील एवं जिला बरेली, उ0प्र0, एरियाः 151 वर्ग गज या 126.25 वर्ग मी., सम्पत्ति श्रीमती शिल्पा देवी पत्नी श्री विजय शर्मा के नाम। **चौहद्दी सर्टीफिकेट के अनुसारः** पूर्व- रास्ता 12 फीट चौड़ा, पश्चिम-आराजी दीगर , उत्तर- श्रीमती संतोष की सम्पत्ति, दक्षिण- सरस्वती देवी पत्नी राम स्वरूप का मकान।	रू0 2838907.70 रू0 29604.30 दि. 09.12.2025 तक + ब्याज एवं अन्य खर्चे / 10.12.2025 / 29.05.2026
श्री विशाल कुमार (ऋणी) पुत्र श्री अनिल कुमार, श्री विक्रांत कुमार (सह-ऋणी) पुत्र श्री अनिल कुमार दोनों का **पताः 1.** मकान नं0 168, शेखपुरी, रूड़की, हरिद्वार, उत्तराखंड, 247667, **पताः 2.** शेखपुरी, रूड़की, अंदर हदूद, नगर निगम, रूड़की, हरिद्वार, उत्तराखंड, 247667, श्री अखिलेश कुमार (सह-ऋणी) पुत्र श्री सेवा राम **पताः 1.** मकान नं0 168(बी), शेखपुरी, रूड़की, हरिद्वार, उत्तराखंड, 247667, **पताः 2.** शेखपुरी, रूड़की, अंदर हदूद, नगर निगम, रूड़की, हरिद्वार, उत्तराखंड, 247667	रिहायशी / व्यवसायिक सम्पत्ति स्थित शेखपुरी, रूड़की, अंदर हदूद, नगर निगम, रूड़की, हरिद्वार, उत्तराखंड, 247667, एरियाः 55.76 वर्ग मी., सम्पत्ति श्री विशाल कुमार, श्री विक्रांत कुमार एवं श्री अखिलेश कुमार के नाम। **चौहद्दीः** पूर्व- द्वारिका अपार्टमेंट, पश्चिम-40 फीट चौड़ा रोड , उत्तर- पारस डेयरी दुकान, दक्षिण- सचिन शर्मा का मकान।	रू0 4352782.55 रू0 29979.70 दि. 15.07.2025 तक + ब्याज एवं अन्य खर्चे / 15.07.2025 / 29.05.2026

दिनांकः 02.06.2026

प्राधिकृत अधिकारी, एक्सिस बैंक लि0

एक्सिस बैंक लि0 — कब्जे की नोटिस

रिटेल एसेट्स सेंटर: प्रथम तल, जी-4/5 बी सेंटर-4, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ- 226010

रजिस्टर्ड ऑफिसः (त्रिशूल), तृतीय तल, समराथेश्वर मंदिर के सामने, लॉ गार्डन के पास, एलिसब्रिज, अहमदाबाद-380006

जबकि, अधोहस्ताक्षरी, ऐक्सिस बैंक लि0 के प्राधिकारी, न सिक्योरिटाइजशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनेन्शियल एसेट्स एण्ड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के अन्तर्गत तथा सिक्योरिटी इंटरेस्ट (इंफोर्समेंट) रूल, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत मांग नोटिस जारी किये गये। उक्त वर्णित उधारकर्ता राशि का भुगतान करने में असफल रहे है, अतः उक्त वर्णित उधारकर्ताओं को विशेष रूप से एवं सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उन्हें उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त एक्ट की धारा 13(4) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कब्जा ले लिया है। उपरोक्त वर्णित उधारकर्ताओं को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि उक्त सम्पत्ति के साथ कोई सौदा न करें तथा उक्त सम्पत्ति के साथ किया जाने वाला कोई सौदा एक्सिस बैंक लि0 के साथ उक्त नोटिस में वर्णित वार्षिक ब्याज, अनुशंगी व्यय, लागत, प्रभार इत्यादि समेत से प्रभावी, मॉर्टगेज के विषयाधीन होगा। ऋणी / सह-ऋणी / बंधककर्ता एवं जमानतकर्ता का ध्यान सरफेसी एक्ट की धारा 13(8) की ओर आकृष्ट किया जाता है कि तय समय सीमा में बन्धक सम्पत्ति को रीडीम (मोचन) कर सकते हैं।

खातेदार / गारन्टरों का नाम एवं पता	सुरक्षित सम्पत्तियों का विवरण	मांग नोटिस के अनुसार बकाया राशि / मांग सूचना की तिथि / कब्जे की तिथि
1. मै0 शिवा एचपी गैस ग्रामीण वितरक (ऋणी) प्रोपराइटर श्री गुलाब राय पताः बड़ा ऊधमसिंह नगर-263148, 2. श्री गुलाब राय (प्रोपराइटर) पुत्र श्री कुंदन लाल पताः बड़ा तहसील किच्छा परगना रूद्रपुर ऊधमसिंह नगर-263148	परिवर्तित रिहायशी / व्यवसायिक सम्पत्ति के सभी भाग एवं खंड स्थित खसरा नं0 781, ग्राम-बाड़ा, परगना रूद्रपुर, तहसील किच्छा, जिला-ऊधमसिंह नगर, एरियाः 495.95 वर्ग मी., **चौहद्दीः** पूर्व- राम मूर्ति लाल, पश्चिम- गुलाब राय, उत्तर- 16 फीट चौड़ा रोड, दक्षिण- दानकर्ता की भूमि।	रू0 3417938.15 दि. 17.07.2025 तक + ब्याज एवं अन्य खर्चे / 21.07.2025 / 29.05.2026 / भौतिक कब्जा
1. मै0 न्यू गनपति टेलीकॉम (ऋणी) प्रोपराइटर श्री गौरव जैसवाल पताः 75, दुकान नं0 25, राजा प्लाजा राजपुर रोड, निकट दिलाराम चौक देहरादून (यू0के0)-2480012, 2. श्री गौरव जैसवाल (प्रोपराइटर / सह-ऋणी) पुत्र श्री बल्देव सिंह जैसवाल पताः 214 / 1, विजय कॉलोनी, न्यू कैंट रोड, निकट हैपी आवर स्कूल, देहारादून-248001, 3. श्री बल्देव सिंह जैसवाल (गारंटर) पुत्र श्री मनोहर सिंह जैसवाल **पताः 1.** 214 / 1, विजय कॉलोनी, न्यू कैंट रोड, निकट हैपी आवर स्कूल, देहारादून-248001, **पताः 2.** राज प्लाजा, द्वितीय तल, दुकान नं0 229, नगर निगम नं0 414, राजपुर रोड-I, देहरादून -2480012	परिवर्तित रिहायशी / व्यवसायिक सम्पत्ति के सभी भाग एवं खंड स्थित राज प्लाजा, द्वितीय तल, दुकान नं0 229, नगर निगम नं0 414, राजपुर रोड-I, देहरादून, पूर्व सम्पत्ति नं0 75ए का भाग, एरियाः 23.78 वर्ग मी., सम्पत्ति श्री बल्देव जैसवाल के नाम। **चौहद्दीः** पूर्व- उज्जवल अग्रवाल की सम्पत्ति दुकान नं0 230, पश्चिम- संजीव सभरवाल की सम्पत्ति दुकान नं0 228, उत्तर- सामान्य मार्ग, दक्षिण- सामान्य मार्ग ऑन ग्राउण्ड।	रू0 3059516.25 दि. 29.09.2025 तक + ब्याज एवं अन्य खर्चे / 30.09.2025 / 29.05.2026

दिनांकः 02.06.2026

प्राधिकृत अधिकारी, एक्सिस बैंक लि0

HDFC BANK

We understand your world

एचडीएफसी बैंक लिमिटेड; विशेष संचालन विभाग, पहली मंजिल, प्रणय टावर, विधानसभा के पास, 38, दरबारी लाल शर्मा मार्ग, लखनऊ-226001

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए) [नियम 8(1)]

जैसाकि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत एचडीएफसी बैंक लि. जिसका पंजीकृत कार्यालय बैंक हाउस, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400013 में स्थित है और जिसका एक कार्यालय एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, विशेष संचालन विभाग में है, के अधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत दिनांक **21.02.2026** को मांग सूचना जारी कर ऋणधारकों **1.मैसर्स बालाजी सर्जिकल प्रा. लि. (मुख्य ऋणधारक/बंधककर्ता)**, प्रतिनिधित्वकर्ताः श्रीमती प्रमिला शुक्ला, पंजीकृत कार्यालयः कार्यालय संबा बाग, संडीला, हरदोई, उत्तर प्रदेश; **2. श्रीमती प्रमिला शुक्ला, पत्नी श्री राजेंद्र प्रसाद शुक्ला (प्रोप्राइटर/बंधककर्ता/जमानतदार)**, निवासीः मकान नंबर.-736, लखनऊ रोड, नारायणदास गली, संबा बाग, महतवाना, हरदोई, उत्तर प्रदेश, 241204; **3. श्री अतुल शुक्ला, पुत्र श्री राजेंद्र प्रसाद शुक्ला (प्रोप्राइटर/बंधककर्ता/जमानतदार)**, निवासीः मकान नं.-736, संबा बाग, महतवाना देहात, हरदोई, उत्तर प्रदेश, 241204; **4. श्री राजेंद्र प्रसाद शुक्ला, पुत्र श्री परश राम शुक्ला (प्रोप्राइटर/बंधककर्ता/जमानतदार)**, निवासीः मकान नं.-736, संबा बाग, महतवाना देहात, हरदोई, उत्तर प्रदेश, 241204 को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में उल्लिखित राशि **रु. 1,47,77,899/- (रुपये एक करोड़ सैंतालीस लाख सतहत्तर हजार आठ सौ निन्यानबे मात्र)**, जो कि दिनांक 21.02.2026 तक है, को उस पर लगने वाले ब्याज सहित, भुगतान का निर्देश दिया था। ऋणधारकों, जमानतदार(ओं) और बंधककर्ता(ओं) उक्त राशि का भुगतान करने में विफल रहे, अतः अब ऋणकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता तथा सार्वजनिक रूप से आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने एचडीएफसी बैंक लि. के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते आज 29मई, 2026 को उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के साथ पठित प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम 2002 के नियम 9 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है।

एतद्द्वारा विशेष रूप से ऋणधारकों/गारंटर/बंधककर्ता एवं सामान्य जनता को सतर्क किया जाता है कि वे **संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार का व्यवहार न करें, तथा संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार का व्यवहार ऊपर उल्लिखित राशि और उस पर देय ब्याज के लिये एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के चार्ज के अधीन होगा। ऋणधारकों/गारंटर/बंधककर्ता का ध्यान सुरक्षित संपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय से संबंधित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।**

संपत्ति की अनुसूची

क्र.सं.	अचल संपत्ति का विवरण	बंधककर्ता
1	भूमि और भवन, मकान नं. 736, ग्राम महतवाना, अब नगर पालिका के अंतर्गत, तहसील संडीला, जिला हरदोई, उत्तर प्रदेश-241204 (**कुल क्षेत्रफल-675 वर्ग फीट या 62.77 वर्ग मी.**) में स्थित, जिसकी सीमाएं नीचे दिए अनुसार हैं: पूर्वः 10 फीट चौड़ा रास्ता, पश्चिमः ओम प्रकाश का मकान, उत्तरः रामकृष्ण और आशा देवी का मकान, दक्षिणः श्रीमती विमला गुप्ता की संपत्ति।	श्रीमती प्रमिला शुक्ला
2	मकान नं. 736 में स्थित भूमि और भवन, ग्राम महतवाना, अब नगर पालिका के अंतर्गत, तहसील संडीला, जिला हरदोई, उत्तर प्रदेश-241204 (**कुल क्षेत्रफल-133 वर्ग मी.**) में स्थित, जिसकी सीमाएं नीचे दिए अनुसार हैं: पूर्वः विक्रेता का प्लॉट, पश्चिमः रास्ता, उत्तरः रास्ता, दक्षिणः निर्मला मिश्रा का प्लॉट, उत्तरः सतीश चंद्र की संपत्ति, दक्षिणः मार्केट सिटी प्लाजा का निजी रास्ता।	श्रीमती प्रमिला शुक्ला एवं श्री राजेंद्र प्रसाद शुक्ला

दिनांकः 29.05.2026

स्थानः हरदोई

प्राधिकृत अधिकारी

एचडीएफसी बैंक लिमिटेड

प्रपत्र-'जी'

अभिरूचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण

प्रयाग पॉलीटैक प्राइवेट लिमिटेड भिवाड़ी में प्लास्टिक मास्टरबैच के विनिर्माण और निर्यात में कार्यरत है

(भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड के विनियमन 36ए के उप-विनियमन (1) के तहत (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016)

प्रासंगिक विवरण

1.	कॉर्पोरेट देनदार का नाम साथ में पैन/सीआईएन/एलएलपी नं.	**प्रयाग पॉलीटैक प्राइवेट लिमिटेड** पैन:AAACP1009R | सीआईएन:U28994RJ1982PTC012328
2.	पंजीकृत कार्यालय का पता	सी-587, फेस -1, औद्योगिक क्षेत्र, भिवाड़ी, अलवर, राजस्थान - 301019
3.	वेबसाइट का यूआरएल	https://www.prayagmb.com/
4.	उस स्थान का विवरण जहां अधिकांश अचल संपत्तियां स्थित हैं	सी-587, फेस -1, औद्योगिक क्षेत्र, भिवाड़ी, अलवर, राजस्थान - 301019
5.	मुख्य उत्पादों / सेवाओं की स्थापित क्षमता	4,000 मीट्रिक टन (लगभग) प्रति माह
6.	मुख्य उत्पादों की मात्रा और मूल्य / पिछले वित्तीय वर्ष में बेची गई सेवाएं	मात्रा-1500-2000 मीट्रिक (अनुमानित) मूल्य-1819.10 लाख
7.	कर्मचारियों / कामगार की संख्या	78
8.	दो वर्षों के अंतिम उपलब्ध वित्तीय विवरण (अनुसूची के साथ), लेनदारों की सूची, प्रक्रिया की बाद की घटनाओं के लिए प्रासंगिक तिथियां सहित अधिक विवरण यहां उपलब्ध हैं	अंतिम उपलब्ध लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण वित्त वर्ष 2024-25 के लिए हैं। विवरण रेसोल्यूशन प्रोफेशनल से ईमेल **prayagpolytech.cirp@gmail.com** भेजकर प्राप्त किया जा सकता है
9.	संहिता की धारा 25(2)(एच) के तहत समाधान आवेदकों के लिए पात्रता यहां उपलब्ध है	पात्रता मानदंड का उल्लेख विस्तृत 'अभिरुचि की अभिव्यक्ति के लिए निमंत्रण' में किया गया है और इसे ईमेल **prayagpolytech.cirp@gmail.com** भेजकर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल से प्राप्त किया जा सकता है।
10.	अभिरूचि की अभिव्यक्ति की प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि	**27.06.2026, शनिवार**
11.	संभावित समाधान आवेदकों की अंतरिम सूची जारी करने की तिथि	**07.07.2026, मंगलवार**
12.	अंतरिम सूची के बारे में आपत्तियां प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	**12.07.2026, रविवार**
13.	संभावित समाधान आवेदकों की अंतिम सूची जारी करने की तिथि	**22.07.2026, बुधवार**
14.	संभावित समाधान आवेदकों को सूचना ज्ञापन, मूल्यांकन मैट्रिक्स और समाधान योजना के लिए अनुरोध जारी करने की तिथि	**27.07.2026, सोमवार**
15.	समाधान योजनाएं जमा करने की अंतिम तिथि	**26.08.2026, बुधवार**
16.	ईओआई जमा करने के लिए संसाधित ईमेल आईडी	**prayagpolytech.cirp@gmail.com**

हस्ता/-

ऋषभ चंद लोढ़ा

पंजीकरण सं.:IBBI/IPA-001/IP-P01075/2017-2018/11766

पताः ई-5, बसंत विहार, भीलवाड़ा, राजस्थान-311001

तिथि : 02.06.2026

स्थान : भीलवाड़ा

प्रयाग पॉलीटैक प्राइवेट लिमिटेड के लिए

दीपक स्पिनर्स लिमिटेड

CIN L17111HP1982PLC016465

पंजीकृत कार्यालयः 121 औद्योगिक क्षेत्र, बद्दी, तहसील नालागढ़ जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश- 173205

दूरभाष नं. 01795 244011/16 वेबसाइटः www.dsl-india.com

ईमेलः puneeta.arora@dslindia.com

ईमेल पते का अद्यतन/पंजीकरण

एमसीए के दिनांक 8 अप्रैल 2020, 13 अप्रैल 2020, 15 जून 2020, 28 सितंबर 2020, 31 दिसंबर 2020, 23 जून 2021 आदि के अनुपालन में और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ('एमसीए') द्वारा जारी नवीनतम सामान्य परिपत्र संख्या 03/25 दिनांक 22 सितंबर 2025 (इसके बाद सामूहिक रूप से 'एमसीए परिपत्र' के रूप में संदर्भित) के अनुसार, कंपनी की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) **गुरुवार, 13 अगस्त 2026** को शाम 4.00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

उपर्युक्त एमसीए परिपत्रों के अनुसार और सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 36 के अनुसार, एजीएम की सूचना वार्षिक रिपोर्ट के साथ केवल उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी जा रही है जिनके ईमेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत हैं। यह कंपनी की वेबसाइट www.dsl-india.com और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध होगी।

पात्र सदस्यों से अनुरोध है कि वे कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ संपर्क विवरण और बैंक खाता संख्या के बारे में अपने केवाईसी विवरण अद्यतन करें। यह सुनिश्चित करने के लिए है कि वार्षिक रिपोर्ट और एजीएम नोटिस सही ईमेल पते पर पहुंचे। केवाईसी अद्यतन के लिए प्रासंगिक फॉर्म इस लिंक पर जाकर डाउनलोड किए जा सकते हैं- http://mdpl.in केवाईसी अद्यतन फॉर्म मूल रूप से रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट, मेसर्स माहेश्वरी डाटामैटिक्स प्राइवेट लिमिटेड, 23, आरएन मुखर्जी रोड, 5वीं मंजिल, कोलकाता 700001 को जमा किए जाने चाहिए।

कृते दीपक स्पिनर्स लिमिटेड

स्थानः बद्दी

तिथिः 01.06.2026

पुनीता अरोड़ा

कंपनी सचिव

एफसीएस 7466

OFFER OPENING PUBLIC ANNOUNCEMENT TO THE SHAREHOLDERS OF

MIDLAND POLYMERS LIMITED

("MPL"/ "TARGET COMPANY"/ "TC") (Corporate Identification No. L62013TS1992PLC178971)

Registered Office: Plot.No.8-2-603/23/3 & 8-2-603/23, 15, 2nd Floor, HSR Summit, Banjara Hills, Road No.10, Hyderabad, Telangana, 500034;

Phone No.: +91-8125730447; Email id: midland.polymers@gmail.com; Website: www.midlandpolymers.com

This Advertisement is being issued by Navigant Corporate Advisors Limited, on behalf of Gayathri Boreddy (Acquirer-1), Jagannath Edla (Acquirer-2), Radha Krishna Avudari (Acquirer-3), Mahammad Amaan Shaik (Acquirer-4) and Ravi Kiran Veeramalla (Acquirer-5) (Acquirer-1, Acquirer-2, Acquirer-3, Acquirer-4 and Acquirer-5 hereinafter collectively referred to as the "Acquirers") pursuant to regulation 18(7) of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, as amended **("SEBI (SAST) Regulations")** in respect of Open Offer **("Offer")** for the acquisition up to 97,50,000 Equity Shares of Rs. 10/- each representing 26.00% of the expanded equity and voting share capital of the Target Company. The Detailed Public Statement **("DPS")** pursuant to the Public Announcement **("PA")** made by the Acquirers have appeared in Financial Express - English Daily (all editions); Jansatta - Hindi Daily (all editions); Pratahkal - Marathi Daily (Mumbai edition); Mega Jyothi - Telugu Daily – (Telangana edition) on 07th April, 2026.

1. The Offer Price is Rs. 10/- (Rupees Ten Only) per equity share payable in cash **("Offer Price")**.
2. Committee of Independent Directors **("IDC")** of the Target Company are of the opinion that the Offer Price of Rs. 10/- (Rupees Ten Only) offered by the Acquirers is in accordance with the relevant regulations prescribed in the Takeover Code and prima facie appear to be justified. The recommendation of IDC was published in the aforementioned newspapers on 01st June, 2026.
3. There has been no competitive bid to this Offer.
4. The completion of dispatch of The Letter of Offer **("LOF")** to all the Public Shareholders of Target Company was completed on 26th May, 2026.
5. Please note that a copy of the LOF is also available on the website of Securities and Exchange Board of India (SEBI), www.sebi.gov.in and also on the website of Manager to the Offer, www.navigantcorp.com and shareholders can also apply on plain paper as per below details:
   Eligible Person(s) may participate in the Offer by approaching their respective Broker/Selling Broker and tender Shares in the Open Offer as per the procedure along with other details.
6. In terms of Regulation 16(1) of the SEBI (SAST) Regulations, the Draft Letter of Offer had been submitted to SEBI on 15th April, 2026. We have received the final observations in terms of Regulation 16(4) of the SEBI (SAST) Regulations from SEBI vide its Letter No. HO/49/12/11(47)2026-CFD-RAC-DCR2/I/11712/2026 dated May 15, 2026 which have been incorporated in the LOF.
7. **Any other material changes from the date of PA:** Nil

Schedule of Activities:

Activity	Original Date	Original Day	Revised Date	Revised Day
Public Announcement	27.03.2026	Friday	27.03.2026	Friday
Publication of Detailed Public Statement in newspapers	07.04.2026	Tuesday	07.04.2026	Tuesday
Submission of Detailed Public Statement to BSE, Target Company & SEBI	07.04.2026	Tuesday	07.04.2026	Tuesday
Last date of filing draft letter of offer with SEBI	15.04.2026	Wednesday	15.04.2026	Wednesday
Last date for a Competing offer	29.04.2026	Wednesday	29.04.2026	Wednesday
Receipt of comments from SEBI on draft letter of offer	07.05.2026	Thursday	15.05.2026	Friday
Identified date*	11.05.2026	Monday	19.05.2026	Tuesday
Date by which letter of offer be dispatched to the shareholders	18.05.2026	Monday	26.05.2026	Tuesday
Last date for revising the Offer Price	21.05.2026	Thursday	01.06.2026	Monday
Comments from Committee of Independent Directors of Target Company	21.05.2026	Thursday	01.06.2026	Monday
Advertisement of Schedule of activities for open offer, status of statutory and other approvals in newspapers and sending to SEBI, Stock Exchange and Target Company	22.05.2026	Friday	02.06.2026	Tuesday
Date of Opening of the Offer	25.05.2026	Monday	03.06.2026	Wednesday
Date of Closure of the Offer	08.06.2026	Monday	16.06.2026	Tuesday
Post Offer Advertisement	15.06.2026	Monday	23.06.2026	Tuesday
Payment of consideration for the acquired shares	22.06.2026	Monday	01.07.2026	Wednesday
Final report from Merchant Banker	30.06.2026	Tuesday	08.07.2026	Wednesday

*Identified Date is only for the purpose of determining the names of the shareholders as on such date to whom the Letter of Offer would be sent. All owners (registered or unregistered) of equity shares of the Target Company (except the Acquirers, Promoter, Selling Company) are eligible to participate in the Offer any time before the closure of the Offer.

Capitalized terms used in this announcement, but not defined, shall have the same meaning assigned to them in the PA, DPS and LOF.

ISSUED BY MANAGER TO THE OFFER FOR AND ON BEHALF OF THE ACQUIRERS

NAVIGANT CORPORATE ADVISORS LIMITED

804, Meadows, Sahar Plaza Complex, J B Nagar, Andheri Kurla Road, Andheri East, Mumbai - 400059.

Tel No. +91 22 4120 4837 / 4973 5078

Email id: navigant@navigantcorp.com

Website: www.navigantcorp.com

SEBI Registration No: INM000012243

Contact person: Mr. Sarthak Vijlani

Place: Mumbai

Date: June 01, 2026

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

शाखा पता : 1085ई, पूरन एन्कलेव, शिवम प्लाजा, सेक्टर 29-29 चौक, फरीदाबाद, हरियाणा-121002

ई-नीलामी बिक्री सूचना

ई-नीलामी की तिथि एवं समय 07.07.2026, समय 02.00 बजे अप. से 06.00 बजे अप.

अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना - "परिशिष्ट- IV-A [नियम 8 (6) और 9 (1) के प्रावधान देखें]

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(2) एवं 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों एवं प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण के तहत चल आस्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा सामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार, बंधककर्ता(ओं) एवं जमानती(यों) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका कब्जा बैंक ऑफ बड़ौदा, प्रतिभूत लेनदार के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा किया गया था, नीचे वर्णित खाते(ओं) में बकायों की वसूली के लिए उसकी बिक्री "जहाँ है जैसे है", "जो है वही है" तथा "जो कुछ भी वहाँ है" आधार पर की जायेगी।

कर्जदार(रों)/ बंधककर्ता(ओं)/जमानती(यों)/बकायों/आरक्षित मूल्य/ई-नीलामी की तिथि एवं समय, ईएमडी तथा संविदा वृद्धि राशि निम्नलिखित वर्णित है :

क्र. सं.	कर्जदार/रों/जमानती/बंधककर्ता ओं का नाम एवं पता	अचल सम्पत्ति का विस्तृत विवरण तथा ज्ञात ऋणभार, यदि कोई हो	31.01.2026 तक कुल बकाया	आरक्षित मूल्य / ईएमडी / बोली वृद्धि	सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं समय तिथि:
1	मैसर्स एक्सट्रीम टेक्नोलॉजीज प्रोपराइटर- श्री जगन सिंह पुत्र गिरांज सिंह कार्यालय का पताः 10/1,60 फीट रोड, सोहना रोड, गांव-नंगला गुर्जन, बल्लभगढ़, हरियाणा-121004 श्री जगन सिंह पुत्र गिरांज सिंह (कर्जदार) पताः मकान नंबर 246/1, समयपुर रोड, राजीव कॉलोनी, फरीदाबाद, हरियाणा - 121004	संपत्ति का समस्त भाग, जिसमें संपत्ति/मकान संख्या 434/427एन, सुभाष कॉलोनी, बल्लभगढ़, जिला फरीदाबाद, हरियाणा शामिल है, जिसका क्षेत्रफल 98 वर्ग गज है और जो श्री जगन सिंह पुत्र श्री गिरांज सिंह के नाम पर है (बिक्री विलेख/पंजीकृत संख्या 14380, दिनांक 14.03.2007 के अनुसार) । इसकी सीमाएं इस प्रकार हैं: उत्तर: श्री ओम प्रकाश की संपत्ति; दक्षिण: श्री सतवीर की संपत्ति; पूर्व: अन्य संपत्ति; पश्चिम: 15'-0" चौड़ी सड़क।	आरक्षित मूल्य रु. 22,00,000/- ईएमडी रु. 2,20,000/- बोली वृद्धि : रु. 20,000/-	आरक्षित मूल्य : रु. 29,08,000/- ईएमडी राशि : रु. 290800/- बोली वृद्धि राशिः रु. 20000/-	03.07.2026 से 06.07.2026 समय : 10:00 बजे पूर्वा. से 04:00 बजे अप.

बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया https://www.bankofbaroda.in/e-auction तथा ऑनलाइन नीलामी पोर्टल ई-बिक्री में प्रावधानित लिंक का संदर्भ लें/देखें। सम्भावित संविदाकार अधिकृत प्राधिकारी से संपर्क नं. 9004921106 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

तिथि : 02.06.2026 हस्ता./-

स्थान : फरीदाबाद अधिकृत प्राधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

SBFC एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः यूनिट नंबर 103, प्रथम तल, सीएंडबी स्क्वायर, संगम कॉम्प्लेक्स, गांव चकला, अंधेरी-कुर्ला रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400059।

शाखा का पता: एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड, ओ-7, पहली मंजिल, लाजपत नगर-II, नई दिल्ली-110024

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("सरफेसी अधिनियम") के अंतर्गत एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड (पूर्ववर्ती एसबीएफसी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड) द्वारा नीचे उल्लिखित सुरक्षित परिसंपत्ति का कब्जा लेने के अनुसरण में, नीचे दिए गए उधारकर्ता/उधारकर्ताओं से देय राशि की वसूली के लिए, नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जो कि सुरक्षित ऋणदाता के कब्जे में है, के क्रय के लिए नीचे हस्ताक्षरकर्ता द्वारा सीलबंद लिफाफे में **"जहां है जैसा है", "जो है जैसा है" तथा "जो कुछ भी जैसा है वैसा है"** के आधार पर प्रस्ताव/बोली आमंत्रित की जाती हैं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:-

उधारकर्ता (ओं) / सह-उधारकर्ता(ओं) का पता	मांग सूचना की तिथि और राशि	अचल संपत्ति/ संपत्तियों का विवरण	आरक्षित मूल्य (आर.पी.)	बयाना राशि जमा (ईएमडी) (आर.पी. का 10:)	कुल ऋण बकाया (27-05-2026 तक)
1. **विनोद कॉफी कोल्डड्रिंक शॉप,** मयूर विहार, पीएच-1, गैलेरिया मॉल, गेट नंबर 3, दिल्ली- 110091. **2. वीरेंद्र कुमार, 3. दुर्गा देवी, 4. राम किशोर, 5. गोमती देवी,** पताः वाई.के. झुग्गी कैंप, यमुना खादर, चिल्ला सरोदा खादर, पूर्वी दिल्ली, नई दिल्ली-110091। और साथ ही, **1 ए विनोद कॉफी कोल्डड्रिंक शॉप,** फ्लैट नंबर सी-6, दूसरी मंजिल पर, प्लॉट नंबर एफ-20 और प्लॉट नंबर एफ-21, खसरा नंबर 156ए, साईं उपवन, गांव यूसुफपुर चकसावेरी, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-201012।	**मांग सूचना की तिथि** 6 मार्च 2023 2 मार्च 2023 तक की राशि 11,86,493/- रुपये (ग्यारह लाख छियासी हजार चार सौ तिरानवे रुपये मात्र) और साथ ही 3 मार्च 2022 से बकाया ब्याज।	गौतम बुद्ध नगर, यूसुफपुर दादरी, साई उपवन गांव, खसरा संख्या 156ए, प्लॉट संख्या एफ-20 और एफ-21 पर स्थित फ्लैट संख्या सी-6 की दूसरी मंजिल का वह पूरा हिस्सा, जिसका क्षेत्रफल 34 वर्ग मीटर (छत के अधिकार के बिना) है।	**रु. 12,84,660/- (रुपये बारह लाख चौरासी हजार छह सौ साठ मात्र)**	**1,28,466/- रुपये (एक लाख अट्ठाईस हजार चार सौ छियासठ रुपये मात्र)**	**18,35,417/- रुपये (रुपये अठारह लाख पैंतीस हजार चार सौ सत्रह मात्र)**

1. निर्धारित निविदा/बोली प्रपत्रों में सीलबंद बोली/प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि ईएमडी और केवाईसी (स्व-सत्यापित) के साथ 11/07/ 2026 को सुबह 11:00 बजे या उससे पहले ऊपर उल्लिखित मुख्य/शाखा कार्यालय के पते पर है। जो निविदाएं/बोली नहीं भरी गई हैं या अंतिम तिथि के बाद प्राप्त हुई हैं, उन्हें अमान्य माना जाएगा और तदनुसार उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा।, 2. ईएमडी राशि का भुगतान **"एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड" के पक्ष में लाजपत नगर-II, नई दिल्ली-110024। में देय डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर** के माध्यम से किया जाना चाहिए, जो असफल बोलीदाताओं को ब्याज के बिना वापस किया जाएगा।, 3. **संपत्ति के निरीक्षण की तिथि 04/07/2026 को सुबह 11 बजे से शाम 4.30 बजे के बीच है।**, 4. संपत्ति के लिए बोली/प्रस्ताव खोलने की तिथि **(प्रथम नीलामी तिथि) 11/07/2026** को उपर्युक्त शाखा कार्यालय के पते पर दोपहर 12:30 बजे है। निविदा/बोली अधिकृत अधिकारी और सभी बोलीदाताओं की उपस्थिति में खोली जाएगी। 5. अधिकृत अधिकारी का नाम और संपर्क संख्याः **सुधीर कुमार कुंडू + 91 9911828969** है। 6. संपत्ति सबसे अधिक बोली लगाने वाले बोलीदाता को बेची जाएगी। आपसी बोली प्राधिकृत अधिकारी के विवेक पर निर्भर करेगी। हालाँकि, प्राधिकृत अधिकारी के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी निविदाध्बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने या बिक्री को स्थगित करने का पूर्ण अधिकार है। संपत्ति को आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेचा जाएगा।, 7. नोटिस में बकाया राशि पर ऋण समझौते के अनुसार लागू ब्याज लिया जाएगा और आकस्मिक व्यय, लागत आदि देय होंगे और इसकी वसूली तक देय होंगे।, 8. नीलामी बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तें निर्धारित निविदा फॉर्म में शामिल हैं। निविदा प्रपत्र उपर्युक्त मुख्य/शाखा कार्यालय में उपलब्ध हैं।, 10. कोई भी शुल्क, प्रभार, कर जिसमें हस्तांतरण/हस्तांतरण शुल्क, अवैतनिक बिजली शुल्क, नगरपालिका/स्थानीय कर, स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, केवल क्रेता द्वारा वहन किया जाएगा।, 11. बिक्री कर, संपत्ति कर आदि सहित सभी बकाया/बकाया/अवैतनिक कर या सुरक्षित संपत्ति पर कोई अन्य बकाया, वैधानिक या अन्यथा क्रेता द्वारा अलग से वहन किया जाएगा।, 12. सुरक्षित लेनदार को ज्ञात भारः शून्य, 13. अधिकृत अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी उनके सर्वोत्तम ज्ञान, विश्वास और अभिलेखों के आधार पर दी गई है। किसी भी त्रुटि, गलत कथन या चूक आदि के लिए अधिकृत अधिकारी उत्तरदायी नहीं होगा। 14. बोली हस्तांतरणीय नहीं है। 15. बैंकर्स चेक या डिमांड ड्राफ्ट **मेसर्स एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड के पक्ष में, लाजपत नगर-II, नई दिल्ली-110024** में देय होना चाहिए। 16. उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता को एतद्द्वारा 30 दिन का समय दिया जाता है। सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत वैधानिक बिक्री सूचना के अनुसार, नीलामी की तिथि से पहले उपर्युक्त राशि का भुगतान करना होगा, अन्यथा अचल संपत्ति की नीलामी की जाएगी और यदि कोई शेष राशि बचती है, तो उसे ब्याज और लागत सहित वसूल किया जाएगा। यदि उधारकर्ता **एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड** (पूर्ववर्ती एसबीएफसी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड) को देय राशि का भुगतान बिक्री की तिथि से पहले पूरा कर देता है, तो नीलामी रोक दी जाएगी। 17. उधारकर्ता और सह-उधारकर्ता को सूचित किया जाता है कि वे बिक्री के समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहें और वे बिक्री की शर्तों और नियमों के अनुसार, ऊपर वर्णित अचल संपत्ति को खरीदने के इच्छुक खरीदारों को ला सकते हैं।

स्थानः नई दिल्ली , दिनांकः 02 जून 2026 **हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी, एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड**

IndusInd Bank

पंजीकृत कार्यालयः इंडसइंड बैंक लिमिटेड, 2401 जनरल थिमैय्या रोड (छावनी), पुणे- 411 001, भारत। अंचल कार्यालयः फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग एंड रीकंस्ट्रक्शन ग्रुप, 11वीं मंजिल, हयात रीजेंसी कॉम्प्लेक्स, न्यू टॉवर, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली- 110066

सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत नीलामी बिक्री सूचना

प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय सम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनः निर्माण तथा प्रतिभूति ब्याज के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना। एतद्द्वारा आम जनता को तथा विशेष रूप से ऋणी और गारंटरों को नोटिस दिया जाता है कि इंडसइंड बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने संपत्ति का **भौतिक कब्जा** ऋणी/गारंटर/बंधककर्ता से प्रतिभूतित ऋणदाता को देय नीचे वर्णित अनुसार बैंक की बकाया राशि और आगामी ब्याज, लागत व खर्च की वसूली के लिए निम्नलिखित ऋण खाते में **"जैसी है जहां है", "जैसी है जो कुछ भी है", "वहां जो कुछ मौजूद है" और "बिना संसाधन के आधार" पर** 24.06.2026 को बेचने के अधिकार के साथ लिया है। नीचे उल्लिखित संपत्तियों की बिक्री वेब पोर्टल www.bankeauctions.com के माध्यम से ई-नीलामी द्वारा आयोजित की जाएगी।

खाते/बंधककर्ता/ गारंटरों के नाम	कुल देयताएं	संपत्ति के निरीक्षण की तिथि/समय	आरक्षित मूल्य / ईएमडी / वृद्धिशील बोली	ई-नीलामी की तिथि एवं समय	बोली जमा करने की अंतिम तिथि
ऋण खाता संख्या - 634000000663 **मेसर्स दयाल इंडस्ट्रीज (उधारकर्ता)** को इसके भागीदारों के माध्यम सेः (i) श्री अमरीक सिंह (ii) श्री प्रभशरण सिंह (iii) श्री सतपाल सिंह (iv) श्री गगनदीप सिंह श्री अमरीक सिंह (गारंटर/बंधककर्ता)/ श्री प्रभशरण सिंह (गारंटर/बंधककर्ता)/ श्री सर्वजीत कौर (गारंटर/बंधककर्ता)/ श्री सतपाल सिंह (गारंटर/बंधककर्ता)/ श्री गगनदीप सिंह (गारंटर/बंधककर्ता)/ श्री अमृतपाल सिंह (गारंटर/बंधककर्ता)/ श्रीमती जसवंत कौर (गारंटर/बंधककर्ता)/ श्री मनविंदर सिंह (गारंटर/बंधककर्ता)	31.05.2019 तक **5,61,20,673/- रुपये (पांच करोड़ इकसठ लाख बीस हजार छह सौ तिहत्तर रुपये मात्र)** और 01.06.2019 से आगे का ब्याज, साथ ही लागत, शुल्क और खर्च।	**17.06.2026 को सुबह 10:30 बजे से अपराह्न 12:30 बजे तक**	8,01,90,000/- रु. / 80,19,000/- रु. / 1,00,000/- रु.	24.06.2026 **पूर्वाह्न** 10.00 **बजे से पूर्वाह्न** 11:00 **बजे तक**	23.06.2026 **अप. 5:00 बजे तक**
ऋण खाता संख्या - 634000000687/ 542000006957/ 542000006966 **मेसर्स दयाल फूड्स (उधारकर्ता)** को इसके भागीदारों के माध्यम सेः श्री अमरीक सिंह/ श्री अमरीक सिंह (गारंटर/बंधककर्ता)/ श्री प्रभशरण सिंह (गारंटर/बंधककर्ता)/ श्री सर्वजीत कौर (गारंटर/बंधककर्ता)/ श्री सतपाल सिंह (गारंटर/बंधककर्ता)/ श्री गगनदीप सिंह (गारंटर/बंधककर्ता)/ श्री अमृतपाल सिंह (गारंटर/बंधककर्ता)/ श्रीमती जसवंत कौर (गारंटर/बंधककर्ता)/ श्री मनविंदर सिंह (गारंटर)	30.04.2025 तक **8,31,41,399/- रुपये (आठ करोड़ इकत्तीस लाख इकतालीस हजार तीन सौ निन्यानवें रुपये मात्र)** और 01.05.2025 से आगे का ब्याज, साथ ही लागत, शुल्क और खर्च।				

प्रतिभूतित संपत्तियों का विवरणः

1. वाणिज्यिक संपत्ति ग्राम खानपुर पुरव, तहसील गदरपुर, जिला यू.एस. नगर (उत्तराखंड) में खसरा संख्या 556 मिन पर स्थित रकबा 3560 वर्ग मीटर जिसका स्वामित्व श्री प्रभशरण सिंह पुत्र श्री अमर सिंह के पास है।
2. ग्राम खानपुर पूरव, तहसील गदरपुर, जिला यू.एस. नगर (उत्तराखंड) में स्थित 1417-1422 खसरा नंबर 556 के खाता खतौनी नंबर 136 पर रकबा 3060 वर्ग मीटर का एनए प्लॉट, जिसका स्वामित्व श्रीमती सरवजीत कौर पत्नी श्री अमरीक सिंह के पास है।
3. वाणिज्यिक संपत्ति खाता संख्या 00136, खसरा संख्या 556, ग्राम खानपुर पूरव, तहसील गदरपुर, जिला यू.एस. नगर (उत्तराखंड) में स्थित रकबा 1520 वर्ग मीटर, जिसका स्वामित्व श्री अमरीक सिंह पुत्र श्री दयाल सिंह के पास है।
4. व्यावसायिक संपत्ति ग्राम खानपुर पूरव, तहसील गदरपुर, जिला यू.एस. नगर (उत्तराखंड) में स्थित खसरा नंबर 556 पर रकबा 1520 वर्ग मीटर, जिसका स्वामित्व श्री सतपाल सिंह पुत्र श्री दयाल सिंह के पास है।
5. वाणिज्यिक संपत्ति खाता संख्या 00136 खसरा संख्या 556 मिन पर ग्राम खानपुर पूरव, तहसील गदरपुर, जिला यू.एस. नगर (उत्तराखंड) में स्थित रकबा 3060 वर्ग मीटर है, जिसके मालिक श्री गगनदीप सिंह, श्री अमृतपाल सिंह, श्री सतपाल सिंह पुत्र श्री दयाल सिंह और श्रीमती जसवन्त कौर पत्नी श्री सतनाम सिंह हैं।

अधिकृत अधिकारी का नाम और संपर्क विवरण- श्री नितिन महाजन, मोबाइल नंबर +91-9717375920, ई-मेल आईडीः- Nitin.Mahajan@indusind.com

यदि कोई ऋणभार हो तोः सुरक्षित ऋणदाता को कोई ऋणभार ज्ञात नहीं है।

नियम और शर्तें: 1. इच्छुक बोलीदाता अपने ईएमडी विवरण और दस्तावेज वेब पोर्टलः https://www.bankeauctions.com पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड के माध्यम से (यूजर आईडी और पासवर्ड https://www.bankeauctions.com के साथ नाम दर्ज करके मुफ्त में प्राप्त किया जा सकता है) के माध्यम से जमा करेंगे। ईएमडी निम्नलिखित खाते में एनईएफटी /आरटीजीएस के माध्यम से 00053564604005, **IFSC Code-INDB0000005** या मांग ड्राफ्ट के माध्यम से **सनड्राई अकाउंट एसेट मैनेजमेंट** के नाम पर नवीनतम 5:00 बजे या उससे पहले ऊपर दी गई तालिका में उल्लिखित तारीखों पर या उससे पहले किया जाना है। कृपया ध्यान दें कि चेक को ईएमडी राशि के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। 2. प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी और सूचना के अनुसार, संपत्ति कर, सोसायटी बकाया आदि जैसे संपत्ति सांविधिक देय राशि पर कोई भार नहीं है। हालांकि बैंक किसी भी बकाया वैधानिक देय राशि/ऋणभार/ कर बकाया, यदि कोई होगा, के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। इच्छुक बोलीदाताओं को ऋणभार, संपत्ति के शीर्षक के बारे में अपनी स्वतंत्र पूछताछ करनी चाहिए और खुद का निरीक्षण और संतुष्ट होना चाहिए। उपरोक्त तिथि एवं समय पर सम्पत्ति का कड़ाई से निरीक्षण किया जा सकता है। 3. इच्छुक बोलीदाता जिन्होंने ईएमडी जमा कर दी है और लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाने, डेटा अपलोड करने, बोली जमा करने, ई-बोली प्रक्रिया पर प्रशिक्षण आदि में सहायता की आवश्यकता है, वे हमारे सेवा प्रदाता मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हेल्पलाइन नंबर से संपर्क कर सकते हैं- 0124-4302020/2021/2022/2023/2024, श्री मिथलेश कुमार, मो. नंबर- +91-7080804466, ईमेल आईडीः support@bankeauctions.com और संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए, कार्य दिवसों (सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक) के दौरान कार्यालय समय में ऊपर उल्लिखित अधिकृत अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। 4. उच्चतम बोली इंडसइंड बैंक लिमिटेड के अनुमोदन के अधीन होगी। प्राधिकृत अधिकारी के पास इस प्रकार प्राप्त सभी या किसी भी प्रस्ताव/बोली को बिना कोई कारण बताए स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। उनका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। 5. विस्तृत नियम और शर्तों के लिए बैंक की वेबसाइट www.indusind.com और www.bankeauctions.com देखें।

सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) और नियम 9(1) के अंतर्गत सांविधिक 15 दिनों की बिक्री सूचना

ऋणी/गारंटर/रेहनकर्ता को ई-नीलामी तिथि से पूर्व उपरोक्त वर्णित राशि के साथ तिथि तक ब्याज तथा अनुषंगी खर्चे की अदायगी के लिए एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है, जिसमें असफल रहने पर संपत्ति की नीलामी/ बिक्री कर दी जाएगी और बकाया राशि, यदि कोई होगी, ब्याज व लागत के साथ वसूल की जाएगी।

तिथिः 02.06.2026 स्थानः उधम सिंह नगर (उत्तराखंड) प्राधिकृत अधिकारी, (इंडसइंड बैंक लि.)

homefirst We'll take you home

Home First Finance Company India Limited
CIN: L65990MH2010PLC240703, Website: homefirstindia.com
Phone No.: 180030008425 Email ID: loanfirst@homefirstindia.com

परिशिष्ट-IV-A [नियम 8(6) के परंतुक देखें] अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत चल आस्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्वारा आम जनता को सामान्य रूप से और विशेष रूप से ऋणी और सह-कर्जदार(रों) को कॉलम (ii) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति कॉलम (iii) के अनुसार प्रतिभूत लेनदार को गिरवी / चार्ज की गई है, जिसका भौतिक कब्जा होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अपने बकाया और ब्याज की वसूली के लिए लिया गया है, जैसा कि नीचे बताया गया है और जबकि बकाया चुकाने में विफलता के परिणामस्वरूप, अधोहस्ताक्षरी कथित अधिनियम की धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए उक्त संपत्ति/यों की बिक्री से देय राशि वसूल करने का प्रस्ताव करता है और इसे "जहाँ है जैसा है", "जैसा है जो है" और "जो कुछ भी है वहीं है" आधार पर बेचा जाएगा जैसा कि यहाँ वर्णित है। होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड के बकाया कॉलम (i) के अनुसार उधारकर्ता(ओं) और सह-उधारकर्ता(ओं) से प्राप्य राशि की वसूली के लिए नीलामी 'ऑन लाइन' आयोजित की जाएगी।

क्र. सं.	कर्जदार(रों) तथा सह-कर्जदार(रों) का नाम	संपत्ति का पता	मांग सूचना की तिथि	मांग सूचना राशि	कब्जा करने की तिथि	आरक्षित मूल्य	ईएमडी राशि	नीलामी की तिथि तथा समय	ईएमडी तथा दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	प्राधिकृत अधिकारी का संपर्क नं.
1.	राकेश कुमार, पूनम	फ्लैट-2984, सेक्टर-55, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी (मकान नंबर 2984), आवासीय मकान नंबर 2984/एलआईजी/जीएफ, सेक्टर-55, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, उप-तहसील गौंछी, जिला फरीदाबाद, हरियाणा, फरीदाबाद, हरियाणा-121004। सीमाएं: पूर्व में - मकान नंबर 2983/जीएफ, पश्चिम में - मकान नंबर 2985/जीएफ, उत्तर में - सड़क, दक्षिण में - खुला स्थान/खाली जमीन।	03-12-2024	10,88,414	15-05-2025	7,05,200	70,520	17-06-2026 (11am-2pm)	15-06-2026 (upto 5pm)	7838373610

ई-नीलामी सेवा प्रदाता	ई-नीलामी वेबसाइट/विवरण, अन्य नियम एवं शर्तों हेतु	खाता : ईएमडी/अन्य राशि जमा करने हेतु	शाखा आईएफएससी कोड	लाभार्थी का नाम
कम्पनी का नाम : ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (ऑक्शन टाइगर), हेल्प लाइन नं. 079-35022160 /149 /182 **सम्पर्क व्यक्ति** : राम शर्मा- 8000023297 **ई-मेल आईडी** : ramprasad@auctiontiger.net तथा support@auctiontiger.net.	http://www.homefirstindia.com https://homefirst.auctiontiger.net	912020036268117- होम फर्स्ट फाइनेंस कम्पनी इंडिया लिमिटेड- एक्सिस बैंक लिमिटेड, एमआईडीसी, अंधेरी पूर्व	UTIB0000395	अधिकृत प्राधिकारी, होम फर्स्ट फाइनेंस कम्पनी इंडिया लिमिटेड

बोली वृद्धि राशि : रु. 10,000/-. बिक्री अधोहस्ताक्षरी द्वारा वेब पोर्टल (**https://homefirst.auctiontiger.net**) पर उपलब्ध ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाएगी। ई-नीलामी निविदा दस्तावेज जिसमें ऑनलाइन ई-नीलामी बोली फॉर्म, घोषणा, ऑनलाइन नीलामी बिक्री के सामान्य नियम और शर्तें शामिल हैं, पोर्टल साइट पर उपलब्ध हैं। प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी और ज्ञान के अनुसार, संपत्तियों पर कोई ऋणभार नहीं है। हालांकि, इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली जमा करने से पहले, ऋणभार, नीलामी में रखी गई संपत्ति के स्वामित्व और संपत्ति को प्रभावित करने वाले दावों/अधिकारों/देयताओं/संपत्ति को प्रभावित करने के संबंध में अपनी स्वतंत्र जांच करनी चाहिए। ई-नीलामी विज्ञापन का गठन नहीं करती है और इसे होम फर्स्ट के किसी भी प्रतिबद्धता या किसी भी प्रतिनिधित्व का गठन नहीं माना जाएगा। संपत्ति को होम फर्स्ट को ज्ञात हो या अज्ञात सभी मौजूदा और भविष्य के ऋणभारों के साथ बेचा जा रहा है। प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिभूत लेनदार किसी तीसरे पक्ष के दावों/अधिकारों/बकायों के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होंगे।

किसी विसंगति के मामले में सूचना के अंग्रेजी संस्करण को प्रामाणिक माना जाएगा।

सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत वैधानिक 15 दिनों की बिक्री सूचना

कर्जदार/गारंटरों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे ई-नीलामी की तिथि से पहले मांग सूचना में उल्लिखित राशि का भुगतान अप-टू-डेट ब्याज और सहायक खर्चों के साथ कर दें, ऐसा न करने पर संपत्ति की नीलामी/बिक्री की जाएगी और बकाया राशि, यदि कोई हो, ब्याज और लागत के साथ वसूल किया जाएगा।

दिनांकः 02-06-2026, स्थानः रा.रा.क्षे. **अधिकृत प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित, होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड**

ADITYA BIRLA CAPITAL

आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः इंडियन रेयान कंपाउंड, वेरावल, गुजरात - 362266 शाखा कार्यालय- तीसरी मंजिल प्लॉट नंबर सी 171/2, सेक्टर 15, नोएडा, गौतम बुध नगर, उत्तर प्रदेश - 201301

परिशिष्ट IV
(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 का नियम 8(1) देखें)
कब्जे का नोटिस (अचल संपत्ति हेतु)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम 2002 (2002 का 54) के प्रवर्तन के तहत **आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड** का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत शक्तियो के अंतर्गत **उधारकर्ता ऋषभ जैन, अरुण कुमार जैन, ज्योति ट्रेडर्स और पुष्पा जैन को** मांग सूचना दिनांक 13.10.2025 को जारी किया था जिसमें सूचना में उल्लेखित राशि **रु. 14,50,714.00 (रु. चौदह लाख पचास हजार सात सौ चौदह मात्र)** उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।

कर्जदार राशि का प्रतिभुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतद्द्वारा कर्जदार तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत दिनांक **30 मई 2026** को लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन **आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड** के प्रभार वास्ते **रु. 14,50,714.00 (रु. चौदह लाख पचास हजार सात सौ चौदह मात्र) और उस पर भविष्य का ब्याज इत्यादि सहित** के अधीन होगा।

कर्जदार का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

फ्लैट न. जीएफ-1 का संपूर्ण हिस्सा, जोकि भूतल फ्रंट साइड, एमआईजी, बिना छत के अधिकार के, क्षेत्रफल 700.00 वर्ग फीट प्लॉट नंबर सी-218 पर निर्मित, ब्लॉक-सी, खसरा नंबर 429, एसएलएफ वेद विहार, हदबस्त गांव सादुल्लाबाद परगना लोनी तहसील और जिला, गाजियाबाद, 201102 और

सीमाएं: पूर्व: सड़क 9 मी., चौड़ी, पश्चिम: प्लॉट नं. सी-228, उत्तर: प्लॉट नं. सी-217, दक्षिण: प्लॉट न. सी-219.

दिनांक: 30.05.2026, प्राधिकृत अधिकारी,

स्थान: गाजियाबाद आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

Can Fin Homes Ltd (Sponsor : CANARA BANK) HOME LOANS • DEPOSITS Translating Dreams into Reality

केन फिन होम्स लिमिटेड

कार्यालय संख्याः 101, प्रथम मंजिल, सुभाष विला, प्लॉट संख्या 643, हिरनमगिरी, सेक्टर - 13, उदयपुर, राजस्थान ई-मेल : udaipur@canfinhomes.com, फोन न. : 0294-2485770, 7625079187 • CIN : L85110KA1987PLC008699

मांग सूचना

वित्तीय आस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनरगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (सरफासी ऐक्ट) की धारा 13(12) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 (नियमावली) के नियम 3(1) के अधीन

1. श्रीमती मांगी प्रजापत (उधारकर्ता)
2. श्री उदय लाल कुम्हार (सह-उधारकर्ता)

आपमें से **न0 1 और 2** ने मिलकर हमारी शाखा से एक बंधक ऋण लिया था, जिसके बदले **श्रीमती मांगी प्रजापत** की निम्नलिखित संपत्ति को बंधक के रूप में गिरवी रखा गया था। **01.06.2026** तक कैन फिन होम्स लिमिटेड को आपसे **10,05,650 रुपये (दस लाख पाँच हजार छह सौ पचास रुपये मात्र)** बकाया है, जिस पर अनुबंधित दर से आगे का ब्याज साथ ही इस पर लगने वाले अन्य शुल्क भी देय है।

गिरवी रखी गई संपत्ति का विवरण

खसरा नंबर 1320/423, 1327/422, माप 2500 वर्ग मीटर, राजस्व ग्राम - सुरो का गुडा, ग्राम पंचायत - बेमला, तहसील - गिरवा, उदयपुर (राजस्थान) 313703 सीमाएं इस प्रकार हैं: **पूर्व में** - धापू बाई पत्नी स्वर्गीय नाथू कुम्हार, **पश्चिम में** - वीरेंद्र पुत्र स्वर्गीय श्री नाथू कुम्हार, **उत्तर में** - सड़क, **दक्षिण में** - उदय लाल, धापू, बाई पत्नी नाथू लाल

आपको सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत पंजीकृत मांग नोटिस भेजा गया था, लेकिन वह बिना सेवा हुए/प्रापाकर्ता के निधन के कारण वापस लौट आया। अतः अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, उक्त उधारकर्ताओं के अंतिम ज्ञात पते पर इन नोटिसो को चिपकवाया है, जिसके कारण यह समाचार पत्र प्रकाशन किया जा रहा है। चूंकि आपने स्वीकृति की शर्तों का पालन करने में विफलता दिखाई है, अतः आपके खाते को दिनांक **29.05.2026** से राष्ट्रीय आवास बैंक (एन.एच.बी) के दिशानिर्देशों के अनुसार गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एन.पी.ए)के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आपको यह सूचित किया जाता है कि उपरोक्त राशि पर निर्धारित अनुबंधित **01.06.2026** को ब्याज दर सहित 60 दिनों के भीतर इस बकाया राशि का भुगतान करें। अन्यथा, अधोहस्ताक्षरी को सरफेसी अधिनियम के तहत संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त, उधारकर्ताओं/गारंटरों का ध्यान धारा 13(8) के उपबंधों की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें उन्हें संपत्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए उपलब्ध समय सीमा के संबंध में जानकारी दी गई है।

तिथि : 01.06.2026 **हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी**

स्थान : उदयपुर **केन फिन होम्स लिमिटेड**

प्रपत्र नं. 14
[विनियम -33(2) देखें]
वसूली अधिकारी कार्यालय- I/ II
ऋण वसूली न्यायाधिकरण दिल्ली (डीआरटी-2)
चतुर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

डिमांड नोटिस

ऋण वसूली और दिवालियापन अधिनियम, 1993 की धारा 25 से 28 और आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 2 के तहत नोटिस।

RC/123/2022 **08-05-2026**

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
बनाम
श्री राहुल ममतानी

सेवा में,

(सीडी 1) श्री राहुल ममतानी, जेजी-2-390, दूसरी मंजिल, विकास पुरी, नई दिल्ली, पश्चिम, दिल्ली-110018

(सीडी 2) श्रीमती लवली ममतानी पत्नी श्री राहुल ममतानी, निवासी फ्लैट न. जेजी 2 390, दूसरी मंजिल, विकास पुरी, नई दिल्ली-110066

(सीडी 3) मैसर्स एवीजे डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, एच नंबर डी 237, विवेक विहार फेज 1, पूर्व, दिल्ली-110066

यह सूचित किया जाता है कि **पीठासीन अधिकारी**, ऋण वसूली न्यायाधिकरण दिल्ली **(डीआरटी 2)** द्वारा **OA/620/2017** में पारित आदेशों के अनुसरण में जारी किए गए वसूली प्रमाण पत्र के अनुसार, **रू. 37,30,677.67 (सैंतीस लाख तीस हजार छह सौ सतहत्तर रुपये और सड़सठ पैसे मात्र)** की राशि, बकाया और भविष्य के ब्याज सहित **27/04/2017** से वसूली तक **@9.30%** साधारण सालाना ब्याज और **रू. 40,500 (चालीस हजार पांच सौ रुपये मात्र)** की लागत आपके विरुद्ध (संयुक्त रूप से और व्यक्तिगत रूप से/पूर्ण रूप से सीमित) देय हो गई है।

2. इस नोटिस के माध्यम से आपको नोटिस प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर उपरोक्त राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। ऐसा न करने पर बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 और उसके अधीन नियमों के प्रावधानों के अनुसार वसूली की जाएगी।

3. आपको सुनवाई की अगली तारीख को या उससे पहले एक हलफनामे पर अपनी संपत्ति का विवरण घोषित करने का आदेश दिया जाता है।

4. आपको आदेश दिया जाता है कि दिनांक **05.06.2026 को प्रातः 10:30 बजे** अधोहस्ताक्षरी के समक्ष आगे की कार्यवाही हेतु उपस्थित हों।

5. उपरोक्त राशि के अतिरिक्त, आप भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होंगेः

(क) इस तरह के ब्याज के रूप में प्रमाण पत्र / निष्पादन कार्यवाही की इस सूचना के तुरंत बाद शुरू होने वाली अवधि के लिए देय है।

(ख) इस नोटिस और वारंट और अन्य प्रक्रियाओं और देय राशि की वसूली के लिए की गई अन्य सभी प्रक्रियाओं की तामील के संबंध में किए गए सभी लागत, शुल्क और व्यय।

मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर के तहत दिनांक 08.05.2026 को दिया गया।

हस्ता/-
वसूली अधिकारी
ऋण वसूली अधिकरण दिल्ली (डीआरटी-2)

Criminal Courts Ludhiana

In the court of Sh. Dasvinder singh Judicial Magistrate 1st Class, Ludhiana

State Bank Of India
Vs.
Pradyumna kumar
Next Date: 01-07-2026
CNR No: PBLD03-047968-2023

Notice to: pradyumna kumar : s/o prasanta kumar panda, r/o village champeshwar kanpur cuttak odisa

Whereas it has been proved to the satisfaction of this court that you the accused above named cannot be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under section 82 CRPC is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before the court on 01-07-2026 at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation. take notice that, in default of your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence given under my hand and seal of the court. for details login to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana

JMIC, Ludhiana

dated this day of

Criminal Court, Ludhiana

In The Court Of Ms. Kavita Garg Judicial Magistrate- 1st class ludhiana

CNR NO: PBLD03-021273-2024

Coma/7188/2024 Peshi: 01-07-2026

publication notice for proclamation under section 82 Cr.PC complaint r/w sec- 138 of N.I Act

M/s Sahib Creations Vs.
M/s Vashisht Boot House

Notice To: 1. m/s vashisht boot house, darla ghat, district simla, himachal pradesh, through its prop. sh. vivek kumar 2. vivek kumar, proprietor m/s vashisht boot house darla ghat, district simla, himachal pardesh

Whereas it has been proved to the satisfaction of the court that you, the accused above named cannot be served in the ordinary way of service. Hence, this proclamation under section 82 CRPC is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before the court on 01-07-2026 at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in default of your part to appear as directed above, the above said case will be heard and determined as per law, in your absence. given under my hand and the seal of the court, this for details login to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana

JMIC Ludhiana

Criminal Court, Ludhiana

In The Court Of Ms. Kavita Garg Judicial Magistrate- 1st class ludhiana

CNR NO: PBLD03-073141-2023

Coma/49495/2023 Peshi: 09-07-2026

publication notice for proclamation under section 82 Cr.PC complaint r/w sec- 138 of N.I Act

M/s Longman Knitwears
Vs.
M/s Mayasheel Retail India Pvt. Ltd

Notice To: 1. m/s mayasheel retail india ltd. plot no. 88 begampur khatola sector 35, gurugram, gurgaon haryana through its director/M.D/authorized signatory 2. sunil kumar karwa director/M.D./authorized signatory m/s mayasheel retail india ltd. plot no. 88, begampur khatola sector 35, gurugram, gurgaon haryana

Whereas it has been proved to the satisfaction of the court that you, the accused above named cannot be served in the ordinary way of service. Hence, this proclamation under section 82 CRPC is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before the court on 09-07-2026 at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in default of your part to appear as directed above, the above said case will be heard and determined as per law, in your absence. given under my hand and the seal of the court, this for details login to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana

JMIC Ludhiana

Criminal Court, Ludhiana

In The Court Of Ms. Armaan Sandhu Judicial Magistrate- 1st class ludhiana

CNR NO: PBLD03-047565-2024

Peshi: 02-07-2026

publication notice for proclamation under section 82 Cr.PC complaint r/w sec- 138 of N.I Act

M/s Bajaj Finance Ltd.
Vs.
Sharafat ali

Notice To: sharafat ali s/o khushee mohammad house no 0 hozkhadi road mansoor colony aksha masjed, saharanpur uttar pradesh 247001

Whereas it has been proved to the satisfaction of the court that you, the accused above named cannot be served in the ordinary way of service. Hence, this proclamation under section 82 CRPC is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before the court on 02-07-2026 at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in default of your part to appear as directed above, the above said case will be heard and determined as per law, in your absence. given under my hand and the seal of the court, this for details login to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana

JMIC Ludhiana

HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED

कॉर्पोरेट कार्यालयः नं. 167-169, द्वितीय तल, अन्ना सलाई, सैदापेट, चेन्नई -600015

सुश्री सीमा शर्मा (सीएलएम), मो. 9643061237
श्री अरुण मोहन शर्मा (एएलएम), मो. 8800898999
श्री अमित कौशिक (आरआरएम), मो. 9587088333

अचल संपत्ति के भौतिक कब्जे की सार्वजनिक सूचना

सेवा में,
1. श्री मोहसिन_ उधारकर्ता
2. श्रीमती अंदीबा_ सह-उधारकर्ता
अल्वी नगर, ईदगाह मस्जिद के पास, लोनी देहात, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201102।
लैन नंबर DL/MTG/MTNG/A000000535

जबकि जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 09.10.2025 के आदेश के अनुसार सम्पत्ति क्षेत्रफल 90 वर्ग गज, खसरा नंबर 490 का हिस्सा गाँव सदुल्लाबाद, निशा एन्क्लेव की आबादी में, परगना लोनी, तहसील और जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, पूर्व - महताब की सम्पत्ति, पश्चिम - 20 फुट चौड़ी सड़क, उत्तर - 15 फुट चौड़ी सड़क, दक्षिण - यूसुफ की सम्पत्ति की सम्पत्ति का **भौतिक कब्जा 20.05.2026** को मैसर्स हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा अधिग्रहित किया गया है।

विशेष रूप से उधारकर्ताओं और सामान्य रूप से जनता को चेतावनी दी जाती है कि वे संपत्ति का सौदा न करें और संपत्ति के साथ कोई भी लेनदेन मैसर्स हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधीन होगा।

स्थान : गाजियाबाद, दिनांक : 02.06.2026
प्राधिकृत अधिकारी, हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

Criminal Court, Ludhiana

In The Court Of Ms. Kavita Garg Judicial Magistrate- 1st class ludhiana

CNR NO: PBLD03-071521-2023

Coma/489855/2023 Peshi: 01-07-2026

publication notice for proclamation under section 82 Cr.PC complaint r/w sec- 138 of N.I Act

M/s Classic Labels Vs.
M/s Damask Industries

Notice To: 1. m/s damask industries, through its prop./director/m.d/authorized signatory sh. arun kumar 2. arun kumar prop./director/m.d/authorized signatory of m/s damask industries 1st address c-188, 2nd floor naraina industrial area, phase-I, new delhi 2nd add: 1st floor plot no. 5 khasra no. 485 shakti enclave extd. lal dora village burari north delhi

Whereas it has been proved to the satisfaction of the court that you, the accused above named cannot be served in the ordinary way of service. Hence, this proclamation under section 82 CRPC is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before the court on 01-07-2026 at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in default of your part to appear as directed above, the above said case will be heard and determined as per law, in your absence. given under my hand and the seal of the court, this for details login to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana

JMIC Ludhiana

इंडियन बैंक Indian Bank इलाहाबाद ALLAHABAD

अंचल कार्या.:- दिल्ली मध्य, इंडियन बैंक बिल्डिंग, पहली मंजिल, 17, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001; फोनः 011-23345518; ईमेलः zodelhicentral@indianbank.co.in

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिये)
[प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम-8(1) के तहत]

जबकि, निम्नहस्ताक्षरकर्ता इंडियन बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और धारा 13(12) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 व 9 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ((1) मैसर्स दिल्ली फैब्रिक क्रिएशन (प्रोप्राइटरशिप फर्म/ऋणी), (2) श्री राजेश मल्होत्रा पुत्र श्री दर्शन मल्होत्रा (प्रोप्राइटर/गारंटर), (3) श्रीमती श्वेता मल्होत्रा पत्नी श्री राजेश मल्होत्रा (बंधककर्ता/गारंटर) को हमारे इंडियन बैंक, कोहाट एन्क्लेव, पीतमपुरा शाखा से एक मांग सूचना दिनांक **19.03.2026** को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर उसमें उल्लेखित राशि रू. **2,51,32,264.00** (रुपये दो करोड़ इक्कयावन लाख बत्तीस हजार दो सौ चौसठ मात्र) दिनांक 19.03.2026 तक बकाया एवं अनुबंध की दर पर भविष्य का ब्याज, लागतों, शुल्कों एवं खर्चों का पूर्ण भुगतान होने की तिथि तक इस नोटिस की पावती की तारीख से 60 दिनों के भीतर, करने के लिए कहा गया था। ऋणी/जमानतदार द्वारा राशि का पुनर्भुगतान करने में असफल होने पर, एतद्द्वारा ऋणी और आम जनता को सूचना दी जाती है कि निम्नहस्ताक्षरकर्ता ने इस अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत और नियम 8 व 9 के साथ पठित प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में नीचे वर्णित संपत्ति को दिनांक 30 मई 2026 को कब्जे में ले लिया है। ऋणी को विशेष रूप से और आम जनता को एतद्द्वारा संपत्ति के साथ किसी भी तरह का लेन-देन नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ किसी भी तरह का किया गया कोई भी संव्यवहार रू. **2,51,32,264.00** (रूपये दो करोड़ इक्कयावन लाख बत्तीस हजार दो सौ चौसठ मात्र) दिनांक 19.03.2026 तक बकाया एवं अनुबंध की दर पर भविष्य का ब्याज, लागतों, शुल्कों एवं खर्चों का पूर्ण भुगतान होने की तिथि तक इंडियन बैंक के प्रभार के अध्यधीन होगा। "हम सरफेसी अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जो प्रतिभूतियों पर आपके मोचन के अधिकारों से संबंधित है।"

अचल सम्पत्ति का विवरण

एचआईजी फ्लैट नंबर ए-202, सेकंड फ्लोर (बिना छत अधिकार के) ब्लॉक-ए, झूलेलाल अपार्टमेंट, रोड नंबर 44, पीतमपुरा दिल्ली, क्षेत्रफल:- 132.00 वर्गमी. जो श्रीमती श्वेता मल्होत्रा पत्नी श्री राजेश मल्होत्रा के नाम से है; सीमाएं:- पूर्व:- फ्लैट नंबर 203, पश्चिम:- फ्लैट नंबर 201, उत्तर:- ओपन स्पेस, दक्षिण:- एंट्रेंस/सीढ़ियां/लिफ्ट स्थानः दिल्ली दिनांकः 30.05.2026; प्राधिकृत अधिकारी, इंडियन बैंक

Can Fin Homes Ltd (Sponsor : CANARA BANK) HOME LOANS • DEPOSITS Translating Dreams into Reality

केन फिन होम्स लिमिटेड

CIN : L85110KA1987PLC008699, #5, पहली मंजिल, पिनाकेल टावर, बैशाली कार्नर, गढ़ रोड, मेरठ, यू.पी., पिन-250004 ई-मेल : meerut@canfinhomes.com फोन न. : 0121-4060006, मो0 : 7625079159

कब्जा सूचना [(नियम 8(1)] (अचल सम्पत्ति हेतु)

अधोहस्ताक्षरी ने केन फिन होम्स लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन और उक्त अधिनियम तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक **मांग सूचना दिनांकित 13.11.2025** जारी की थी जिसमें कर्जदारों **1. श्री ब्रिजेश त्यागी पुत्र दयानंद त्यागी 2. श्री आशीष त्यागी पुत्र ब्रिजेश त्यागी और (गारंटर) श्री अमित सांगवान पुत्र भरत वीर सिंह** से सूचना में वर्णित बकाया राशि **25,92,104 रुपये (पच्चीस लाख बानवे हजार एक सौ चार रुपये मात्र)** तथा वसूली की तिथि तक आगे संविदात्मक दर पर ब्याज का भुगतान उक्त सूचना की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी। कर्जदार उक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं,

एतद्द्वारा कर्जदार और जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा दिनांक **01.06.2026** को ले लिया है।

कर्जदार का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुडाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

कर्जदार को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को इस संपत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है और संपत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार सीएचएफएल की बकाया राशि **25,92,104 रुपये (पच्चीस लाख बानवे हजार एक सौ चार रुपये मात्र)** और भुगतान की तारीख तक उस पर ब्याज।

अचल सम्पत्ति का विवरण

प्लॉट संख्या 80 (क्षेत्रफल 125.86 वर्ग गज), खसरा संख्या 185, गोकुल धाम कॉलोनी, ग्राम जलालपुर रघुनाथपुर, परगना जलालाबाद, मुरादनगर, तहसील मोदीनगर, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, पिन 201206 पर स्थित आवासीय मकान। **उत्तर दिशा में** संगीता त्यागी का प्लॉट, **दक्षिण दिशा में** सीमा जोनपार का प्लॉट, **पश्चिम दिशा में** 20 फीट चौड़ा रास्ता, **पूर्व दिशा में** अन्य का प्लॉट।

तिथि : 01.06.2026 **हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी**

स्थान : मेरठ **केन फिन होम्स लिमिटेड**

अधिग्रहण सूचना (अचल संपत्ति हेतु) नियम 8-(1)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड [illegible] प्रतिभूतिकरण और वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में [illegible] उधारकर्ताओं को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर सूचना में वर्णित राशि का भुगतान करने हेतु मांग सूचना जारी की थी। [illegible] उधारकर्ता राशि चुकाने में विफल रहे हैं, अतः एतद्द्वारा उधारकर्ता तथा आम जनता को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा कर लिया है। [illegible]

उधारकर्ता(ओं)/ सह-उधारकर्ता(ओं) के नाम	प्रतिभूत परिसंपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण	कुल बकाया देयराशि (रु.)	मांग सूचना की तिथि	अधिग्रहण की तिथि
श्री भगत सिंह, भगत टेंटल, श्रीमती विद्या रानी, श्रीमती रिंकल चौधरी प्रोस्पेक्ट नं.: IL10489463, 984859	संपत्ति संख्या IX/5339, जो कि खसरा नंबर 302 में से है, जो मुख्य मार्ग की आबादी में स्थित, गांव सीलमपुर, पुराना सीलमपुर, दिल्ली-110031, उस निर्मित संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश, जिसका क्षेत्रफल के माप (वर्ग फीट में): संपत्ति का प्रकार : भूमि क्षेत्र, सुपर बिल्ट-अप क्षेत्र, निर्मित क्षेत्र, कारपेट एरिया, संपत्ति का क्षेत्रफल : 1242.00, 932.00, 932.00, 847.00	984859 के लिए रु. 1,12,417.00/- (रुपये एक लाख बारह हजार चार सौ सत्रह मात्र) IL10489463 के लिए रु. 1,75,815.00/- (रुपये एक लाख पिचहत्तर हजार आठ सौ पंद्रह मात्र)	09/10/2024	29/05/2026

अन्य विवरणों के लिए कृपया प्राधिकृत अधिकारी से **शाखा कार्यालय** : 30/30ई, ऊपरी भू तल, मुख्य शिवाजी मार्ग, नजफगढ़ रोड, जगुआर शोरूम के समीप, मोती नगर, नई दिल्ली अथवा **कार्पोरेट कार्यालय** : आईआईएफएल टॉवर, भूखण्ड सं. 98, उद्योग विहार, फेज-IV, गुड़गांव, हरियाणा से संपर्क करें।

स्थान: दिल्ली, दिनांक : 02-06-2026 हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी, कृते आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

(तत्कालीन कैपिटल फर्स्ट होम फाइनेंस लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित)

सीआईएन: L65110TN2014PLC097792

पंजीकृत कार्यालय: केआरएम टावर्स, 7वीं मंज़िल, हैरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई - 600031

दूरभाष: +91 444564 4000, फैक्स: +91 4445644022

IDFC FIRST Bank

परिशिष्ट IV [नियम 8(1)] कब्ज़ा-सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

चूंकि अधोहस्ताक्षरी वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (तत्कालीन कैपिटल फर्स्ट होम फाइनेंस लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित) के अधिकृत अधिकारी होने के नाते, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित उस अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 19.07.2025 को एक मांग नोटिस जारी कर **ऋणकर्ता, सह-उधारकर्ताओं और गारंटरों 1. बृजेश कुमार 2. नेहा मिश्रा को नोटिस में उल्लिखित राशि,यानी 16.07.2025 तक 28,20,481.73/- रुपये (अठ्ठाईस लाख बीस हजार चार सौ इक्यासी और तिहत्तर पैसे मात्र)** की राशि को उक्त मांग नोटिस की प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने को कहा था।

उधारकर्ताओं द्वारा राशि का भुगतान करने में विफल रहने पर उधारकर्ताओं और आम जनता को एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) अधिनियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित, अधिनियम की धारा 13 के उप धारा (4) के तहत उसे प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए 29 मई 2026 को नीचे वर्णित संपत्ति का भौतिक कब्ज़ा ले लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ताओं और आम जनता को एतद्द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे उक्त संपत्ति का लेन-देन न करें और संपत्ति के साथ किसी भी तरह का लेन-देन करने पर **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (तत्कालीन कैपिटल फर्स्ट होम फाइनेंस लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित) रु.28,20,481.73/- (अठ्ठाईस लाख बीस हजार चार सौ इक्यासी और तिहत्तर पैसे मात्र)** और उस पर ब्याज का भुगतान करना होगा।

प्रतिभूति परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप धारा 8 के प्रावधानों के तहत उधारकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया है।

अचल संपत्तियों का विवरण

मुक्त धारिता स्वामित्व वाली संपत्ति क्रमांक जी-1/426 और 427, दूसरे तल (छत/टेरेस के अधिकार के बिना) का सम्पूर्ण निर्मित सम्पत्ति का समस्त टुकड़ा एवं अंश, जिसका क्षेत्रफल 91.1 वर्ग गज है, खसरा क्रमांक 76/21 में स्थित ग्राम हस्तसाल और जी-1 ब्लॉक कॉलोनी, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059 में है, और जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व अन्य की संपत्ति, पश्चिम: अन्य की संपत्ति, उत्तर: सड़क, दक्षिण: गली।

दिनांकः 29-05-2026 प्राधिकृत अधिकारी

स्थानः दिल्ली आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (तत्कालीन कैपिटल फर्स्ट होम

ऋण खाता सं: 35439533 और 35440059 फाइनेंस लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित)

ऋण वसूली न्यायाधिकरण देहरादून

पारस टावर, द्वितीय तल, मजरा निरंजनपुर, सहारनपुर रोड, देहरादून

आरसी नं. 320/2025 दिनांकः 08.05.2026

एक्सिस बैंक लि0 प्रमाणपत्र धारक

बनाम

मै0 यूनिटेक एसोसिएट्स एवं अन्य प्रमाणपत्र धारक

मॉंग नोटिस

सेवा में,

सी0डी0-1 मै0 यूनिटेक एसोसिएट्स प्रोपराइटर रतिश चन्द्र पताः शांति मेंशन, बैंक कॉलोनी, विकास नगर, फेज-2, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पीछे डीएची शाखा बिटोरिया नं0 1, कुसुमखेड़ा, हल्द्वानी, जिला नैनीताल, उत्तराखंड-263139

सी0डी0-2 रतिश चन्द्र पुत्र श्री गिरीश बाबू चन्द्र, पताः शांति मेंशन, बैंक कॉलोनी, विकास नगर, फेज-2, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पीछे डीएची शाखा बिटोरिया नं0 1, कुसुमखेड़ा, हल्द्वानी, जिला नैनीताल, उत्तराखंड-263139

सी0डी0-3 श्रीमती तृप्ती भारद्वाज पुत्री श्री कैलाश चन्द्र पताः शांति मेंशन, बैंक कॉलोनी, विकास नगर, फेज-2, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पीछे डीएची शाखा बिटोरिया नं0 1, कुसुमखेड़ा, हल्द्वानी, जिला नैनीताल, उत्तराखंड-263139

सी0डी0-4 मै0 यूनिटेक इंजीनियर्स पताः 1. प्रथम तल, कुलदीप कॉम्पलेक्स, चौधरी भवन, नैनीताल रोड, हल्द्वानी, जिला नैनीताल, उत्तराखंड-263139

सी0डी0-5 अरविंद कुमार पुत्र श्री राम चरन लाल पताः मोहल्ला राम भवन, वार्ड नं0 3, निकट भगत सिंह चौक, खुशीपुर, बाजपुर, जिला ऊधम सिंह नगर, उत्तराखंड-262401

पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली न्यायाधिकरण, देहरादून द्वारा पारित ओ.ए. नं. **519/2024** में जारी वसूली प्रमाण पत्र के मद्देनजर देय राशि।

Sr. No.	CD Name	Amount	Liability
1.	सी0डी0-1 मै0 यूनिटेक एसोसिएट्स प्रोपराइटर रतिश चन्द्र पताः शांति मेंशन, बैंक कॉलोनी, विकास नगर, फेज-2, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पीछे डीएची शाखा बिटोरिया नं0 1, कुसुमखेड़ा, हल्द्वानी, जिला नैनीताल, उत्तराखंड-263139	रू0 2,68,59,694/-	Jointly & Severally
2.	सी0डी0-2 रतिश चन्द्र पुत्र श्री गिरीश बाबू चन्द्र, पताः शांति मेंशन, बैंक कॉलोनी, विकास नगर, फेज-2, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पीछे डीएची शाखा बिटोरिया नं0 1, कुसुमखेड़ा, हल्द्वानी, जिला नैनीताल, उत्तराखंड-263139	रू0 2,68,59,694/-	Jointly & Severally
3.	सी0डी0-3 श्रीमती तृप्ती भारद्वाज पुत्री श्री कैलाश चन्द्र पताः शांति मेंशन, बैंक कॉलोनी, विकास नगर, फेज-2, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पीछे डीएची शाखा बिटोरिया नं0 1, कुसुमखेड़ा, हल्द्वानी, जिला नैनीताल, उत्तराखंड-263139	रू0 2,05,10,444/-	Limited
4.	सी0डी0-4 मै0 यूनिटेक इंजीनियर्स पताः 1. प्रथम तल, कुलदीप कॉम्पलेक्स, चौधरी भवन, नैनीताल रोड, हल्द्वानी, जिला नैनीताल, उत्तराखंड-263139	रू0 2,05,10,444/-	Limited
5.	सी0डी0-5 अरविंद कुमार पुत्र श्री राम चरन लाल पताः मोहल्ला राम भवन, वार्ड नं0 3, निकट भगत सिंह चौक, खुशीपुर, बाजपुर, जिला ऊधम सिंह नगर, उत्तराखंड-262401	रू0 2,05,10,444/-	Limited

मुकदमे के दौरान और भविष्य में देय ब्याज सहित दिनांक **30.05.2024** से वसूली तक **11%** वार्षिक साधारण ब्याज की दर से साथ एवं **रू. 1,50,005** का लागत व्यय।

जबकि, न्यायाधिकरण की संतुष्टि के लिए यह दर्शाया गया है कि आपको सामान्य तरीके से सेवा प्रदान करना संभव नहीं है। इसलिए, यह नोटिस इस प्रकाशन के माध्यम से दिया जाता है, जिसमें आपको उपरोक्त राशि का भुगतान इस नोटिस के प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर करने का निर्देश दिया गया है। ऐसा न करने पर, वसूली, ऋण वसूली एवं दिवालियापन अधिनियम, 1993 और उसके अंतर्गत नियमों के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।

आपको एतद्द्वारा आदेश दिया जाता है कि आगे की कार्यवाही के लिए दिनांक **07.07.2026** को पूर्वाह्न 10:30 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित हों।

उपरोक्त राशि के अतिरिक्त, आप निम्नलिखित भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होंगे-

(ए) प्रमाण-पत्र/निष्पादन कार्यवाही के इस नोटिस के तुरंत बाद शुरू होने वाली अवधि के लिए देय ऐसे ब्याज।

(बी) इस नोटिस और वारंट और अन्य प्रक्रियाओं की सेवा के संबंध तथा देय राशि की वसूली के लिए की गयी अन्य सभी कार्यवाहीओं के सम्बन्ध में किए गए सभी लागत, शुल्क और व्यय।

वसूली अधिकारी

ऋण वसूली न्यायाधिकरण, देहरादून

फॉर्म सं. 14

[विनियम 33(2) देखें]

वसूली अधिकारी - I/II का कार्यालय

ऋण वसूली न्यायाधिकरण दिल्ली (डीआरटी 3)

4थी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001

मांग सूचना

ऋण वसूली और दिवाला अधिनियम, 1993 की धारा 25 से 28 और आयकर अधिनियम, 1961 की दूसरी अनुसूची के नियम 2 के तहत सूचना

आरसीः 12/2026 15.05.2026

नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

बनाम

वेस्ट हरियाणा हाईवे प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य

सेवा में,

वेस्ट हरियाणा हाईवे प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य

साही हॉस्पिटल रोड, जंगपुरा भोगल, नई दिल्ली - 110014

अन्य पताः 153, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, फेज-III, नई दिल्ली - 110020

अन्य पताःबी-24, सेक्टर-3, नोएडा, उत्तर प्रदेश - 201301

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली न्यायाधिकरण दिल्ली (डीआरटी 3) द्वारा टीए/472/2022 में पारित आदेशों के अनुसरण में जारी वसूली प्रमाणपत्र के अनुसार ₹ 6,92,15,55,489.69 (छह अरब बानवे करोड़ पंद्रह लाख पचपन हजार चार सौ नवासी रुपये और उनहत्तर पैसे मात्र) की राशि, साथ ही वादकालीन और भविष्य का ब्याज @ 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से दिनांक 22/02/2019 से वसूली होने तक, और ₹1,50,000 (एक लाख पचास हजार रुपये मात्र) का लागत आपके विरुद्ध (संयुक्त और व्यक्तिगत रूप से/पूर्ण/सीमित) देय हो गया है।

2. एतद्द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि आप इस सूचना की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर उपरोक्त राशि का भुगतान करें, विफल रहने पर वसूली 'बैंकों और वित्तीय संस्थानों को देय ऋण की वसूली अधिनियम, 1993' और उसके नियमों के अनुसार की जाएगी।

3. एतद्द्वारा आपको आदेश दिया जाता है कि सुनवाई की अगली तारीख को या उससे पहले एक शपथ पत्र पर अपनी संपत्तियों का विवरण घोषित करें।

4. एतद्द्वारा आपको आगे की कार्यवाही के लिए 18/06/2026 को सुबह 10:30 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया जाता है।

5. उपरोक्त राशि के अतिरिक्त, आप निम्नलिखित भुगतान के लिए भी उत्तरदायी होंगेः

(क) प्रमाणपत्र/निष्पादन कार्यवाही के इस सूचना के तुरंत बाद की अवधि के लिए देय ब्याज।

(ख) इस सूचना, वारंट और अन्य प्रक्रियाओं की तामील के संबंध में और देय राशि की वसूली के लिए की गई अन्य सभी कार्यवाहियों में खर्च की गई समस्त लागत, शुल्क और व्यय।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायाधिकरण की मुहर के तहत जारी किया गया। **हस्ता./-, वसूली अधिकारी**

दिनांकः 15.05.2026 **ऋण वसूली न्यायाधिकरण दिल्ली (डीआरटी 3)**

वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

VASTU HOUSING FINANCE

यूनिट 203 और 204, दूसरी मंजिल, 'ए' विंग, नवभारत एस्टेट, जकारिया बंदर रोड, सेवरी (पश्चिम), मुंबई 400015. महाराष्ट्र.

सीआईएन नंबरः U65922MH2005PLC272501

कब्जा सूचना

जबकि, अधोहस्ताक्षरी, वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी होने के नाते, प्रतिभूतिकरण और वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 की धारा 13 (12) के तहत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर संबंधित नोटिस में उल्लिखित राशि का भुगतान करने के लिए एक मांग नोटिस जारी किया है। उधारकर्ताओं द्वारा राशि का भुगतान करने में विफल रहने पर, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के साथ नियम 9 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे उल्लिखित तिथि को नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। ऋणकर्ता द्वारा राशि का भुगतान न कर पाने के कारण, उक्त अधिनियम की धारा 13(4) और उसके नियम 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधोहस्ताक्षरी ने नीचे वर्णित संपत्ति पर दिनांक से कब्जा कर लिया है। ऋणकर्ता और गारंटर को विशेष रूप से तथा आम जनता को यह चेतावनी दी जाती है कि वे संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन न करें और संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार का लेन-देन वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड शाखा द्वारा नीचे उल्लिखित राशि और उस पर ब्याज, लागत आदि के प्रभार के अधीन होगा।

क्र. सं.	उधारकर्ता, सह-उधारकर्ता के नाम और लैन संख्या	मांग सूचना की तिथि और राशि	संपत्ति का विवरण	कब्जे की तिथि और प्रकार
1	अर्जुन (ऋणकर्ता), उर्वशी (सह-ऋणकर्ता), चंद्रावती (सह-ऋणकर्ता), दुष्यंत कुमार (सह-ऋणकर्ता), सोनू कुमार (गारंटर) MLP000000256804	16/मार्च/26 रु.725670/- दिनांक 14/मार्च/26	आवासीय संपत्ति, जिसका माप इस प्रकार है: पूर्व-52 फीट, पश्चिम-52 फीट, उत्तर-50 फीट, दक्षिण-50 फीट कुल क्षेत्रफल 241.54 वर्ग मीटर। खसरा संख्या 308केएच, जो खजपुर, तहसील मांट, जिला मथुरा-281204 में स्थित है। इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: उत्तर - मंगाराम का मकान दक्षिण - 12 फीट चौड़ा रास्ता पूर्व - ओमप्रकाश का मकान पश्चिम - सीताराम मंदिर की जमीन।	28/05/2026 को प्रतीकात्मक कब्जा लिया गया
2	वकील (उधारकर्ता), नगमा मलिक (सह-उधारकर्ता) MLP000000235321	16/मार्च/26 रु 384837/- दिनांक 14/मार्च/26	शाहीन बाग, आशियाना सिटी, खसरा नंबर 427, ग्राम लोनी, गाजियाबाद, लोनी, उत्तर प्रदेश - 201102 संपत्ति का क्षेत्रफलः 25 वर्ग गज। सीमाएं इस प्रकार हैं: उत्तर - 15 फीट चौड़ा रास्ता दक्षिण - अन्य संपत्ति स्वामी पूर्व - अन्य संपत्ति स्वामी पश्चिम - अन्य संपत्ति स्वामी।	27/05/2026 को प्रतीकात्मक कब्जा लिया गया
3	ओमवती (उधारकर्ता), मनोज तिवारी (सह-उधारकर्ता), बलराम (गारंटर) MLP000000235300	16/मार्च/26 रु.670637/- दिनांक 14/मार्च/26	खसरा संख्या 320, मौजा मझोई बांगर, तहसील छाता, मथुरा, उत्तर प्रदेश - 281401 का एक भाग, जिसका क्षेत्रफल 85.84 वर्ग फुट है और जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: उत्तर - रामा का प्लॉट दक्षिण - 40 फुट चौड़ी सड़क पूर्व - रघुवर का प्लॉट पश्चिम - मान सिंह का प्लॉट।	28/05/ 2026 को प्रतीकात्मक कब्जा लिया गया

दिनांक : 02.062026 **अधिकृत अधिकारी**

स्थानः मथुरा, लोनी **वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड**

हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

HINDUJA HOUSING FINANCE

कॉर्पोरेट कार्यालयः नं. 167-169, द्वितीय तल, अन्ना सलाई, सैदापेट, चेन्नई-600015

शाखा कार्यालय : एफ-8, प्रथम तल, महालक्ष्मी मेट्रो टॉवर, सेक्टर-4, वैशाली, गाजियाबाद-201019 ई-मेल : auction@hindujahousingfinance.com

एआरएमः शशि मिश्रा - 9718025302, आरआरएम अमित कौशिक 9587088333, आरएलएमः आकाश मेदिरत्ता - 9625339424, एएलएम अरुण मोहन शर्मा 8800898999, जेडआरएमः राकेश गुप्ता - 9873925255

परिशिष्ट- IV-ए [नियम 8 (6) के प्रावधान का संदर्भ लें] अचल संपत्ति की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (जिसे आगे 'नियम' कहा जाएगा) के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जाएगा) के अंतर्गत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना।

आम जनता और विशेष रूप से कर्जदार(रों) और गारंटर(रों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जिसका कब्जा हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (प्रतिभूत लेनदार) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, जिसका कॉर्पोरेट कार्यालय 167-169, द्वितीय तल, लिटिल माउंट, सैदापेट, चेन्नई - 600015 में और एक शाखा कार्यालय : एफ-8, प्रथम तल, महालक्ष्मी मेट्रो टॉवर, सेक्टर-4, वैशाली, गाजियाबाद-201019 में है, कर्जदारों और गारंटरों से प्रतिभूत लेनदार को देय राशि की वसूली के लिए नीचे उल्लिखित तिथियों पर 'जैसा है जहाँ है', 'जो है यही है' और 'जो कुछ भी है वहीं है' के आधार पर बेचा जाएगा। बिक्री वेबसाइटः www.bankeauctions.com पर उपलब्ध ई-नीलामी मंच के माध्यम से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा की जाएगी।

संपत्ति के निरीक्षण की तिथि	:	22.06.2026, 14:00 बजे - 17:00 बजे
ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	:	23.06.2026, 17:00 बजे तक
ई-नीलामी की तिथि/समय	:	24.06.2026, 11:00 बजे - 13:00 बजे

क्र. सं.	ऋण खाता संख्या तथा कर्जदार(रों)/ सह-कर्जदार(रों)/गारंटर(रों) के नाम	धारा 13(2) के तहत मांग सूचना की तिथि तथा राशि / तिथि तक बकाया...	कब्जे की तिथि तथा प्रकार	आरक्षित मूल्य / ईएमडी / बोली वृद्धि राशि
1.	ऋण खाता संख्या DL/UTM/UTTM/A000001209 श्री हन्नान, श्रीमती नरगिस, मकान नंबर - 202, सीलमपुर, पीली बिल्डिंग स्कूल, दिल्ली - 110053	11-08-2025 तथा रु. 1967593/- / रु. 2114028/-तिथि 29.05.2026	23-02-2026 भौतिक कब्जा	रु. 1844000/- / रु. 184400/- / रु. 10000/-
	अचल संपत्ति का विवरणः एक आवासीय फ़्लैट, संख्या 102, पहली मंज़िल, पीछे की ओर (आरएचएस), जिसका क्षेत्रफल 82 वर्ग गज है; यह एक आवासीय प्लॉट संख्या 43, ब्लॉक-इ पर निर्मित है, जो कुल 355 वर्ग गज (अर्थात 296.94 वर्ग मीटर) क्षेत्रफल वाले भूखंड का हिस्सा है। खसरा संख्या 398/3, 409, वेद विहार एस.एल.एफ., जो ग्राम सदुल्लाबाद, परगना एवं तहसील लोनी, ज़िला गाज़ियाबाद में स्थित है।			
2	ऋण खाता संख्या DL/GRN/ALPH/A000000227 श्री मोहम्मद इमरान अंसारी, श्रीमती आयशा सैफी, मकान नंबर 5/381, खसरा नंबर 722 एमआई, गली नंबर 5, गांव बिसोखर, मोहल्ला श्याम सिंह विहार, संतपुरा परगना जलालाबाद तहसील मोदी नगर, बाल विद्यालय स्कूल के पास, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, 201201, हरमुख पुरी मोदीनगर परगना जलालाबाद गाजियाबाद, , मेट्रो , मोदीनगर , उत्तर प्रदेश , भारत - 201204	14-05-2025 तथा रु. 1882419/- / रु. 2012719/-तिथि 14.05.2026	09-09-2025 भौतिक कब्जा	रु. 3980000/- / रु. 398000/- / रु. 10000/-

अचल संपत्ति का विवरणः मकान नंबर 5/381, खसरा नंबर 722 मिन, गली नंबर 5, गांव बिसोखर, मोहल्ला श्याम सिंह विहार, संतपुरा परगना जलालाबाद तहसील मोदी नगर, बाल विद्यालय स्कूल के पास, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, 201201, हरमुख पुरी मोदीनगर प्रागना जलालाबाद जीजेडबी, मेट्रो, मोदीनगर, उत्तर प्रदेश, भारत - 201204

भुगतान का तरीकाः- भुगतान हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पक्ष में गाजियाबाद में देय डिमांड ड्राफ्ट द्वारा किया जाएगा।

ऑनलाइन ई-नीलामी बिक्री के नियम और शर्तें: - 1. संपत्ति 'जैसा है जहाँ है', 'जो है यही है', 'जो कुछ भी है वहीं है' और 'आश्रय रहित' आधार पर बेची जा रही है। इस प्रकार बिक्री किसी भी प्रकार की वारंटी और क्षतिपूर्ति के बिना है। 2. संपत्ति/परिसंपत्तियों का विवरण (जैसे ई-नीलामी बिक्री नोटिस में निर्दिष्ट सीमा और माप) प्रतिभूत ऋणदाता की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार बताया गया है और प्रतिभूत ऋणदाता किसी भी त्रुटि, गलत बयानी या चूक के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। वास्तविक विस्तार और आयाम भिन्न हो सकते हैं। 3. प्रतिभूत ऋणदाता द्वारा जारी ई-नीलामी बिक्री नोटिस आम जनता को अपनी बोलियाँ प्रस्तुत करने के लिए एक आमंत्रण है और यह प्रतिभूत ऋणदाता की ओर से किसी भी प्रतिबद्धता या किसी भी प्रतिनिधित्व का गठन नहीं करता है और न ही माना जाएगा। इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे प्रतिभूत ऋणदाता के साथ स्वामित्व विलेखों का अवलोकन करें और बोलियाँ प्रस्तुत करने से पहले संपत्ति/परिसंपत्तियों के स्वामित्व और वर्तमान स्थिति तथा संपत्ति को प्रभावित करने वाले दावों/बकायों के बारे में स्वयं स्वतंत्र पूछताछ/ड्यू डिलिजेंस करें। 4. नीलामी/बोली केवल auction@hindujahousingfinance.com और https://www.bankeauctions.com वेबसाइट के माध्यम से 'ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मोड' के माध्यम से होगी या सेवा प्रदाता मैसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रदान की गई नीलामी होगी, जो ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से नीलामी की पूरी प्रक्रिया की व्यवस्था और समन्वय करेगी। 5. बोलीदाता अपनी पसंद के स्थान से बोली लगाने के लिए ई-नीलामी में भाग ले सकते हैं। बोलीदाता को स्वयं इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित करनी होगी। प्रतिभूत ऋणदाता/सेवा प्रदाता इंटरनेट कनेक्टिविटी, नेटवर्क समस्याओं, स्वयं के सिस्टम क्रैश, बिजली की विफलता आदि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। 6. ई-नीलामी पर विस्तृत जानकारी, सहायता, प्रक्रिया और ऑनलाइन बोली के लिए संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाता सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पताः सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, तीसरी मंजिल, प्लॉट संख्या 68 सेक्टर-44, गुड़गांव, हरियाणा-122003, (संपर्क व्यक्तिः मिथलेश कुमार, फोन नंबर 7080804466, ईमेलः delhi@c1india.com, सहायता मोबाइल नंबरः- 7291981124/1125/1126) से संपर्क कर सकते हैं। 7. ई-नीलामी बिक्री में भाग लेने के लिए इच्छुक बोलीदाताओं को अपना नाम https://www.bankeauctions.com/ तथा auction@hindujahousingfinance.com पर पहले से ही पंजीकृत करवाना चाहिए और यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करना चाहिए। इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे सेवा प्रदाता से पासवर्ड प्राप्त करने के तुरंत बाद ही अपना पासवर्ड बदलें। 8. ई-नीलामी में भाग लेने के लिए, इच्छुक बोलीदाताओं को प्रतिदेय जमा धरोहर राशि (ईएमडी) अर्थात आरक्षित मूल्य का 10% (जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है) जमा करनी होगी जो इच्छुक बोलीदाताओं द्वारा 'हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड' के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से देय होगा। 9. इच्छुक बोलीदाताओं को विधिवत भरा हुआ बोली फॉर्म (प्रारूप https://www.bankeauctions.com/ तथा auction@hindujahousingfinance.com पर उपलब्ध है) ईएमडी के रूप में डिमांड ड्राफ्ट प्रेषण के साथ एक सीलबंद लिफाफे में हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी को संबोधित करके कार्यालय कार्यालय 311 और 312 तीसरी मंजिल आईटीएल नॉर्थेक्स ए9, एनएसपी दिल्ली 110034 में जमा करना चाहिए। 10. सीलबंद लिफाफे पर 'ई-नीलामी बिक्री में भाग लेने के लिए बोली - संपत्ति के लिए ऋण खाता संख्या (जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है) में' लिखा होना चाहिए। 11. ईएमडी के साथ बोलियां जमा करने की अंतिम तिथि की समाप्ति के बाद, प्राधिकृत अधिकारी उनके द्वारा प्राप्त बोलियों की जांच करेगा और योग्य बोलीदाताओं (जिन्होंने आरक्षित मूल्य से अधिक अपनी बोलियां उद्धृत की हैं और प्रतिभूत लेनदार के साथ निर्दिष्ट ईएमडी का भुगतान किया है) के विवरण की पुष्टि सेवा प्रदाता मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से करेगा ताकि वे केवल उन बोलीदाताओं को ई-नीलामी बिक्री नोटिस में उल्लिखित तिथि और समय पर ऑनलाइन इंटर-से बोली / नीलामी कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति दे सकें। 12. योग्य बोलीदाताओं के बीच परस्पर बोली, योग्य बोलीदाताओं द्वारा लगाई गई उच्चतम बोली से शुरू होगी। परस्पर बोली प्रक्रिया के दौरान, प्रत्येक बोली में 10 मिनट का असीमित विस्तार होगा, अर्थात यदि बोली अंतिम विस्तार से 10 मिनट के भीतर लगाई जाती है, तो ई-नीलामी का अंतिम समय प्रत्येक बार 10 मिनट के लिए स्वचालित रूप से बढ़ जाएगा। 13. एक बार लगाई गई बोलियों को रद्द या वापस नहीं लिया जाएगा। बोलीदाता को दी गई यूजर आईडी से लगाई गई सभी बोलियां उसके द्वारा ही लगाई गई मानी जाएंगी। 14. ई-नीलामी की कार्यवाही बंद होने के तुरंत बाद, उच्चतम बोलीदाता को ई-नीलामी बिक्री कार्यवाही में सफल बोलीदाता घोषित होने के लिए अपने मेल आईडी auction@hindujahousingfinance.com पर प्राधिकृत अधिकारी और सेवा प्रदाता दोनों को ई-मेल द्वारा अपने द्वारा उद्धृत बोली की अंतिम राशि की पुष्टि करनी होगी। 15. सफल बोलीदाता को बिक्री का संचालन करने वाले प्राधिकृत अधिकारी के पास तत्काल अर्थात उसी दिन या अगले कार्य दिवस से पहले, जैसा भी मामला हो, बिक्री मूल्य की राशि का पच्चीस प्रतिशत जमा करना होगा, जिसमें जमा की गई धरोहर राशि, यदि कोई हो, शामिल है। खरीद मूल्य की शेष राशि अचल संपत्ति की बिक्री की पुष्टि के पंद्रहवें दिन या उससे पहले देय होगी। 16. यदि सफल बोलीदाता/नीलामी क्रेता द्वारा निर्धारित समय के भीतर उपरोक्त निर्धारित राशि का भुगतान करने में चूक होती है, तो बिक्री रद्द कर दी जाएगी और पहले से भुगतान की गई राशि (ईएमडी सहित) जब्त कर ली जाएगी और संपत्ति को फिर से बिक्री के लिए रखा जाएगा। 17. सफल बोलीदाता के अनुरोध पर, प्राधिकृत अधिकारी अपने पूर्ण विवेक से बोली राशि के शेष को जमा करने के लिए लिखित रूप में अतिरिक्त समय दे सकता है। 18. सफल बोलीदाता लागू टीडीएस (बिक्री आय में से) का भुगतान करेगा और प्राधिकृत अधिकारी को टीडीएस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। 19. नगरपालिका/पंचायत कर, बिजली बकाया (यदि कोई हो) और किसी भी अन्य प्राधिकरण बकाया (यदि कोई हो) का भुगतान सफल बोलीदाता को बिक्री प्रमाण पत्र जारी करने से पहले करना होगा। संपत्ति से संबंधित सभी वैधानिक बकाया को ध्यान में रखते हुए बोलियाँ लगाई जाएँगी। 20. सफल बोलीदाता के पक्ष में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बिक्री प्रमाणपत्र तभी जारी किया जाएगा जब संपूर्ण खरीद मूल्य/बोली राशि जमा कर दी जाएगी तथा सभी करों/प्रभारों के भुगतान के संबंध में आवश्यक प्रमाण प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। 21. परिवहन, स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क और अन्य आकस्मिक शुल्क के लिए लागू कानूनी शुल्क नीलामी क्रेता द्वारा वहन किए जाएंगे। 22. प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताए ई-नीलामी बिक्री की कार्यवाही को स्थगित/रद्द कर सकता है। यदि निर्धारित ई-नीलामी बिक्री बिक्री की निर्धारित तिथि से 15 दिन पहले किसी बाद की तिथि के लिए स्थगित की जाती है, तो इसे सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। 23. प्राधिकृत अधिकारी का निर्णय अंतिम, बाध्यकारी और निर्विवाद है। 24. बोली प्रस्तुत करने वाले सभी बोलीदाताओं को ई-नीलामी बिक्री के नियमों और शर्तों को पढ़ने और समझने के लिए बाध्य माना जाएगा। 25. अधिक जानकारी और पूछताछ के लिए, कृपया प्राधिकृत अधिकारी, **श्री अंकित गर्ग, मोबाइल नंबरः 9654060881 से हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, एफ -8, प्रथम तल, महालक्ष्मी मेट्रो टॉवर, सेक्टर -4, वैशाली, गाजियाबाद के शाखा कार्यालय में** - 201019 पर संपर्क करें। 26. यह प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के अनुसार उपर्युक्त ऋण खाते के कर्जदार/बंधककर्ता/गारंटर को उपर्युक्त तिथि/स्थान पर नीलामी बिक्री आयोजित करने के बारे में 15 (पन्द्रह) दिनों का नोटिस भी है।

दिनांकः 01.05.2026, स्थान : गाजियाबाद **हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी, हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**

विशेष निर्देश/चेतावनीः बोलीदाताओं को अपने हित में अंतिम मिनटों/सेकंड में बोली लगाने से बचना चाहिए। ऐसे मामलों में बोलीदाता की ओर से किसी भी चूक/विफलता (इंटरनेट विफलता, बिजली विफलता, आदि) के लिए न तो हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड और न ही सेवा प्रदाता जिम्मेदार होगा। ऐसी आकस्मिक स्थिति से बचने के लिए, बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे सभी आवश्यक व्यवस्था/विकल्प जैसे बैक-अप बिजली आपूर्ति और जो भी आवश्यक हो, कर लें ताकि वे ऐसी स्थिति से बच सकें और नीलामी में सफलतापूर्वक भाग ले सकें।

पसुपति फिनकैप लिमिटेड

सीआईएनः L22207DL1996PLC461661

पंजीकृत कार्यालयः दुकान संख्या 37, शंकर मार्केट, कनॉट प्लेस, सेंट्रल दिल्ली, जनपथ, नई दिल्ली, दिल्ली-110001

कॉर्पोरेट कार्यालयः तीसरी मंजिल, 56/33, साइट-IV, औद्योगिक क्षेत्र, साहिबाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201010

31 मार्च, 2026 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए लेखापरीक्षित स्वतंत्र वित्तीय परिणामों के विवरण का सारांश (रु. लाखों में,)

क्र. सं.	विवरण	स्वतंत्र: समाप्त तिमाही 31 मार्च 2026	स्वतंत्र: समाप्त तिमाही 31 मार्च 2025	स्वतंत्र: समाप्त वर्ष 31 मार्च 2026	स्वतंत्र: समाप्त वर्ष 31 मार्च 2025
1	परिचालन से कुल आय	1.59	-	10.54	0.08
2	कर पूर्व शुद्ध लाभ (अपवाद मद से पहले)	-7.33	-3.61	-29.54	-35.19
3	कर पूर्व शुद्ध लाभ (अपवाद मद के बाद)	-7.33	-3.61	-29.54	-35.19
4	कर पश्चात शुद्ध लाभ (अपवाद मद के बाद)	-7.33	-3.61	-29.54	-35.19
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (लाभ/हानि सहित अन्य व्यापक आय (कर पश्चात)) इक्विटी शेयर पूंजी	-7.33	-3.61	-29.54	-35.19
6	(प्रत्येक का अंकित मूल्य 10/- रुपये)	470	470	470	470
7	आरक्षित निधि (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि को छोड़कर)	-	-	-559.17	-529.62
8	प्रति शेयर आय				
	मूल	-0.16	-0.08	-0.63	-0.75
	तनुकृत	-0.16	-0.08	-0.63	-0.75

टिप्पणियाँ:

1. उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीकरण और अन्य प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दाखिल किए गए त्रैमासिक/वार्षिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक अंश है। त्रैमासिक/वार्षिक वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज(ओं) और सूचीबद्ध इकाई की वेबसाइटों पर उपलब्ध है।
2. पिछली अवधियों के आंकड़े जहां भी आवश्यक समझा गया, वहां पुनर्समूहीकृत/पुनर्व्यवस्थित/पुनर्वर्गीकृत किया गया।

कृते पसुपति फिनकैप लिमिटेड

हस्ता /-

अनिल मलिक

पूर्णकालिक निदेशक

स्थानः नई दिल्ली

दिनांकः 30.05.2026 डीआईएनः 10948189

ऊनो मिंडा लिमिटेड

UNO MINDA "DRIVING THE NEW"

सीआईएनः L74899DL1992PLC050333

पंजीकृत कार्यालयः बी-64/1, वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली-110052

कार्पोरेशन कार्यालयः ग्राम नवादा, फतेहपुर, पी.ओ. सिकंदरपुर बड्डा, आईएमटी मानेसर के पास, गुड़गांव (हरियाणा) -122004

दूरभाषः +91 98102 38396

ईमेलः investor@unominda.com वेबसाइटः www.unominda.com

सूचना

ऊनो मिंडा लिमिटेड (कंपनी) के शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा लेखापरीक्षा, हस्तांतरण एवं वापसी) नियम, 2016 (''नियम''), जैसा कि संशोधित किया गया है, के प्रावधानों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2018-19 का अंतिम लाभांश, जो 10 सितंबर, 2026 तक सात वर्षों से अप्राप्त है, निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में जमा किया जाएगा। वे संबंधित शेयर जिन पर लाभांश लगातार सात वर्षों से अप्राप्त हैं, उन्हें भी नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार हस्तांतरित किया जाएगा। नियमों के अनुपालन में, उन सभी संबंधित शेयरधारकों को व्यक्तिगत नोटिस भेजे जा रहे हैं जिनके शेयर उपरोक्त नियमों के अनुसार आईईपीएफ को हस्तांतरित किए जाने योग्य हैं, ऐसे शेयरधारकों का पूरा विवरण कंपनी की वेबसाइट **www.unominda.com** पर उपलब्ध कराया गया है।

इस संबंध में, कृपया निम्नलिखित तथ्य पर ध्यान दें:

1) यदि आपके पास भौतिक रूप में शेयर हैं: डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा और आईईपीएफ को स्थानांतरित कर दिया जाएगा। आपके नाम (नामों) पर पंजीकृत और आपके द्वारा धारित मूल शेयर प्रमाणपत्र स्वतः रद्द हो जाएंगे।

2) यदि आप इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखते हैं: आईईपीएफ में स्थानांतरण के लिए उत्तरदायी शेयरों के लिए आपका डीमैट खाता डेबिट किया जाएगा।

दिनांक 10 सितंबर, 2026 को या उससे पहले वैध दावा प्राप्त नहीं होने की स्थिति में, कंपनी बिना किसी नोटिस के आईईपीएफ प्राधिकरण के पक्ष में देय लाभांश और इक्विटी शेयरों को स्थानांतरित करने के लिए आगे बढ़ेगी। कृपया ध्यान दें कि कथित नियमों के अनुसार आईईपीएफ को स्थानांतरित किए गए शेयरों और अदावाकृत लाभांश राशि के संबंध में कंपनी के खिलाफ कोई दावा नहीं किया जा सकेगा। यह ध्यान दिया जा सकता है कि संबंधित शेयरधारक आईईपीएफ प्राधिकरण से शेयरों और लाभांश का दावा निर्धारित फॉर्म आईईपीएफ-5 में ऑनलाइन आवेदन करके और फॉर्म आईईपीएफ-5 में उल्लिखित अपेक्षित दस्तावेजों की भौतिक प्रति कंपनी के नोडल अधिकारी को भेजकर कर सकते हैं। ।

इस मामले में किसी भी स्पष्टीकरण के लिए, कृपया अधोहस्ताक्षरी से संपर्क करें। इस संबंध में अनुरोध ईमेल द्वारा investor@unominda.com पर या हार्ड कॉपी द्वारा कूरियर या डाक द्वारा ऊपर उल्लिखित कंपनी कार्यालय के पते पर भेजा जा सकता है।

कृते ऊनो मिंडा लिमिटेड

हस्ता./-

स्थानः गुरुग्राम (हरियाणा) **(तरुण कुमार श्रीवास्तव)**

दिनांकः 01 जून, 2026 **कंपनी सचिव और अधिकारी अधिकारी**

कब्जा सूचना

जबकि, IIFL-HFL ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) अधिनियम, 2002 (2002 का 54) ("उक्त अधिनियम") के प्रावधानों के अंतर्गत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 ("उक्त नियमावली") के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक मांग सूचना जारी की थी, जिसमें ऋणधारक/सह-ऋणधारक, गारंटरों, बंधककर्ताओं से राशि चुकाने का आह्वान किया गया था, जिसका विवरण नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित है।

तथा जबकि इसके पश्चात, IIFL-HFL ने तिथि 30/11/2025 के समनुदेशन समझौते (असाइनमेंट एग्रीमेंट) के माध्यम से ऋणधारक/गारंटर(रों)/बंधककर्ता(ओं) द्वारा देय और भुगतान योग्य ऋणों के संबंध में अपने सभी अधिकार, हक, हित तथा लाभ, जो IIFL-HFL, बैंक द्वारा ऋणधारक/गारंटर(रों) को दी गई सुविधाओं से उत्पन्न हुए हैं, अंतर्निहित अचल संपत्ति के साथ, सिक्योरिटी रिसीप्ट्स (प्रतिभूति रसीदों) के धारकों के लाभ के लिए 'Arcil' (ırcil - Trust.2026-015) के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्य कर रहे एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड ("Arcil") को समनुदेशित (असाइन) कर दिए हैं। इसलिए, उक्त समनुदेशन को ध्यान में रखते हुए, अब Arcil को IIFL-HFL के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है तथा Arcil ऋणधारक/गारंटर(रों)/बंधककर्ता(ओं) के विरुद्ध सभी और किसी भी कार्यवाही को शुरू करने/जारी रखने तथा वित्तीय दस्तावेजों के अंतर्गत अधिकारों और लाभों को प्रवर्तित करने के लिए पात्र होगी, जिसमें उनके द्वारा प्राप्त की गई वित्तीय सुविधाओं के लिए ऋणधारक/गारंटर(रों)/बंधककर्ता(ओं) द्वारा निष्पादित और सृजित गारंटी तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन भी शामिल है।

ऋणधारक/गारंटर(रों)/बंधककर्ता(ओं) द्वारा उक्त राशियों को चुकाने में विफल रहने पर, एतद्द्वारा ऋणधारक/गारंटर(रों)/बंधककर्ता(ओं) को विशेष रूप से तथा आम जनता को सामान्य रूप से सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने ıतबपस के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, नीचे उल्लिखित तिथि को "जैसा है जहाँ है और जो कुछ भी है के आधार पर" उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे वर्णित अंतर्निहित अचल संपत्ति का कब्जा ले लिया है।

ऋणधारक(कों)/ सह-ऋणधारक (कों) के नाम	प्रतिभूत परिसंपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण	कुल बकाया देयराशि (रु.)	मांग सूचना की तिथि	कब्जा की तिथि
श्री विजय कुमार त्रिपाठी, मैसर्स स्वास्तिक प्रॉपर्टीज एंड डेवलपर्स, श्रीमती अनुराधा पांडे (प्रॉस्पेक्ट नं. 982207, 989337, 984139, 990404, 985847, 989141, 980672, 981021, 985846, 989145)	संपत्ति संख्या प्लॉट नं.-2 का वह पूरा हिस्सा और भाग, जो खसरा सं. 37/2, 38 में से, क्षेत्रफल 103.55 वर्ग गज, जो ग्राम नवादा की राजस्व संपदा में स्थित है, गली सं. 34-ए, कॉलोनी जिसे विपिन गार्डन एक्स., उत्तम नगर, नई दिल्ली, 110059 के नाम से जाना जाता है, जिसका क्षेत्रफल का माप (वर्ग फुट में) : संपत्ति का प्रकार : भूमि क्षेत्रफल, संपत्ति का क्षेत्रफल : 932	982207 की राशि रु. 856083.61/- (रुपये आठ लाख छप्पन हजार तिरासी और इकसठ पैसे मात्र) तथा 989337 की राशि रु. 87872.94/- (रुपये सत्तासी हजार आठ सौ बहत्तर और चौरानवे पैसे मात्र) तथा 984139 की राशि रु. 800482.19/- (रुपये आठ लाख चार सौ बयासी और उन्नीस पैसे मात्र) तथा 990404 की राशि रु. 94992.32/- (रुपये चौरानबे हजार नौ सौ बानवे और बत्तीस पैसे मात्र) तथा 985847 की राशि रु. 78339.64/- (रुपये अट्ठहत्तर हजार तीन सौ उनतालीस और चौंसठ पैसे मात्र) तथा 989141 की राशि रु. 15981924.22/- (रुपये एक करोड़ उनसठ लाख इक्यासी हजार नौ सौ चौबीस और बाईस पैसे मात्र) तथा 980672 की राशि रु. 77022.47/- (रुपये सतहत्तर हजार बाईस और सैंतालीस पैसे मात्र) तथा 981021 की राशि रु. 59314.98/- (रुपये उनसठ हजार तीन सौ चौदह और अट्ठानवे पैसे मात्र) तथा 985846 की राशि रु. 79381.56/- (रुपये उन्यासी हजार तीन सौ इक्यासी और छप्पन पैसे मात्र) तथा 989145 की राशि रु. 2686599.36/- (रुपये छब्बीस लाख छियासी हजार पांच सौ निन्यानवे और छत्तीस पैसे मात्र) है।	**12/02/2026**	29/05/2026
श्री हिमांशु बब्बर, एचबीएफसी इंटीरियर्स एंड डेवलपर्स, श्रीमती अंजलि वालिया, श्री विमल बब्बर (प्रॉस्पेक्ट नं. 983168ए **IL10333726, IL10306500)**	संपूर्ण दूसरी मंजिल का वह पूरा हिस्सा और भाग, जो छत के अधिकारों के बिना, संपत्ति सं. 57 में से, क्षेत्रफल माप 102 वर्ग गज, खसरा सं. 67/23/2 में से, जो ग्राम हस्तसाल की राजस्व संपदा में, कॉलोनी जिसे ओम विहार के नाम से जाना जाता है, फेज-III, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059 में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल का माप (वर्ग फुट में) है : संपत्ति का प्रकार : निर्मित क्षेत्रफल, संपत्ति का क्षेत्रफल : 826	983168 की राशि रु. 19545906.16/- (रुपये एक करोड़ पंचानवे लाख पैंतालीस हजार नौ सौ छह और सोलह पैसे मात्र) तथा IL10333726 की राशि रु. 3917016.04/- (रुपये उनतालीस लाख सत्रह हजार सोलह और चार पैसे मात्र) तथा IL10306500 की राशि रु. 2047019.19/- (रुपये बीस लाख सैंतालीस हजार उन्नीस और उन्नीस पैसे मात्र) है।	**13/01/2026**	29/05/2026

ऋणधारक/गारंटर(रों)/बंधककर्ता(ओं) को विशेष रूप से तथा आम जनता को सामान्य रूप से एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि ıतबपस ऊपर उल्लिखित अचल संपत्ति के वैध कब्जे में है तथा सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(13) के अंतर्गत, ऋणधारक/गारंटर(रों)/बंधककर्ता(ओं) या कोई भी व्यक्ति, इस सूचना की प्राप्ति के पश्चात ıतबपस की पूर्व लिखित सहमति के बिना, उक्त अचल संपत्ति को बिक्री, पट्टे या किसी अन्य माध्यम से हस्तांतरित नहीं करेगा/उसका संव्यवहार नहीं करेगा/उसे परिवर्तित नहीं करेगा, तथा अचल संपत्ति के साथ किया गया कोई भी संव्यवहार आकस्मिक खर्चों, लागत, शुल्कों आदि के साथ उपरोक्त राशि पर संविदात्मक दर पर भविष्य के ब्याज सहित ऊपर उल्लिखित राशि के लिए ıतबपस के प्रभाराधीन होगा।

ऋणधारकों/गारंटरों/बंधककर्ताओं का ध्यान उपरोक्त अचल संपत्ति को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

स्थान : दिल्ली हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी

तिथि : 02-06-2026 एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड (ट्रस्टी के रूप में क्षमता में)

एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड, सीआईएन नं.: U65999MH2002PLC134884, **वेबसाइट** : www.arcil.co.in

पंजीकृत कार्यालय : द रूबी, 10वाँ तल, 29 सेनापति बापट मार्ग, दादर (पश्चिम), मुंबई-400028, **दूरभाष : +91 2266581300**

वालप्लास्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड

VALPLAST

सीआईएनः L45400HR2014PLC094931

पंजीकृत कार्यालयः यूनिट बीएच-1025, 10वीं मंजिल, पुरी बिजनेस हब, 81 हाई स्ट्रीट, सेक्टर 81, फरीदाबाद, हरियाणा-121004 फोन 0129-2977000

कॉर्पोरेट कार्यालयः यूनिट नंबर 1109, 11वीं मंजिल, टावर-ए, एडवेंट आईटी पार्क, प्लॉट नंबर 7, सेक्टर 142, नोएडा-201305

ईमेलः info@valplastindia.com वेबसाइटः www.valplastech.com

डाक मतपत्र की सूचना

वालप्लास्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ["कंपनी] के सदस्यों को कंपनी अधिनियम 2013 [अधिनियम, और उसके तहत बनाए गए नियमों [नियम]] भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ["एसईबीआई सूचीकरण विनियम"]] भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी आम बैठकों पर सचिवीय मानक ["एसएस-2"] और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ["एमसीए"] द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार आम बैठकों के आयोजन/डाक मतपत्र प्रक्रिया के संचालन के लिए सूचित किया जाता है कि एमसीए द्वारा जारी विभिन्न सामान्य परिपत्रों ['परिपत्र'] के माध्यम से ई-मतदान के द्वारा, जिसमें समय-समय पर लागू कोई भी वैधानिक संशोधन, परिवर्तन या पुनर्अधिनियमन शामिल है, कंपनी के सदस्यों से निम्नलिखित विशेष प्रस्ताव के लिए डाक मतपत्र द्वारा केवल दूरस्थ ई-मतदान प्रक्रिया ['दूरस्थ ई-मतदान'] के माध्यम से अनुमोदन मांगा जा रहा है:

क्रम संख्या	प्रस्ताव का विवरण	प्रस्ताव का प्रकार
1.	रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (आरएचपी) में उल्लिखित निर्गम निधि के उद्देश्य में परिवर्तन के लिए अनुमोदन	विशेष प्रस्ताव

लागू कानूनों के अनुसार, कंपनी ने डाक मतपत्र सूचना केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन सदस्यों को भेज दी है जिनके नाम सदस्य रजिस्टर/लाभार्थी मालिकों की सूची में दर्ज हैं और जिनकी ई-मेल आईडी कंपनी/बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (आरटीए)/ डिपॉजिटरी के साथ शुक्रवार, 22 मई 2026 ["कट ऑफ डेट"] तक पंजीकृत हैं। यह जानकारी कंपनी की वेबसाइट www.valplastech.com और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

एमसीए परिपत्रों के प्रावधानों के अनुसार, इस डाक मतदान के लिए सदस्यों को नोटिस की भौतिक प्रति,डाक मतपत्र प्रपत्र और पूर्व-भुगतानित व्यावसायिक उत्तर लिफाफा नहीं भेजा जाता है और सदस्य ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान कर सकते हैं।

मतदान अधिकार की गणना कट-ऑफ तिथि तक सदस्यों के नाम पर पंजीकृत शेयर के भुगतानित मूल्य के आधार पर की जाएगी। जो व्यक्ति कट-ऑफ तिथि तक सदस्य नहीं है, उसे यह नोटिस केवल सूचना के उद्देश्य से ही समझना चाहिए।

ई-वोटिंग के लिए निर्देशः

कंपनी ने आई-वोट की सेवाएं ली हैं,जिससे सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से और सुरक्षित तरीके से अपना वोट डाल सकते हैं। दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने की विस्तृत प्रक्रिया नोटिस में दी गई है।

दूरस्थ ई-वोटिंग शनिवार, 30 मई, 2026 को सुबह 9.00 बजे (भारतीय समयानुसार) से शुरू होगी और रविवार, 28 जून, 2026 को शाम 5.00 बजे (भारतीय समयानुसार) समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान, कट-ऑफ तिथि तक भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालेंगे। सदस्यों से अनुरोध है कि वे रविवार, 28 जून, 2026, शाम 5.00 बजे (भारतीय समयानुसार) तक रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से अपना समर्थन (पक्ष में) या असहमति (विरोध में) दर्ज करें। सदस्यों के मतदान अधिकार कट-ऑफ तिथि तक कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके हिस्से के अनुपात में होंगे। एक बार किसी सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर वोट डालने के बाद, सदस्य बाद में इसे बदल नहीं सकेगा।

जिन सदस्यों ने अपने ईमेल पते अपडेट नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित शेयरों के लिए अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से और भौतिक रूप में धारित शेयरों के लिए कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट www.bigshareonline.com के माध्यम से या डाक द्वारा, कार्यालय संख्या एस 6-2, छठी मंजिल, पिनेकल बिजनेस पार्क, अहुरा सेंटर के पास, महाकाली केव्स रोड, अंधेरी (पूर्व),मुंबई- 400093, भारत पर ईमेल लिखकर अपना ईमेल पता पंजीकृत कराएं। निदेशक मंडल ने डाक मतपत्र प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालित करने के लिए श्री रजत मिश्रा [एसीएस 47538] सीपी संख्या 25385,कंपनी सचिव को जांचकर्ता नियुक्त किया है।

यदि प्रस्ताव अपेक्षित बहुमत से पारित हो जाते हैं, तो उन्हें रविवार, 28 जून, 2026 को पारित मान लिया जाएगा, जो कि दूरस्थ ई-मतदान प्रक्रिया की अंतिम तिथि है। डाक मतपत्र (दूरस्थ ई-मतदान प्रक्रिया के माध्यम से) द्वारा मतदान के परिणाम, जांचकर्ता की रिपोर्ट सहित, मंगलवार, 30 जून, 2026 को या उससे पहले घोषित किए जाएंगे। इन्हें कंपनी की वेबसाइट https://valplastech.com आई-वोट की वेबसाइट https://ivote.bigshareonline.com पर प्रदर्शित किया जाएगा और साथ ही बीएसई को भी सूचित किया जाएगा, जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं और उनकी संबंधित वेबसाइटों www.bseindia.com पर उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त, परिणाम कंपनी के रजिस्ट्रार कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित किए जाएंगे।

यदि शेयरधारकों/निवेशकों को ई-वोटिंग से संबंधित कोई प्रश्न हैं,तो वे https://ivote.bigshareonline.com पर डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ) और आई-वोट ई-वोटिंग मॉड्यूल देख सकते हैं,या हमें ivote@bigshareonline.com पर ईमेल कर सकते हैं या 022-62638338 पर कॉल कर सकते हैं।

वालप्लास्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के लिए

हस्ताक्षर/-

सुंदर सिंह

स्थानः नोएडा **कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी**

दिनांकः 01-06-2026 **सदस्यता संख्याः A68680**

pnb Housing Finance Limited

पंजी.कार्यालय: 9वीं मंजिल अंतरिक्ष भवन 22 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110001 फोन: 011-23357171, 23357172, 23705414, वेबसाइट: www.pnbhousing.com

शाखा का पता: प्लॉट संख्या टीसी/जी–2/2 और टीसी/जी–5/5, कार्यालय संख्या 307 और 308, तीसरी मंजिल, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, साइबर हाइट्स, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ – 226010

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

चूंकि, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के अंतर्गत तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नियम 8(1) के अनुपालन में, तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधोहस्ताक्षरी ने प्रत्येक खाते के समक्ष उल्लिखित तिथि को मांग नोटिस/नोटिस जारी किए हैं, जिसमें संबंधित उधारकर्ता/ओं से प्रत्येक खाते के समक्ष उल्लिखित राशि को नोटिस/नोटिस की तिथि/उक्त नोटिस/नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर चुकाने का आह्वान किया गया है।

ऋणकर्ता/ऋणकर्ताओं द्वारा राशि वापस न किए जाने के कारण, ऋणकर्ता/ऋणकर्ताओं तथा आम जनता को यह सूचित किया जाता है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नियम 8 के साथ प्रत्येक खाते के सामने उल्लिखित तिथियों पर नीचे वर्णित संपत्ति/संपत्तियों पर कब्जा कर लिया है।

ऋणकर्ता/ऋणकर्ताओं को विशेष रूप से तथा आम जनता को इस प्रकार आगाह किया जाता है कि वे संपत्ति/संपत्तियों से कोई लेन–देन न करें तथा संपत्ति/संपत्तियों से कोई भी लेन–देन ऋण समझौते के अनुसार राशि तथा उस पर ब्याज के लिए पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

ऋणकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है, जो सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में है।

ऋण खाता संख्या	उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर का नाम	मांग सूचना की तिथि	बकाया राशि	कब्जा लेने की तिथि	गिरवी रखी गई संपत्ति का विवरण
HOU/LUC/1119/756434 बी.ओ.: लखनऊ	श्री मोहन सिंह (उधारकर्ता) मकान संख्या 361, शारदा नगर नीलमाथा, लखनऊ, उत्तर प्रदेश–226002 श्रीमती नीता सिंह (सह–उधारकर्ता)	12–03–2026	राशि 11,34,84.33 रुपये (ग्यारह लाख चौंतीस हजार चौरासी रुपये और तैंतीस पैसे मात्र)	28–05–2026 (प्रतीकात्मक)	मकान खसरा संख्या 361, शारदा नगर, नीलमाथा, लखनऊ, उत्तर प्रदेश 226002 पर बना है। संपत्ति की दिशा पूर्व – 12 फुट चौड़ी सड़क, पश्चिम – दूसरा मकान, उत्तर – दूसरा प्लॉट, दक्षिण– 12 फुट चौड़ी सड़क है। संपत्ति का क्षेत्रफल– 0.675 वर्ग फुट।
HOU/LUC/0518/533820 बी.ओ.: लखनऊ	श्री अनुज कुमार मिश्रा (उधारकर्ता) प्लॉट नंबर 16, शिव नगर कॉलोनी मड़ियांव, लखनऊ, उत्तर प्रदेश – 226021 श्रीमती आकांक्षा मिश्रा (सह–उधारकर्ता)	12–03.2026	रु. 16,69,697.12 (सोलह लाख उनहत्तर हजार छह सौ सत्तानवे रुपये और बारह पैसे मात्र)	28–05–2026 (प्रतीकात्मक)	खसरा संख्या 7 बी, दाउद नगर, फजुल्लागंज लखनऊ, उत्तर प्रदेश–226020 में निर्मित मकान। दिशाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व –20 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिम– विक्रेता का मकान, उत्तर – मकान संख्या बी 8, दक्षिण– मकान संख्या बी 6। भूमटी सहित निर्मित संपत्ति का क्षेत्रफल 83.643 वर्ग मीटर है।

स्थान:- लखनऊ दिनांक:- 01.06.2026 — अधिकृत अधिकारी, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

कार्यालय जबलपुर विकास प्राधिकरण, जबलपुर

क्र./जविप्रा/तक./2026/949 — जबलपुर दिनांक : 01.06.2026

निविदा आमंत्रण सूचना

निम्नलिखित कार्य की ऑनलाइन निविदा ई-प्रक्यूरमेंट सिस्टम पर आमंत्रित की जा रही है। कार्यालय जबलपुर विकास प्राधिकरण के निम्न कार्य का विवरण वेबसाइट **www.mptenders.gov.in** पर देखा जा सकता है।

क्र.	यो. क्र.	कार्य का विवरण	निविदा राशि	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	पंजीयन श्रेणी तथा ऊपर	समयावधि (वर्षाकाल सहित)
1.	16 द्वितीय आमंत्रण	ब्लॉक ए बहुमंजिला आवासीय सह-व्यवसायिक परिसर के निर्माण कार्य के फिनिशिंग का कार्य।	22,30,28,065/-	11,15,140/-	50,000/-	केन्द्रीयकृत	18 माह

1. उपरोक्त निविदा प्रपत्र उपरोक्त वेबसाइट पर ऑनलाइन भुगतान कर **दिनांक 02.06.2026, 05:30 PM से 03.07.2026, 05:30 PM तक** क्रय किये जा सकेंगे।
2. निविदा संबंधी विस्तृत विवरण नियम/शर्तें व अन्य जानकारी उक्त वेबसाइट पर देखी जा सकती है।
3. निविदा में जो भी संशोधन होंगे, वे उक्त वेबसाइट पर ही अपलोड किये जायेंगे, पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं किये जायेंगे।
4. निविदा सूचना दिनांक तक जारी समस्त संशोधित नियम/परिपत्र आदि मान्य रहेंगे।

म.प्र. माध्यम/126129/2026 — **कार्यपालन यंत्री**

Punjab & Sind Bank पंजाब एण्ड सिंध बैंक

(A Govt. of India Undertaking) भारत सरकार का उपक्रम

क्षेत्रीय कार्यालय :प्रथम तल, सतगुरु टॉवर, CP47A, सेक्टर–ई, जानकीपुरम, लखनऊ

सार्वजनिक सूचना

सूचना: शून्य शेष वाले निष्क्रिय खातों को बंद करना।

यह सूचना उन खाताधारकों के लिए है जिनके खाते पिछले 8 वर्षों से निष्क्रिय रहे हैं, जिनमें पिछले 10 वर्षों से ग्राहक द्वारा कोई लेनदेन नहीं किया गया है और जिनमें शेष राशि शून्य है। खाता बंद होने से बचने के लिए, कृपया **20.07.2026** को या उससे पहले अपनी निकटतम पंजाब एण्ड सिंध बैंक शाखा में अद्यतन केवाईसी दस्तावेज जमा करके अपने खाते को पुनः सक्रिय करें। उक्त तिथि तक सक्रिय नहीं किए गए खातों को, बिना किसी और सूचना के, **21.07.2026** को या उसके उपरांत बंद कर दिया जाएगा।

दिनांक 02.06.2026 — क्षेत्रीय प्रबंधक

Punjab & Sind Bank पंजाब एण्ड सिंध बैंक

(A Govt. of India Undertaking) भारत सरकार का उपक्रम

आंचलिक कार्यालय :प्रथम तल, सतगुरु टॉवर, CP47A, सेक्टर–ई, जानकीपुरम, लखनऊ

परिसर चाहिए

पंजाब एंड सिंध बैंक को अच्छी तरह से निर्मित हाल (बरामदा) जैसा उपयुक्त परिसर जो कि तैयार बना हुआ हो और जिसका कार्पेट एरिया (एटीएम की जगह सहित) निम्नलिखित के अनुसार हो, लीज किराए के आधार पर केवल भूतल पर

क्र.सं.	शहरों के नाम	कार्पेट एरिया
1	गोलघर, गोरखपुर	1200 वर्ग फीट

में चाहिए। प्रस्तावित परिसर के पास सक्षम वैधानिक संस्थाओं/ कार्यालयों से समस्त प्रकार के क्लियरेंस प्रमाणपत्र होने चाहिए। वर्णित इलाके (क्षेत्र) में ऐसे परिसर स्वामी/पंजीकृत मुख्तारनामा धारक, जो सहजता से उपलब्ध अपने परिसर को दीर्घावधि (15 वर्ष या अधिक) लीज के आधार पर देने की इच्छुक है, अपने प्रस्ताव को निर्धारित प्रारूप (जो कि बैंक की वेबसाइट www.punjabandsindbank.co.in पर उपलब्ध है तथा उपर्युक्त पते पर कार्यालय समयावधि में भी प्राप्त किया जा सकता है) में भर कर भेजें। पूर्णरूप से भरे हुये हस्ताक्षरित और सीलबंद प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरी तक **15.06.2026 को सांय 05:00** बजे तक उपर्युक्त पते पर पहुंच जाने चाहिए।

बैंक द्वारा कोई भी दलाली नहीं दी जाएगी। बैंक बिना कोई कारण बताए अपने विवेकाधिकार से किसी भी या समस्त प्रस्तावों की स्वीकार/अस्वीकार करने का सर्वाधिकार सुरक्षित रखता है।

दिनांक 02.06.2026 — आंचलिक प्रबंधक

पंजाब एण्ड सिंध बैंक Punjab & Sind Bank

(A Govt. of India Undertaking)

Where service is a way of life

क्षेत्रिय कार्यालयः आगरा : 100 फीट रोड, शारदा विहार, दयालबाग, आगरा उत्तर प्रदेश–282005

सार्वजनिक सूचना

सूचनाः शून्य शेष वाले निष्क्रिय खातों को बंद करना।

यह सूचना उन खाताधारकों के लिए है जिनके खाते पिछले 8 वर्षों से निष्क्रिय रहे हैं, जिनमें पिछले 10 वर्षों से ग्राहक द्वारा कोई लेनदेन नहीं किया गया है और जिनमें शेष राशि शून्य है। खाता बंद होने से बचने के लिए, कृपया 20.07.2026 को या उससे पहले अपनी निकटतम पंजाब एण्ड सिंध बैंक शाखा में अद्यतन केवाईसी दस्तावेज जमा करके अपने खाते को पुनः सक्रिय करें। उक्त तिथि तक सक्रिय नहीं किए गए खातों को, बिना किसी और सूचना के, 21.07.2026 को या उसके उपरांत बंद कर दिया जाएगा।

दिनांकः 01.06.2026 — क्षेत्रिय प्रबंधक
स्थानः आगरा — क्षेत्रिय कार्यालय, आगरा

बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra

नोएडा अंचल कार्यालयरू बी 192/ए, सेक्टर–52, नोएडा–201301 ई–मेल recovery_noi@mahabank.co.in

प्रधान कार्यालय' लोकमंगल, 1501, शिवाजी नगर, पुणे–5

शुद्धिपत्र

आम जनता को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि ई–नीलामी सूचना अर्थात अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए 31.05.2026 को हिंदी समाचार पत्र– 'जनसत्ता' में प्रकाशित हुआ है जिसमें ''संशोधित सरफासी अधिनियम 2002 के अनुसार नियम 8(6) के तहत अनुवर्ती बिक्री के लिए 30 दिन का कानूनी नोटिस प्रकाशित हुआ है जो कि गलत है उसके जगह पर **संशोधित सरफासी अधिनियम 2002 के अनुसार नियम 8(6) के तहत अनुवर्ती बिक्री के लिए 15 दिन का कानूनी नोटिस सुचना** पढे। तथा **प्रोपर्टी क्र सं. 4 से 8 तक बकाया राशि भी गलत प्रकाशित हुआ है जिसके जगह पर बकाया राशि क्र. सं 4 पर रू. 1,00,26,740.93 प्लस अकाउंट नंबर में कॉन्ट्रेक्ट रेट पर ब्याज 03.04.2025 से क्र. सं 5 पर रू. 19,53,284.00 प्लस अकाउंट नंबर में कॉन्ट्रेक्ट रेट पर ब्याज 23.09.2025 से क्र. सं 6 पर रू. 21,29,605.00 प्लस अकाउंट नंबर में कॉन्ट्रेक्ट रेट पर ब्याज 16.12.2024 से क्र. सं 7 पर रू. 14,82,698.00 प्लस अकाउंट नंबर में कॉन्ट्रेक्ट रेट पर ब्याज 16.12.2024 से क्र. सं 8 पर रू. 14,22,672.00 प्लस अकाउंट नंबर में कॉन्ट्रेक्ट रेट पर ब्याज 06.07.2021 से** पढ़ें जो कि सही है। शेष ई–नीलामी सूचना तथा नियम व शर्ते यथावत रहेगी।

दिनांकः 30.05.2026 — प्राधिकृत अधिकारी,
स्थानः नोएडा — बैंक ऑफ महाराष्ट्र

SMFG India Credit — एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड

कॉर्पोरेट कार्यालयः 10वीं मंजिल, कार्यालय सं. 101,102 और 103, 2 नॉर्थ एवेन्यू, मेकर मैक्सिटी, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुंबई–400051

कब्जा–सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के तहत)

चूंकि अधोहस्ताक्षरी एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड,("एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट"),जिसका पंजीकृत कार्यालयः कॉमर्सजोन आईटी पार्क, टावर बी, पहली मंजिल, नंबर 111, माउंट पूनमल्ले रोड, पोरूर, चेन्नई–600116 और कॉर्पोरेट कार्यालय 10वीं मंजिल, कार्यालय संख्या 101, 102 और 103, 2 नॉर्थ एवेन्यू, मेकर मैक्सिटी, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई – 400051 में स्थित है, के अधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के तहत, और प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 24.02.2026 को मांग नोटिस जारी किया जिसमें उधारकर्ता (ओं) (1) एसएस ट्रेडर्स एंड कॉर्पोरेशन (2) विपिन कुमार वधावन (3) सीमा लक्ष्मी नारायण, ऋण खाता संख्या रु174501310295871 के अंतर्गत उल्लिखित राशि 28,95,952.64/–रुपये (अट्ठाईस लाख पचानवे हजार नौ सौ बावन और चौंसठ पैसे मात्र) को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था।

ऋणकर्ता (ऋणकर्ताओं) ने उक्त राशि का भुगतान करने में विफल रहे हैं, एतद्द्वारा ऋणी(ओं) और आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 के तहत उप–धारा (4) के तहत उसे प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का 29 मई 2026 को सांकेतिक कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से उधारकर्ता और आम जनता को एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि वे संपत्ति के साथ कोई भी लेनदेन न करें और संपत्ति के साथ कोई भी लेनदेन करने पर 28,95,952.64/–रुपये (अट्ठाईस लाख पचानवे हजार नौ सौ बावन और चौंसठ पैसे मात्र) और उस पर ब्याज की राशि एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

प्रतिभूति परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के लिए उधारकर्ता का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

मकान संख्या 123/105,गडारियान पुरवा, प्लॉट संख्या 147, ब्लॉक पी एंड टी स्कीम–1, कानपुर, उत्तर प्रदेश–208012, पूर्वः प्लॉट संख्या 162, पश्चिमः 60 फीट चौड़ी सड़क, उत्तरः 60 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिणः प्लॉट संख्या 148

दिनांकः 29.05.2026 — हस्ता./– अधिकृत अधिकारी
स्थानः कानपुर, उत्तर प्रदेश — एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड

प्रपत्र संख्या 3

खविनियम 13(1)(क) देखें,

ऋण वसूली प्राधिकरण, सिलीगुड़ी

द्वितीय तल, पीसीएम टॉवर, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी–734001 (पश्चिम बंगाल)।

वाद संख्याः ओ.ए./172/2025

ऋण वसूली प्राधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1993 के नियम 5 के उप–नियम (2क) के साथ पठित अधिनियम की धारा 19 की उप–धारा (4) के अंतर्गत समन।

प्रदर्श संख्याः 3278

भारतीय स्टेट बैंक
बनाम
सांता बहादुर तामांग

सेवा में,

(1) सांता बहादुर तामांग, पुत्र श्री धन कुमार तामांग, (C/O): 11 जी.आर.आर.सी., टी.आर.जी. बटालियन, बोगरा कंपनी नं.–2, क्रांति लाइन, लखनऊ, दिलकुशा, उत्तर प्रदेश–226002

और पताः1– (C/O) 7/11 गोरखा राइफल्स, 99 ए.पी.ओ., बैरकपुर, उत्तर 24 परगना, कोलकाता, पश्चिम बंगाल–700120

2. एल.ए.एफ. कैंप, बागडोगरा, डाकघर–बागडोगरा, जिला दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल–734421

समन

चूंकि, **ओ.ए./172/2025** दिनांक 30/01/2026 को माननीय पीठासीन अधिकारी/रजिस्ट्रार के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था।

चूंकि यह माननीय प्राधिकरण अधिनियम की धारा 19(4) के अंतर्गत आपके विरुद्ध रूपये 26,58,222/–की ऋण वसूली हेतु दायर उक्त आवेदन (ओ.ए.) पर समन/नोटिस जारी करने हेतु है (आवेदन के साथ दस्तावेजों की प्रतियाँ संलग्न हैं)।

अधिनियम की धारा 19 की उप–धारा (4) के अनुसार, आपको, प्रतिवादियों को निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है:–

(i) समन की तामील के 30 दिनों के भीतर यह कारण बताने हेतु जवाब प्रस्तुत करें कि प्रार्थि को राहत क्यों प्रदान नहीं की जानी चाहिए।

(ii) मूल आवेदन के क्रम संख्या 3क में आवेदक द्वारा निर्दिष्ट संपत्तियों एवं परिसंपत्तियों के अतिरिक्त अपनी अन्य संपत्तियों एवं परिसंपत्तियों का विवरण प्रकट करें।

(iii) आप पर रोक लगाई जाती है कि आप मूल आवेदन के क्रम संख्या 3क में उल्लिखित या प्रकट की गई सुरक्षित संपत्तियों अथवा अन्य संपत्तियों एवं परिसंपत्तियों के संबंध में, जब तक संपत्ति कुर्की के आवेदन का निपटारा नहीं हो जाता, किसी प्रकार का लेन–देन या निपटान न करें।

(iv) आप बिना प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के, उन किसी भी परिसंपत्तियों को, जिन पर प्रतिभूति हित निर्मित है और/अथवा मूल आवेदन के क्रम संख्या 3क में उल्लिखित या प्रकट की गई अन्य संपत्तियों को, अपने सामान्य व्यापार के अलावा किसी भी प्रकार से हस्तांतरित नहीं करेंगे।

(v) आप सुरक्षित संपत्तियों या अन्य परिसंपत्तियों की सामान्य व्यापार के अंतर्गत बिक्री से प्राप्त राशि के लिए उत्तरदायी होंगे तथा ऐसी राशि को उन बैंक या वित्तीय संस्थानों के खाते में जमा करेंगे जिनके पास उन संपत्तियों पर प्रतिभूति हित है।

आपको यह भी निर्देशित किया जाता है कि आप अपना लिखित बयान उसकी प्रति सहित आवेदक को उपलब्ध कराते हुए दाखिल करें तथा दिनांक 10/06/2026 को प्रातः 10:30 बजे रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित हों अन्यथा आवेदन की सुनवाई एवं निर्णय आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा।

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं इस प्राधिकरण की मुहर सहित दिनांक 07/05/2026 को जारी किया गया।

प्राधिकरण के आदेश से समन जारी करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर।

रजिस्ट्रार
ऋण वसूली प्राधिकरण,
सिलीगुड़ी

प्रपत्र संख्या INC 26

(कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुसार)

केंद्रीय सरकार के समक्ष
उत्तरी क्षेत्र निदेशालय॥

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के विषय में

तथा

एस्टेल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (CIN U74899HR1995PTC053199) के विषय में, जिसका पंजीकृत कार्यालय एस्टेल हाउस, प्लॉट संख्या... 126, सेक्टर - 44, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरुग्राम - 122002, हरियाणा, भारत

............याचिकाकर्ता

आम जनता को सूचित किया जाता है कि कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत केंद्र सरकार को आवेदन करने का प्रस्ताव करती है, जिसमें 4 मई 2026 को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन की पुष्टि मांगी जाएगी, ताकि कंपनी अपना पंजीकृत कार्यालय "हरियाणा राज्य" से "पंजाब राज्य" में स्थानांतरित कर सके।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में प्रस्तावित परिवर्तन से जिनके हितों पर प्रभाव पड़ने की संभावना है, वे एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र भरकर या किसी अन्य माध्यम से अपने हितों की प्रकृति और विरोध के कारणों का उल्लेख करते हुए हलफनामे सहित अपनी आपत्तियाँ क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र निदेशालय द्वितीय, तीसरी मंजिल, कॉर्पोरेट भवन, प्लॉट संख्या 4-बी, सेक्टर - 27 बी, चंडीगढ़ - 160019 को इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह (14) दिनों के भीतर भेज सकते हैं। इसकी एक प्रति आवेदक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, निम्नलिखित पते पर भी भेजी जानी चाहिए:

एस्टेल हाउस, प्लॉट संख्या 126, सेक्टर - 44, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरुग्राम - 122002, हरियाणा, भारत

एस्टेल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के लिए
हस्ताक्षर
शालिनी हजेला
निदेशक
डीआईएन: 07030975

स्थान: गुरुग्राम
दिनांक: 02 जून 2026

प्रपत्र संख्या INC 26

(कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुसार)

केंद्रीय सरकार के समक्ष
उत्तरी क्षेत्र निदेशालय॥

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के विषय में

तथा

अटलांटा मैनेजमेंट एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड (CIN U65923HR1997PTC053209) के विषय में, जिसका पंजीकृत कार्यालय, एस्टेल हाउस, प्लॉट संख्या... 126, सेक्टर - 44, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरुग्राम - 122002, हरियाणा, भारत

............याचिकाकर्ता

आम जनता को सूचित किया जाता है कि कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत केंद्र सरकार को आवेदन करने का प्रस्ताव करती है, जिसमें 4 मई 2026 को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन की पुष्टि मांगी जाएगी, ताकि कंपनी अपना पंजीकृत कार्यालय "हरियाणा राज्य" से "पंजाब राज्य" में स्थानांतरित कर सके।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में प्रस्तावित परिवर्तन से जिनके हितों पर प्रभाव पड़ने की संभावना है, वे एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र भरकर या किसी अन्य माध्यम से अपने हितों की प्रकृति और विरोध के कारणों का उल्लेख करते हुए हलफनामे सहित अपनी आपत्तियाँ क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र निदेशालय द्वितीय, तीसरी मंजिल, कॉर्पोरेट भवन, प्लॉट संख्या 4-बी, सेक्टर - 27 बी, चंडीगढ़ - 160019 को इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह (14) दिनों के भीतर भेज सकते हैं। इसकी एक प्रति आवेदक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, निम्नलिखित पते पर भी भेजी जानी चाहिए:

एस्टेल हाउस, प्लॉट संख्या 126, सेक्टर - 44, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरुग्राम - 122002, हरियाणा, भारत

अटलांटा मैनेजमेंट एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड के लिए
हस्ताक्षर
शालिनी हजेला
निदेशक
डीआईएन: 07030975

स्थान: गुरुग्राम
दिनांक: 02 जून 2026

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

ICICI Home Finance

कॉर्पोरेट कार्यालयः आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, आईसीआईसीआई एचएफसी टॉवर, अंधेरी – कुर्ला रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई – 400059, भारत

शाखा कार्यालयः 302, 303, 304, तृतीय तल, एल्डेको कॉरपोरेट चैंबर III, टीसी 58वी, विभूति खंड, गोमतीनगर, लखनऊ– 226010

[नियम 8(6) का परंतुक देखें] अचल परिसंपत्तियों की बिक्री हेतु सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा आम जनता को और विशेष रूप से कर्जदार(रों) और गारंटर(रों) को नोटिस दिया जाता है कि प्रतिभूति लेनदार के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जिसका कब्जा आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया, यहां नीचे दिए गए संक्षिप्त विवरण के अनुसार, 'जैसा है जहां है', 'जो है यही है' और 'जो कुछ भी है वहीं है' के आधार पर बेचा जाएगा;

क्र. सं.	कर्जदारों/सह–कर्जदारों/गारंटरों/विधिक उत्तराधिकारियों के नाम ऋण खाता सं.	ज्ञात ऋणभारों, यदि कोई हो, सहित प्रतिभूत आस्तियों का विवरण	बकाया राशि	आरक्षित मूल्य / जमा धरोहर राशि	सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं समय	नीलामी की तिथि एवं समय	नीलामी की तिथि से एक दिन पहले	सरफैसी स्टेज
(A)	(B)	(C)	(D)	(ए)	(F)	(G)	(H)	(I)
1.	प्रीति गौतम (कर्जदार) अनिल चौधरी (सह–कर्जदार) ऋण संख्या LHLKS00001544412/ LHLKS00001544414	प्लॉट नंबर ए–25 और ए–26 खसरा नंबर 369 और 370 का हिस्सा लानापुर परगना तहसील लखनऊ उत्तर प्रदेश 226010 पर स्थित है	रु. 10,44, 158/– 22 मई, 2026	रु. 11,01, 600/– / रु. 1,10, 160/–	12 जून, 2026 11:00 बजे पूर्वा. से 03:00 बजे अप.	19 जून, 2026 को 02:00 बजे अप. से 03:00 बजे अप.	18 जून, 2026 को 05:00 बजे अप. तक	भौतिक कब्जा
2.	सर्वजीत सिंह (कर्जदार) गंगा सिंह (सह–कर्जदार) ऋण संख्या LHLUC00001625653	प्लॉट नंबर 21 और 23 पर निर्मित संपत्ति खसरा नंबर 814 का हिस्सा पाटेश्वरी नगर ग्राम उत्तरधौना तिवारी गंज– 226010 उत्तर प्रदेश	रु. 41,25, 542/– 25 मई, 2026	रु. 64,23, 750/– / रु. 6,42, 375A	27 जून, 2026 11:00 बजे पूर्वा. से 03:00 बजे अप.	04 जुलाई, 2026 को 02:00 बजे अप. से 03:00 बजे अप.	03 जुलाई, 2026 को 05:00 बजे अप. तक	सांकेतिक कब्जा
3.	अभिनव सिंह (कर्जदार) रेनू सिंह (सह–कर्जदार) ऋण संख्या LHLKS00001615548	मकान नंबर 2/357, टाइप बी विनम्र खंड गोमती नगर एमिटी इंटरनेशनल स्कूल के पास आरडी जिला लखनऊ – 226010 उत्तर प्रदेश	रु. 1,00, 67,318/– 25 मई, 2026	रु. 1,23, 92,250/– / रु. 12, 39,225/–	27 जून, 2026 11:00 बजे पूर्वा. से 03:00 बजे अप.	04 जुलाई, 2026 को 02:00 बजे अप. से 03:00 बजे अप.	03 जुलाई, 2026 को 05:00 बजे अप. तक	सांकेतिक कब्जा
4.	राज कमल मिश्रा (कर्जदार) स्नेहा मिश्रा (सह–कर्जदार) ऋण संख्या LHKQF00001548789/ LHKQF00001548790	प्लॉट नंबर 153 और 154 खसरा नंबर–871 एसए, ग्राम औरंगाबाद जागीर, वार्ड–राजा बिजली पासी, तहसील और जिला लखनऊ, उत्तर प्रदेश–226008	रु. 30,56, 054/– 25 मई, 2026	रु. 37,14, 660/– / रु. 3, 71,466/	12 जून, 2026 11:00 बजे पूर्वा. से 03:00 बजे अप.	19 जून, 2026 को 02:00 बजे अप. से 03:00 बजे अप.	18 जून, 2026 को 05:00 बजे अप. तक	सांकेतिक कब्जा

ऑनलाइन नीलामी हमारी नीलामी एजेंसी वैल्यू ट्रस्ट कैपिटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट (यूआरएल लिंक–https://BidDeal.in) पर आयोजित की जाएगी। बंधककर्ताओं/सूचिती को 18 जून, 2026, 03 जुलाई, 2026 को को शाम 05:00 बजे तक अतिरिक्त ब्याज के साथ कुल बकाया का भुगतान करने का आखिरी मौका दिया जाता है, अन्यथा ये प्रतिभूत संपत्ति उपरोक्त कार्यक्रम के अनुसार बेची जाएंगी।

संभावित बोलीदाताओं को लेख के शीर्ष पर उल्लिखित आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड शाखा कार्यालय के पते पर जमा धरोहर राशि (ईएमडी) आरटीजीएस/डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) (कॉलम ई देखें) 18 जून, 2026, 03 जुलाई, 2026 को शाम 04:00 बजे तक जमा करना होगा। संभावित बोलीदाताओं को लेख के शीर्ष पर उल्लिखित आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड शाखा कार्यालय के पते पर पंजीकरण फॉर्म और बोली नियम और शर्तों के फॉर्म की हस्ताक्षरित प्रति भी 18 जून, 2026, 03 जुलाई, 2026 को शाम 05.00 बजे तक जमा करनी होगी। जमा धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) ''आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड–नीलामी'' के पक्ष में शाखा कार्यालय ऊपर लिखित पते में देय राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक से होना चाहिए।

निरीक्षण, नीलामी की शर्तों और नियमों या निविदाओं के प्रस्तुतीकरण के संबंध में किसी भी अन्य स्पष्टीकरण के लिए, कृपया आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड से 9920807300 पर संपर्क करें।

अधिकृत अधिकारी बिना कोई और कारण बताए किसी भी या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बिक्री की विस्तृत शर्तों और नियमों के लिए, कृपया https://www.icicihfc.com/ पर जाएँ।

दिनांकः 02 जून, 2026 — प्राधिकृत अधिकारी, आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड,
स्थान : लखनऊ — सीआईएन : U65922MH1999PLC120106

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

भारत सरकार का उपक्रम — A Government of India Undertaking

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज मुरादाबाद शाखा, प्रथम तल, हाल नं. 1–4, एकता द्वार कॉम्पलेक्स, सिविल लाइन्स, मुरादाबाद–244001, ई–मेल : ubin0551384@unionbankofindia.bank

धारा 13(2) के तहत मांग सूचना

संदर्भ : 13.2/2025–26/CE — दिनांकः 29.05.2026
स्थानः मुरादाबाद

सेवा में

1 (a) **मेसर्स कॉमेट हैंडीक्राफ्ट्स (पार्टनरशिप फर्म)** 14 किमी माइलस्टोन लोधीपुर राजपूत दिल्ली रोड, डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद उ.प्र. 244001.

1 (b) श्री हरि नारायण अग्रवाल (पार्टनर/गारंटर/बंधककर्ता) 134, आवास विकास सिविल लाइंस जिला मुरादाबाद उ.प्र. 244001

1 (c) श्रीमती स्वाति अग्रवाल (पार्टनर/गारंटर/बंधककर्ता/मिस्टर संजय अग्रवाल के विधिक उत्तराधिकारी) 8/8/37 आर्य नगर, डॉ. दास के पीछे सिविल लाइंस मुरादाबाद 244001

1 (d) श्री मानिक कंसल (पार्टनर/गारंटर) 134, आवास विकास कॉलोनी, पीएमएस स्कूल के पास सिविल लाइंस मुरादाबाद

1 (e) श्री उज्ज्वल अग्रवाल (पार्टनर/गारंटर/श्री संजय अग्रवाल के लीगल वारिस) पुत्र संजय अग्रवाल, 8837, डॉ. दास के पीछे सिविल लाइंस डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद244001

1 (f) श्री सारंग अग्रवाल स्वर्गीय संजय अग्रवाल के कानूनी वारिस (गारंटर/बंधककर्ता) 134, आवास विकास कॉलोनी पीएमएस स्कूल के पास सिविल लाइंस मुरादाबाद

1(g) सुश्री संजलि अग्रवाल स्वर्गीय संजय अग्रवाल के कानूनी वारिस (गारंटर/बंधककर्ता) 134, आवास विकास कॉलोनी पीएमएस स्कूल के पास सिविल लाइंस मुरादाबाद

महोदय/महोदया,

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) सहपठित धारा 13(3) के अंतर्गत सूचना।

आप सम्बोधिती सं. 1(a), 2(b), 1(c), 1(d), 1(e), 1(f) तथा 1(g) ने हमारी ओवरसीज मुरादाबाद शाखा से निम्नलिखित ऋण सुविधाएं प्राप्त की हैं और बकाया/किस्त/ब्याज का भुगतान/ खातों का संचालन संतोषजनक ढंग से करने में विफल रहे हैं और इसलिए, आय पहचान और विवेकपूर्ण लेखा मानदंडों के संबंध में आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, आपके खाते/खातों को 27.05.2026 को गैर–निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 29.05.2026 तक आपके खाते/खातों में रु. 14,05,44,982.31 (रुपये चौदह करोड़ पांच लाख चौवालीस हजार नौ सौ बयासी और इकतीस पैसे मात्र) की राशि बकाया है। उपरोक्त खाते/खातों के संबंध में आप में से नंबर 1(a), 2(b), 1(c), 1(d), 1(e), 1(f) तथा 1(g) से बैंक को देय राशि का विवरण निम्नानुसार है:

सुविधा का प्रकार	एनपीए की तिथि यानी 27.05.2026 तक बकाया राशि	31.01.2026 से 29.04.2026 तक अप्रयुक्त ब्याज	दण्डात्मक ब्याज (साधारण)	बैंक द्वारा कृत लागत/प्रभार	कुल बकाया
पीसी	11,55,70,000.00	33,68,173.00	0.00	0.00	11,89,38,173.00
जीसीएलई1	1,75,00,000.10	5,20,135.54	1653.00	0.00	1,80,21,788.64
टीएल–1	35,00,000.24	78,082.00	5168.43	0.00	35,83,250.67
टीएल–2	1,770.00	0.00	0.00	0.00	1,770.00
कुल बकायाः					14,05,44,982.31

बैंक को ऋण में बकाया या भविष्य में बकाया होने वाली रकम की चुकौती प्रतिभूत करने के लिए, श्री हरि नारायण अग्रवाल और स्वर्गीय संजय अग्रवाल (मृत साझेदार/गारंटर/बंधककर्ता) — अपने विधिक वारिसों श्रीमती स्वाति अग्रवाल (स्वर्गीय संजय अग्रवाल की पत्नी), श्री उज्ज्वल अग्रवाल एवं श्री सारंग अग्रवाल (दोनों स्वर्गीय श्री संजय अग्रवाल के पुत्र), और सुश्री संजलि अग्रवाल (स्वर्गीय संजय अग्रवाल की पुत्री) के माध्यम से — तथा श्रीमती स्वाति अग्रवाल ने 29.10.2024 तथा 22.05.2026 को दस्तावेज निष्पादित किए थे/हैं और निम्नलिखित माध्यम से प्रतिभूति हित सृजित किया है :

नीचे वर्णित अचल संपत्ति का इक्विटेबल बंधकः

1. खसरा नंबर 169, ग्राम लोधीपुर राजपूत, मुरादाबाद में स्थित जमीन और इमारत, जिसका क्षेत्रफल 6640 वर्ग मीटर है। इसके मालिक श्री हरि नारायण अग्रवाल (श्री राम किशोर अग्रवाल के पुत्र) हैं (डीड नंबर 8018, दिनांक 14.08.2012 के अनुसार); साथ ही श्री उज्ज्वल अग्रवाल (स्वर्गीय श्री संजय अग्रवाल के पुत्र), सुश्री स्वाति अग्रवाल (स्वर्गीय श्री संजय अग्रवाल की पत्नी), श्री सारंग अग्रवाल (स्वर्गीय श्री संजय अग्रवाल के पुत्र) और सुश्री संजलि अग्रवाल (स्वर्गीय श्री संजय अग्रवाल की पुत्री) भी इसके मालिक हैं।

सरसाई आईडी : 400004271724

2. मकान नं. 8/8/37, आर्य नगर, सिविल लाइंस, होटल राज महल के पास, तहसील और ज़िला मुरादाबाद, वढ में स्थित जमीन और इमारत, जिसका क्षेत्रफल 390.24 वर्ग मीटर (या 4200.51 वर्ग फुट) है। इसकी मालिक सुश्री स्वाति अग्रवाल हैं (डीड नंबर 6536, दिनांक 27.06.2012 के अनुसार)।

सरसाई आईडीः 400105209109

इसलिए, आपको वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत यह सूचित किया जाता है कि आप रु. 14,05,44,982.31 (रुपये चौदह करोड़ पांच लाख चौवालीस हजार नौ सौ बयासी और इकतीस पैसे मात्र) की राशि, साथ ही आपके द्वारा निष्पादित ऋण दस्तावेजों के नियमों और शर्तों के अनुसार अनुबंधित दर पर आगे के ब्याज और शुल्कों का भुगतान करें और इस नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर अपनी देनदारियों को पूरी तरह से चुका दें, जिसमें विफल होने पर, हम उक्त अधिनियम के तहत दिए गए किसी भी या सभी अधिकारों का प्रयोग करके उपरोक्त प्रतिभूतियों को लागू करने के लिए बाध्य होंगे।

अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, इस सूचना की प्राप्ति पर आपको बैंक की सहमति के बिना उपरोक्त प्रतिभूतियों का निपटान या लेन–देन करने से रोका/निषिद्ध किया जाता है।

आपका ध्यान प्रतिभूत परिसंपत्तियों के मोचन हेतु उपलब्ध समय के संबंध में सरफैसी की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

भवदीय
प्राधिकृत अधिकारी

Chola — चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

कॉर्पोरेट कार्यालयः "चोला क्रेस्ट", सी 54 और 55, सुपर बी–4, तिरु वी का औद्योगिक एस्टेट, गिंडी, चेन्नई– 600 032

कब्जे की सूचना (नियम 8 (1)) (अचल संपत्ति के लिए)

जैसा की वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम,2002 के अंतर्गत मेसर्स चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्राधिकृत आधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम,2002के नियम 3 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने दिनांक 11.03.2026 **को मांग सूचना [ऋण खाता सं.: TL01LJN00000038406]** के लिए जारी कर ऋणधारको / सह–ऋणधारको **मैसर्स सहोदरा मोटर्स,2. श्री मनोज कुमार गुप्ता (मृतक) उनके कानूनी वारिसों के माध्यम सेः (क) श्रीमती पूनम देवी, (ख) श्रीमती सहोदरा देवी, (ग) स्वर्गीय मनोज कुमार गुप्ता के अन्य सभी कानूनी वारिस, 3. श्रीमती पूनम देवी, श्रीमती सहोदरा देवी, पत्नी स्वर्गीय के. पी. गुप्ता** को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर उक्त मांग सूचना में दर्शाई गई बकाया राशि **₹ 2,33,24,076/– (रुपये दो करोड़ तेतीस लाख चौबीस हजार छिहत्तर मात्र), जो कि दिनांक** 11.03.2026 **तक है,** को उसके बाद लगने वाले आगे के ब्याज और शुल्कों सहित वापस लौटने का निर्देश दिया थो

ऋणधारक/ सह– ऋणधारक राशि चुकाने में विफल रहे हैं, इसलिए एतद्वारा विशेष रूप से ऋणधारक/ सह– ऋणधारक और आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने अधिनियम की धारा 13की उप–धारा [4] के साथ पठित प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली, 2002 के नियम 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शक्तियों का प्रयोग करते हुए **29 मई, 2026** को नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है।

ऋणधारकों / सह–ऋणधारकों का ध्यान सुरक्षित संपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

विशेष रूप से ऋणधारकों/ सह– ऋणधारक और आम जनता को एतद्वारा सावधान किया जाता है कि वे नीचे उल्लिखित संपत्तियों के साथ कोई व्यवहार न करें और संपत्ति के साथ किया गया कोई भी लेनदेन **₹ 2,33,24,076/– (रुपये दो करोड़ तेतीस लाख चौबीस हजार छिहत्तर मात्र) दिनांक** 11.03.2026 को और उस पर देय ब्याज के लिये मेसर्स चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

अचल संपत्ति का विवरण

भूमि का वह पूरा हिस्सा और टुकड़ा जो खसरा नं. 1178 के अंतर्गत आता है, जिसका कुल क्षेत्रफल 0.658 हेक्टेयर है, जिसमें से 0.253 हेक्टेयर हिस्सा, जो ग्राम शिवरी, परगना (पटवारी हल्का) काकोरी, तहसील और जिला लखनऊ में स्थित है, जिसकी सीमाएं नीचे दिए अनुसार हैंः पूर्वः गोपाल नारायण की भूमि, पश्चिमः लखनऊ मोहन रोड, उत्तरः संपत्ति सं. 1177, गीता सिन्हा, दक्षिणः गीता सिन्हा की संपत्ति

दिनांकः 29.05.2026 — प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः लखनऊ — मैसर्स चोलामंडलम इनवेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ पीठ के समक्ष

कंपनी याचिका संख्या CP(CAA)/14/CHD/HRY/2026

संबद्ध

कंपनी आवेदन संख्या CA(CAA)/1/CHD/HRY/2026

व्यवस्था योजना के संबंध में:

पैनासोनिक लाइफ सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
(याचिकाकर्ता कंपनी–I / विभाजित कंपनी)

तथा

पैनासोनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
(याचिकाकर्ता कंपनी–II / परिणामी कंपनी)

तथा

उनके संबंधित शेयरधारकों एवं लेनदारों के मध्य

[संक्षिप्तता की दृष्टि से, याचिकाकर्ता कंपनी–I एवं याचिकाकर्ता कंपनी–II को आगे सामूहिक रूप से "याचिकाकर्ता कंपनियाँ" कहा जाएगा।]

याचिका की सूचना

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 के अंतर्गत पैनासोनिक लाइफ सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एवं पैनासोनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड तथा उनके संबंधित शेयरधारकों एवं लेनदारों के मध्य प्रस्तावित व्यवस्था योजना को स्वीकृति प्रदान किए जाने हेतु कंपनी आवेदन संख्या CA(CAA)/1/CHD/HRY/2026 से संबद्ध संयुक्त कंपनी याचिका संख्या CP(CAA)/14/CHD/HRY/2026 ("**कंपनी याचिका**") याचिकाकर्ता कंपनियों द्वारा दिनांक 08 मई, 2026 को प्रस्तुत की गई थी तथा माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ ("**न्यायाधिकरण**") द्वारा दिनांक 15 मई, 2026 को इसकी सुनवाई कर इसे स्वीकार किया गया। माननीय न्यायाधिकरण ने उक्त कंपनी याचिका में दिनांक 15 मई, 2026 को अपना आदेश पारित किया (उक्त आदेश की ऑनलाइन प्रति दिनांक 21 मई, 2026 को उपलब्ध कराई गई)। उक्त कंपनी याचिका अब माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष दिनांक 24 जुलाई, 2026 को सुनवाई हेतु निर्धारित है।

जो कोई व्यक्ति उक्त कंपनी याचिका का समर्थन या विरोध करना चाहता हो, वह अपने हस्ताक्षर अथवा अपने अधिवक्ता के हस्ताक्षर सहित, अपना नाम एवं पता उल्लेखित करते हुए, अपनी मंशा की सूचना याचिकाकर्ता कंपनियों के अधिवक्ता और/या याचिकाकर्ता कंपनियों को भेजे, ताकि वह सूचना याचिकाकर्ता कंपनियों के अधिवक्ता के नीचे दिए गए पते पर अथवा याचिकाकर्ता कंपनियों के पंजीकृत कार्यालय के पते, 12वीं मंजिल, टावर-3, इंटेलियन पार्क, सेक्टर-59, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, जिला गुरुग्राम, हरियाणा–122011 पर, याचिका की सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि से कम से कम दो दिन पूर्व प्राप्त हो जाए। यदि कोई व्यक्ति याचिका का विरोध करना चाहता है, तो उसे उक्त सूचना के साथ अपने विरोध के आधार अथवा अपने शपथपत्र की प्रति भी संलग्न करनी होगी। याचिका की एक प्रति, निर्धारित शुल्क के भुगतान पर, इच्छुक व्यक्ति को अधोहस्ताक्षरी द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

हस्ताक्षरित/-
वैश एसोसिएट्स एडवोकेट्स
याचिकाकर्ता कंपनियों के अधिवक्ता
11वीं मंजिल, मोहन देव बिल्डिंग,
13, टॉल्सटॉय मार्ग, नई दिल्ली – 110001

स्थान : नई दिल्ली — **फोन नं. : (011)-42492525**
दिनांक : 02 जून 2026 — **ई-मेल : saheb@vaishlaw.com**

Criminal Court, Ludhiana

In The Court Of Ms. Kavita Garg Judicial Magistrate- 1st class ludhiana
CNR NO: PBLD03-050777-2024
Coma/45759/2024 Peshi: 4-07-2026
publication notice for proclamation under section 82 Cr.PC complaint r/w sec- 138 of N.I Act
Ajay Kumar Vs.
Anand Bharat Katariya

Notice To: 1. anand bharat katariya, prop of m/s sangam trading GST no. 27 ARPK7243P1ZX Ground floor, g-125 plot no. 47 haware fantasia business park, sector 30A, vashi, navi mumbai, thane maharashtra 2. sangam trading GST no 27ARPK7243P1ZX through its proprietor anand bharat katariya gala no. 1 sonawala chawls nr. vikhroli, railway station vikhroli, mumbai, maharashtra

Whereas it has been proved to the satisfaction of the court that you, the accused above named cannot be served in the ordinary way of service. Hence, this proclamation under section 82 CRPC is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before the court on 04-07-2026 at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in default of your part to appear as directed above, the above said case will be heard and determined as per law, in your absence. given under my hand and the seal of the court, this for details login to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana

JMIC Ludhiana

इंडियन बैंक Indian Bank
इलाहाबाद ALLAHABAD
(A Govt. of India Undertaking)

जनकपुरी सी ब्लॉक शाखा, सी–26–27, कम्युनिटी सेंटर, जनकपुरी, नई दिल्ली– 110058 फोन: 011-25501081, 25551304
ईमेल: janakpuri@indianbank.co.in

ई-नीलामी हेतु बिक्री सूचना दिनांक 10.07.2026

परिशिष्ट- IV-A" [नियम 6(2) एवं 8(6) का परंतुक देखें] अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 6(2) एवं 8(6) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु ई–नीलामी बिक्री सूचना।

एतद्द्वारा आम जनता को और विशेष रूप से ऋणी(कों) और जमानतदार(कों) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियां, जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित हैं, और जिसका कब्जा इंडियन बैंक, प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, को "जैसी है जहाँ है", "जैसी है जो है" और "जो कुछ भी है" के आधार पर बकाया राशि की वसूली के लिए दिनांक 10.07.2026 को बेचा जाएगा। ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री के लिए लाई जाने वाली संपत्तियों का विशिष्ट विवरण नीचे दिया गया है।

दिनांक 10.07.2026 को नीलाम की जाने वाली संपत्तियों/आस्तियों का विवरण (विक्रय के लिए 30 दिन का नोटिस)

क्र.सं. (i)	ऋणी/जमानतदार/बंधककर्ता का नाम/शाखा का नाम (ii)	सम्पर्क व्यक्ति एवं मोबाइल नंबर (iii)	अचल संपत्ति/आस्तियों का विवरण (iv)	भौतिक/सांकेतिक कब्जा (v)	प्रतिभूत ऋण की राशि (vi)	आरक्षित मूल्य (vii)	धरोहर जमा राशि / न्यूनतम वृद्धि राशि (viii)
1.	1. श्री राकेश रंजन पुत्र श्री मणि झा (ऋणी एवं बंधककर्ता) 2. श्रीमती निशा सिंह रंजन पत्नी श्री राकेश रंजन, पुत्र श्री मणि झा (ऋणी एवं बंधककर्ता) शाखा: विकासपुरी शाखा।	श्री धर्मेन्द्र सिंह (8307581951)	आवासीय फ्लैट जो तृतीय तल, ई-100, निजी फ्लैट 303, खसरा 7/18, ग्राम मटियाला, ओम विहार एक्सटेंशन, उत्तम नगर, दिल्ली। बिक्री विलेख के अनुसार सीमाएँ:- पूर्व: उक्त संपत्ति का भाग, पश्चिम: संपत्ति का भाग, उत्तर: संपत्ति का भाग, दक्षिण: 10 फीट गली। मूल्यांकन / विजिट रिपोर्ट के अनुसार सीमाएँ:- उत्तर: अन्य की संपत्ति, दक्षिण: सर्विस लेन, पूर्व: सड़क, पश्चिम: अन्य की संपत्ति। संपत्ति आईडी: IDIB32080400945	सांकेतिक कब्जा	रु. 15,60,322.33 दिनांक 10.02.2026 तक बकाया + ब्याज एवं अन्य खर्च, बैंक के पूर्ण वसूली होने तक	रू. 28,00,000/-	रू. 2,80,000/- ईएमडी की अंतिम तिथि: 09.07.2026 / रू. 20,000/- संपत्ति निरीक्षण: 25.06.2026 से 09.07.2026 प्रातः 10 बजे से सायं 04 बजे तक

ई-नीलामी की तिथि एवं समय:- दिनांक 10.07.2026 को प्रातः 11:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक, 10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ। न्यूनतम बोली वृद्धि राशि ऊपर उल्लेखित है।

बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन बोली में भाग लेने के लिए हमारी ई-नीलामी सेवा प्रदाता पीएसबी अलायंस प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट (https://www.baanknet.com) पर जाएँ। तकनीकी सहायता के लिए कृपया 8291220220 पर कॉल करें। पंजीकरण स्थिति और अग्रिम राशि (EMD) की स्थिति के लिए कृपया support.baanknet@psballiance.com पर ईमेल करें। संपत्ति के विवरण और संपत्ति की फोटो और नीलामी के नियम और शर्तों के लिए कृपया विजिट करें: https://www.baanknet.com और इस पोर्टल से संबंधित स्पष्टीकरण के लिए, कृपया PSB Alliance Pvt ltd, संपर्क नंबर 8291220220 से संपर्क करें। बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे www.baanknet.com वेबसाइट में संपत्ति की खोज करते समय ऊपर उल्लेखित संपत्ति आईडी नंबर का उपयोग करें।

दिनांक: 29.05.2026 स्थान: नई दिल्ली
प्राधिकृत अधिकारी, इंडियन बैंक

फॉर्म संख्या **INC-25A**
(कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 41 के अनुसार)
(रूपांतरण के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन)
सार्वजनिक कंपनी को निजी कंपनी में बदलना)
क्षेत्रीय निदेशक, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, उत्तरी क्षेत्र निदेशालय–।, नई दिल्ली के समक्ष
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 41 के मामले में
और
मेसर्स एमएक्सपी मीडिया इंडिया लिमिटेड (सीआईएन: **U93000DL2013PLC248555**), जिसका पंजीकृत कार्यालय एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9–10 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली, दिल्ली, भारत, 110002 के मामले में
...आवेदक कंपनी

आम जनता को सूचित किया जाता है कि कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 के तहत और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, केंद्रीय सरकार को आवेदन करने का प्रस्ताव रखती है और **25 मई 2026** को हुई असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बदलने की इच्छुक है, ताकि कंपनी इस बदलाव को लागू कर सके।

कोई भी व्यक्ति जिसका हित कंपनी के प्रस्तावित परिवर्तन/स्थिति से प्रभावित होने की संभावना है, वह अपने विरोध को एक शपथ पत्र के साथ क्षेत्रीय निदेशक, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, उत्तरी क्षेत्र निदेशालय, । बी–2 विंग, दूसरी मंजिल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, दूसरी मंजिल, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110003 को वितरित कर सकता है या वितरित करवा सकता है या पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है। जिसकी एक प्रति इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर नीचे वर्णित आवेदक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में भेजनी होगी।

एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9–10 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली, दिल्ली, भारत, 110002

आवेदक के लिए और उसकी ओर से
एमएक्सपी मीडिया इंडिया लिमिटेड
एसडी/–
शेखर
निदेशक
डीआईएन: 10168329

दिनांक: 01.06.2026
स्थान: नई दिल्ली

एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9–10 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली, दिल्ली, भारत, 110002

Satin Housing Finance Ltd. THE ANSWER IS HOME

सैटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : पांचवीं मंजिल, कुंदन भवन, आजादपुर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, आजादपुर, नई दिल्ली- 110033 कॉर्पोरेट कार्यालय : प्लॉट नं. 492, उद्योग विहार, फेज- 3, गुरुग्राम हरियाणा- 122016

नीलामी सह बिक्री की सार्वजनिक सूचना

सैटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत उधारकर्ता/ओं से देय राशि की वसूली हेतु नीचे उल्लिखित गिरवी परिसंपत्तियों पर कब्जा लेने के बाद, अधोहस्ताक्षरी द्वारा सीलबंद लिफाफों में नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जो भौतिक कब्जे में है, की खरीद के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं और जो 17–06–2026 को **"जैसी है जहां है और जैसी है जो है"** आधार पर बेची जाएगी, जिसका विवरण नीचे दिया गया है :–

क्र. सं.	ऋण खाता सं. एवं उधारकर्ता(ओं) / सह-उधारकर्ता(ओं) के नाम एवं पते	मांग सूचना तिथि एवं राशि	आरक्षित मूल्य / ईएमडी एवं न्यूनतम वृद्धिशील बोली
1.	अचल संपत्ति का विवरण :– ऋण सं.: LAKPR0323-00007642 1. योगिता गुल्ला पत्नी राजीव कुमार (उधारकर्ता), 2. राजीव कुमार पुत्र विनोद कुमार (सह–उधारकर्ता) निवासी : प्लॉट नं. 14, कुंती नगर, बर्रा–2, बर्रा, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश – 208027, **पता यहाँ पर भी :** ज्योति हाई बी टॉवर 10वाँ तल 1103, नवीन नगर एस.ओ., कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश – 208025	05–02–2025 रु. 28,10,009/– (रुपये अट्ठाईस लाख दस हजार नौ मात्र) तिथि 08–01–2025 के अनुसार	आरक्षित मूल्य : रु. 28,27,440/– (रुपये अट्ठाईस लाख सत्ताईस हजार चार सौ चालीस मात्र) ईएमडी : रु. 2,82,744/– (रुपये दो लाख बयासी हजार सात सौ चौवालिस मात्र)

संपत्ति का विवरणः– फ्लैट नं. टी–3, मकान संख्या 126/22 की तीसरी मंजिल पर, जिसका क्षेत्रफल 99.53 वर्ग मीटर है, जो भूमि का अविभाजित हिस्सा 26.118 वर्ग मीटर है, ब्लॉक–९, गोविंद नगर, कानपुर नगर में स्थित है, जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं :– पूर्व– 30 फीट सड़क, पश्चिम– प्लॉट नं. 59, उत्तर– प्लॉट नं. 47, दक्षिण– प्लॉट नं. 49, पंजीकृत तिथि : 04.05.2023, खाताबही संख्या 01, खंड संख्या 25957, पृष्ठ संख्या– 199 – 230, विलेख संख्या– 4047

1. निर्धारित निविदा प्रपत्रों में ईएमडी सहित सीलबंद प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि **15–06–2026** है। आवेदन उपरोक्त उल्लिखित कॉर्पोरेट कार्यालय के पते पर जमा किए जा सकते हैं। जो निविदाएं भरी नहीं गई हैं या अंतिम तिथि के बाद प्राप्त हुई हैं, उन्हें अमान्य निविदा माना जाएगा और तदनुसार अस्वीकार कर दिया जाएगा। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।
2. संपत्ति के लिए प्रस्ताव खोलने की तिथि **10–06–2026** है। आवेदन उपरोक्त उल्लिखित **कॉर्पोरेट कार्यालय के पते पर मध्या. 11:00 बजे** खोले जाएंगे। निविदाएं अधिकृत अधिकारी की उपस्थिति में खोली जाएंगी।
3. अचल संपत्ति का निरीक्षण **12–06–2026 को मध्या. 11:00 बजे से अप. 4:00 बजे** के बीच किया जा सकता है।
4. नोटिस में बकाया राशि और आकस्मिक व्यय, लागत आदि पर ऋण समझौते के अनुसार लागू ब्याज लगाया जाएगा, जो भुगतान होने तक देय है।
5. एतद्द्वारा उधारकर्ता और गारंटर को सूचित किया जाता है कि वे बिक्री के समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहें और वे बिक्री की शर्तों और नियमों के अनुसार उपरोक्त वर्णित अचल संपत्ति की खरीद के लिए इच्छुक खरीदारों/ग्राहकों को ला सकते हैं।
6. उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(रों) को एतद्द्वारा सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत 15 दिन की बिक्री सूचना दी जाती है कि वे नीलामी की तिथि से पहले ऊपर उल्लिखित राशि का भुगतान करें, अन्यथा अचल संपत्ति की नीलामी की जाएगी और यदि कोई बकाया राशि बचती है, तो उसे ब्याज और लागत सहित वसूल किया जाएगा। यदि उधारकर्ता बिक्री की तिथि से पहले सैटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को देय राशि का पूरा भुगतान करता है, तो नीलामी रोक दी जाएगी।
7. नीलामी बिक्री की विस्तृत शर्तें और नियम निर्धारित निविदा प्रपत्र में शामिल हैं। निविदा प्रपत्र उपरोक्त कॉर्पोरेट कार्यालय में उपलब्ध हैं।
8. अचल संपत्ति उच्चतम बोलीदाता को बेची जाएगी। हालांकि, अधोहस्ताक्षरी आवश्यकता पड़ने पर आपसी बोली लगाने की अनुमति देने का पूर्ण विवेकाधिकार सुरक्षित रखते हैं।
9. कंपनी संपत्ति पर किसी भी ऐसे दायित्व के लिए उत्तरदायी नहीं है जिसकी जानकारी कंपनी को नहीं है।
10. नीलामी के संबंध में अधिक विवरणों के लिये कृपया श्री अमित त्याग को 7042670547 पर संपर्क करें।

स्थान : गुरुग्राम
दिनांक : 02–06–2026

हस्ता./–, प्राधिकृत अधिकारी
सैटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

KVB Karur Vysya Bank Smart way to bank

संपत्ति वसूली शाखा, क्रमांक 6, तीसरी मंजिल, मेट्रो स्तंभ क्रमांक 80 के सामने, पूसा रोड, करोल बाग, नई दिल्ली–110 005,
फोन: 011–35008283, मोबाइल: 7827006229,

अचल संपत्तियों की बिक्री की सूचना

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नियम 9(1) एवं नियम 6(2) के प्रावधान सहित धारा 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री हेतु ई–नीलामी सूचना।

आम जनता और विशेष रूप से उधारकर्ता(कों) और गारंटर(कों) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियां, जो कि सुरक्षित लेनदार, करूर वैश्य बैंक लिमिटेड के पास गिरवी/बंधक हैं और जिनका भौतिक कब्जा करूर वैश्य बैंक लिमिटेड, सुरक्षित लेनदार के अधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, उन्हें **23.06.2026 को "जैसा है, जहां है", "जैसा है, जो है" और "जो कुछ भी है"** के आधार पर बेचा जाएगा, ताकि **31.05.2026 तक की तारीख के अनुसार 104,84,58,108.89 रुपये (एक सौ चार करोड़ चौरासी लाख अट्ठावन हजार एक सौ आठ रुपये और नवासी पैसे मात्र)** की वसूली की जा सके, जिसमें 01/06/2026 से देय ब्याज और व्यय भी शामिल हैं।

(1) मैसर्स आजाद इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालयः खसरा नंबर 73/19/2 और 22/1, रोहतक रोड, ग्राम मुंडका, नई दिल्ली–110041, (2) श्री अनिल कुमार गोयल पुत्र– श्री प्रेम सागर गोयल, निवासी 450, प्रथम तल, दीपाली, पीतमपुरा, दिल्ली–110034,
(3) श्री आकाश गोयल पुत्र– श्री अनिल कुमार गोयल निवासी 450, प्रथम तल, दीपाली, पीतमपुरा, दिल्ली–110034,
(4) श्रीमती रेनू अग्रवाल, पत्नी– श्री सुमित गोयल, निवासी 450, प्रथम तल, दीपाली, पीतमपुरा, दिल्ली–110034,
(5)श्रीमती सुमन रानी पत्नी– श्री अनिल कुमार गोयल ए50, प्रथम तल, दीपाली, पीतमपुरा, दिल्ली–110034 और
(6)श्री सुमित गोयल पुत्र– श्री चंद गोयल ए50, प्रथम तल, दीपाली, पीतमपुरा, दिल्ली–110034

अचल संपत्तियों का विवरण

गिरवी दस्तावेजों के अनुसार विवरणः वाणिज्यिक संपत्ति (क्षेत्रफल 1250 वर्ग गज) जिसमें एक मंजिला इमारत शामिल है, जो 73/19/2(1–05) और 73/22/1(3–08), मुंडका, स्वाम पार्क में स्थित है, श्रीमती सुमन रानी पत्नी श्री अनिल कुमार गोयल के नाम पर है और जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: **उत्तरः** सड़क, **दक्षिणः** सड़क, **पूर्वः** सड़क, पश्चिमः अन्य।

संपत्ति का विवरण साइट के अनुसार वर्तमान तिथि के अनुसारः वाणिज्यिक/औद्योगिक मुक्तधारित संपत्ति जिसका क्षेत्रफल 1250 वर्ग गज है, जिसमें 11250 वर्ग फुट का शेड/भवन और एक छोटा कार्यालय शामिल है, जो मुंडका के राजस्व क्षेत्र (राजधानी मेट्रो स्टेशन के निकट), स्वाम पार्क, मुंडका, दिल्ली – 110041 में स्थित है, श्रीमती सुमन रानी पत्नी श्री अनिल कुमार गोयल के नाम पर है और जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: **उत्तरः** सड़क, दक्षिणः 18 फुट सड़क, **पूर्वः** 13 फुट सड़क, **पश्चिमः** अन्य।

आरक्षित मूल्य,	ईएमडी,	बोली राशि, वृद्धिशील	कब्जा प्रकार
रु. 8,10,00,000/–	रु. 81,00,000/–	रु. 5,00,000/–	भौतिक

संपत्ति का निरीक्षण	सभी कार्य दिवसों में – 02.06.2026 से 20.06.2026 तक सुबह 11:00 बजे से शाम 5:00 बजे के बीच
ऑनलाइन निविदा एवं आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि और समयः	**दिनांकः 22.06.2026, समयः शाम 5:00 बजे**
ई–नीलामी की तिथि और समय	ई–नीलामी पोर्टल **https://bankauctions-in (ई–नीलामी प्रदाता का वेब पता) के माध्यम से 23/06/2026 को सुबह 11:00 बजे से 11:30 बजे के बीच होगी, जिसमें बिक्री पूरी होने तक 5 मिनट के असीमित विस्तार की सुविधा उपलब्ध होगी।**
नोडल बैंक खाता नाम	**करूर वैश्य बैंक लिमिटेड,** केंद्रीय कार्यालय, खाता संख्याः **मेसर्स आजाद इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड, IFSC कोडः KVBL0001101 के पक्ष में।**
संपर्क व्यक्ति एवं फोन नंबर	अतुल अग्रवाल, फोनः 7827006229, राजेश ठक्कर, फोनः 9910972101, ईमेलः **arbdelhi@kvbmail.com**

बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए, कृपया करूर वैश्य बैंक लिमिटेड की वेबसाइट https://www.kvb-bank.in/Property Under Auction पर दिए गए लिंक और सेवा प्रदाता, M/s- 4Closure के वेब पोर्टल https://bankauctions पर दिए गए लिंक को देखें।

सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 6(2) के साथ पठित नियम 9(1) के अंतर्गत 15 दिनों की सांविधिक सूचना

ऋणकर्ता और गारंटर/गारंटरों को सूचित किया जाता है कि वे उपर्युक्त बकाया राशि, अद्यतन ब्याज और अन्य संबंधित खर्चों सहित, इस सूचना की प्राप्ति तिथि से 15 दिनों के भीतर भुगतान करें। ऐसा न करने पर, अनुसूची में उल्लिखित संपत्ति की नीलामी/बिक्री की जाएगी और यदि कोई बकाया राशि हो, तो उसे ब्याज और लागत सहित वसूल किया जाएगा।

दिनांकः 02.06.2026
स्थानः नई दिल्ली

अधिकृत अधिकारी
करूर वैश्य बैंक लिमिटेड

ऐक्सिस बैंक लि0 कब्जे की नोटिस

रिटेल एसेट्स सेंटरः प्रथम तल, जी–4/5 बी सेंटर–4, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ– 226010
रजिस्टर्ड ऑफिसः (त्रिशूल), तृतीय तल, समराथेश्वर मंदिर के सामने, लॉ गार्डन के पास, एलिसब्रिज, अहमदाबाद–380006

जबकि, अधोहस्ताक्षरी, ऐक्सिस बैंक लि0 के प्राधिकारी, न सिक्योरिटाइजशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनेन्शियल एसेट्स एण्ड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के अन्तर्गत तथा सिक्योरिटी इंटरेस्ट (इंफोर्समेंट) रूल, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत मांग नोटिस जारी किये गये। उक्त वर्णित उधारकर्ता राशि का भुगतान करने में असफल रहे है, अतः उक्त वर्णित उधारकर्ताओं को विशेष रूप से एवं सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उन्हें उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त एक्ट की धारा 13(4) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कब्जा ले लिया है। उपरोक्त वर्णित उधारकर्ताओं को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि उक्त सम्पत्ति के साथ कोई सौदा न करें तथा उक्त सम्पत्ति के साथ किया जाने वाला कोई सौदा एक्सिस बैंक लि0 के साथ उक्त नोटिस में वर्णित वार्षिक ब्याज, अनुशंगी व्यय, लागत, प्रभार इत्यादि समेत से प्रभावी, मॉर्टगेज के विषयाधीन होगा। ऋणी/सह–ऋणी/बंधककर्ता एवं जमानतकर्ता का ध्यान सरफेसी एक्ट की धारा 13(8) की ओर आकृष्ट किया जाता है कि तय समय सीमा में बन्धक सम्पत्ति को रीडीम (मोचन) कर सकते हैं।

खातेदार/गारन्टरों का नाम एवं पता	सुरक्षित सम्पत्तियों का विवरण	मांग नोटिस के अनुसार बकाया राशि / मांग सूचना की तिथि / कब्जे की तिथि
1. मै0 प्रकाश ऑयल्स (ऋणी) प्रोपराइटर श्री प्रकाश यादव पताः1– एमई 320 मिनि एम.आई.जी., पूर्णचन्द्र विद्यालय रोड, बर्रा 2, कानपुर उ0प्र0–208027, **पताः2**– एमई 344, मिनि एम.आई.जी., ब्लॉक एमआई, योजना नं0 40, बर्रा 2, कानपुर 208027, **पताः 3**– ए–938, हेमन्त विहार, बर्रा 2, कानपुर 208027, 2. श्री प्रकाश यादव (सह–ऋणी/बंधककर्ता/गारंटर) पुत्र श्री राम लखन यादव **पताः 1**– एमई 320 मिनि एम.आई.जी., पूर्णचन्द्र विद्यालय रोड, बर्रा 2, कानपुर उ0प्र0–208027, **पताः 2**– एमई 344, मिनि एम.आई.जी, ब्लॉक एमआई, योजना नं0 40, बर्रा 2, कानपुर 208027	परिवर्तित भूमि/सम्पत्ति के सभी भाग एवं खंड स्थित मकान नं0 एमई 344, ग्राउण्ड फ्लोर, मिनि एम.आई.जी., ब्लॉक एमआई, योजना नं0 40, बर्रा 2, कानपुर, उ0प्र0, एरियाः 103.09 वर्ग मी., सम्पत्ति श्री प्रकाश यादव पुत्र श्री राम लखन यादव के नाम। **चौहद्दीः** पूर्व– मकान नं0 346, पश्चिम– मकान नं0 342 , उत्तर– ओल्ड एम.आई.जी., दक्षिण– रोड।	**रू0 3395935.42 रू0 609922.62 दि. 26.11.2025 तक + ब्याज एवं अन्य खर्चे** / 26.11.2025 / 30.05.2026
1. मै0 श्री बिहारी जी कैटल फीड्स प्राइवेट लिमिटेड (ऋणी/बंधककर्ता) निदेशकों के माध्यम से, **पताः 1.** 117/155, ओ ब्लॉक, निकट गीता नगर क्रोसिंग कानपुर, उत्तर प्रदेश–208006, **पताः 2.** 73/31, प्रथम तल, न्यू भंडारी भवन, कलेक्टरगंज, जिला कानपुर, उत्तर प्रदेश, **पताः 3.** 1449, अकबरपुर, कानपुर देहात, जिला कानपुर, उ0प्र0, 2. श्री यतीन्द्र कुमार गुप्ता (सह–ऋणी/बंधककर्ता/गारंटर) पुत्र श्री विश्वनाथ गुप्ता **पताः 1.** मकान नं0 117/155, ओ ब्लॉक, गीता नगर, रावतपुर निकट गीता नगर, क्रोसिंग कानपुर, उत्तर प्रदेश–208019, **पताः 2.** 73/31, प्रथम तल, न्यू भंडारी भवन, कलेक्टरगंज, जिला कानपुर, उत्तर प्रदेश, **पताः 3.** 1449, अकबरपुर, कानपुर देहात, जिला कानपुर, उ0प्र0, 3. श्री दिनेश चन्द्र गुप्ता (सह–ऋणी/बंधककर्ता/गारंटर) पुत्र श्री कुन्दन लाल गुप्ता **पताः 1.** महाराणा प्रताप नगर, बिल्होर कानपुर, उत्तर प्रदेश–209202, **पताः 2.** 73/31, प्रथम तल, न्यू भंडारी भवन, कलेक्टरगंज, जिला कानपुर, उत्तर प्रदेश, **पताः 3.** 1449, अकबरपुर, कानपुर देहात, उ0प्र0	परिवर्तित व्यवसायिक सम्पत्ति के सभी भाग एवं खंड, 1449, ग्राम बिसायकपुर, परगना अकबरपुर, कानपुर देहात, कानपुर, उ0प्र0, एरियाः 5630 वर्ग मी., सम्पत्ति मै0 श्री बिहारी जी कैटल फीड्स प्रा0 लि0 के नाम, सभी भवनों एवं उन पर स्थित सहित, फिक्चर्स, फिटिंग एवं सभी संयंत्र और मशीनरी जो पृथ्वी से जुड़ी है या पृथ्वी से जुड़ी हुई किसी भी चीज से स्थाई रूप से जुड़ी हैं, **चौहद्दीः**–पूर्व–अन्य मकान रोड, पश्चिम–कृषि भूमि, उत्तर–रोड, दक्षिण–बी आर पॉली पैक।	**रू0 29643470.61 रू0 1447671.09 दि. 01.12.2025 तक + ब्याज एवं अन्य खर्चे** / 10.03.2026 / 30.05.2026
1. मै0 मां दुर्गा ट्रेडर्स (ऋणी) प्रोपराइटर श्री विनय कुमार यादव पताः कुंवरपुर, सैदपुर, निकट प्राइमरी स्कूल गाजीपुर, उ0प्र0–233302, 2. श्री विनय कुमार यादव (सह–ऋणी/बंधककर्ता/गारंटर) पुत्र श्री राना सिंह यादव **पताः 1.** कुंवरपुर, नसारा, सैदपुर निकट प्राइमरी स्कूल, जिला–गाजीपुर, उ0प्र0–233302, **पताः 2.** आराजी नं0 0637, निसारा, तहसील सैदपुर गाजीपुर, उ0प्र0–250001	परिवर्तित भूमि/सम्पत्ति के सभी भाग एवं खंड, स्थित आराजी नं0 637, मौजा नौसारा, परगना एवं तहसील सैदपुर, जिला गाजीपुर, उ0प्र0, एरियाः 0.1177 हेक्ट., सम्पत्ति श्री विनय कुमार यादव पुत्र श्री राना सिंह यादव के नाम, **चौहद्दीः**–पूर्व–भगवत पाल की भूमि, पश्चिम– चक रोड, उत्तर–जगदीश यादव की भूमि, दक्षिण–चक रोड।	**रू0 3581767.49 दि. 22.08.2025 तक + ब्याज एवं अन्य खर्चे** / 08.09.2025 / 29.05.2026

दिनांकः 02.06.2026
प्राधिकृत अधिकारी, एक्सिस बैंक लि0

SOUTH INDIAN Bank

द साउथ इंडियन बैंक लि.

क्षेत्रीय कार्यालय–दिल्ली, 3री मंजिल, प्लॉट नं. 21, 21/1, पूसा रोड, करोल बाग, नई दिल्ली–110005
ईमेलः ro1008@sib.co.in

RO: DEL/CRD/SAR/12/2026-27 दिनांकः 01-06-2026

ई-नीलामी बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) और 9(1) के परंतुक के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना

ऋणधारक): 1) मैसर्स आदित्य क्लीन एनर्जी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, 101–ए शिव कुटीर, दूसरी मंजिल, हरि नगर आश्रम, नई दिल्ली, दक्षिण दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली–110014
अन्य पताः बी–12 और 13, सालेमपुर औद्योगिक क्षेत्र, डाकघर सिकंदरा राव, जिला हाथरस, उत्तर प्रदेश–204101
गारंटर्सः 2. श्री मनोज कुमार, 39 मेधा अपार्टमेंट, मयूर विहार, फेज 1, एक्सटेंशन, नई दिल्ली 110092
3. श्रीमती जानकी जोशी, 39 मेधा अपार्टमेंट, मयूर विहार, फेज 1, एक्सटेंशन, नई दिल्ली 110092
4. मैसर्स विजन कंट्रोल प्रोडक्ट्स प्रा. लि., 101–ए शिव कुटीर, पहली मंजिल, हरि नगर आश्रम, नई दिल्ली, दक्षिण दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली–110014

एतदद्वारा सर्वसाधारण और विशेष रूप से ऋणधारक/जमानतदारों को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जो द साउथ इंडियन बैंक लि., कनॉट प्लेस शाखा, नई दिल्ली (सुरक्षित लेनदार) के पास बंधक है, और जिसका भौतिक कब्जा द साउथ इंडियन बैंक लि. (सुरक्षित लेनदार) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, उसे ऊपर उल्लिखित ऋणधारक और जमानतदारों से द साउथ इंडियन बैंक लि., कनॉट प्लेस शाखा - नई दिल्ली (सुरक्षित लेनदार) के बकाया ₹ 1,48,33,898.60/- (रुपये एक करोड़ अड़तालीस लाख तेतीस हजार आठ सौ अनठानवे और साठ पैसे मात्र) दिनांक 31.05.2026 तक, तथा इसके बाद भविष्य के ब्याज, लागत और खर्चों आदि की वसूली के लिए दिनांक 18.06.2026 को "जैसा है जहाँ है", "जैसा है जो है" और "जो कुछ भी वहाँ है" की स्थिति में बेचा जाएगा।

संपत्ति के मालिक का नाम	**मैसर्स आदित्य क्लीन एनर्जी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड**
संपत्ति का विवरण	मैसर्स आदित्य क्लीन एनर्जी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व में उत्तर प्रदेश के जिला हाथरस, परगना/तहसील सासनी के अंतर्गत सालेमपुर गाँव में स्थित यूपीएसआईडीसी औद्योगिक क्षेत्र के प्लॉट सं. बी–12 पर स्थित 3200 वर्ग मीटर. भूमि का वह पूरा हिस्सा और टुकड़ा, साथ ही उस पर मौजूदा अन्य सभी निर्माण, सुधार, सुखाचार अधिकार और अन्य सभी संबद्ध वस्तुएं, जिसका विस्तृत विवरण एसआरओ सासनी, हाथरस में पंजीकृत लीज डीड सं. 306/16 और 307/16 में दर्ज है, **जिसकी चौहद्दी (सीमाएं) इस प्रकार हैं: संपत्ति की माप 3200 वर्ग मी.(प्लॉट नं. बी12); उत्तरः प्लॉट नं. प्लॉट नं.बी11, दक्षिणः प्लॉट नं. बी13, पूर्वः सड़क, पश्चिमः शॉपिंग क्षेत्र**
आरक्षित मूल्य	₹ 2,16,00,000/- (रुपये दो करोड़ सोलह लाख मात्र)
धरोहर जमा राशि (ईएमडी)	₹ 21,60,000/- (रुपये इक्कीस लाख साठ हजार मात्र) - ईएमडी दिनांक 17.06.2026 को दोपहर 02:00 बजे तक या उससे पहले जमा की जानी चाहिए।
बोली वृद्धि राशि	₹ 10,000/- (रुपये दस हजार मात्र)
ई–नीलामी की तिथि और समय	18.06.2026 को सुबह 11:00 बजे से दोपहर 11:30 बजे तक (बिक्री समाप्त होने तक 5 मिनट के असीमित ऑटो–एक्सटेंशन के साथ)
बैंक को ज्ञात अधिभार	दिनांक 01.01.2022 से 07–11–2024 तक कोई भार नहीं है (शून्य)। हालांकि, माननीय ऋण वसूली न्यायाधिकरण, इलाहाबाद के समक्ष SA/136/2025 लंबित है।

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया द साउथ इंडियन बैंक लि. (सुरक्षित लेनदार) के वेब पोर्टल की वेबसाइट यानी www.southindianbank.com पर दिए गए लिंक को देखें। यह विवरण https://bankauctions.in पर भी उपलब्ध है। संपत्ति के निरीक्षण, ई-नीलामी के नियमों और शर्तों या बोली जमा करने के संबंध में किसी भी अन्य स्पष्टीकरण के लिए, कृपया द साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड. से संपर्क नं.: 9971-245-952 / 9007-046-006 / 7309-655-552 पर संपर्क करें।

हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी

कार्यालय वसूली अधिकारी-II
ऋण वसूली अधिकरण-II, चंडीगढ़

प्रथम तल, एससीओ नं. 33-34-35, सेक्टर-17ए, चंडीगढ़

आरसी नं. 210/2018 **बिक्री उद्घोषणा** नीलामी की तिथि : 07/07/2026

समय-समय पर यथासंशोधित बैंक तथा वित्तीय संस्थान के बकाया ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 37, 38 और नियम 52(1), (2) के अंतर्गत बिक्री की उद्घोषणा

इंडियन बैंक बनाम श्री गुगन सिंह

सेवा में,
सीडी-1 श्री गुगन सिंह पुत्र श्री चंदगी (मृत्यु के बाद से) एलआरएस के माध्यम से:-
क राज कला पत्नी/पुत्री स्वर्गीय श्री गुगन सिंह
कक अजय पुत्र स्व. श्री गुगन सिंह
ककक कृष्ण पुत्र स्वर्गीय श्री गुगन सिंह
कङ संजय पुत्र स्वर्गीय श्री गुगन सिंह
सभी निवासी गांव मोखरा खेड़ी, तहसील महम, जिला रोहतक, हरियाणा।
सीडी-2 श्रीमती राज कला पत्नी/पुत्री स्वर्गीय श्री गगन सिंह, निवासी गांव मोखरा खेड़ी, तहसील महम, जिला रोहतक, हरियाणा
सीडी-3 श्री महावीर पुत्र श्री महिपाल, निवासी गांव मोखरा खेडी, तहसील महम, जिला रोहतक, हरियाणा

1. जैसा कि वसूली प्रमाणपत्र, यानी ओ.ए. सं.. 3635/2017 में आरसी नं. 210/2018, रू. 13,77,529/- की राशि की संयुक्त और अलग-अलग वसूली के लिए जारी किया गया था; जिसमें रू. 35,968/- का व्यय, और 01.08.2014 से लेकर प्रमाणपत्र देनदारों से आवेदक बैंक/प्रमाणपत्र धारक को देय राशि की वसूली की तिथि तक 12% प्रति वर्ष की दर से वर्तमान और भविष्य का साधारण ब्याज भी शामिल है।
2. जैसा, नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित प्रमाणपत्र देनदार की गिरवी रखी गई/कुर्क की गई संपत्तियों की बिक्री का आदेश, उक्त वसूली प्रमाणपत्र की पूर्ति के लिए, अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिया गया है। एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि, यदि बिक्री को स्थगित करने का कोई आदेश नहीं आता है, तो उक्त संपत्ति(यों) की बिक्री **दिनांक 07.07.2026 को दोपहर 14:00 बजे से 15:00 बजे** के बीच नीलामी द्वारा की जाएगी, और बोली ऑनलाइन माध्यम से वेबसाइट: - **https://www.bankeauctions.com** के माध्यम से लगाई जाएगी। नीलामी सेवा प्रदाता के अधिकृत संपर्क व्यक्ति का विवरण इस प्रकार है: **नाम: श्री मिथिलेश कुमार - सहायक प्रबंधक, www.c1india.com** प्लॉट संख्या 68, तीसरी मंज़िल, सेक्टर-44, गुड़गांव-122003, हरियाणा (भारत) **वेबसाइट - https://www.bankeauctions.com डायरेक्ट:** 0124-4302000 | **मोबाइल नंबर:** +9170808044061 **ई-मेल: delhi@c1india.com सी1 इंडिया: दूसरी ई-मेल आईडी: mithalesh.kumar@c1india.com**
3. नीलामी सेवा प्रदाता के लिए अधिकृत बैंक अधिकारी का विवरण इस प्रकार है: **नाम: श्री करमवीर सिंह, मुख्य प्रबंधक, इंडियन बैंक, हुडा कॉम्प्लेक्स, रोहतक, हरियाणा; मोबाइल नंबर (70159-50557); ईमेल: R648@indianbank.co.in.** बिक्री ऊपर नामित प्रतिवादियों/सीडी की संपत्तियों की होगी, जैसा कि नीचे दी गई अनुसूची में बताया गया है; और उक्त संपत्तियों से जुड़ी देनदारियां और दावे—जहां तक ??उनका पता लगाया जा सका है—वे हैं जो अनुसूची में प्रत्येक लॉट के सामने निर्दिष्ट किए गए हैं।
4. संपत्ति को अनुसूची में निर्दिष्ट लॉट के अनुसार बिक्री के लिए रखा जाएगा। यदि वसूली की जाने वाली राशि संपत्ति के किसी हिस्से की बिक्री से ही पूरी हो जाती है, तो शेष संपत्ति के संबंध में बिक्री को तत्काल रोक दिया जाएगा।
5. बिक्री तब भी रोक दी जाएगी, यदि किसी भी लॉट की नीलामी पूरी होने से पहले, उक्त प्रमाण पत्र में उल्लिखित बकाया राशि + ब्याज + लागत (बिक्री की लागत सहित) बिक्री का संचालन कर रहे अधिकारी को जमा कर दी जाती है; अथवा अधिकारी को इस बात का संतोषजनक प्रमाण दे दिया जाता है कि उक्त प्रमाण पत्र, ब्याज और लागत की राशि अधोहस्ताक्षरी को भुगतान कर दी गई है।
6. बिक्री, आयकर अधिनियम, 1961 की दूसरी अनुसूची में निर्धारित शर्तों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अधीन होगी; तथा साथ ही निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के भी अधीन होगी:-
(i) संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण अधोहस्ताक्षरी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार प्रस्तुत की गई है, लेकिन, इस उद्घोषणा में किसी गलती,त्रुटि अथवा खामी के लिए अधोहस्ताक्षरी उत्तरदायी नहीं होंगे।
(ii) आरक्षित मूल्य जिसके नीचे सम्पत्ति की बिक्री नहीं की जायेगी वह अनुसूची में उल्लिखित के अनुसार होगी।
(iii) वह राशि जिसके द्वारा बोली बढ़ाई जाएगी वह इसके पश्चात तालिका में वर्णित के अनुसार होगी। यदि बोली राशि अथवा बोलीदाता से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो लॉट को फिर से बिक्री पर लगाया जाएगा।
(iv) उच्चतम बोलीदाता को किसी भी लॉट का क्रेता घोषित किया जाएगा बशर्ते वे संबोली के लिए वैधानिक रूप से अर्ह हैं तथा बशर्ते उनके द्वारा बोली राशि आरक्षित मूल्य से कम नहीं है।
(v) यदि प्रस्तावित मूल्य स्पष्ट रूप से अपर्याप्त होता है तथा ऐसा करना व्यवहारिक नहीं होता है तो अधोहस्ताक्षरी स्वेच्छा से उच्चतम बोली को स्वीकार/अस्वीकार कर सकते हैं।
(v) प्रत्येक इच्छुक बोलीदाता को जमा धरोहर राशि (ईएमडी) 06.07.2026 **को 17:00 बजे तक वसूली अधिकारी-क ऋणवसूली अधिकरण-II (डीआरटी-2) चण्डीगढ़ के पक्ष खाता आरसी नंबर** 210/2018 में डीडी/पे ऑर्डर के माध्यम से तथा पैन कार्ड, पते का प्रमाण एवं पहचान प्रमाण, ई-मेल आईडी, मोबाइल नं. के साथ सम्पत्ति का विवरण और कम्पनी के मामले में अथवा कम्पनी के प्रतिनिधान/अटॉर्नी की पुष्टि करने वाले अन्य दस्तावेज और ऐसी जमा की रसीद/काउंटरफॉयल आर.ओ./कोर्ट ऑक्शनियर के पास जमा करने होंगे। इसके पश्चात जमा की गयी ईएमडी नीलामी में भाग लेने के लिए पात्र नहीं मानी जायेगी।

जमा धरोहर राशि (ईएमडी), आरक्षित मूल्य तथा संविदा वृद्धि निम्नवत निर्धारित होगी :

क्र.सं.	सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य (रू. में)	ईएमडी राशि (रू. में)
1	कुल जमीन का माप 7बी-12बी, यानी 38के-0एम है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है: - **A.** गुग्गन सिंह (जो अब दिवंगत हैं) कुल 13 बीघा 3 बिस्वा जमीन में से 1/9 + 10/163 + 1/12 हिस्से के मालिक हैं; यह जमीन खेवट संख्या 104, खतौनी संख्या 425 और 426, तथा खसरा संख्या 3286(4-3), 3291(0-16), 3292(0-18), 3294(2-7), 3295(4-19) में शामिल है। **B.** और कुल 4 बीघा 16 बिस्वा जमीन में से 1/6 + 7/192 + 1/12 हिस्से के मालिक हैं; यह जमीन खेवट संख्या 105, खतौनी संख्या 427, तथा खसरा संख्या 1427(2-8), 1428(2-8) में शामिल है। **C.** और 18 बीघा 13 बिस्वा जमीन में से 1/616 + 1/12 हिस्से के मालिक हैं; यह जमीन खेवट संख्या 116, खतौनी संख्या 446 से 450, तथा खसरा संख्या 3296(2-16), 3297(2-13), 3301 मिन (1-14), 3248 मिन (24), 3299 मिन (1-3), 3300 मिन (14), 3298 मिन (0-5), 3299 मिन (3-12), 3300 मिन (3-0), 3301 मिन (0) में शामिल है। **D.** और खेवट संख्या 117, खतौनी संख्या 451 से 454, खसरा संख्या .23(2-7), 24(1 -15), 25(1 -18), 25 मिन (1 -10), 23 मिन (2-0), 24 मिन (1 -15), 25 मिन में शामिल कुल 12 बीघे 3 बिस्वा भूमि में से (0-18). **E.** 0 बीघे 10 बिस्वा की भूमि, खेवट संख्या 107, खतौनी संख्या 429, खसरा संख्या 3287/2(3-4) में सम्मिलित 3 बीघे 4 बिस्वा भूमि में से 10/109 हिस्सा है और खेवट संख्या में सम्मिलित 2 बीघे 5 बिस्वा की कुल भूमि में से 10/109 हिस्सा है। 108, खतौनी नंबर 430, खसरा नंबर 3287/1 (2-5)। भूमि गांव मोखरा खेड़ी, तहसील महम, जिला रोहतक, हरियाणा में स्थित है	**रु. 73,28,062/-**	**रु. 7,32,806/-**

7. नियत तिथि और समय के बाद प्राप्त ईएमडी को खारिज कर दिया जाएगा और ईएमडी के लिए भुगतान की गई राशि ई-नीलामी फॉर्म में उनके द्वारा दिए गए विकल्प के माध्यम से वापस कर दी जाएगी। बोली प्रक्रिया में भाग लेने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति के पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र होना आवश्यक है।
उक्त डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र, सक्रिय ई-मेल आईडी और इंटरनेट कनेक्शन के साथ एक कंप्यूटर टर्मिनल सिस्टम प्राप्त करना बोलीदाता की एकमात्र जिम्मेदारी है ताकि वह बोली में भाग ले सके।
ऑनलाइन बोली के दौरान डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र और कनेक्टिविटी के संबंध में कोई भी समस्या बोली लगाने वाले की एकमात्र जिम्मेदारी होगी और इस संबंध में कोई दावा नहीं किया जाएगा।
8. यदि बोली नीलामी के दिए गए समय के अंतिम 5 मिनट के भीतर बढ़ जाती है, तो नीलामी का समय 5 मिनट के लिए अतिरिक्त समय के लिए बढ़ा दिया जाएगा ताकि अन्य बोली लगाने वाले अपनी बोली बढ़ा सकें और 5 मिनट के विस्तारित समय के भीतर आगे कोई वृद्धि न होने पर नीलामी प्रक्रिया समाप्त कर दी जायेगी।
चल/अचल संपत्ति के मामले में प्रत्येक लॉट की कीमत बिक्री के समय या अधिकारी द्वारा बिक्री का निर्देश दिए जाने के तुरंत बाद भुगतान करनी होगी और भुगतान न करने पर संपत्ति को तत्काल पुनर्विक्रय के लिए नीलामी के लिए रखा जाएगा।
9. सफल बोलीदाता को ऊपर उल्लिखित विवरण के अनुसार उक्त खाते/डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर चेक/पे ऑर्डर में अगले दिन तक नॉक डाउन होने पर ईएमडी के समायोजन के बाद बिक्री आय का 25% भुगतान करना होगा। यदि अगले दिन छुट्टी या रविवार है, तो अगला पहले कार्यालय दिवस पर।
10. क्रेता को सम्पत्ति की बिक्री की तिथि से 15वें दिन या उससे पूर्व अन्तिम संविदा राशि का 75% जमा करना होगा। यदि 15वां दिन दिन रविवार या अवकाश होता है तो 15वें दिन के बाद प्रथम बैंककार्य दिवस को ऊपर वर्णित के अनुसार निर्धारित माध्यम में। इसके अतिरिक्त उपर्युक्त क्रेता को रु. 1000/- तक 2% तथा 1000 से अधिक की सकल राशि पर 1% की दर से पाउंडेज **शुल्क रजिस्ट्रार, ऋण वसूली अधिकरण-II चण्डीगढ़ के पक्ष में देय डीडी द्वारा रिकवरी अधिकारी-II, ऋण वसूली अधिकरण-II चण्डीगढ़** के पास जमा करना होगा।
11. निर्धारित अवधि में भुगतान में चूक करने पर बिक्री की नई उद्घोषणा जारी करने के बाद बिक्री के खर्चे को डेफ्रे करने के बाद अधोहस्ताक्षरी यदि उपयुक्त समझते हैं तो जमा राशि सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी और सम्पत्ति की फिर से बिक्री की जायेगी तथा चूक करने वाले क्रेता सम्पत्ति या उस राशि जिसके लिये बाद में उसकी की जायेगी, के भाग के प्रति अपने सभी दावे से वंचित हो जाएगें।
12. **रिकवरी अधिकारी-कक ऋण वसूली अधिकरण-II चण्डीगढ़** द्वारा बिक्री की पुष्टि तक उच्चतम बोलीदाता का सम्पत्ति पर कोई अधिकार/स्वामित्व नहीं होगा।
13. संभावित खरीदार साइट का निरीक्षण कर सकता है और राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर संपत्ति के विवरण को सत्यापित कर सकता है; इसके लिए स्थानीय आयुक्त से काफी पहले संपर्क किए जाने पर, उनके द्वारा पूरा सहयोग प्रदान किया जाएगा।
14. **वसूली अधिकारी-कक ऋण वसूली अधिकरण-II, चंडीगढ़** को यह अधिकार है कि वे नीलामी की कार्यवाही के किसी भी चरण में संपत्ति का कोई भी हिस्सा जोड़ सकते हैं या हटा सकते हैं।
15. असफल बोलीदाताओं को ई-नीलामी बिक्री की कार्यवाही समाप्त होते ही, **वसूली अधिकारी-II, डीआरटी-II, चंडीगढ़/सीएच बैंक** के कार्यालय से अपनी ईएमडी सीधे वापस लेनी होगी। ई-नीलामी ईएमडी फॉर्म के साथ भेजी गई आईडी प्रूफ की फोटोकॉपी का मूल दस्तावेज साथ लाना अनिवार्य है। ईएमडी राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।
16. बिक्री प्रमाण पत्र में, ई-नीलामी ईएमडी फॉर्म में उल्लिखित व्यक्तियों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति का नाम शामिल करने/बदलने के किसी भी अनुरोध पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह अनुरोध पूरी तरह से उचित न हो और **वसूली अधिकारी-II** को संतोषजनक न लगे।
17. यदि बिक्री के लिए एक से अधिक संपत्तियां लाई गई हैं, तो ऐसी संपत्तियों की बिक्री सुविधा के अनुसार की जाएगी; बिक्री सूचना में उल्लिखित क्रम के अनुसार ही चलना अनिवार्य नहीं है।
18. एनआरआई बोलीदाताओं के लिए अपने पासपोर्ट के फोटो वाले पृष्ठ की एक प्रति संलग्न करना और अपनी बोली को भारतीय मिशन (दूतावास) द्वारा विधिवत प्रमाणित करवाकर भेजना अनिवार्य है। चल/अचल संपत्ति की बिक्री ''जैसी है, जहाँ है'', ''जो है यही है'', ''जो कुछ भी है वही है'' और ''उपचार रहित'' आधार पर की जा रही है; साथ ही यह बिक्री नियमों के अनुसार प्रकाशन शुल्क, राजस्व और अन्य ऋणभारों के अधीन होगी।
19. अधोहस्ताक्षरी को यह अधिकार सुरक्षित है कि यदि कोई बोली अनुचित पाई जाती है, तो वह किसी भी या सभी बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है; अथवा वह किसी भी समय, बिना कोई कारण बताए, नीलामी को स्थगित कर सकता है।

बिक्री उद्घोषणा का विवरण वेबसाइट www.drt.gov.in पर देखा जा सकता है।

सम्पत्ति की अनुसूची

क्र. सं.	बेची जाने वाली सम्पत्ति का विवरण	सम्पत्ति अथवा इसके किसी भाग पर आकलित राजस्व	उस ऋणभार का विवरण जो सम्पत्ति पर बकाया है	दावे, यदि कोई हो, जिसे सम्पत्ति पर किया गया है
1	कुल जमीन का माप 7बी-12बी, यानी 38के-0एम है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है: - **A.** गुग्गन सिंह (जो अब दिवंगत हैं) कुल 13 बीघा 3 बिस्वा जमीन में से 1/9 + 10/163 + 1/12 हिस्से के मालिक हैं; यह जमीन खेवट संख्या 104, खतौनी संख्या 425 और 426, तथा खसरा संख्या 3286(4-3), 3291(0-16), 3292(0-18), 3294(2-7), 3295(4-19) में शामिल है। **B.** और कुल 4 बीघा 16 बिस्वा जमीन में से 1/6 + 7/192 + 1/12 हिस्से के मालिक हैं; यह जमीन खेवट संख्या 105, खतौनी संख्या 427, तथा खसरा संख्या 1427(2-8), 1428(2-8) में शामिल है। **C.** और 18 बीघा 13 बिस्वा जमीन में से 1/616 + 1/12 हिस्से के मालिक हैं; यह जमीन खेवट संख्या 116, खतौनी संख्या 446 से 450, तथा खसरा संख्या 3296(2-16), 3297(2-13), 3301 मिन (1-14), 3248 मिन (24), 3299 मिन (1-3), 3300 मिन (14), 3298 मिन (0-5), 3299 मिन (3-12), 3300 मिन (3-0), 3301 मिन (0) में शामिल है। **D.** और खेवट संख्या 117, खतौनी संख्या 451 से 454, खसरा संख्या .23(2-7), 24(1 -15), 25(1 -18), 25 मिन (1 -10), 23 मिन (2-0), 24 मिन (1 -15), 25 मिन में शामिल कुल 12 बीघे 3 बिस्वा भूमि में से (0-18). **E.** 0 बीघे 10 बिस्वा की भूमि, खेवट संख्या 107, खतौनी संख्या 429, खसरा संख्या 3287/2(3-4) में सम्मिलित 3 बीघे 4 बिस्वा भूमि में से 10/109 हिस्सा है और खेवट संख्या में सम्मिलित 2 बीघे 5 बिस्वा की कुल भूमि में से 10/109 हिस्सा है। 108, खतौनी नंबर 430, खसरा नंबर 3287/1 (2-5)। भूमि गांव मोखरा खेड़ी, तहसील महम, जिला रोहतक, हरियाणा में स्थित है	अज्ञात	अज्ञात	अज्ञात

नोट- यह संपत्ति ''जैसी है, जहाँ है'' तथा ''जो है यही है'' के आधार पर बेची जा रही है। नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने से पहले, संभावित खरीदारों को सलाह दी जाती है कि वे संपत्ति का निरीक्षण कर लें और साथ ही, यहाँ संलग्न 'अनुलग्नक ए' के रूप में दी गई नीलामी की सभी सामान्य शर्तों और नियमों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें।

अधिकतम प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए, प्रमाणपत्र धारक बैंक को निर्देश दिया जाता है कि वे संपत्ति के निरीक्षण के संबंध में किसी भी संभावित बोलीदाता के अनुरोध पर तत्काल कार्रवाई करें। हालाँकि, किसी भी प्रकार की कठिनाई होने पर, संभावित बोलीदाता इस कार्यालय से ई-मेलः drt2chandigarh-dfs@nic.in के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं।

मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अंतर्गत, दिनांक 04.05.2026 को जारी।

हस्ता./-
वसूली अधिकारी- II,
डीआरटी-II, चंडीगढ़

खबर कोना

सुरक्षा चिंताओं के कारण मेस्सी की प्रतिमा होगी स्थानांतरित

जनसत्ता खेल
नई दिल्ली, 1 जून।

कोलकाता के लेक टाउन में फुटबाल के दिग्गज लियोनेल मेस्सी की विशाल प्रतिमा को हटाने और दूसरी जगह ले जाने की तैयारी सोमवार से शुरू हो गई, क्योंकि अधिकारियों ने इस संरचना को सार्वजनिक सुरक्षा के लिए संभावित खतरा घोषित कर दिया था। व्यस्त वीआइपी रोड कारिडोर पर स्थित इंजीनियर और कर्मचारी प्रारंभिक कार्य करते देखे गए, जहां पांच महीने पहले ही 70 फुट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई थी। यह कदम स्थानीय निवासियों की शिकायतों के बाद उठाया गया है, जिसमें कहा गया था कि तेज हवाओं के दौरान विशाल संरचना हिलती हुई प्रतीत होती है, जिससे इसकी स्थिरता को लेकर चिंताएं बढ़ गई थीं। अधिकारियों के अनुसार, सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्थानांतरण प्रक्रिया कई चरणों में की जाएगी।

पेरिस : फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में अमेरिका के जैचरी स्वाज्दा के खिलाफ इटली के फ्लेवियो कोबोली शाट खेलते हुए।

भारतीय टीम ने अंडर 18 हाकी एशिया कप में कोरिया को हराया

काकामिगाहारा, 1 जून (भाषा)।

कप्तान केतन कुशवाहा के दो गोलों की बदौलत भारतीय पुरुष अंडर-18 हाकी टीम ने सोमवार को एशिया कप के पूल-ए मुकाबले में कोरिया को 4-1 से हरा दिया। कुशवाहा ने तीसरे और 36वें मिनट में गोल दागे, जबकि वरिंदर सिंह (पांचवां मिनट) और शाहरुख अली (54वां मिनट) ने भी एक-एक गोल किया। कोरिया के लिए कप्तान यून जेह्योक ने 21वें मिनट में एकमात्र गोल किया। इस जीत के साथ भारत छह अंकों के साथ कोरिया और जापान की बराबरी पर पहुंच गया। दोनों पूलों से शीर्ष दो टीमें सेमीफाइनल में प्रवेश करेंगी।

सेरेना 44 वर्ष की उम्र में पेशेवर टेनिस में वापसी को तैयार

पेरिस, 1 जून (एपी)।

अमेरिका की दिग्गज सेरेना विलियम्स लगभग चार वर्ष तक खेल से दूर रहने के बाद 44 साल की उम्र में आगामी क्वीन्स क्लब टूर्नामेंट से पेशेवर टेनिस में वापसी करेंगी। तेईस बार की ग्रैंड स्लैम एकल चैंपियन सेरेना इस ग्रास कोर्ट टूर्नामेंट में युगल वर्ग के जरिए प्रतिस्पर्धी टेनिस में वापसी करेंगी। डब्ल्यूटीए ने सोमवार को घोषणा की कि सेरेना ने टूर्नामेंट में खेलने के लिए वाइल्ड कार्ड स्वीकार कर लिया है। क्वींस क्लब टूर्नामेंट अगले सोमवार से शुरू होगा। उस समय उन्होंने टेनिस को अलविदा कहने की बात तो की थी, लेकिन संन्यास शब्द का इस्तेमाल करने से बचते हुए कहा था कि वह टेनिस से आगे बढ़ रही हैं। सेरेना 23 ग्रैंड स्लैम एकल खिताबों के अलावा 14 ग्रैंड स्लैम युगल खिताब भी जीत चुकी हैं।

खराब रोशनी से निपटने को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किया बदलाव

टेस्ट क्रिकेट में गुलाबी गेंद के इस्तेमाल को मिली मंजूरी

अहमदाबाद, 1 जून (भाषा)।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आइसीसी) के बोर्ड ने खराब रोशनी के कारण खेल प्रभावित होने की स्थिति में टेस्ट मैचों में परीक्षण के आधार पर गुलाबी गेंद के इस्तेमाल और ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान मुख्य कोच को मैदान पर जाकर खिलाड़ियों से चर्चा करने की अनुमति देने जैसे कई महत्त्वपूर्ण बदलावों को अपनी वार्षिक बैठक में मंजूरी दे दी।

अहमदाबाद में आयोजित दो दिवसीय बैठक में आइसीसी बोर्ड ने भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अनियमितताओं के आरोपों के चलते क्रिकेट कनाडा की सदस्यता तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का भी फैसला किया। इसके साथ ही बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) के चुनावों की निगरानी के लिए आइसीसी के वरिष्ठ अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। आइसीसी के बयान के अनुसार, दोनों टीमों की पूर्व सहमति से टेस्ट मैचों में गुलाबी गेंद के इस्तेमाल का परीक्षण किया जाएगा, ताकि खराब रोशनी की आशंका होने पर अधिक से अधिक खेल संभव हो सके।

मैच की शुरुआत पारंपरिक लाल गेंद से होगी, लेकिन यदि रोशनी कम हो जाती है तो फ्लडलाइट्स की मदद से गुलाबी गेंद का इस्तेमाल कर उन ओवरों को पूरा कराया जा सकेगा। मौजूदा नियमों के तहत एक दिन में 90 ओवर फेंके जाते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर 75 ओवर लाल गेंद से खेले जाने के बाद रोशनी कम हो जाए और 15 ओवर बाकी हों, तो दोनों टीमों की पूर्व सहमति होने पर उन ओवरों को दुधिया रोशनी में गुलाबी गेंद से पूरा कराया जा सकेगा। यह देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय टीम इस व्यवस्था को स्वीकार करती है या नहीं। भारतीय खिलाड़ी घरेलू परिस्थितियों में गुलाबी गेंद से टेस्ट खेलने को लेकर पहले भी अनिच्छा जता चुके हैं। गुलाबी गेंद से सीम मूवमेंट अधिक मिलने के कारण मैच का रुख बदल सकता है। आइसीसी बोर्ड ने खराब रोशनी के कारण खेल का नुकसान कम करने के लिए मैच अधिकारियों और मैदानों में प्रकाश व्यवस्था से जुड़ी नई तकनीकों पर शोध को भी मंजूरी दी है। इस अनुसंधान एवं विकास परियोजना को आइसीसी और मेरिलबोन क्रिकेट क्लब (एमसीसी) संयुक्त रूप से वित्तपोषित करेंगे।

आइसीसी बोर्ड ने खेल नियमों में संशोधन करते हुए मुख्य कोच या उनके प्रतिनिधियों को निर्धारित ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान मैदान पर जाकर खिलाड़ियों से रणनीतिक चर्चा करने की अनुमति दे दी है। टी20 क्रिकेट में रणनीतिक टाइम आउट के दौरान कोचिंग स्टाफ के मैदान पर आने की व्यवस्था पहले से लागू है और अब इसी तरह की सुविधा टेस्ट क्रिकेट में भी उपलब्ध होगी।

क्रिकेट

खिलाड़ियों के हितों की रक्षा और राष्ट्रीय टीमों के विकास को ध्यान में रखते हुए आईसीसी की निगरानी में नियंत्रित वित्तीय व्यवस्था के तहत क्रिकेट कनाडा को स्वीकृत राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए धन उपलब्ध कराया जाएगा। *आइसीसी* क्रिकेट कनाडा को सदस्यता बहाली के लिए आवश्यक शर्तों की सूची भी सौंपेगा। इन शर्तों के अनुपालन की निगरानी आइसीसी नार्मलाइजेशन कमेटी करेगी।

आइसीसी बोर्ड ने खराब रोशनी के कारण खेल का नुकसान कम करने के लिए मैच अधिकारियों और मैदानों में प्रकाश व्यवस्था से जुड़ी नई तकनीकों पर शोध को भी मंजूरी दी है। इस अनुसंधान एवं विकास परियोजना को आइसीसी और एमसीसी संयुक्त रूप से वित्तपोषित करेंगे।

खेल नियमों में आइसीसी ने संशोधन करते हुए मुख्य कोच या उनके प्रतिनिधियों को निर्धारित ब्रेक के दौरान मैदान पर जाकर खिलाड़ियों से रणनीतिक चर्चा करने की अनुमति दे दी है। टी20 क्रिकेट में टाइम आउट के दौरान कोचिंग स्टाफ के मैदान पर आने की व्यवस्था पहले से लागू है।

वैभव सूर्यवंशी ने दिग्गजों को पछाड़कर जीती 'आरेंज कैप'

जनसत्ता खेल
नई दिल्ली, 1 जून।

आइपीएल का यह सत्र अपने समापन के साथ कई ऐतिहासिक यादें छोड़ गया है। सत्र के सबसे बड़े स्टार राजस्थान रायल्स के पंद्रह वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी रहे, जिन्होंने सबसे ज्यादा रनों का इतिहास रचते हुए आरेंज कैप अपने नाम की। वैभव ने सर्वाधिक 776 रन बनाए। इसके साथ ही वह आइपीएल इतिहास में आरेंज कैप जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं।

वैभव ने सत्र में रिकार्ड 72 छक्के उड़ाकर सुपर सिक्सेस, 237.3 के स्ट्राइक रेट के लिए सुपर स्ट्राइकर और इमर्जिंग प्लेयर आफ द सीजन के पुरस्कारों पर भी कब्जा जमाया। दूसरी ओर, गेंदबाजी में पंजाब किंग्स के कागिसो रबाडा ने धारदार गेंदबाजी करते हुए 29 विकेट चटकाए और पर्पल कैप अपने नाम की। उपविजेता टीम के कप्तान शुभमन गिल को साढ़े बारह करोड़ रुपए का चेक सौंपा गया। कैच आफ द सीजन : मनीष पांडे (बैकवर्ड पाइंट पर टिम डेविड का शानदार कैच)। डाट गेंदों का खिताब मोहम्मद सिराज को मिला। उन्होंने सबसे ज्यादा 172 डाट गेंदें निकाली। सबसे ज्यादा चौके लगाने का खिताब साई सुदर्शन (75 चौके) के नाम रहा। सर्वश्रेष्ठ पिच व मैदान का खिताब क्रिकेट एसोसिएशन आफ बंगाल और हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (4 या कम मैचों के लिए) को मिला।

इस बार विजय जुलूस नहीं : रायल चैलेंज बेंगलुरु ने इंडियन प्रीमियर लीग में लगातार दूसरी बार खिताब जीतने के बाद विजय जुलूस नहीं निकालने का फैसला किया है। बंगलुरु शहर के पुलिस आयुक्त सीमंथ कुमार सिंह ने कहा, हम किसी भी प्रकार के सार्वजनिक समारोह की अनुमति नहीं देंगे। यदि कोई जश्न मनाना चाहता है तो वह घर के अंदर मना सकता है।

आइपीएल 2026

रजत पाटीदार ने ट्राफी भगदड़ पीड़ितों को समर्पित की

आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने आइपीएल में अपना दूसरा खिताब जीतने के बाद ट्राफी को पिछले साल भगदड़ में मारे गए प्रशंसकों को समर्पित किया है। पाटीदार ने रविवार को गुजरात टाइटंस के खिलाफ फाइनल में पांच विकेट की जीत के बाद कहा की निश्चित तौर पर बहुत बुरा लगता है कि खिताब जीतने के बाद हमने अपने प्रशंसकों को खो दिया। सिर्फ प्रशंसक ही नहीं वे तो इस टीम के परिवार के सदस्य थे। उन्होंने कहा की मैं यह ट्राफी उन्हें समर्पित करना चाहता हूं। बस इतना ही। उस भावना को व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं। दुखद घटनाक्रम के बाद चिन्नास्वामी स्टेडियम में लगभग आठ महीने तक शीर्ष स्तर के क्रिकेट मैचों का आयोजन नहीं किया गया।

प्रधानमंत्री ने एशियाई एथलेटिक्स में 19 पदक जीतने पर भारतीय टीम को सराहा

नई दिल्ली, 1 जून (भाषा)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22वीं एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 10 स्वर्ण पदकों सहित 19 पदक जीतने वाले भारतीय टीम को बधाई देते हुए सोमवार को कहा कि यह शानदार प्रदर्शन खिलाड़ियों के दृढ़ संकल्प और उत्कृष्टता को दर्शाता है।

भारत ने हांगकांग में आयोजित की गई चार दिवसीय प्रतियोगिता में 10 स्वर्ण, पांच रजत और चार कांस्य सहित कुल 19 पदक जीतकर चीन (14 स्वर्ण, नौ रजत, दो कांस्य) के बाद दूसरा स्थान हासिल किया। मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 22वीं एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 10 स्वर्ण पदकों सहित 19 पदक जीतने के लिए भारतीय टीम को हार्दिक बधाई। यह उत्कृष्ट प्रदर्शन भारत के युवा एथलीटों के दृढ़ संकल्प और उत्कृष्टता को दर्शाता है। उम्मीद है कि यह उपलब्धियां आने वाले वर्षों में और भी कई युवा भारतीयों को खेल में अपना करिअर बनाने के लिए प्रेरित करेंगी।

अंडर20 चैंपियनशिप

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भी भारतीय टीम को बधाई दी। शाह ने एक्स पर पोस्ट किया, हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय टीम को बधाई। 10 स्वर्ण पदकों सहित 19 पदक जीतने की आपकी उपलब्धि भारत की अपार खेल प्रतिभा का प्रमाण है, जो पूरे देश के अनगिनत खिलाड़ियों को प्रेरित करेगी।

सैन फ्रांसिस्को में डब्ल्यूएनबीए बास्केटबाल के पहले हाफ में गोल्डन स्टेट वाल्कीरीज की वेरोनिका बर्टन (दाएं) व लास वेगास एसेस की स्टेफनी टैलबोट गेंद के लिए जूझती हुईं।

मुकाबला

इंग्लैंड से आज भारतीय महिला टीम की भिड़ंत

कप्तान हरमनप्रीत कौर निकालेंगी मध्यक्रम की समस्याओं का समाधान

टांटन, 1 जून (भाषा)।

भारतीय टीम मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ मंगलवार को तीसरे और निर्णायक महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में उतरेगी तो उसे दीप्ति शर्मा और ऋचा घोष जैसी भरोसेमंद बल्लेबाजों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी, ताकि टीम अपने मध्यक्रम की समस्याओं का समाधान तलाश सके।

भारतीय टीम ने इस शृंखला का विजयी आगाज किया था, लेकिन इंग्लैंड ने दूसरा टी20 मुकाबला जीतकर शानदार वापसी की। इस महीने 12 जून से शुरू होने वाले महिला टी20 विश्व कप से पहले दोनों टीमें जीत के साथ अपना आत्मविश्वास बढ़ाना चाहेंगी। भारतीय टीम के लिए यह शृंखला आगामी विश्व कप से पहले इंग्लैंड की परिस्थितियों में अपने सर्वश्रेष्ठ संयोजन को परखने का भी महत्त्वपूर्ण अवसर है। चोट से वापसी कर रहीं यास्तिका भाटिया ने पहले टी20 में अर्धशतकीय पारी खेली थी, लेकिन दूसरे मैच में वह तेजी से रन बनाने में नाकाम रहीं और 33 रन के निजी स्कोर पर रिटायर्ड आउट हो गईं। जेमिमा रोड्रिग्स ने भी एक अर्धशतक लगाया, जबकि स्मृति मंधाना और आक्रामक सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने दूसरे मैच में अच्छी शुरुआत की थी। दोनों ही मुकाबलों में भारतीय टीम अंतिम पांच ओवरों में अपनी लय बनाए रखने में असफल रही। बड़े शाट खेलने के लिए जानी जाने वाली ऋचा घोष अभी तक अपेक्षित प्रभाव नहीं छोड़ सकी हैं। पहले मैच में यास्तिका और जेमिमा की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत भारत ने 7 विकेट पर 188 रन का स्कोर खड़ा किया था।

तीसरा टी20 क्रिकेट

जेमिमा रोड्रिग्स ने भी एक अर्धशतक लगाया, जबकि स्मृति मंधाना और आक्रामक सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने दूसरे मैच में अच्छी शुरुआत की थी। *रोड्रिग्स* ने महिला सुपर लीग में खेलने के अपने अनुभव का लाभ उठाने की उम्मीद जताते हुए कहा कि इस मैदान की पिच आम तौर पर बल्लेबाजों के लिए अनुकूल रहती है।

'महिला सुपर लीग के दौरान यहां खेला' रोड्रिग्स ने मैच की पूर्व संध्या पर कहा, मैं इससे पहले भी महिला सुपर लीग के दौरान यहां खेल चुकी हूं। उस समय मैंने यहां अच्छा प्रदर्शन करते हुए रन भी बनाए थे, इसलिए इस मैदान से मेरी अच्छी यादें जुड़ी हैं। जहां तक इस पिच और यहां की परिस्थितियों का सवाल है, यह बल्लेबाजी के लिए बेहद अच्छी पिच रहती है।

दिव्यांशी भौमिक ने डब्ल्यूटीटी फीडर महिला एकल का खिताब जीता

प्रिस्टीना, 1 जून (भाषा)।

उभरती हुई खिलाड़ी 15 वर्षीय दिव्यांशी भौमिक ने शानदार प्रदर्शन करते हुए डब्ल्यूटीटी फीडर महिला एकल खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। वह इस उपलब्धि हासिल करने वाली भारत की सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी बन गई हैं। विश्व रैंकिंग में 211वें स्थान पर काबिज दिव्यांशी ने फाइनल में चीनी ताइपे की विश्व नंबर 38 येह यी-तियान को रोमांचक मुकाबले में 3-2 (8-11, 11-8, 11-5, 7-11, 11-7) से पराजित किया।

टेबल टेनिस

भारतीय खिलाड़ी ने पहला गेम गंवाने के बाद जबरदस्त वापसी करते हुए अद्भुत संयम, जुझारूपन और आत्मविश्वास का परिचय दिया तथा यादगार जीत दर्ज की। इस प्रदर्शन के साथ उन्होंने सीनियर अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी दमदार मौजूदगी का अहसास कराया। दिव्यांशी की यह उपलब्धि केवल भारतीय टेबल टेनिस के लिए ही ऐतिहासिक नहीं है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी उन्हें विशिष्ट स्थान दिलाती है।

मात्र 15 वर्ष की आयु में वह जापान की स्टार खिलाड़ी मिवा हारिमोटो के बाद डब्ल्यूटीटी फीडर सर्किट में महिला एकल खिताब जीतने वाली दुनिया की दूसरी सबसे युवा खिलाड़ी मानी जा रही हैं। प्रिस्टीना में आयोजित प्रतियोगिता के दौरान दिव्यांशी ने पूरे सप्ताह अपने खेल से प्रभावित किया। उन्होंने अपने से अधिक अनुभवी और ऊंची रैंकिंग वाली खिलाड़ियों को बेखौफ आक्रामक खेल तथा अटूट आत्मविश्वास के दम पर मात दी। उनकी परिपक्वता उम्र से कहीं अधिक दिखाई दी।

दिव्यांशी ने अपने शानदार अभियान में एक और स्वर्णिम उपलब्धि जोड़ते हुए महिला युगल वर्ग का स्वर्ण पदक भी जीता। उन्होंने सिंड्रेला दास के साथ मिलकर जापान की साची आओकी व कोकोना मुरामात्सु की जोड़ी को रोमांचक फाइनल में 3-2 से हराया।

भारतीय जोड़ी ने पहली बार जीता सिंगापुर ओपन खिताब | **बैडमिंटन** | टूर्नामेंट आज से, सिंधु महिला एकल में बुसानन से भिड़ेंगी

सात्विक-चिराग की इंडोनेशिया ओपन के खिताब पर निगाह

जकार्ता, 1 जून (भाषा)।

सिंगापुर ओपन में लंबे समय से चले आ रहे खिताबी इंतजार को समाप्त करने के बाद आत्मविश्वास से भरपूर भारत की स्टार पुरुष युगल जोड़ी सात्विकसाइराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी अब मंगलवार से शुरू हो रहे इंडोनेशिया ओपन सुपर 1000 में लगातार दूसरा खिताब जीतने के इरादे से कोर्ट पर उतरेंगी।

पूर्व विश्व नंबर एक भारतीय जोड़ी को प्रतियोगिता में चौथी वरीयता मिली है। अपने पहले मुकाबले में उनका सामना मलेशिया के कांग खाई शिंग और आरोन ताई की जोड़ी से होगा। सात्विक और चिराग ने एक गेम से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए इंडोनेशिया के फजर अल्फियान और मुहम्मद शोहिबुल फिकरीको पुरुष युगल फाइनल में हराकर अपना पहला सिंगापुर ओपन खिताब जीता था। यह जीत भारतीय जोड़ी के लिए इसलिए भी ऐतिहासिक रही क्योंकि वे सिंगापुर ओपन में युगल वर्ग का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। उल्लेखनीय है कि सिंगापुर ओपन से पहले उनका पिछला खिताब 2024 का थाईलैंड ओपन ही था। इसके बाद वे चार बार फाइनल में पहुंचे, लेकिन हर बार उपविजेता रहना पड़ा।

पुरुष युगल में भारत की दूसरी जोड़ी एमआर अर्जुन और हरिहरन अम्साकरूणान का मुकाबला मलेशिया के नूर मोहद अजरीन आयुब अजरीन और तान वी कियोंग से होगा।

दोनों भारतीय जोड़ियां अपने-अपने शुरुआती मुकाबले जीतती हैं तो दूसरे दौर में आमने-सामने हो सकती हैं। महिला एकल में भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु अपने अभियान की शुरुआत थाईलैंड की बुसानन ओंगबामरुंगफान के खिलाफ करेंगी। अन्य भारतीय खिलाड़ियों में मालविका बंसोड़ का सामना थाईलैंड की सातवीं वरीय पोर्नपावी चोचुवोंग से होगा, जबकि उन्नति हुड्डा को पहले ही दौर में जापान की विश्व नंबर 12 नोजोमि ओकुहारा जैसी मजबूत प्रतिद्वंद्वी मिली हैं। लक्ष्य सेन पुरुष एकल में अपने पहले मुकाबले में इंडोनेशिया के अल्वी फरहान से भिड़ेंगे। वहीं किदांबी श्रीकांत का सामना जापान के युशी तनाका से होगा।

महिला एकल में भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु अपने अभियान की शुरुआत थाईलैंड की बुसानन ओंगबामरुंगफान के खिलाफ करेंगी। *सात्विक* और चिराग ने एक गेम से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए इंडोनेशिया के फजर अल्फियान और मुहम्मद शोहिबुल फिकरीको पुरुष युगल फाइनल में हराकर अपना पहला सिंगापुर ओपन खिताब जीता था।

एशियाई खेलों से पहले टाप्स विकास समूह में 22 नौकायन खिलाड़ी शामिल

जनसत्ता खेल
नई दिल्ली, 1 जून।

जापान के आइची-नागोया में सितंबर-अक्तूबर में होने वाले एशियाई खेलों की तैयारियों के मद्देनजर नौकायन (रोइंग) के 22 खिलाड़ियों को सोमवार को टारगेट ओलंपिक पोडियम योजन (टाप्स) के विकास समूह में शामिल किया गया। यह फैसला मिशन ओलंपिक सेल की 174वीं बैठक में लिया गया।

भारतीय नौकायन संघ द्वारा वार्षिक राष्ट्रीय चयन ट्रायल और विभिन्न नौकाओं के लिए दलों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद खिलाड़ियों की सूची जारी की गई। विकास समूह में शामिल प्रमुख खिलाड़ियों में बलराज पंवार, अरविंद सिंह और दो पदक जीत चुके जसविंदर सिंह शामिल हैं।

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 43, अंक 196
दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए रमेश चंदर मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोनः (0120) 2470700/2470740, ई-मेलः edit.jansatta@expressindia.com,
बोर्ड अध्यक्ष : विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादकः मुकेश भारद्वाज*, *पीआरपी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइटः दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।

JOIN OUR PAID SERVICE – 2026

Daily PDF Access | Editorial Bonus | Almost All Editions

ENGLISH NEWSPAPERS

The Hindu, Indian Express, Hindustan Times, Business Line, Business standard, The Live Mint, Times of India, Telegraph, New Indian Express, Asian Age, Statesman, Tribune, Pioneer, Financial Express, The Economic Times, Mid-Day, Deccan Chronicle, Employment News, Free Press Journal, Hans India, Deccan Herald, Lokmat Times, Mirror, Telangana Today

HINDI NEWSPAPERS

दैनिक जागरण, अमर उजाला, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान, बिज़नेस स्टैण्डर्ड, राजस्थान पत्रिका, हरी भूमि, लोकसत्ता , पायनियर , दैनिक ट्रिब्यून , द हिन्दू, राष्ट्रीय सहारा , नवभारत टाइम्स, पंजाब केसरी, जनसत्ता, देशबंधू, प्रभात खबर, दैनिक नवज्योति, आईनेक्स्ट लाइव, लोकमत, नव भारत, नई दुनिया

Bonus Included :

- The Hindu Analysis
- Editorial Complation
- The Hundu in Hindi

Bonus Included :

- The Hindu Analysis
- Editorial Complation
- The Hundu in Hindi

Full Package : All in One Plan

The Hindu Plan

(Starter) 1 Month = ~~199~~ ₹99

(★ Popular) 6 Month = ~~599~~ ₹349

(Best Value) 1 Year = ~~999~~ ₹549

Special Offer

You will Get

- 20+ Hindi Newspapers
- 22+ English Newspapers
- THE Hindu, BL,IE,TOI,ET, etc..
- Dainik Jagran, NBT, DB, Etc..
- Editorial Complation (En & Hi)
- The Hindu Analysis

You Get All Editions of These Premium Newspapers

The Hindu, BL, IE, NIE Plan

The Hindu Plan

(Starter) 1 Month = ~~149~~ ₹69

(★ Popular) 6 Month = ~~499~~ ₹269

(Best Value) 1 Year = ~~799~~ ₹399

Special Offer

You will Get

- The Hindu (TH)
- Business Line (BL)
- Indian Express (IE)
- New Indian Express (NIE)
- Editorial Complation
- The Hindu Analysis

You Get All Editions of These Premium Newspapers

LIMITED TIME OFFER

Telegram Access Available

→ CLICK HERE & JOIN NOW